चतुर्दश माला, खंड 29, अंक 16

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007
16 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 7 July 2006

(खण्ड 29 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)
अंक 16, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007/16 भाद्रपद, 1929 (शक)

विषय	**कॉलम**
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	3
तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 360	3-43
अतारांकित प्रश्न संख्या 3377 से 3552	43-302
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान संसद सदस्य श्री एन. जनार्दन रेड्डी पर हुए हमले के बारे में	302
सभा पटल पर रखे गए पत्र	303-313
अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की एक सौ सोलहवीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन	314
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	314
विशेषाधिकार समिति	
पांचवां प्रतिवेदन	314
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	315
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन	315
रेल संबंधी स्थायी समिति	
अठाईसवें से इकतीसवां प्रतिवेदन	315-316
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	316
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
पचासवां प्रतिवेदन	316

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) चौबीसवां प्रतिवेदन 317

(दो) साक्ष्य 317

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन 317

लाभ के पद के संबंध में संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव 318

समिति के लिए निर्वाचन

कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) 318-319

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्ष 2005-06 के इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय का चुना जाना

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 319-320

सभा का कार्य 320-324

शिशु (संशोधन) विधेयक, 2007 324

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री ऑस्कर फर्नांडीस 324

खंड 2, 4 और 1 325

पारित करने के लिए प्रस्ताव 325-326

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 327

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित 327

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2007

(धारा 6 का संशोधन)

श्री हंसराज गं. अहीर 327-328

(दो) कृषि भूमि अर्जन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007

श्री हंसराज गं. अहीर 328

(तीन) कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2007

श्री हंसराज गं. अहीर 329

(चार) राष्ट्रीय कृषक आयोग विधेयक, 2007

श्री राम कृपाल यादव 329-330

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन) 330

विचार करने के लिए प्रस्ताव 330

श्री शैलेन्द्र कुमार 330-332

चौधरी लाल सिंह 332-335

श्री राम कृपाल यादव 336-341

श्री निखिल कुमार 341-345

श्री भर्तृहरि महताब 345-350

डा. सत्यनारायण जटिया 350-354

श्रीमती रंजीत रंजन 354-357

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 357-362

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 362-368

श्रीमती ऊषा वर्मा .... 368-3[illegible]

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 369-370

श्री रामदास आठवले 370-373

श्री गिरिधर गमांग 373-374

आधे घंटे की चर्चा का स्थगन 374-386

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 387-388

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 388-394

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 395-396

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 395-398

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007/16 भाद्रपद, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो मुझे सभा को अपनी पूर्व सहयोगी श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा 1952 से 1970 तक पहली से चौथी लोक सभा की सदस्य रहीं तथा उन्होंने बिहार के पटना पूर्व और बाढ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य प्रशासिका श्रीमती सिन्हा 1958 से 1964 तक केन्द्र में वित्त मंत्रालय में उपमंत्री रहीं।

वे 1952 से 1957 तक और 1967 के दौरान भी लोक लेखा समिति की सदस्य रहीं।

श्रीमती सिन्हा एक प्रखर विद्यार्थी नेता थीं। वे 1950 में बिहार के महिला संघ और प्रांतीय स्वास्थ्य शिक्षा सम्मेलन की कार्यकारी समिति की सदस्य रहीं। वे पटना जिला बोर्ड कर्मचारी संघ की अध्यक्ष भी रहीं।

श्रीमती सिन्हा ने अनेक देशों की यात्रा की। वे 1957 में संयुक्त राष्ट्र जाने वाले भारतीय शिष्टमंडल की सदस्य थीं। वे 1960 में टोकियो, 1961 में क्वालालाम्पुर और 1963 में बैंकाक में होने वाली कोलम्बो प्लान कांफ्रेंस में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमंडल की नेता थीं।

श्रीमती सिन्हा एक उत्कृष्ट वक्ता थीं। वे अपनी हाजिरजबावी और उर्दू शायरी के लाजवाब पुट से सभा के वाद-विवादों को जीवंत बना देती थीं। उनकी गायन और साहित्यिक गतिविधियों में भी गहरी रूचि रही।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का निधन कुछ समय अस्वस्थ रहने के पश्चात 81 वर्ष की आयु में 14 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपनी इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे क्वैश्चन ऑवर सस्पेंड करने के लिए रिक्वैस्ट की थी। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि जे.पी.सी. बनाई जाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): वे बहस का सामना करने से डरते हैं।...*(व्यवधान)* वे बहस का सामना करने से डरते हैं क्योंकि उनके पर्दाफाश होने का भय है...*(व्यवधान)* इसलिए वे सभा में व्यवधान डाल रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज शुक्रवार है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों, विषयों पर चर्चा की जानी है। सोमवार को इस मामले पर चर्चा होगी।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वे बहस का सामना करने से डरते हैं। वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने से डरते हैं। इसलिए वे यह व्यवधान डाल रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं आपको

बताना चाहता हूं कि आज की जनता उन्हें सबक सिखाएंगी। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप डा. सत्यनारायण जटिया से सबक लें। वे विशेषज्ञ हैं। मुझे खेद है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभा नहीं चलने दी जायेगी। मैं केवल अपना दुख प्रकट कर सकता हूं। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करना चाहता हूं कि हमें 'उचित प्रकार से मामलों' पर चर्चा करनी चाहिए जो भी मामले आप उठाना चाहते हैं, मैं उनकी अनुमति दे रहा हूं। लेकिन कृपया सभा चलने दें।

...(*व्यवधान*)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नैनो - टेक्नॉलॉजी को बढ़ावा

***341. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नैनो - टेक्नॉलॉजी के विकास और प्रोत्साहन हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में नैनो-टेक्नॉलॉजी के अध्ययन, शिक्षण तथा उपयोग हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) सरकार देश में नैनो - प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने में अत्यंत सक्रिय रही है। देश में अब तक विकसित नैनो - प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में निम्नलिखित शामिल हैं; (क) नेत्र अनुप्रयोगों के लिए नैनोकणों का उपयोग करते हुए औषध वितरण; (ख) स्वदेशी रूप से उपलब्ध इल्मेनाइट अयस्क से नैनो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बनाने की व्यवहार्य पद्धति; (ग) घरेलू अनुप्रयोगों के लिए नैनो सिल्वर कोटेड कैंडल्स का प्रयोग करने वाले जल फिल्टर (घ) सार्वजनिक - निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत मोटरकारों से प्रदूषण कम करने के लिए नैनोसामग्री; (ङ) क्षय रोग और नेत्र विज्ञान (आप्थलमोलॉजी) के लिए नैनो बायो सेंसर्स पर आधारित नैदानिक उपकरण; और (च) कार्बन नैनो ट्यूब आधारित फ्लो सेंसर्स। टायर इंजीनियरी और अभिनव वस्त्रों के लिए उच्च कार्यनिष्पादन रबड़ नैनो - यौगिकों पर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग के बीच कुछ सहयोगी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रु. के आबंटन से मई, 2007 में प्रारंभ किये गये नैनो मिशन के अन्तर्गत इस उदीयमान प्रौद्योगिकी को केवल सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के माध्यम से ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करने तथा इसे उन्नत बनाने के लिए बढ़ावा देकर और सक्षम बनाकर इसका विकास और वाणिज्यीकरण पर आगे और जोर देने की भी योजना है।

पहले से ही निधिकृत अनुसंधान परियोजनाओं और पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियों की सहायता से इस क्षेत्र में लगभग 150 शोधार्थियों और शोध छात्रों के एक मुख्य समुदाय को तैयार किया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी में एम टेक पाठ्यक्रमों का एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। बायो सेंसर्स, मुद्रणीय इलेक्ट्रोनिक्स, औषध वितरण, उत्तम वस्त्र आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 20 उत्कृष्ट केन्द्रों की भी स्थापना की गई है। सरकार नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान पहले ही लगभग 350 करोड़ रु. व्यय कर चुकी है। ये वैज्ञानिक, सुविधाएं और केन्द्र देश में नैनो प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास को और आगे उत्प्रेरित करेंगे।

[अनुवाद]

ग्राम विद्युतीकरण

***342. श्री जोवाकिम बखला:**

श्री रनेन बर्मन:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गांवों में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली प्रदान करने हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किए जाते हैं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के लिए मंत्रालय के लक्ष्य और उपलब्धियां क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं। उपलब्धियों में कमी के कारणों में दूरस्थ गांवों की पहचान किए जाने के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित बड़ी संख्या में गांवों के सर्वेक्षण कार्य में लगा समय और राज्य सरकारों द्वारा अनुरूप निधियों के आवंटन में देरी होना शामिल है। विलंब से बचने के लिए यह मंत्रालय लगातार राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से संपर्क रखता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य

(गांवों की संख्या)

2004-05	2005-06	2006-07
3000	2000	1000

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों के राज्यवार विवरण

राज्य	2004-05*		2005-06*		2006-07*	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
अरुणाचल प्रदेश		50	117	40	11	50
असम		3	33		429	
बिहार						
छत्तीसगढ़		53			43	
दिल्ली						
गोवा						
गुजरात		2	36			
हरियाणा					149	45

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश		1	20			
जम्मू-कश्मीर						27
झारखण्ड		24	224	29	108	234
कर्नाटक			20			
केरल						
मध्य प्रदेश			50		100	30
महाराष्ट्र			161		94	110
मणिपुर		106	40	3	14	25
मेघालय		24		1	70	
मिजोरम				7		13
नागालैण्ड					3	
उड़ीसा					197	
पंजाब						
राजस्थान			230		73	129
सिक्किम						13
तमिलनाडु						
त्रिपुरा		16				205
उत्तरांचल	1	12		164	119	1
उत्तर प्रदेश						
पश्चिम बंगाल	7	90	5	49		135
कुल	8	381	936	293	1410	1017

*परियोजनाओं के पूर्ण होने का संबंध पूर्व वर्षों में जारी संस्वीकृतियों से हो सकता है।

विवरण-III

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम
(पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियां)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (31-7-07 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.08	293.00	156.28	4.11
3.	असम	23.00	32.00	346.58	1862.57
4.	बिहार	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ	8.00	275.5	363	290.50
6.	दिल्ली	–	–	–	–
7.	गोवा	–	0.5	–	–
8.	गुजरात	–	45.00	–	–
9.	हरियाणा	–	–	123.99	–
10.	हिमाचल प्रदेश	15.00	160.00	64.88	–
11.	जम्मू-कश्मीर	–	2.5	–	–
12.	झारखण्ड	–	1197.00	312	1011.23
13.	कर्नाटक	–	49.00	–	–
14.	केरल	–	–	1.61	–
15.	मध्य प्रदेश	–	28.00	177.21	402.24
16.	महाराष्ट्र	–	285.00	810.86	940.00
17.	मणिपुर	79.01	381.00	585.59	87.87
18.	मेघालय	175.85	–	135.72	102.59
19.	मिजोरम	–	–	–	–
20.	नागालैण्ड	–	–	17.34	–

1	2	3	4	5	6
21.	उड़ीसा	42.89	5.5	496.27	276.00
22.	राजस्थान	176.22	247.00	51.00	575.46
23.	सिक्किम	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	1062.40	–	352.07	–
26.	उत्तरांचल	50.52	147.00	346.63	88.38
27.	उत्तर प्रदेश	0.57	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	72.05	953.00	1366.26	–

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***343. श्री अब्दुल रशीद शाहीनः** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी कार्य में निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें क्या-क्या छूट/सुविधाएं देने की पेशकश की गई हैं; और

(ग) उनके चयन में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य स्तर पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र के ठेकेदार पहले से ही शामिल हैं। इन परियोजनाओं की निगरानी में निजी क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता।

(ख) पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगे ठेकेदारों को कोई विशेष रियायतें/सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। तथापि, एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग की गई विशिष्ट वस्तुओं तथा मशीनरी के संबंध में उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

(ग) पी.एम.जी.एस.वाई. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के ठेकेदारों का चयन पारदर्शी एवं खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

यमुना नदी का सौन्दर्यीकरण

***344. डा. राजेश मिश्राः**

श्री सज्जन कुमारः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी की सफाई करने तथा उसके सौन्दर्यीकरण हेतु कोई परियोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी का अनुपात कितना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने यमुना कार्य योजना चरण-II (वाई.ए.पी.-II) तैयार की है तथा दिल्ली के यमुना कार्य योजना-II के अन्तर्गत जापानीज बोर्ड ऑफ

इंटरनेशनल को-आपरेशन के वित्तपोषण से दिल्ली जल बोर्ड तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। यमुना कार्य योजना-II परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 85:15 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी होगी।

यमुना नदी की सफाई और उसमें प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इंटरसेप्टर सीवर की संकल्पना तैयार की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(क) सीवेज को नजदीकी सीवेज शोधन संयंत्र में सफाई के लिए डालने के लिए सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के तीन प्रमुख नालों (अर्थात नजफगढ़, सप्लीमेंटरी और शाहदरा) के साथ-साथ इंटरसेप्टर सीवर डालना।

(ख) दिल्ली गेट नाले तथा डा. सेन नर्सिंग होम नाले के मुहाने पर मौजूद सीवेज शोधन संयंत्रों की मौजूदा क्षमता को 2.2 एम.जी.डी. से बढ़ाकर क्रमशः 17.2 तथा 12.20 एम.जी.डी. करना।

(ग) 13 छोटे नालों को दुरुस्त करने के बाद बेला रोड और रिंग रोड ट्रंक सीवर में डालना।

(घ) मौजूदा संयंत्रों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्रों का निर्माण।

इस संकल्पना से यमुना नदी की सबसे प्रदूषित 22 कि.मी. लम्बी पट्टी में गिरने वाले 18 नालों के शोधन का कार्य सुनिश्चित होगा। परियोजना चालू होने के बाद, केवल शोधित बहिस्राव ही नालों और अन्ततः यमुना में जाएगा। पूरी परियोजना की अनंतिम लागत लगभग 2000 करोड़ रु. हैं और उसे पूरा करने में 4 वर्ष लगेंगे। यह कार्य पूरी परियोजना के प्रबंधन के लिए मैसर्स इंजीनियरिंग इंडिया लि. को सौंपा जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के साथ इसकी लागत की भागीदारी का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस संकल्पना को पहले ही योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

पश्चिमी यमुना पुस्ते के साथ के क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना बायो-डायवर्सिटी पार्क तथा गोल्डन जुबिली पार्क का डिजाइन बनाया है; जो विकसित किया जा रहा है। यमुना बायो-डायवर्सिटी पार्क की अनुमानित लागत 1869.37 लाख रुपये है तथा यमुना नदी मुहाने के विकास की अनुमानित लागत 1959 लाख रु. है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में यमुना नदी विकास के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की गई है।

बकाया कर

***345. श्री कीरेन रिजीजू:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर दाताओं की संख्या कितनी रही;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न करों की क्षेत्र-वार बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया राशि की वसूली नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने समय से कर जमा कराने को बढ़ावा देने के लिए किसी छूट अथवा प्रोत्साहन की घोषणा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान कर दाताओं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देने वाली इकाइयों और सेवा कर देने वाले निर्धारितियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	
	कर दाताओं की संख्या (लाखों में)	भुगतान करने वाली इकाइयों/ निर्धारितियों की संख्या	
		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवाकर
1	2	3	4
2004-05	308.08	94998	403856

1	2	3	4
2005-06	315.37	92097	420636
2006-07	319.26	92035	434431

(सीमा शुल्क का भुगतान करने वाले करदाताओं की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सीमा शुल्क आगम पत्र-वार एकत्रित किया जाता है।)

(ख) गत तीन वर्षों के लिए प्रत्यक्ष करों के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों की बकाया मांग नीचे दी गयी है।

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2004-05	79,390	15659.09
2005-06	92,082	21593.43
2006-07	1,16,453	26024.78

(क्षेत्रवार विवरण अलग से नहीं रखे जाते हैं।)

(ग) बकाया मांग की वसूली नहीं होने के कारण निम्नलिखित है: उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क सेवा कर अपील अधिकरण/आयकर अपील अधिकरण आदि द्वारा जारी स्थगन आदेश; परिसम्पत्ति की अपर्याप्तता; निर्धारितियों का पता न लगना; परिसमापनाधीन कम्पनियां; बी.आई.एफ.आर., समझौता आयोग आदि के सामने लम्बित मामले; सी.ओ.डी. के पास सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित लम्बित मामले; ऋण वसूली अधिकरण आदि द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाहियां आदि।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। समय से कर जमा कराने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसी छूट अथवा प्रोत्साहन की घोषणा नहीं की है।

[अनुवाद]

उदारीकृत प्रेषण योजना

***346. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकरण प्रेषण योजना (एल.आर.एस.) के प्रावधानों के अंतर्गत अब भारतीय निवासियों को बिना किसी स्वीकृति के देश के बाहर स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा बैंक खाते खोलने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) एक वित्तीय वर्ष में किसी निवासी द्वारा कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है;

(ङ) क्या देश के बाहर जमा ऐसी राशि का उपयोग म्यूचुअल फंड तथा वेंचर फंड के लिए किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निवासियों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाओं को और सरल और उदार बनाते हुए, निवासी व्यष्टियों हेतु **प्रति कैलेंडर वर्ष** 25,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत प्रेषण योजना दिनांक 4 फरवरी, 2004 को प्रारंभ की गई थी। तदनंतर, प्रति कैलेंडर वर्ष 25,000 अमरीकी डालर की इस सीमा को दिसम्बर, 2006 में बढ़ाकर **प्रति वित्त वर्ष** 50,000 अमरीकी डालर कर दिया गया। इसके पश्चात, 50,000 अमरीकी डालर की यह सीमा मई, 2007 में बढ़ाकर **प्रति वित्त वर्ष** 100,000 अमरीकी डालर कर दी गई।

इस योजना के अंतर्गत, सभी निवासी व्यष्टि इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु पात्र हैं। तथापि, यह सुविधा निगमों, भागीदारी फर्मों, हिन्दु अविभाजित परिवारों, न्यासों, आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता संबंधी लेनदेनों अथवा दोनों के संयोजन के लिए रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषण हेतु

उपलब्ध है। इस योजना के अनुसार, निवासी व्यष्टि विदेश में स्थावर संपत्ति अथवा शेयर या किसी अन्य प्रकार की परिसंपत्ति अधिग्रहित तथा धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यष्टियों को भारत से बाहर स्थित किसी बैंक में विदेशी चालू खाते खोलने, उनमें लेनदेन करने की अनुमति भी दी गई है ताकि वे रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस योजना के अंतर्गत धन का प्रेषण कर सकें। यह सुविधा निजी यात्रा, व्यावसायिक यात्रा, अध्ययन, चिकित्सा उपचार आदि के लिए पहले से ही उपलब्ध सुविधा के अतिरिक्त है। तथापि, विदेशी कंपनियों में उपहार, दान और निवेश के लिए प्रेषण हेतु निवासी व्यष्टियों को पहले से अलग-अलग दी जा रही सुविधाओं को, 100,000 अमरीकी डालर की इस वर्धित सीमा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है।

उन सौदों के लिए प्रेषणों को, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत अन्यथा अनुमत नहीं हैं और जो विदेशी एक्सचेजों/विदेशी प्रतिपक्षों को मार्जिनों अथवा मार्जिन कॉल हेतु प्रेषण के स्वरूप के हैं, योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। कोई भी निवासी व्यष्टि, इस योजना के अंतर्गत म्यूचुअल फंडों, वेंचर निधियों, दरनिर्धारण न की गई ऋण प्रतिभूतियों, वचन पत्रों आदि के यूनिटों में निवेश कर सकता है।

[हिन्दी]

विद्युत की चोरी के संबंध में निरीक्षण

***347. श्री एम. अंजन कुमार यादव:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को विद्युत की चोरी का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मनमाने ढंग से किए गए निरीक्षण के ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मनमाने ढंग से किए गए ऐसे निरीक्षणों के कारण विद्युत की चोरी के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत एक समवर्ती विषय है। विद्युत अधिनियम 2003 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी के बीच कोई भेद नहीं करता है। अधिनियम की धारा 135 विद्युत की चोरी से संबंधित है। अधिनियम की धारा 135(2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लाइसेंसी या आपूर्तिकर्ता जैसा भी मामला हो का अधिकृत अधिकारी किसी भी उस स्थान या परिसर का निरीक्षण कर सकता है जिस पर वह विद्युत का उपयोग अनाधिकृत रूप में हुआ है अथवा हो रहा है के कारणों पर विश्वास करता है।

अधिनियम के प्रावधानों में सुरक्षा उपाय सम्मिलित किए गए हैं जिनका पालन निरीक्षण करते वक्त किया जाना है। अधिनियम की धारा 135 में प्रावधान है कि तलाशी वाले स्थान का अधिभोक्ता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और इस प्रकार की तलाशी के दौरान जब्त सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जायेगी और यह सूची उस अधिभोक्ता या व्यक्ति को सौंपी जायेगी जो इस सूची को हस्ताक्षरित करेगा। इसके अतिरिक्त, परिसरों में रहने वाले किसी वयस्क पुरुष की उपस्थिति के समय के सिवाय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अन्य समय में किसी घरेलू स्थान या घरेलू परिसर में कोई निरीक्षण, तलाशी और जब्ती नहीं की जाएगी। धारा 135 के प्रावधानों में व्यवस्था है कि तलाशी और जब्ती से संबंधित कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोजीसर 1973 के प्रावधान जहां तक संभव हो विद्युत अधिनियम के तहत तलाशियों और जब्तियों के लिए लागू होंगी।

(ग) से (ङ) विद्युत का वितरण राज्य सरकारों और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) के कार्य क्षेत्र में आता है। वितरण लाइसेंसियों को विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत संबंधित एस.ई.आर.सी. द्वारा विनियमित किया जाता है। ऐसे निरीक्षणों के बारे में केन्द्रीय सरकार सूचनाओं का रख-रखाव नहीं करती है।

तथापि, अधिनियम के तहत ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 35 के सुरक्षा उपायों सहित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड व सजा की व्यवस्था की गई है। इसमें चोरी के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 142 में प्रावधान है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त आयोग के सम्मुख कोई शिकायत दर्ज की जाती है या यदि वह आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों या इसके तहत निर्मित नियम या विनियमों का उल्लंघन किया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे व्यक्ति को मामले में सुनवाई का एक अवसर देने के बाद किसी अन्य दंड जो उसे इस अधिनियम के तहत दिया जा सकता है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेश दे सकता है कि वह व्यक्ति जुर्माना का भुगतान करेगा जो कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और लगातार उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान करना होगा जो कि इस प्रकार के प्रथम निर्देश के उल्लंघन के बाद उल्लंघन की अवधि के दौरान प्रतिदिन छः हजार रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।

अधिनियम की धारा-146 में आगे यह भी व्यवस्था है कि जो भी किसी आदेश या अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन नहीं करता है अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए प्रेरित रहता है तो उस व्यक्ति को कारावास, जो कि तीन माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो कि एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दिए जा सकते हैं और लगातार उल्लंघन के मामले में उसे अतिरिक्त जुर्माना देना होगा जिसे कि इस प्रकार के प्रथम अपराध के दोषी सिद्ध हो जाने के बाद लगातार उल्लंघन की अवधि के दौरान प्रति दिन पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

[अनुवाद]

गैर कृषि भूमि

***348. श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय गैर-कृषि भूमि की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसका औद्योगिक और अन्य आर्थिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को यह सुझाव देने पर विचार कर रही है कि गैर कृषि भूमि का उपयोग देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) की स्थापना के लिए किया जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) के विकास के लिए प्रशासी मंत्रालय है, द्वारा की गई सूचना के अनुसार, भूमि राज्यों का विषय होने के कारण यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि बिल्डर (चाहे वह राज्य औद्योगिक विकास निगम हो या कोई निजी कंपनी) द्वारा प्रस्तावित भूमि उपयोग औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन बोर्ड केवल उन प्रस्तावों पर विचार करता है जिनकी उन राज्य सरकारों द्वारा उचित प्रकार से सिफारिश की गई है जिन्हें पहले यह सलाह दी गई थी कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में बेकार और बंजर भूमि के अधिग्रहण को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए एक फसल देने वाली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। मजबूरी में यदि विशेष तौर पर बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दो फसल देने वाली कृषि भूमि के किसी भाग का अधिग्रहण किया जाना है तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित कुल भूमि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की कमी

***349. श्री सूरज सिंह:**

श्री मित्रसेन यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयले की अपेक्षित मात्रा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक ताप विद्युत संयंत्रों की औसत मांग कितनी थी तथा उन्हें कोयले की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(घ) देश में इन संयंत्रों की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए इस अवधि के दौरान कोयले की कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 (अप्रैल-अगस्त, 2007) के दौरान विद्युत केंद्रों पर कोयले की प्राप्ति खपत एवं कोयला भंडार को नियामक स्तर तक बनाने के लिए आवश्यक लिंकेज का 85% थी।

इस अवधि के दौरान भारी वर्षा के परिणामस्वरूप कोयले का कम उत्पादन होना ताप विद्युत केंद्रों को कोयले की कम आपूर्ति का मुख्य कारण था।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अप्रैल से अगस्त, 2007) के दौरान विद्युत यूटिलिटियों के ताप विद्युत केंद्रों पर घरेलू स्रोतों से कुल कोल लिंकेज तथा कोयले का सुनियोजित आयात, प्राप्ति एवं खपत निम्नानुसार है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	कोल लिंकेज एवं सुनियोजित आयात	कोयले की प्राप्ति	% प्राप्ति	खपत किया गया कोयला
2004-05	304.24	280.60	92.2	277.74
2005-06	317.41	292.63	92.2	281.34
2006-07	338.56	303.30	89.6	302.54
2007-08* (अप्रैल-अगस्त, 07)	153.11	129.51	85.0	129.97

*अगस्त, 2007 माह के लिए अनंतिम आंकड़े भी शामिल हैं।

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में यूटिलिटी विद्युत केंद्रों द्वारा आयातित कोयले की मात्रा नीचे बताई गई है-

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन)
1	3
2004-05	4.527
2005-06	10.443
2006-07	9.664
2007-08 (31-8-2007 तक)	4.279 (अनंतिम पत्तनों पर कोयले की प्राप्ति सहित)

(ङ) ताप विद्युत केंद्रों को कोयले की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं -

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत केंद्रों को कोयले की आपूर्ति की स्थिति की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग।

- बाधाओं का समाधान करने के लिए अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतःमंत्रालयीन समूह द्वारा सभी बड़े ताप विद्युत केंद्रों पर कोयले का उत्पादन, परिवहन एवं भंडार की नियमित रूप से आवधिक मॉनीटरिंग।
- घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।

[अनुवाद]

समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

***350. डा. एम. जगन्नाथ: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 जून, 2007 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितने शहरों/नगरों को शामिल किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मलिन बस्तियों के विकास हेतु इसके अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्लम वासियों को पर्याप्त आश्रय और बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं देकर स्वस्थ और अनुकूल वातावरण द्वारा समग्र स्लम विकास के उद्देश्य से आई.एच.एस.डी.पी. शुरू किया गया है। आई.एच.एस.डी.पी. को दिसंबर, 2005 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) 16 राज्यों के 234 नगरों/कस्बों को आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत शामिल किया गया है। आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत शामिल नगरों/कस्बों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत परियोजनाएं मांग आधारित हैं और इसलिए इसमें कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं रखे गए हैं। राज्यवार संगत ब्यौरे विवरण-II में हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शामिल/शहर/नगर	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26	26
2.	असम	5	5
3.	बिहार	8	8
4.	छत्तीसगढ़	12	14
5.	गुजरात	11	11
6.	हरियाणा	9	15
7.	जम्मू-कश्मीर	10	10

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	12	12
9.	केरल	22	22
10.	मध्य प्रदेश	21	27
11.	महाराष्ट्र	19	19
12.	नागालैण्ड	1	1
13.	राजस्थान	20	20
14.	तमिलनाडु	28	28
15.	उत्तर प्रदेश	8	8
16.	पश्चिमी बंगाल	22	23
	कुल	234	249

विवरण-II

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) 30-6-2007 की स्थिति अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06				2006-07				2007-08			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश				0	25	301.92	210.57	83.33	1	55.36	37.75	21.95
2.	असम				0	3	12.24	10.79	5.09	2	5.01	4.28	0.3
3.	बिहार				0	7	48.81	36.55	8.96	1	12.02	8.74	9.31
4.	छत्तीसगढ				0	14	176.50	122.00	31.26				29.74
5.	गुजरात				0	8	72.07	51.54	18	3	37.12	23.49	7.77
6.	हरियाणा				0	15	238.84	182.96	49.61				41.87
7.	जम्मू-कश्मीर				0					10	42.40	32.23	
8.	कर्नाटक				0	5	68.46	41.90	14.93	7	56.10	39.74	6.02
9.	केरल				0	15	65.25	50.10	21.46	7	41.95	31.07	3.59
10.	मध्य प्रदेश				0	23	197.16	138.00	45.77	4	13.02	10.24	23.23
11.	महाराष्ट्र				0	15	152.67	120.71	55.8	4	46.97	33.55	4.56

12. नागालैण्ड				0	1	87.74	44.14	9.63				12.44
13. राजस्थान	3	9.03	7.22	0	17	140.06	110.08	39.26				19.39
14. तमिलनाडु				0	22	146.05	112.56	43.37	6	53.73	42.24	12.91
15. उत्तर प्रदेश				0	8	29.01	22.11	11.05				
16. पश्चिम बंगाल				0	16	201.20	150.57	55.08	7	59.65	43.75	20.2
कुल	3	9.03	7.22	0.00	194	1937.99	1404.57	492.61	52	423.35	307.08	213.28

[हिन्दी]

सावधि जमा राशि पर गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उच्च ब्याज दर

*351. **श्री रामदास आठवले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं विभिन्न महानगरों विशेषकर दिल्ली में अपनी सावधि जमा योजनाओं पर 10-15 प्रतिशत ब्याज दर दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी संस्थाओं द्वारा छोटे निवेशकों के शोषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार गैर-सरकारी वित्तीय संस्था के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में विद्यमान ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, 24 अप्रैल, 2007 से, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से इतर) द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर में संशोधन करके इसे 11% वार्षिक से 12.5% वार्षिक किया है। नई ब्याज दर नई सार्वजनिक जमाराशियों पर तथा इसके साथ-साथ परिपक्व सार्वजनिक जमाराशियों के नवीकरण पर लागू है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एन.बी.एफ.सी. द्वारा सावधि जमा योजनाओं में 12.5% से अधिक की ब्याज दरें देने संबंधी कोई विज्ञापन उनके सामने नहीं आया है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने, एन.बी.एफ.सी. के जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से, एन.बी.एफ.सी. द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एवं प्रकीर्ण गैर-बैंकिंग कंपनी विज्ञापन नियमावली, 1977 का पालन करना और सार्वजनिक जमाराशियों की मांग करने के लिए अन्य प्रकटीकरण संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। एन.बी.एफ.सी. को जमाकर्ताओं के पक्ष में अपनी चल आस्तियों पर चल प्रभार लगाने तथा अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उचित व्यवहार संहिता लागू करने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 करोड़ एवं इससे अधिक की जमा आकार वाली सभी एन.बी.एफ.सी. को निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक उन एन.बी.एफ.सी. के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने या तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है अथवा वित्तीय रूप से कमजोर हैं। ऐसी कार्रवाई में कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यकलाप निष्पादित करने एवं जमाराशियां स्वीकार करने तथा आस्तियों के अन्य संक्रामण से रोकना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एन.बी.एफ.सी. के विरुद्ध अब तक 84 परिसमापन याचिकाएं, 70 दांडिक कार्यवाहियां तथा 27 पुलिस शिकायतें दायर की हैं।

[अनुवाद]

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी

*352. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत किसी भी अकुशल कामगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी न मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार एन.आर.ई.जी.एस. के लिए मजदूरी दर निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह अधिसूचना कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी हां। अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट प्रावधान हैं कि एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत किसी भी अकुशल श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी नहीं मिलेगी। एन.आर.ई.जी.ए. की धारा 6(2) में यह व्यवस्था है कि कृषि श्रमिकों के लिए

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ही एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत उस क्षेत्र के लिए लागू मजदूरी दर माना जाएगा। एन.आर.ई.जी.ए. की अनुसूची-I के पैरा 8 में यह व्यवस्था है कि अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस तरह निर्धारित की जाए कि 7 घण्टे काम करने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से मजदूरी दर के बराबर की मजदूरी प्राप्त कर सके। किसी श्रमिक द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त मजदूरी श्रमिक के कार्य पर निर्भर करेगी। दी जाने वाली मजदूरी का मस्टररोलों और श्रमिकों के जॉबकार्डों में उल्लेख करना होता है तथा इन दस्तावेजों को सत्यापन के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना होता है। मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित एन.आर.ई.जी.ए. के लिए लागू दरों की अनुसूची और मजदूरी की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 6(1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। धारा 6(2) में आगे यह प्रावधान है कि किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी। किसी भी राज्य के लिए एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत मजदूरी दर निर्धारित करने का कोई भी प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लागू होगी।

[हिन्दी]

किसानों को कृषि ऋण देने से मना करना

***353. श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में बैंकों द्वारा किसानों को कृषि ऋण देने से मना करने के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान और आज की तिथि तक सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या बैंक कृषि ऋणों की वसूली के लिए निजी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) दिनांक 18-06-2004 को सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण पैकेज के अनुरूप कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह जो वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपए था, सतत रूप से बढ़ते हुए वर्ष 2006-07 में बढ़कर 2,03,296 करोड़ रुपए (अनंतिम आंकड़े) हो गया। किसानों को अनुचित रूप से ऋण मनाही के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)/नाबार्ड के पास नहीं है। तथापि, ऋण मनाही संबंधी शिकायतों सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों के निवारण के लिए बैंकों में एक मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है। इस संबंध में बैंकों को समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि ऋण वसूली की पहल, विधि के अनुरूप सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया से करें। तथापि, अधिक वित्तीय समावेश तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों (एन.जी.ओ./एस.एच.जी.), व्यष्टि वित्तीय संस्थानों (एम.एफ.आई.) और दूसरे नागरिक समिति संगठनों (सी.एस.ओ.) की सेवा, कारोबार सहायक और व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के प्रयोग द्वारा वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में, मध्यवर्ती के रूप में लेने की अनुमति देते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

"कारोबार सहायक" मॉडल के अंतर्गत, ऋण वसूली की अनुवर्ती कार्य करने जैसी सहायक सेवाओं के लिए बैंक मध्यवर्तियों की सेवा ले सकते हैं और "व्यवसाय प्रतिनिधि" मॉडल के अंतर्गत नियुक्त "प्रतिनिधि" मूलधन की वसूली/ब्याज संग्रह के कार्य कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि ये व्यवसाय प्रतिनिधि और सहायकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए बैंक के अंदर ही एक शिकायत निवारण तंत्र का गठन करें। यदि शिकायत दर्ज कराने के 60 दिन के अंदर किसी शिकायतकर्ता को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो शिकायतकर्ता के पास यह विकल्प है कि वह शिकायत/शिकायतों के निवारण हेतु संबंधित बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय से संपर्क कर सकता है।

[अनुवाद]

आर्कटिक में भारतीय अभियान

***354. श्री नवीन जिन्दलः** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आर्कटिक के लिए प्रथम भारतीय अभियान की शुरुआत की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो अभियान दल के सदस्यों के नाम और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह दल अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आर्कटिक में अनुसंधान हेतु एक स्थायी केन्द्र की स्थापना करने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस अभियान से प्राप्त परिणामों का कब तक पता चलने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी हां, प्रथम भारतीय आर्कटिक अभियान 3 अगस्त 2007 को नार्वे के स्वालबर्ड आर्किपेलागो के स्पिट्बर्गन में भेजा गया। पांच सदस्यों वाले इस अनुसंधान दल में राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.), गोवा; कोशिकीय और आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र (सी.सी.एम.बी.), हैदराबाद; भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.), पुणे; और लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिक शामिल हैं। आर्कटिक क्षेत्र में मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और पुराजलवायु; हिमनद विज्ञान और भू-विज्ञान; समुद्री जीवविज्ञान और सूक्ष्म-जीवविज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाना है। यह वैज्ञानिक कार्य नार्जेवियन ध्रुवीय अनुसंधान संस्थान, नार्वे के सहयोग से शुरू किया गया है।

(ङ) से (छ) जी हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया है। नार्वे के स्वालबर्ड आर्किपेलागो के नाई-एल्शुंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा केन्द्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक स्थायी अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। आर्कटिक में किए जाने वाले अधिकांश योजनाबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन लंबी अवधि वाले हैं। परन्तु इस योजना अवधि के दौरान निकट भविष्य में कुछ अंतरिम परिणाम प्राप्त होने की आशा है।

कार विनिर्माताओं द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार

***355. श्री अधीर चौधरी:**

श्री निखिल कुमार:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार-विनिर्माता अनुचित व्यापारिक व्यवहार अपना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी.सी.) ने ऐसी कार कंपनियों को उनके बिक्री विज्ञापनों के सम्बन्ध में कोई नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी.) आयोग को कार विनिर्माताओं के विरुद्ध कथित अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	जांच सं.	शीर्षक	वर्तमान स्थिति
1.	यू.टी.पी.ई. 103/2006	हुन्डई मोटर्स इंडिया लिमिटेड बनाम मारुती उद्योग लिमिटेड	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने हुन्डई मोटर्स इंडिया द्वारा एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 36ए(1)(X) के तहत दर्ज की गई शिकायत पर मारुति उद्योग लिमिटेड को नोटिस

क्र.सं.	जांच सं.	शीर्षक	वर्तमान स्थिति
			जारी किया है। यह आरोप लगाया गया है कि मारुती उद्योग लिमिटेड द्वारा हुन्डई, टाटा मोटर्स तथा अन्य के कारों की तुलना करते हुए अपने लाभ के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं तथा अन्यों के उत्पादों की उपेक्षा करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। आयोग ने अपने आदेश में यह कहा है कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। शिकायत का निपटान कर दिया गया है।
2.	यू.टी.पी.ई. 133/2007	बेक बेल एग्रो लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम स्कोडा ऑटो इंडिया प्रा. लि., औरंगाबाद	मामले को न्यायिक आदेश के लिए दिनांक 25-09-2007 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

2. एम.आर.टी.पी. आयोग, जो एक न्यायिक कल्प निकाय है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के मामलों पर प्रक्रिया पूरी होने पर विचार करके निपटान करती है तथा सरकार को ऐसे मामलों में कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं करनी होती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना में गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी

***356. श्री के.एस. राव:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में पूरी की गई परियोजनाओं के सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और स्वयंसेवी संगठनों (वी.ओ.) की भागीदारी आमंत्रित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) एन.आर.ई.जी.ए. की धारा 17 (2) में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत में शुरू की गई योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा कराएगी। तद्नुसार, मंत्रालय ने सभी राज्यों को तीन महीने में सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्य पूरा करने के निदेश दिए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, निम्नलिखित मुद्दों को उजागर किया गया है:

(i) अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी।

(ii) मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों में मजदूरी दरों के बारे में जानकारी बढ़ाना और मजदूरी का समय पर भुगतान किए जाने की जरूरत।

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ के जरिए रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत।

(iv) मस्टर रोल और जॉब कार्डों के बेहतर रख-रखाव की जरूरत।

(v) कार्य स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत।

मंत्रालय ने राज्यों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है।

(ख) और (ग) स्थानीय ग्रामीण समुदायों की क्षमता निर्माण का कार्य करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों/व्यावसायिक संस्थाओं से आवेदन मांगे गए हैं ताकि ग्रामीण स्थानीय समुदाय अपनी हकदारी को प्राप्त कर सकें तथा एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत अपने अधिकारों का दावा कर सकें। किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) घर-घर जाकर व्यक्तियों से संपर्क, ग्रामीण बैठक, वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम के जरिए सामाजिक जागरण और जगरूकता सृजन।

(ii) एन.आर.ई.जी.ए. कार्यबल, ग्रामीण सतर्कता एवं निगरानी समिति, ग्राम पंचायत के सदस्यों और ग्राम रोजगार सेवकों को एन.आर.ई.जी.ए. प्रक्रियाविधियों एवं उनकी भूमिकाओं के संबंध में प्रशिक्षण देना।

(iii) स्थानीय समुदाय को एन.आर.ई.जी.ए. की कानूनी गारंटी के तहत् कवर की गई हकदारियों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना।

(iv) एन.आर.ई.जी.ए. कार्यबल को उनके लाभों की जांच करने में सक्षम बनाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके मस्टर रोल, जॉब कार्ड प्रविष्टियों की जांच भी शामिल है।

लगभग 2500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कपार्ट, जो मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, को सिविल सोसायटी संगठन की जांच एवं प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है ताकि वे ऊपर बताए गए क्रियाकलापों को कर सकें।

1857 के शहीदों के लिए स्मारक

*357. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) दिल्ली में 1857 के शहीदों के लिए स्मारक बनाने की योजना बना रहा है जैसाकि दिनांक 16 अगस्त, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने 1857 के शहीदों के स्मारकों की स्थापना के लिए देश के विभिन्न भागों में अन्य स्थानों का भी चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में 1857 के शहीदों के लिए स्मारकों की स्थापना हेतु ऐतिहासिक महत्व के तीन स्थलों नामतः कोरोनेशन पार्क, कुदसिया बाग और कश्मीरी गेट को चुना है।

संस्कृति मंत्रालय ने सूचित किया है कि दिल्ली में शहीदों के लिए स्मारक की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

आवास ऋणों पर ब्याज दर

*358. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों को वहनीय ब्याज दर पर आवास ऋण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा आवास खरीदने पर कितनी ब्याज दर वसूल की गई है;

(ग) क्या कुछ वर्षों से उक्त दरों में कमी आई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान ब्याज दर में वृद्धि होने का क्या आधार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) कम ब्याज दरों पर गरीबों को आवास ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार, विभेदक ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना के अंतर्गत 20,000 रुपए तक के आवास ऋण बैंकों द्वारा अत्यंत गरीब व्यक्तियों को 4% ब्याज दर पर दिए जाते हैं।

(ii) भारतीय बैंक संघ ने, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के लाभार्थियों को अपने घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने के लिए, हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक आदर्श योजना का मसौदा जारी किया है और सदस्य बैंकों से इस संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज दरें बैंचमार्क मूल उधार दर (बी.पी.एल.आर.) से अधिक नहीं होनी चाहिएं।

जुलाई 2006 और जुलाई 2007 की स्थिति के अनुसार 5 प्रमुख बैंकों की पी.बी.एल.आर. निम्नानुसार हैं:-

जुलाई 2006	जुलाई 2007
10.75-11.25 प्रतिशत	12.75-13.25 प्रतिशत

(ग) और (घ) जी, हां। बी.पी.एल.आर. बढ़ी है। हालांकि डी.आर.आई. के तहत ब्याज दर 4% निर्धारित है, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त ऋण बैंकों द्वारा 9% ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ङ) बी.पी.एल.आर. बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है। ये दरें निम्नलिखित कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं:

(i) निधियों की वास्तविक लागत;

(ii) परिचालन व्यय; और

(iii) प्रावधानीकरण/पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन।

देश में विदेशी बैंक

***359. श्री श्रीपाद येसो नाईक:**

श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी बैंकों को वर्ष 2009 तक बिना किसी शर्त/प्रतिबंध के देश में अपना कारोबार करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय बैंकों पर विदेशी बैंकों के संभावित प्रभाव का कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी, 2005 को भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के बारे में एक रोडमैप जारी किया। रोडमैप दो चरणों में बांटा गया है - चरण-1 मार्च, 2005 से मार्च 2009 तक और चरण-2 अप्रैल 2009 से आगे। भारतीय रिजर्व बैंक के रोडमैप के अनुसार, चरण-2 में विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को पूर्ण रूप से देश के अन्य बैंकों के समनुरूप मानना: ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं में हिस्सेदारी कम करना; तथा भारत के निजी क्षेत्र के किसी भी बैंक के साथ विलय या अधिग्रहण के लिए विदेशी बैंकों को अनुमति देना शामिल हो सकते हैं। यद्यपि, इन मामलों में से प्रत्येक पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा और उस समय लागू नीति के अनुरूप ही विशिष्ट कदमों की घोषणा की जाएगी।

(घ) और (ङ) यद्यपि सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है, परन्तु विदेशी बैंकों की वर्धित और विनियमित उपस्थिति से इस क्षेत्र में अधिक पूंजी व उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा भारत के बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता और स्थिरता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में भी वृद्धि होगी।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों में कटौती

***360. श्री श्रीचन्द कृपलानी:**

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित खाद्यान्न (गेहूं) की मात्रा में कटौती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कटौती के कारण मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों की इस प्रकार कटौती की गई मात्रा के बदले निधियों की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2005-06 में एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धता की वजह से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित 5 किलोग्राम प्रति श्रमदिवस की जगह 01-11-2005 से 31-03-2006 तक प्रति श्रमदिवस 3 किलोग्राम खाद्यान्न की दर से खाद्यान्नों का वितरण करें। एस.जी.आर.वाई. दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 के अनुसार, खाद्यान्नों की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता की स्थिति में, वस्तु के रूप में दी जाने वाली मजदूरी प्रति श्रमदिवस 5 किलोग्राम खाद्यान्न से कम हो सकती है और शेष हिस्से का भुगतान नकद किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 के अनुसार, मजदूरी का भुगतान सप्ताह में किसी निर्धारित दिन, विशेष रूप से स्थानीय बाजार के दिन से एक दिन पहले किया जाना होता है। यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो तो मजदूरी का भुगतान नकद किया जाएगा।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से वर्ष 2005-06 के दौरान घटे हुए खाद्यान्नों के बदले निधियां उपलब्ध कराने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजस्थान सरकार ने अपने दिनांक 24 मार्च, 2006 के अ.शा. पत्र के माध्यम से घटे हुए खाद्यान्नों के बदले 17.40 करोड़ रुपए रिलीज करने का अनुरोध किया है। अन्य राज्यों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) से भी वर्ष 2005-06 के दौरान घटे हुए खाद्यान्नों के बदले निधियां रिलीज करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तरांचल की पिथौरागढ़ जि.ग्रा.वि. एजेंसी ने अपने दिनांक 23-11-2005 के पत्र के माध्यम से घटे हुए खाद्यान्नों के बदले 57.06 लाख रुपए का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पात्र जिलों को वर्ष 2005-06 में उनकी सामान्य हकदारी के अलावा 31696.83 लाख रुपए का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया गया था। पात्रता मानदंड यह था कि जिलों ने वर्ष के दौरान एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत अपनी दूसरी किस्त ले ली हो।

[अनुवाद]

न्यायपालिका के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

***3377. श्री मिलिन्द देवरा:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकार ने देशभर के न्यायाधीशों को लैपटॉप वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक समूची प्रक्रिया पूरी होगी;

(घ) न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण पर अनुमानतः कुल कितनी राशि व्यय होगी;

(ङ) कंप्यूटर को शुरू करने से किस सीमा तक न्यायाधीशों को कार्य को पूरा करने/त्वरित निपटान करने तथा गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी;

(च) क्या न्यायाधीशों को इस प्रौद्योगिकी से अवगत कराने के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होगी?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 34.33 करोड़ रुपए की लागत पर न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को 12,155 लैपटापों का वितरण पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना पर आधारित कंप्यूटरीकरण की स्कीम पर अनुमानित रूप से 5 वर्षों की अवधि में 854 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

(ङ) इस स्कीम का कार्यान्वयन पर्याप्त संरक्षा नयाचार के साथ न्यायिक कार्य और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुकर बनाने और सभी पणधारियों के फायदे के लिए आरंभ किया गया है।

(च) और (छ) न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण को इस स्कीम के एक घटक के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 से 3 मास की अवधि का होगा।

[हिन्दी]

सरकारी कालोनियों में कंटीले तारों के बाड़ तथा चारदीवारी

3378. श्री नकुल दास राई: *क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या सरकारी कालोनियों में कंटीले तारों की बाड़ तथा बांस की चारदीवारी के निर्माण पर आवंटियों द्वारा 10 तथा 20 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कुछ आवंटियों से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक चारदीवारी का काम पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। सरकारी कॉलोनियों में क्वार्टरों के चारों तरफ लोहे के गेट सहित कंटीली तार बाड़ और बांस पुट्टियां लगाने के लिए आवंटियों से क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) इन परिवर्द्धनों/परिवर्तनों को धन की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों का निरीक्षण

3379. चौ. मुनव्वर हसन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी में संलिप्त होने के कारण भेषज कंपनियों के निरीक्षण का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जे.बी.आई.सी. से ऋण

3380. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांगली कुपवाड नगर निगम ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन से 686 करोड़ रुपयों के ऋण का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक गारंटी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन से ओ.डी.ए. ऋण के लिए अनुरोध करते हुए "सांगली, मिराज तथा कुपवाड नगर निगम के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम" नामक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी अनुमानित लागत 606.98 करोड़ रुपए है।

(ख) इस प्रस्तावित राज्य क्षेत्रक परियोजना के लिए जे.बी.आई.सी. ऋण लेने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई गारंटी दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ग) प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2007-10 के लिए ओ.डी.ए. ऋण के लिए अनुरोध करने वाले प्रस्तावों की चल योजना (रोलिंग प्लॉन) सूची में रखा गया है।

आई.सी.ए.आई. को अधिक स्वायत्तता

3381. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) को अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पेशेवरों के साथ प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा शुल्क बांटने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. योजनाओं में विलंब

3382. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी.) के अंतर्गत उन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

3383. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आटोमैटिक रूट से विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ई.सी.बी.) की वर्तमान सीमा को बढ़ाने हेतु नीतिगत समीक्षा पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ मामलों में ई.सी.बी. प्रतिबंध में छूट देने के लिए लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) गत एक वर्ष के दौरान, मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए ई.सी.बी. के मानदंडों में ढील देने के लिए लिखा था।

बहुमूल्य पत्थरों की नीलामी

3384. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जब्त किए गए सोने, हीरे तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों की नीलामी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिदेश/प्रक्रिया निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निपटान के लिए पड़ी इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सोने तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों के पारदर्शी निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों में जब्तशुदा/अधिहरित सोने, हीरे और अन्य बहुमूल्य पत्थरों के निपटान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

माल का विवरण	2004-05	2005-06	2006-07
सोना	10.95	41.14	25.16
हीरे एवं बहुमूल्य पत्थर	11.19	9.12	13.69

(ग) और (घ) जी हां। सोने का निपटान इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 8-8-2005 की फा.सं. 711/164/93-सी.शु. (त.नि.) के तहत जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अनुदेशों के अनुसार ऐसे सोने की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रमुख शहरों के खुले बाजार में की जाती है। इसी तरह से हीरे और बहुमूल्य पत्थरों का निपटान इस मंत्रालय के दिनांक 3-10-2005 की फा.सं. 711/12/2004-सी.शु. (त.नि.) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोलकाता, चेन्नई दिल्ली और मुम्बई में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाता है।

(ङ) निपटान हेतु प्रतीक्षारत ऐसे माल का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(करोड़ रु. में)

माल का विवरण	दिनांक 30-6-07 तक
सोना	15.66
हीरे एवं बहुमूल्य पत्थर	29.72

(च) ऐसे सभी माल का निपटान इस मंत्रालय द्वारा जारी उपर्युक्त पारदर्शी निपटान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

3385. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव के बारे में दिनांक 24-11-2006 तथा 11-5-2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 474 तथा 5153 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना अब तक एकत्र कर ली गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) अतारांकित प्रश्न सं. 5153 के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है और ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं।

विवरण

(क) ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है जोकि दिसम्बर, 2006 से मार्च, 2007 तक खाली पड़े थे परंतु उनका उन्नयन नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;	(क) दिसम्बर, 2006 से मार्च, 007 तक खाली पड़े 3726 क्वार्टरों में से 2289 क्वार्टरों का विभिन्न कारणों से उन्नयन नहीं किया जा सका यथा (i) संबंधित समय में बजट की कमी; (ii) अनेक क्वार्टरों को असुरक्षित घोषित किया गया और उन्हें गिराया जाना था; (iii) खराब अवस्थिति और परिवेश के कारण इनमें से कुछ क्वार्टरों के उन्नयन पर सरकारी धन खर्च करना उपयोगी नहीं था; (iv) उन्नयन के पूर्व अनेक क्वार्टरों में काफी मरम्मत अपेक्षित थी; (v) कुछ क्वार्टरों में कोई उन्नयन अपेक्षित नहीं था क्योंकि उनका निर्माण नया-नया था; आदि।
(ख) कितने क्वार्टर उन्नयन किए बिना आबंटित किए गए हैं;	(ख) बिना उन्नयन के 766 क्वार्टर आवंटित किए गए।
(ग) क्या कब्जा लेने के बाद क्वार्टरों का उन्नयन नहीं किया जाता है; (घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और (ङ) क्वार्टरों के खाली रहने की अवधि के दौरान इनका उन्नयन नहीं करने पर सी.पी. डब्ल्यू.डी. अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?	(ग) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार केवल खाली क्वार्टरों का उन्नयन निःशुल्क किया जाता है। तथापि, आवंटियों के अनुरोध पर के.लो.नि.वि. द्वारा लागत हिस्सेदारी आधार पर आबंटित क्वार्टरों में कुछ उपांतरण/सुधार किए जाते हैं। इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय बैंक द्वारा ऋण का कम प्रतिशत

3386. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंक विश्व के अन्य बैंकों की तुलना में अपने ग्राहकों को कम ऋण राशि प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जमा राशि का कितना प्रतिशत ग्राहकों को ऋण के रूप में दिया गया;

(ग) क्या ग्राहकों को ऋण के रूप में देने हेतु जमा राशि के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) अन्य देशों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों संबंधी आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारत में बैंकों का प्रयास विभिन्न ग्राहकों को, सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों, वर्तमान बैंकिंग नीति, क्षेत्र स्तरीय वास्तविकताओं, आदि के भीतर अधिकतम ऋण प्रदान करना होता है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) (आर.आर.बी. सहित) का ऋण जमा अनुपात (सी.डी.आर.) निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार समाप्त वर्ष	सभी क्षेत्रों का अखिल भारतीय औसत		
	जमा	ऋण	सी.डी.आर. %
2005	1358760	848463	62.44
2006	1574664	1111474	70.58
2007	1918478	1425655	74.31

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा, जहां आवश्यक हो, सी.डी.आर. की समय-समय पर समीक्षा उपचारात्मक कार्रवाई के लिए की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी पी.एस.बी. को अपनी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर अलग से 60% सी.डी.आर. प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि ऋण वितरण में क्षेत्रीय एवं सेक्टोरल असंतुलन को कम से कम करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में अनुपात में व्यापक असमानता से बचा जाए।

थोराट समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विभिन्न स्तर पर बैंकों के सी.डी. अनुपात की निगरानी हेतु संशोधित पैरामीटरों के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 9-11-2005 को एक परिपत्र जारी किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 40% से कम का सी.डी.आर. रखने वाले जिलों में निगरानी हेतु तथा सी.डी.आर. में सुधार करने हेतु निगरानी योग्य कार्य योजना (एम.ए.पी.) तैयार करने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति (डी.एल.सी.सी.) की एक विशेष उप-समिति गठित करने की सलाह भी दी थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कार्यकारियों द्वारा निगम छोड़ना

3387. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान एन.टी.पी.सी. के कार्यकारियों ने निजी विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार हेतु निगम को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 2006-07 में एन.टी.पी.सी. से कुल 165 कार्यपालकों के इस्तीफा दिया है। वर्ष 2006-07 के लिए गिरावट की दर 1.55% है, जो अधिक नहीं है। इन कार्यपालकों का कहना था कि उन्होंने बेहतर भविष्य, अधिक वेतन एवं सुविधाएं तथा शैक्षणिक कार्य आदि को जारी रखने के लिए एन.टी.पी.सी. से इस्तीफा दिया।

(ग) सरकार ने एन.टी.पी.सी. को एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम घोषित किया है ताकि इसे एक वैश्विक विद्युत कंपनी बनाया जा सके और निर्णय लेने में इसे स्वायत्तता प्राप्त हो। तद्नुसार एन.टी.पी.सी. निम्नलिखित उद्देश्यों से मानव संसाधन विकास की पहल कर रहा है:-

- निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर संगठनात्मक निष्पादन का बढ़ाना।
- व्यक्तिगत एवं संस्थागत आवश्यकताओं में तालमेल बिठाना और एक भविष्य विकास प्रणाली को क्रियान्वित कर व्यवसाय प्रमुख तैयार करना।
- अच्छे निष्पादन की पहचान कर उसे पुरस्कृत करते हुए प्रतिबद्धता में वृद्धि।
- सक्षम विश्व-स्तरीय पेशेवरों के संगठन का निर्माण एवं इसका संवहन।
- महात्वपूर्ण मूल्यों को आत्मसात करना तथा टीम-निर्माण, सशक्तिकरण, इक्विटी, नवीकरण एवं स्वतंत्रता जिससे कि कर्मचारी प्रेरित होंगे और रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।

[हिन्दी]

बिना पैन नम्बर वाले डी-मैट खाते

3388. श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष कुछ डी-मैट खाते बंद कर दिए गए हैं जिनके पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इन खातों में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या कुछ खाते जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) 31 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार, निक्षेपागारों के पास बंद कर दिए गए खातों में धारिताओं का मूल्य 95,769 करोड़ रुपए था।

(ग) जी, हां।

(घ) खाता धारकों द्वारा पैन के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात् 1 जनवरी, 2007 से निक्षेपागारों द्वारा 18.86 लाख डी-मैट खाते मोचित किए गए हैं।

सीमा शुल्क विभाग के पास हथियार और कारतूस

3389. श्री अशोक अर्गल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मुंबई में सीमा शुल्क विभाग के भंडार में रखे हथियारों तथा कारतूसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनका निपटान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो विनिर्दिष्ट निपटान के तरीके तथा पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए निपटान का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) दिल्ली और मुम्बई में सीमा शुल्क विभाग के भंडार में रखे हथियारों तथा कारतूसों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

स्थान	हथियार	कारतूस
मुम्बई	782	45252
दिल्ली	997	211399

(ख) और (ग) जब्त आग्नेयास्त्रों को मंत्रालय द्वारा फा.सं. 711/30/2002-सीमा शुल्क (ए.एस.), दिनांक 15-7-2002 के जरिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित बोर अस्त्रों को जब्त कर लिया जाता है और उनका उपयोग केवल विभाग और मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से आवंटित व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। गैर प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र उधार के तौर पर विभागीय अधिकारियों को उनकी सेवावधि के दौरान इस्तेमाल के लिए दिए जा सकते हैं। इन्हें मौजूदा संसद सदस्यों को भी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बेचा जाता है, बशर्ते कि उनके पास कोई अस्त्र नहीं हो।

[अनुवाद]

गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन

3390. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन (जी.एस.बी.टी.एम.) ने केंद्र सरकार के पास वित्तीय सहायता के लिए 17 परियोजनाएं/प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं/प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) इन प्रस्तावों की स्थिति संलग्न विवरण में दी जा रही हैं।

विवरण

विगत 3 वर्षों के दौरान जी.एस.बी.टी.एम. से प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थिति	कारण
1	2	3	4
1.	केनिन न्यूट्रीशनल टैक्नोलॉजिज इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नैनोबायोटैक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केन्द्र	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया	प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव
2.	एस.पी. विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण जैवप्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र	योग्यता के आधार पर अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया जाना
3.	मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नेशनल इंस्टीट्यू ऑफ मैरीन बायो-टैक्नोलॉजी	विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया	प्राप्त की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव
4.	सी.एस.एम.सी.आर.आई., भाव नगर द्वारा प्रस्तुत मैरीन बायोटैक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केन्द्र	योग्यता के आधार पर अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया जाना
5.	गुजरात में मैरीन बायोटैक पार्क में मैरीन बायो-टैक ऊष्मायित्र की स्थापना	विचाराधीन	–
6.	जी.एस. बी.टी.एम. द्वारा प्रस्तुत आण्विक जीव-विज्ञान और सूचना विज्ञान में बहुउद्देशीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया जाना

1	2	3	4
7.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधी नगर द्वारा प्रस्तुत जैवप्रौद्योगिकी में आई.पी.आर. विषय	अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया जाना
8.	भेषज विज्ञान एल.एम. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नैदानकीय जांच डिप्लोमा	अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया जाना
9.	विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जैवसंसाधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.07 लाख रुपये अनुमोदित (4 सप्ताह)	वर्ष 2005 में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ
10.	विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जैवसंसाधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.86 लाख रुपये अनुमोदित (4 सप्ताह)	वर्ष 2006 में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ
11.	बी.जे. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नैदानकीय जांच डिप्लोमा	अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया जाना
12.	एच.एल.ए. पंजीकरण सुविधा और कोर्ड ब्लड बैंक सुविधा	विचाराधीन	–
13.	कॉरल और माईक्रोबियल सिम्बायोसिस की सद्भावना की ओर बायोडाईवर्सिटी, बायो-प्रोस्पैक्टिंग, जैवईंधन और जैवपुनरोपचार	अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत अनुकूल नहीं पाया गया।
14.	जी.एस.बी.टी.एम. द्वारा प्रस्तुत प्रतीयमान सूचना विज्ञान संस्थान	अस्वीकृत	क्योंकि बायोसूचना विज्ञान के माध्यम से जीवविज्ञान अध्ययन के संवर्धन के उद्देश्य से विभाग मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सहायता करता है।
15.	एफ.आर.आई.जी.ई., अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत गुजरात की सिंगल न्यूक्लियोटाईड पोलीमोर-फिजम (एस.एन.पी.ओ. टाईप-II सहित संबद्ध) अध्ययन राष्ट्रीय भारतीय जनसंख्या में मधुमेय	अस्वीकृत	एक्स्ट्रनल पीयर समीक्षा समिति द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के लिए अनुकूल नहीं पाया गया।
16.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत आनुवंशिक विकृति अध्ययन और पश्चिमी क्षेत्र की जनसंख्या में उसका उपचार	विचाराधीन	–
17.	विभिन्न आनुवंशिक विकारों एवं गुजरात में सेवाओं के विस्तार के लिए मछली प्रॉब्स की तैयारी एवं मानकीकरण	विचाराधीन	–

कंपनियों में ई-गवर्नेंस

3391. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कंपनियों के लिए पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने हेतु ई-गवर्नेंस अपनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय ने एम.सी.ए. सेवाओं में पारदर्शी ढंग से तीव्रता और निश्चितता में सुधार लाने के उद्देश्य से 'एम.सी.ए.-21' मामक एक ई-गवर्नेंस परियोजना कार्यान्वित की है। इसे मुख्यतः सुरक्षित इलेक्ट्रानिक फाइलिंग (ई-फाइलिंग) के तन्त्र तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए सुगम ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। अतः, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ तालमेल मिलाते हुए सुरक्षित ढंग से ई-फाइलिंग करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के व्यापक प्रयोग से सरकारी सेवाओं की पूरी तरह से कागज रहित आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनांक 18 फरवरी, 2006 को कोयम्बटूर में प्रथम केन्द्र की शुरुआत तथा दिनांक 18 मार्च, 2006 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली में प्रमुख केन्द्र शुरू किए जाने के साथ ही, दिनांक 4 सितम्बर, 2006 तक सभी कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में चरणबद्ध ढंग से यह कार्यक्रम पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करके डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग से इलेक्ट्रानिक फाइलिंग को दिनांक 16 सितम्बर, 2006 से अनिवार्य कर दिया गया है। भुगतान और सेवा आपूर्ति में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड तथा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल पर सुरक्षित भुगतान संबंधी डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान की गई।

इस परियोजना के आरंभ किये जाने के पश्चात् कुल 25.32 लाख दस्तावेज ऑनलाइन फाइल किये गए है तथा सेवा आपूर्ति के समय में काफी कमी हुई है। अब, पणधारक कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे बिना ही अपने कार्यालय या घर से किसी भी समय और किसी भी स्थान से 24x7x365 समय-सीमा में अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन पर रायल्टी

3392. प्रो. प्रेम कमार धूमल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अंतर्गत ब्यास-सतलुज लिंक भाखड़ा विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत पर रायल्टी की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश को उपर्युक्त संयंत्रों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का 12 प्रतिशत विद्युत तथा बी.बी.एम.बी. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जल विद्युत संयंत्रों से 7.19 प्रतिशत विद्युत को भूतलक्षी प्रभाव से निःशुल्क दिए जाने की भी मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार भाखड़ा ब्यास परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत में से 12% निशुल्क विद्युत की मांग कर रही है।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से विद्युत की हिस्सेदारी की समानता पर हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के उपयोग के बदले में अपने क्षेत्र में स्थापित भाखड़ा ब्यास परियोजनाओं अर्थात भाखड़ा नांगल परियोजनाएं (1478.23 मेगावाट), देहर विद्युत घर (990 मेगावाट) और पांग विद्युत घर (396 मेगावाट) से 12% निःशुल्क विद्युत की मांग कर रही है। 12% निशुल्क विद्युत का आबंटन केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में लागू होता है जहां निवेश निर्णय के लिए मंजूरी 12-2-85 के पश्चात जारी की गई थी और परियोजनाएं 7-9-90 के पश्चात शुरू की गई थी। बी.बी.एम.बी. परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं नहीं हैं बल्कि 7-9-90 से पूर्व शुरू की गई संयुक्त रूप से स्वामित्व प्राप्त राज्य क्षेत्र परियोजनाएं हैं। भाखड़ा ब्यास परियोजनाओं से विद्युत की हिस्सेदारी पर भी काफी समय पहले भागीदारी राज्यों द्वारा पहले से ही सहमति प्रकट की जा चुकी है। बी.बी.एम.बी. ने यह भी सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने:

(i) इन परियोजनाओं के शुरू होने की तारीख से निशुल्क भाखड़ा ब्यास परियोजना में उत्पादित गृह विद्युत के 12% हिस्से

(ii) नियुक्त तारीख अर्थात 1-11-1966 से भाखड़ा ब्यास परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के 7.19% हिस्से के दावे

(iii) उपरोक्त कथित शेयरों की आपूर्ति हेतु असफलता के लिए मुआवजे के रूप में 2199.77 करोड़ रुपये के लिए डिक्री पास करवाने के लिए

सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद दाखिल किया है। मामला इस समय विचाराधीन है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के समुद्रतटीय गांवों में जल प्रवेश

3393. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के समुद्रतटीय गांवों में बार-बार हो रहे जल प्रवेश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुनामी तथा तूफान के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) तमिलनाडु में वर्ष 2004 में सुनामी आने के बाद जल प्रवेश होने की कुछ सूचनाएं मिली हैं।

(ख) और (ग) सरकार, हिन्द महासागर में राष्ट्रीय सुनामी और तूफान महोर्मि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रही है तथा इस प्रणाली को सितम्बर, 2007 के अन्त तक प्रचालित किया जाना तय किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकाइस), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में एक अन्तरिम चेतावनी केन्द्र पहले से ही सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु सहित चक्रवात की संभावना वाले 13 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवात से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने संबंधी परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) तैयार की गई है। चक्रवात की चेतावनी देने वाली प्रणाली पहले से कार्य कर रही है तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी तटवर्ती क्षेत्रों के लिए चक्रवात संबंधी चेतावनियां उपलब्ध कर रहा है।

दाभोल को गैस की आपूर्ति

3394. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा खोजे गए नॉन ए.पी.एम. गैस की बड़ी मात्रा को 4.33 डालर से अधिक मूल्य पर खरीदता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अथवा दाभोल विद्युत संयंत्र के प्रवर्तकों ने दाभोल के लिए आर.आई.एल. गैस प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान एन.टी.पी.सी. लि. ने 4625.27 मिलियन स्टेण्डर्ड क्यूबिक मीटर (एम.एम.एस.सी.एम.) गैस की खरीद की है। इसमें से 3428.70 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस एडमिनिस्टर्ड प्राईज मेकेनिज्म (ए.पी.एम.) कीमत पर और 49.61 (एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस नॉन-ए.पी.एम. कीमत पर गुजरात राज्य पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (जी.एस.पी.सी.) से खरीदी गई थी। शेष 1146.96 एम.एम.एस.सी.एम. गैस तत्काल खरीद/फाल बैक आधार पर प्राप्त पुर्नगैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आर.एल.एन.जी.) है। विद्युत संयंत्र सीमा पर आर.एल.एन.जी. कीमतें 10.39 अमरीकी डालर/मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एम.एम.बी.टी.यू.) से 13.14 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. के बीच है जबकि नान-ए.पी.एम. प्राकृतिक गैस 5.12 अमरीकी डालर/एम.एम.बी.टी.यू. की दर पर खरीदी गई थी।

(ग) और (घ) जी हां। रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राईवेट लि. (आर.जी.पी.पी.एल.) के अध्यक्ष के अनुरोध के आधार पर इस मंत्रालय ने के.जी. डी6 ब्लाक से लाभ गैस का सरकारी हिस्सा लेने के मामले की जांच करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है।

न्यू एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पालिसी (एन.ई.एल.पी.) के तहत गैस के वाणिज्यिक समुपयोजन और गैस की कीमत निर्धारण की जांच व उस पर विचार करने के लिए सरकार ने मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ई.जी.ओ.एम.) गठित किया है।

आई.एफ.सी.आई. द्वारा प्रवत्त ऋणों का दुरुपयोग

3395. प्रो. एम. रामदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) द्वारा कितनी कंपनियों को ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) आई.एफ.सी.आई. से प्राप्त ऋण के कथित दुरुपयोग की सूचना कितनी कंपनियों से प्राप्त हुई है तथा उन्हें कितना ऋण दिया गया था;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों द्वारा धनराशि के औचित्यपूर्ण उपयोग हेतु कोई निगरानी प्रणाली तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने गत एक वर्ष के दौरान कोई नया ऋण मंजूर नहीं किया है।

(ग) से (ङ) आई.एफ.सी.आई., कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है। भारत सरकार की आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड में कोई शेयरधारिता नहीं है। आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड के कार्यों का संचालन इसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और आई.एफ.सी.आई. लिमिटेड के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना उन पर निर्भर करता है।

शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति

3396. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में शहरी अवसंरचना के विकास हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर पूल फंड के अधीन बजटीय प्रावधान की स्वीकृति मई 2007 से वित्त मंत्रालय के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। व्यय विभाग, शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी कंपनियों द्वारा संपर्क कार्यालय खोला जाना

3397. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.बी.आई. की अनुमति से आटोमेटिक रूट के अंतर्गत एक विदेशी कंपनी को भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे संपर्क कार्यालय को देश में बिक्री, खरीद, व्यापारिक क्रियाकलाप जैसे व्यावसायिक कारोबार करने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। फेमा, 1999 (1999 का 42) की उप-धारा (6) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या फेमा 22/2000-आर.बी. दिनांकित 3 मई, 2000 अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में शाखा या कार्यालय अथवा अन्य व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थापना) विनियमन 2000 के अनुसार विदेशी कंपनियों को अधिसूचना की अनुसूची-II में सूचीबद्ध अनुमत कार्यकलाप करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने के बाद भारत में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति है।

(ख) आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नोटरी पब्लिक

द्वारा या निगमन के देश में भारतीय दूतावास द्वारा अनुप्रमाणित अपने प्रमाणपत्र की प्रति तथा कंपनी के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के साथ आर.बी.आई. में अपना आवेदन जमा कराया जाना अपेक्षित है।

आवेदन के साथ प्रस्तुत अपने वित्तीय विवरणों के आधार पर 3 वर्ष के लाभकारी ट्रैक रिकार्ड वाली कंपनी को अनुमति देने पर विचार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वृद्ध गरीबों के लिए पेंशन योजना

3398. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध लोगों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नई योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) का काम देखता है जिसके अंतर्गत उन निराश्रित वृद्ध लोगों को प्रति माह 200 रुपए की दर से पेंशन दी जाती है जिनकी आयु 65 वर्ष और इससे अधिक हो। मंत्रालय का गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्ध लोगों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15-08-2007 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण के अनुसार एन.ओ.ए.पी.एस. के अंतर्गत वृद्ध लोगों की कवरेज बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिसके तहत उन सभी वृद्ध लोगों को योजना के तहत शामिल किया जाएगा जिनकी आयु 65 वर्ष अथवा इससे अधिक है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

3399. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई बी. पटेल:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के अंतर्गत 29 प्रयोगशालाओं/संस्थाओं का आधुनिकीकरण किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक प्रयोगशालाओं/संस्थानों में आय व्यय का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने अपनी घटक प्रयोगशालाओं/संस्थानों को नवीकृत और पुनर्सज्जित करने हेतु हाल ही में कदम उठाए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 हेतु व्यय का प्रयोगशाला-वार विवरण

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	अवसंरचना नवीनीकरण एवं पुनर्सज्जीकरण
1	2	3
1.	सी.सी.एम.बी., हैदराबाद	104.13
2.	सी.डी.आर.आई., लखनऊ	23.74
3.	सी.ई.सी.आर.आई., कारैकुडी	22.47
4.	सी.ई.ई.आर.आई., पिलानी	1.15
5.	सी.एफ.आर.आई., धनबाद	10.55
6.	सी.जी.सी.आर.आई., कोलकाता	157.20
7.	सी.आई.एम.ए.पी., लखनऊ	2.20
8.	सी.एम.ई.आर.आई., दुर्गापुर	4.47

1	2	3
9.	सी.आर.आर.आई., नई दिल्ली	66.52
10.	सी.एस.आई.ओ., चंडीगढ़	113.35
11.	सी.एस.एम.सी.आर.आई., भावनगर	9.37
12.	आई.जी.आई.बी., दिल्ली	29.59
13.	आई.एच.बी.टी., पालमपुर	1.40
14.	आई.आई.सी.बी., कोलकाता	70.26
15.	आई.आई.सी.टी., हैदराबाद	32.59
16.	आई.टी.आर.सी., लखनऊ	88.32
17.	सी.एस.आई.आर. कॉम्प्लेक्स, चेन्नै	67.85
18.	एन.ए.एल., बेंगलूर	7.26
19.	एन.बी.आर.आई., लखनऊ	71.38
20.	एन.सी.एल., पुणे	46.71
21.	एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर	25.45
22.	एन.जी.आर.आई., हैदराबाद	104.97
23.	एन.आई.ओ., गोवा	34.75
24.	एन.एम.एल., जमशेदपुर	76.23
25.	आई.एम.एम.टी.-भुवनेश्वर	136.81
26.	आई.आई.आई.एम.-जम्मू	60.85
27.	एन.ई.आई.एस.टी.-जोरहाट	122.18
28.	एन.आई.आई.एस.टी.-त्रिवेन्द्रम	47.43
29.	एस.ई.आर.सी., चेन्नै	23.38
	जोड़	1562.55

सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में धन आवक

3400. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की प्रयोगशालाएं/संस्थान परियोजनाएं हाथ में लेकर बाह्य धन जुटाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सी.एस.आई.आर. की प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा शुरू की गयी और पूरी की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक्त राजस्व जुटाने के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में बड़ी संख्या में प्रयोगशालाएं विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी प्रयोगशालाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसम्पत्तियों की घोषणा

3401. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान संसद सदस्य और राज्य विधान सभाओं/परिषदों के सदस्य अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सांविधानिक प्राधिकारियों के लिए भी मानदण्ड निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के संबंध में आस्तियों की आज्ञापक घोषणा से संबंधित वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3402. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान सेना, निगम घरानों और ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली कोई लघु जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ऐसी परियोजनाओं को सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) नवम्बर, 2004 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जम्मू एवं कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत एक संघटक बिजली के विस्तार को बढ़ाने हेतु सम्पूर्ण राज्य में 1000 माइक्रो-हाइड्रो परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। सेना के माध्यम से इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन, वर्ष 2005-06 में आरंभ हुआ, जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि अब तक 967 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है जिनमें से 893 परियोजनाएं ग्राम समुदाय/राज्य प्रशासन को सौंप दी गई हैं। कुछ परियोजना स्थलों पर, प्रारंभिक समस्याओं की रिपोर्ट आई है जिन पर ध्यान दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय लघु पनबिजली परियोजनाओं, अर्थात् 25 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक की परियोजनाओं की सहायता करता है जिनके लिए मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता

3403. योगी आदित्यनाथ: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं को उनके पतियों से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए धारा-125 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने [2001 की अपील (दांडिक) सं. 795, इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य] के मामले में अपने तारीख 5-6-2007 के निर्णय में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

(1) कोई मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए युक्तियुक्त और उचित प्रावधान करने के लिए दायी है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्षतः उसका भरण-पोषण भी है। मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(i) के निबंधनानुसार पति द्वारा ऐसा युक्तियुक्त और उचित प्रावधान, जो इद्दत की अवधि के पश्चात् भी विस्तारित होगा, इद्दत की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

(2) अधिनियम की धारा 3(i)क के अधीन अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति किसी मुस्लिम पति का भरण-पोषण संदत्त करने का दायित्व इद्दत की अवधि तक ही सीमित नहीं है।

(3) कोई ऐसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला, जिसने पुनः विवाह नहीं किया है और जो इद्दत की अवधि के पश्चात् स्वयं का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है, अपने ऐसे नातेदारों के विरुद्ध जो ऐसी तलाकशुदा महिला के लिए, जिसके अंतर्गत उसके बालक और माता-पिता भी हैं, मुस्लिम विधि के अनुसार उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्तियों में

उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं और उस उत्तराधिकार के अनुपात में उसका भरण-पोषण करने के लिए दायी हैं, अधिनियम की धारा 4 के अधीन यथा उपबंधित रूप में कार्यवाही कर सकती है। यदि उसका कोई नातेदार भरण-पोषण का संदाय करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड को भरण-पोषण का संदाय करने का निदेश दे सकेगा।

(4) अधिनियम के उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

(ग) चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय सरकार को कोई निदेश नहीं दिए हैं, इसलिए सरकार इस संबंध में कोई उपाय करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

[हिन्दी]

लाइवाड लोन सील्ड पॉलिसी

3404. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने आई.सी. आई.सी.आई. बैंक की लाइवाड लोन सील्ड पॉलिसी, जिसे विभिन्न विदेशी बैंकों के क्रेडिट कार्डधारकों को जबरन बेचा जा रहा था, को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा मई, 2006 तक इस पॉलिसी के माध्यम से कुल कितनी आय अर्जित की गई;

(घ) क्या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक इस राशि को वापस लौटाएगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सभी विदेशी बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है जिन्होंने इस पॉलिसी को जबरन बेचा था;

(च) यदि हां, तो ऐसे विदेशी बैंक कौन-कौन से हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि उसे "लाइवाड लोन सील्ड पालिसी" नामक किसी बीमा उत्पाद की जानकारी नहीं है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

पेयजल की कमी

3405. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के कुछ महानगरों में लोगों को पेयजल की भारी कमी के कारण पेयजल खरीदना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्यों से केन्द्रीय सहायता के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संवैधानिक सुधार

3406. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संवैधानिक सुधारों पर एम.एन. वैंकटाचलैया समिति की सिफारिश लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को संसद का अभिसमर्थन मिलने के बाद लागू किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) सिफारिशों पर भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों/

विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी है, जो प्रशासनिक रूप से सिफारिश की विषय-वस्तु से संबंधित हैं। रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(घ) सरकार संविधान में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं करती है। संघ सरकार, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, विदेशों के साथ सभी संधियों और करारों को अंतिम रूप देती है। किसी विधान के कार्यान्वयन के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, विधान मंडल का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों के लिए नई पेंशन योजना

3407. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई पेंशन योजना को केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए लागू न किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अर्धसैनिक बलों की मांगों और शिकायतों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के कार्मिकों को नई पेंशन प्रणाली के दायरे से छूट के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि इस प्रस्ताव पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जाए। मंत्रियों के समूह की पहली बैठक 31-8-2007 को हुई है।

[अनुवाद]

आर.आई.एल. से गैस का सरकारी हिस्सा लेना

3408. श्री बसुदेव आचार्य: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) से गैस का सरकारी हिस्सा लेने के अपने विकल्प का प्रयोग करने को कहा है जैसा कि दिनांक 18 जुलाई, 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.टी.पी.सी. लि. तथा अध्यक्ष, रत्नागिरि गैस एवं पावर प्राइवेट लि. (आर.जी.पी.पी.एल.) के अनुरोध के आधार पर, इस मंत्रालय ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से के.जी.डी. 6 ब्लॉक से वस्तु के रूप में सरकार का गैस लाभ हिस्सा लेने के मामले की जांच करने हेतु अनुरोध किया है।

(ग) सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण तथा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत गैस की वाणिज्यिक उपयोगिता के मामलों की जांच पर विचार करने हेतु शक्ति प्रदत्त मंत्रियों के समूह का गठन किया है।

सी.एस.आई.आर. में नियुक्ति में विलम्ब

3409. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के महानिदेशक का पद गत छह महीनों से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में निदेशकों के कितने पूर्णकालिक पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके फलस्वरूप अनुसंधान कार्य बाधित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा

औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) एवं सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) का पद वर्तमान में सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। पूर्णकालिक महानिदेशक हेतु अन्वेषण और चयन प्रक्रिया जारी है।

(ग) और (घ) निदेशकों के रिक्त पड़े पदों की संख्या 8 है। तथापि, ये पद या तो संबंधित प्रयोगशाला के वरिष्ठतम वैज्ञानिक को अथवा सहायक प्रयोगशाला के निदेशक को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपे गए हैं। सरकार ने निदेशकों की भर्ती नियमावली में संशोधन करने हेतु सी.एस.आई.आर. को निदेश दिए थे। इस संशोधित भर्ती नियमावली को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

(ङ) और (च) चूंकि सी.एस.आई.आर. की सभी प्रयोगशालाओं में संरचनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, अतः अनुसंधान कार्य बाधित नहीं हुआ है।

(छ) भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार द्वारा भर्ती नियमावली को अनुमोदन दिए जाने पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।

पोत भंजक उद्योग

3410. श्री महेश कनोडीया:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पोत भंजक उद्योग पर सीमा-शुल्क लगाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे कितनी राशि एकत्र की गई;

(ग) क्या हाल ही में पोत भंजक उद्योग पर सीमा-शुल्क को कम करने/हटाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भंजन के लिए पोतों पर 5% का सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा इस पर 16% का प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और 3% का शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

(ख) भंजन के लिए पोतों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में संकलित किया गया सीमा शुल्क इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	संकलित की गई सीमा शुल्क धनराशि (अनंतिम)
2004-05	269
2005-06	178
2006-07	298

(ग) जी हां।

(घ) पोत भंजक उद्योग पर सीमा शुल्क को कम करने/छूट देने के लिये सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों की जांच परख की गई लेकिन इन्हें इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि जहाज के भंजन के बाद कतरन से ज्यादातर ऐसी सामग्री मिलती है जिसको फिर से रोल किया जा सकता है और इस पर भी 5% का आयात शुल्क लगता है। इसके अलावा ऐसे में कुछ भी कमी करने से राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड्स

3411. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंकवार कितने क्रेडिट कार्ड्स जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि कितने प्रतिशत कार्डधारकों द्वारा क्रेडिट कार्डों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) मार्च 2005, 2006 और 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों की बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा प्रबंधन सूचना प्रणाली में अपेक्षित सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा

क्र. सं.	बैंक का नाम	निम्नलिखित के अंत की स्थिति के अनुसार क्रेडिट कार्डों की संख्या		
		मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	0	0	0
2.	आंध्रा बैंक	151272	168614	161193
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	156840	139980	147925
4.	बैंक ऑफ इंडिया	88543	106594	133834
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	50134	43454	70105
6.	केनरा बैंक	107092	101940	87251
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	37270	40493	39739
8.	कार्पोरेशन बैंक	3490	3153	2664
9.	देना बैंक	10049	10233	10406
10.	आई.डी.बी.आई.	0	0	0
11.	इंडियन बैंक	0	1831	13101
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	11581	11199	15008
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0	0
15.	पंजाब नैशनल बैंक	0	0	0
16.	सिंडिकेट बैंक	46354	40375	41698
17.	यूको बैंक	0	0	0
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	33714	18929	21904
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0
20.	विजया बैंक	67866	134132	138542

1	2	3	4	5
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	11391	0	0
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0	0	0
23.	भारतीय स्टेट बैंक	1643127	2427152	3356561
24.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0	0	0
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0	0	0
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0	0	0
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0	0	0
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0
		2418723	3248079	4239931

स्रोत: स्थलेतर विवरणियों से क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा।

[अनुवाद]

किसान क्रेडिट कार्ड्स

3412. श्री रूपचन्द मुर्मु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड्स (के.सी.सी.) जारी करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उन किसानों की संख्या का कोई रिकार्ड है जिनके किसान कार्ड जारी करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्डों (के.सी.सी.) को जारी करने के कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। के.सी.सी. की संख्या में, जो वर्ष 2003-04 में लगभग 4,14,00,000 थी, विगत कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि होती रही है और यह संख्या जून 2007 में 6,75,44,938 (आंकड़े अनंतिम) तक पहुंच गई है।

(ग) और (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली द्वारा पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, बैंकों का एक सुदृढ़ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है जो के.सी.सी. संबंधी शिकायतों सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों का निपटान करता है। इस संबंध में समय-समय पर बैंकों को विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी ग्राहक जिसकी कोई वास्तविक शिकायत है, जो के.सी.सी. जारी करने से इंकार करने की भी हो सकती है, पर संबंधित बैंक द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ

3413. श्री काशीराम राणा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सितंबर, 2000 में यह संप्रेक्षण किया था कि राज्य सरकार यह महसूस करती है कि सूरत और राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठों की स्थापना की जाए। इस विषय की समीक्षा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की गई थी, जिन्होंने यह सूचित किया था कि सूरत या राजकोट में सर्किट न्यायपीठ बनाया जाना संस्था के हित में नहीं होगा। तद्नुसार, गुजरात के मुख्यमंत्री को मई, 2001 में यह सूचना दे दी गई थी। तत्पश्चात्, गुजरात सरकार से सूरत या राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पुलों का निर्माण

3414. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) के अंतर्गत पुलों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केवल 25 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले पुलों के लिए अलग से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। ऐसे मामलों में 25 मीटर से अधिक की यथा निर्धारित लागतों और एजेंसी प्रभारों, यदि कोई हो, का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पिछले एक वर्ष के दौरान और अब तक 25 मीटर से अधिक की लम्बाई वाले 218 पुलों (ए.डी.बी. वित्तपोषित परियोजनाओं सहित) को स्वीकृत किया गया है जिनके लिए केंद्रीय हिस्सा 181.586 करोड़ रु. है और राज्य हिस्सा 204.448 करोड़ रु. है। स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	चरण	पुलों की सं.	स्वीकृति की तारीख	राज्य हिस्सा (रुपये)	केंद्रीय हिस्सा (रुपये)
उत्तरांचल	चरण-V	6	18-10-2006	2.29	4.7
असम	चरण-VI	105	7-3-2007	108.278	91.156
असम	ए.डी.बी. बैच II	83	7-3-2007	80.67	75.41
त्रिपुरा	चरण-IV	19	24-5-2007	5.2	7.13
त्रिपुरा	चरण-V	3	1-3-2007	1.13	1.44
बिहार (इरकॉन)		2	10-7-2007	6.88	1.75
कुल		218		204.448	181.586

नाबार्ड से ऋण

3415. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं हेतु ऋण/वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड ने ऋण राशि के उपयोग के संबंध में कोई शर्तें लगाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरं.आई.डी.एफ.)-XIII के अंतर्गत, वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं, अनुमोदित चरणबद्ध अवधि के अनुसार शुरू करने और उनके द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध करने तथा परियोजनाओं के पूर्ण होने पर परियोजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है। राज्य सरकारें नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं उन्हें सूचित चरणबद्ध अवधि और मंजूरी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कार्यान्वित कर रही हैं।

विवरण

आर.आई.डी.एफ. XIII (2007-08) - परियोजनाओं की राज्य-वार, परियोजना-वार सूची - अखिल भारतीय स्थिति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना का नाम	क्षेत्र	आर.आई.डी.एफ. ऋण राशि	राज्य का जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	129	125 सड़क और 04 पुल परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	174.84	174.84
2.	छत्तीसगढ़	3	03 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	8.96	8.96
3.	गुजरात	232	232 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	88.41	
		1	01 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	190.23	278.64
4.	हरियाणा	34	30 लघु और 03 मध्यम और 01 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	110.10	110.10
5.	हिमाचल प्रदेश	3	03 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	ग्रामीण संपर्क	4.95	
		15	15 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	8.61	
		37	37 ग्रामीण पेय जल परियोजनाएं	सामाजिक क्षेत्र	17.44	
		25	20 ग्रामीण सड़क और 05 पुल परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	27.69	
		64	64 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	8.12	66.81
6.	झारखण्ड	63	63 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	13.20	13.20
7.	कर्नाटक	324	324 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	164.57	
		3	03 आवासीय स्कूल परियोजनाएं	सामाजिक क्षेत्र	6.38	
		344	344 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	67.85	

1	2	3	4	5	6	7
		53	53 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	13.81	
		7384	7384 चेक डेम निर्माण परियोजनाएं	सिंचाई	151.66	404.27
8.	केरल	10	10 मृदा एवं जल संरक्षण परियोजनाएं	कृषि संबंधित	6.79	
		9	09 ग्रामीण शैक्षिक संस्थाओं के लिए मूल-भूत सुविधा-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परियोजनाएं	सामाजिक क्षेत्र	2.60	
		1	01 ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मूलभूत सुविधा परियोजना	कृषि संबंधित	50.00	59.39
9.	महाराष्ट्र	27	27 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	284.85	
		8	08 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	150.16	
		50	50 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	23.47	
		9000	9000 चेक डैम (लघु सिंचाई)	सिंचाई	180.00	638.48
10.	मध्य प्रदेश	52	52 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	75.49	
		1	01 बड़ी सिंचाई परियोजना (बार्गी मार्ग परिवर्तन)	सिंचाई	512.16	
		1	01 बड़ी सिंचाई परियोजना (इंदिरा सागर)	सिंचाई	44.80	632.45
11.	मेघालय	7	07 मृदा एवं जल संरक्षण परियोजनाएं	कृषि संबंधित	7.19	7.19
12.	पंजाब	1	01 भूमिगत जल रीचार्ज	सिंचाई	9.14	9.14
13.	राजस्थान	23	06 लघु सिंचाई और 17 जल संचयन परि-योजनाएं	सिंचाई/कृषि संबंधित	32.83	
		3	03 ग्रामीण पेय जल परियोजनाएं	सामाजिक क्षेत्र	340.37	
		7	07 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	36.83	

		1	01 ल्हासी मध्यम जल परियोजना*	सिंचाई	68.52	
		745	745 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	226.37	704.92
14.	सिक्किम	65	23 लघु सिंचाई और 42 बाढ़ सुरक्षा	सिंचाई/कृषि संबंधित	1.45	
		2	01 ग्रामीण सड़क और 01 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	3.95	
		3	03 ग्रामीण पेय जल परियोजनाएं	सामाजिक क्षेत्र	10.35	
		1	01 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	2.25	18.00
15.	तमिलनाडु	23	23 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं	कृषि संबंधित	197.17	
		487	487 ग्रामीण पेय जल परियोजनाएं	सामाजिक क्षेत्र	18.81	
		1491	1491 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं	ग्रामीण सड़क संपर्क	328.05	544.03
16.	उत्तर प्रदेश	16	16 वानिकी परियोजनाएं	कृषि संबंधित	14.84	
		35	35 पशु चिकित्सा अस्पताल	कृषि संबंधित	4.96	
		595	595 लघु सिंचाई परियोजनाएं	सिंचाई	13.06	
		1	1 मध्यम सिंचाई परियोजना	सिंचाई	4.81	37.67
17.	पश्चिम बंगाल	3	03 ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण सड़क संपर्क	15.54	
		333	333 ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण सड़क संपर्क	36.61	52.15
	कुल जोड़	21715			3760.24	3760.24

आई.सी.आई.सी.आई. में इक्विटी की बिक्री

3416. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की एक अनुषंगी इकाई ने अपनी इक्विटी को बेचने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि की इक्विटी हेतु अनुमति मांगी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक) ने 24% विदेशी निवेश वाली धारित कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए एक सहायक कंपनी का गठन करने तथा आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशन्ल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (आई.सी.आई.सी.आई. लाईफ), आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई. जनरल) आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई. ए.एम.सी.) तथा आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशल ट्रस्ट लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई. ट्रस्ट) में अपने निवेश इस धारक कंपनी को अंतरित करने के लिए अनुमति मांगी है।

(ग) सरकार ने दिनांक 22 अगस्त, 2007 के पत्र संख्या एफ.सी.-II 166(2007)/129(2007) के तहत अनुमोदन दे दिया है।

कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी

3417. **श्री वी.के. ठुम्मर:**

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से कम्पनियों द्वारा ऋण लेते समय की गई कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में अब तक जांच शुरू की गई है;

(घ) कितने मामलों में जांच अब तक पूरी हो चुकी है;

(ङ) उक्त जांचों में कितनी कम्पनियों को दोषी पाया गया है;

(च) सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने में कपटपूर्ण कार्यों एवं अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें मिली थीं। इन्हें संबंधित बैंकों के साथ उठाया गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन्हें कपटपूर्ण कार्य के रूप में सूचित किया गया था। धोखाधड़ी की सूचना मिलने के मामले में बैंकों से कहा गया है कि पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जैसी भी स्थिति हो, से शिकायत करें, कर्मचारियों की जवाबदेही के पहलू की जांच करें, हानि हुई राशि वसूल करने के लिए उपाय करें तथा प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाएं, ताकि ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, उनसे अपेक्षा की जाती है कि 1 लाख रुपए और इससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के सभी मामलों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को अलग-अलग दें तथा 1 लाख रुपए से कम के मामलों की सूचना समेकित रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को दें।

विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लि., जिसकी 14 बैंकों के साथ संघीय सहायता व्यवस्था थी, के खाते में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाते की जांच की थी और कुछ गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के तहत खाते की विशेष लेखा-परीक्षा का आदेश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक को पिछले दो वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण में कथित कपटपूर्ण कृत्यों/अनियमितताओं के तीन और मामले मिले हैं। इसमें शामिल कंपनियां हैं (i) अरिहन्त इंडस्ट्रीज लि., (ii) बालाजी होटल्स एंड एन्टरप्राइजेज तथा (iii) एल.एम.एल. लि.। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी मामलों की जांच की थी और उसने दो मामलों की जांच पूरी कर ली है, जबकि बालाजी होटल्स एंड एन्टरप्राइजेज से संबंधित मामला निर्णयाधीन है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उपर्युक्त तीनों कंपनियों में से किसी को भी धोखाधड़ी का दोषी नहीं पाया गया है।

(च) और (छ) संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

स्वर्ण जमा योजना

3418. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वर्ण जमा योजना को और अधिक प्रचारित करने की सलाह दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से मंदिर न्यासों को अपना सोना बैंकों में जमा करने हेतु निर्देश देने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पैक्ट फ्लोरीसेंट लैम्पों का उपयोग

3419. श्रीमती प्रिया दत्त:

श्री नवीन जिन्दल:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि देश में कॉमन इनकैन्डेसेन्ट लैम्पों के स्थान पर कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्पों का उपयोग करने से प्रतिवर्ष 10,000 मेगावाट विद्युत बचाई जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनकैन्डेसेन्ट बल्बों को आम उपयोग से हटाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) इनकैन्डेसेन्ट बल्बों को बदलने पर ऊर्जा बचत का अनुमान 6500 मे.वा. से 10,000 मे.वा. तक हो सकता है।

(ख) इनकैन्डेसेन्ट बल्बों को हटाने के लिए फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पनधारा कार्यक्रम के संबंध में पार्थसारथी समिति की सिफारिशें

3420. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पनधारा कार्यक्रमों के संबंध में पार्थसारथी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या पनधारा कार्यक्रमों हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) पार्थसारथी समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् "वाटरशेड प्रबंधन के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांत-2007" शीर्षक से मार्गदर्शी सिद्धांतों के एक विस्तृत सेट का प्रारूप तैयार किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित आयोजना और सतत् रूप से परिणाम प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) की योजनाओं को एकीकृत और समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल टाउनशिप

3421. श्री अबु अयीश मंडल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल टाउनशिप स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित स्थानों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जैवप्रौद्योगिकी पार्क

3422. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने जैवप्रौद्योगिकी पार्क कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को देश में ऐसे पार्कों को सुदृढ बनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे पार्कों की स्थापना हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव विभाग की विशेषज्ञ समिति के पास लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र) और हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), में स्थापित जैव प्रौद्योगिकी पार्क कार्यरत हैं। एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क वडोदरा (गुजरात) में स्थापित किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी ऊष्मायित्र केंद्र की स्थापना के लिए परियोजनाएं आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्यों में लागू की गई हैं।

(ख) से (ङ) तमिलनाडु सरकार से हाल ही में टाइसिल जैव पार्क को सुदृढ किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी ऊष्मायित्र की स्थापना के लिए गुजरात सरकार से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रक्रमित और विचार किया जाएगा। वर्ष 2008 से पहले इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कंपनियों का पंजीकरण

3423. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में कम्पनियां स्वयं को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास पंजीकृत कराए बिना कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत किसी कम्पनी को स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 11 प्रावधान करती है कि 10 व्यक्तियों से अधिक (बैंकिंग व्यवसाय करने वालों के अलावा अन्य के मामले में 20 व्यक्तियों से अधिक) की संख्या वाली कोई भी कंपनी, संघ या भागीदारी व्यवसाय करने के उद्देश्य से गठित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं कर दिया जाता हो अथवा वह कोई अन्य भारतीय कानून के अनुसार गठित नहीं किया जाता हो। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु किसी विशिष्ट समय-सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ङ) जब कभी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 11(1) और (2) के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, इस अधिनियम की धारा 11(4) एवं (5) के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बायो-मास के माध्यम से ऊर्जा

3424. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बायो-मास ऊर्जा प्रणाली पर विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन राज्यों को विशेष पैकेज दिया है जिन्होंने बायो-मास ऊर्जा प्रणाली को क्रियान्वित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक राज्य में बायो-मास ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) 11वीं योजना के दौरान अक्षय स्रोतों से 14000 मेगावाट के ग्रिड-संबद्ध विद्युत उत्पादन के प्रस्तावित लक्ष्य में से बायोविद्युत से 2100 मेगावाट क्षमता संयोजन का प्रस्ताव है जिसमें 500 मेगावाट बायोमास विद्युत, 1200 मेगावाट खोई सह-उत्पादन और औद्योगिक और म्युनिसिपल अपशिष्टों से 400 मेगावाट समतुल्य ऊर्जा/विद्युत शामिल है। इसके अतिरिक्त 1000 मेगावाट समतुल्य संवितरित अक्षय विद्युत और हीट का उत्पादन प्रस्तावित है जिसमें बायोमास संसाधन शामिल है।

(ख) से (ङ) संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में अधिमान्य शुल्क दर के अतिरिक्त म्युनिसिपल ठोस अपशिष्टों से ऊर्जा, जिसे न्यायालय के आदेशों के कारण स्थगित रखा गया है, को छोड़कर बायोऊर्जा/विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है और 11वीं योजना के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर सब्सिडी का प्रस्ताव है।

(च) बायोमास ऊर्जा/विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के फलस्वरूप 11वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुमानित लगभग 17 मिलियन श्रम दिवस/वर्ष का प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान

3425. श्री हरिकेवल प्रसाद:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में अग्निकांड के शिकार लोगों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) आग से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप-आयुक्त आग से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए आई.ए.वाई. निधियों से आई.ए.वाई. के तहत जिले के वार्षिक आबंटन के 10% तक की राशि अथवा स्वयं के संसाधनों से 50.00 लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। उपर्युक्त राशि बाद में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करके प्रतिपूर्ति के रूप में मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है।

भारतीय बैंकों में विदेशी पूंजी निवेश

3426. डा. चिन्ता मोहन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में निवेश करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून 2007 तक भारतीय बैंकों में विदेशी पूंजी निवेश का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार के दिनांक 5 मार्च, 2004 के प्रेस नोट के अनुसार, सभी स्रोतों [प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.), विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.), अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)] से गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल विदेशी निवेश बैंक की चुकता पूंजी के 74%

से अधिक नहीं हो सकता। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 3(2घ) भारत से बाहर के व्यक्तियों और अन्य कारपोरेट निवासियों को समग्रतः किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संबंधित बैंक की चुकता पूंजी के 20% से अधिक शेयर धारित या अर्जित करने से रोकती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश किसी बैंक में व्यक्तिगत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) धारिता को उस बैंक की चुकता पूंजी के 10% तक प्रतिबंधित करते हैं।

(ग) 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) धारिता का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान 20% से बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, इस समय उक्त सीमा को संशोधित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	विदेशी धारिता का %
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1.	इलाहाबाद बैंक	19,33
2.	आंध्रा बैंक	19.22
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	20.87
4.	बैंक ऑफ इंडिया	16.1
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7.96
6.	केनरा बैंक	17.6
7.	कार्पोरेशन बैंक	9.61
8.	देना बैंक	15.52
9.	आई.डी.बी.आई.	1.32
10.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	18.98
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	18.97
12.	पंजाब नेशनल बैंक	20.14
13.	भारतीय स्टेट बैंक	19.8
14.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2.67
15.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.00
16.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2.74
17.	सिंडिकेट बैंक	13.30
18.	यूको बैंक	2.16
19.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	19.87
20.	विजया बैंक	17.71
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1.	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	68.96
2.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	66.59
3.	फेडरल बैंक लि.	62.22
4.	एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.	48.06
5.	इंडसइंड बैंक लि.	53.08
6.	आई.एन.जी. वैश्य बैंक लि.	66.66
7.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	34.70
8.	कर्नाटक बैंक लि.	33.50
9.	करूर वैश्य बैंक	21.63
10.	यू.टी.आई. बैंक लि.	40.89
11.	यस बैंक	57.67

टिप्पणी: चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों की एफ.आई.आई. की स्थिति की निगरानी कर रहा है जिनकी एफ.आई.आई. धारिता 15% से अधिक है, इसलिए उपर्युक्त सारणी में गैर-सरकारी क्षेत्र के केवल उन बैंकों के ब्यौरे दर्शाए गए हैं जिनकी एफ.आई.आई. धारिता 15% से अधिक है।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ

3427. श्रीमती मेनका गांधी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की मेरठ-बरेली खंडपीठ स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (घ) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के संबंध में, उस राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तैयार किए गए पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति पर विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दोहरी लेखांकन प्रणाली

3428. डा. आर. सेनथिल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लेखांकन की दोहरी प्रणाली की विशेषताएं और लाभ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारत में विद्यमान रोकड़ लेखांकन प्रणाली के स्थान पर लेखांकन की दोहरी या दोहरी प्रविष्टी प्रणाली अपनाने और क्रियान्वित करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारत सरकार वर्तमान में रोकड़ आधार पर लेखांकन का अनुसरण करती है जिसके अंतर्गत सभी अदायगियों को लेखों में तभी दर्शाया जाता है जब वे वास्तव में की जाती हैं न कि जब वे देय होती है।

रोकड़ आधारित प्रणाली की तुलना में प्रोदभूत (दोहरे) लेखांकन में वित्तीय प्रवाह को आर्थिक मूल्य स्थापित करते समय, रूपांतरित करते समय अथवा बंद किए जाते समय स्वीकार किया जाता है चाहे उस समय नकद राशि का विनिमय किया गया है अथवा नहीं। रोकड़ आधारित प्रणाली से यह इस रूप में भिन्न है कि यह संसाधनों के प्रवाह को रिकार्ड करता है। जब संसाधनों (श्रम, माल और सेवाओं और पूंजी) का उपभोग किया जाता है और आय जब अर्जित की जाती है अर्थात जब माल बेचा जाता है अथवा जब सेवाएं प्रदान की जाती है तब व्यय को रिकार्ड किया जाता है। संबद्ध रोकड़ प्रवाह का साधारणतया कुछ समय के पश्चात परिणाम आता है और यह एक ही लेखांकन अवधि के दौरान हो भी सकता है और नहीं भी। इस प्रकार, रोकड़ प्रवाह के अतिरिक्त, अदत्त उपभोग (देय) और अप्राप्त आय (प्राप्य) को भी रिकार्ड किया जाता है। किसी लेखांकन अवधि के दौरान ऐसे अर्जित संसाधनों, परंतु जिन्हें पूरी तरह उपभोग नहीं किया गया है, को परिसंपत्तियों (माल-सूची और स्थिर परिसंपत्तियां) के रूप में माना जाता है। माल सूची के अधिग्रहण के लिए की गई अदायगियों को जिस अवधि में उनकी खपत की गई है उसी अवधि की परिचालन लागत में शामिल किया जाता है। भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए की गई अदायगी को भावी संभावित सेवा के रूप में प्रभारित मूल्यह्रास द्वारा परिसंपत्तियों के समग्र उपयोगी जीवन काल से परिशोधित किया जाता है।

(ख) सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है कि "केन्द्रीय सरकार को लेखांकन के प्रोद्भूत (दोहरे) धार की ओर धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए"।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय ने लेखांकन की प्रोद्भूत (दोहरी) प्रणाली में परिवर्तित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय में प्रायोगिक परियोजना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 4 (चार) प्रभागों में लागू की जा रही है जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में यह परियोजना एक अस्पताल में लागू की जा रही है।

(घ) लागू नहीं।

केन्द्रीय अधिनियमों के मलयालम में अनुवाद के लिए सहायता

3429. श्री पी.सी. थामस: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय अधिनियमों के मलयालम में अनुवाद के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने प्रारंभिक रूप से 21-05-2002 को और तत्पश्चात् अनुस्मारकों द्वारा कंप्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ऐसा अंतिम अनुस्मारक 3-8-2006 को दिया गया था।

(ग) राज्य सरकारों को कंप्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की इस विभाग की कोई स्कीम नहीं है। तद्नुसार केरल सरकार को सूचित कर दिया गया था।

फास्ट ट्रैक न्यायालय

3430. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
डा. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज कि तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं;

(ख) वर्तमान में इन न्यायालयों में राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं और इनके क्या कारण हैं;

(ग) लंबित मामलों के लक्षित निपटान को शीघ्रतापूर्वक प्राप्त करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना में राज्य सरकारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त निधियों के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निधियों के उपयोग और इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे न्यायालयों द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) सरकार ने राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 31-03-2005 तक कार्यरत बनाए गए 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफ.टी.सी.) के संबंध में राज्यों को एफ.टी.सी. की बाबत उपलब्ध कराई जाने वाली केंद्रीय सहायता की स्कीम को उस तारीख के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया था। उस संख्या के प्रति, मार्च, 2007 तक राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार कार्यरत बनाए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या संलग्न विवरण-I पर है।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी राज्यों से मांगी गई है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी निधियों, राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए उपयोग और चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर है।

(ङ) और (च) केंद्रीय सरकार राज्यों को त्वरित निपटान न्यायालयों के प्रचालन के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग को मानीटर करती है। निधियों का आगे और संवितरण, पूर्ववर्ती वर्षों में इस प्रयोजन के लिए जारी निधियों का समाधानप्रद रूप में उपयोग दर्शित करने वाले उपयोक्ता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर है। राज्यों से भी समय-समय पर त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(छ) त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान में लगने वाला समय एक ऐसा विषय है, जो अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार, न्यायालयों में मामलों का निपटान सुकर बनाने के

लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है और उसने कंप्यूटरीकरण के माध्यम से इन न्यायालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी उपाय किए हैं।

विवरण-I

मार्च, 2007 तक राज्यों द्वारा कार्यरत रूप में रिपोर्ट किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	31-03-07 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	108
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	20
4.	बिहार	150
5.	छत्तीसगढ़	27
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	149
8.	हरियाणा	7
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	0
11.	झारखण्ड	54
12.	कर्नाटक	71
13.	केरल	38
14.	मध्य प्रदेश	66
15.	महाराष्ट्र	167
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैण्ड	2
20.	उड़ीसा	41
21.	पंजाब	8
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तर प्रदेश	242
27.	उत्तरांचल	45
28.	पश्चिमी बंगाल	119
	योग	1474

विवरण-II

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों मद्दे राज्यों को जारी राशियां दर्शित करने वाला विवरण

(लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2004-05 के दौरान मंजूर की गई राशि	2004-05 के दौरान उपयोग की गई राशि	2005-06 के दौरान मंजूर की गई राशि	2005-06 के दौरान रिपोर्ट किए गए अनुसार उपयोग की गई राशि	2006-07 के दौरान मंजूर की गई राशि	2006-07 के दौरान रिपोर्ट किए गए अनुसार उपयोग की गई राशि	2007-08 के दौरान मंजूर की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं	550.50	519.99	412.80		
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं	19.20	19.20	14.40	21.83	
3.	असम	शून्य	उपलब्ध नहीं	128.00	128.00	96.00		
4.	बिहार	शून्य	उपलब्ध नहीं	960.30	871.43	720.00		
5.	छत्तीसगढ	शून्य	उपलब्ध नहीं	198.40	178.71	129.60		
6.	गोवा	शून्य	उपलब्ध नहीं	32.00	69.20	24.00		
7.	गुजरात	1287.27	उपलब्ध नहीं	1062.80	1062.80	1355.90		
8.	हरियाणा	शून्य	उपलब्ध नहीं	102.40	89.26	33.60	33.60	16.80
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं	57.60	57.60	43.57		
10.	झारखण्ड	शून्य	उपलब्ध नहीं	569.80	226.57	226.00		
11.	कर्नाटका	शून्य	उपलब्ध नहीं	595.40	595.40	610.80		
12.	केरल	344.69	उपलब्ध नहीं	198.40	198.40	148.80		

13.	मध्य प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं	422.50	243.52	215.40	418.81	
14.	महाराष्ट्र	483.68	उपलब्ध नहीं	1197.20	1170.08	1101.60	1650.00	782.40
15.	मणिपुर	शून्य	उपलब्ध नहीं	12.80	9.60	9.60		
16.	मेघालय	शून्य	उपलब्ध नहीं	19.20	8.55	14.40		
17.	मिजोरम	शून्य	उपलब्ध नहीं	19.20	19.20	17.68	17.68	7.20
18.	नागालैण्ड	शून्य	उपलब्ध नहीं	12.80	0	18.18		9.60
19.	उड़ीसा	शून्य	उपलब्ध नहीं	262.40	210.24	196.80	196.80	98.40
20.	पंजाब	शून्य	उपलब्ध नहीं	115.20	84.79	48.00		
21.	राजस्थान	240.27	उपलब्ध नहीं	531.40	531.40	753.64		
22.	तमिलनाडु	शून्य	उपलब्ध नहीं	313.70	313.70	235.20		
23.	त्रिपुरा	शून्य	उपलब्ध नहीं	19.20	3.80	3.80	6.56	
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं	288.00	1229.90	3075.69	1886.79	495.52
25.	उत्तराखंड	शून्य	उपलब्ध नहीं	1549.80	310.30	216.00		
26.	पश्चिम बंगाल	शून्य	उपलब्ध नहीं	761.80	761.80	571.20	571.20	285.00
	योग	2356.34		10000.00	8913.44	10292.66	4803.27	1694.92

एक्सचेंज बोर्डों में अनियमितताएं

3431. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विभिन्न एक्सचेंज बोर्डों के कार्यकरण में अनेक अनियमितताओं को नोटिस किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेबी ने और अधिक कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेबी को और अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने से ऐसे कदाचार किस हद तक नियंत्रित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कुछेक स्टॉक एक्सचेंजों के बोर्ड के कार्यकरण में अनियमितताओं के कुछ मामले अलग-अलग समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जानकारी में आए हैं। अनियमितताओं में सेबी परिपत्रों, निर्देशों तथा दिशानिर्देशों का अननुपालन, कारोबार तथा निपटान अपेक्षाओं का अननुपालन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक कुप्रबंधन शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत लंबित चुनाव मामले

3432. श्री के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनावों के आयोजन से संबंधित कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कितनी अवधि से लंबित हैं;

(ग) क्या उच्च न्यायालयों में चुनाव मामलों के निपटान के लिए छः महीनों की समय सीमा निर्धारित है जबकि भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए ऐसी कोई समय-सीमा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो कानून के वास्तविक उद्देश्य को बेहतर रूप से प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में चुनाव मामलों का निपटान युक्तियुक्त समय-सीमा के अंदर करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर न्यायालय मामलों के ब्यौरे दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्वाचनों से संबंधित विवादों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन कार्यवाही की जाती है। अध्याय 3 और अध्याय 4क, क्रमशः निर्वाचन याचिकाओं और अपीलों के विचारण से संबंधित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) के अनुसार, हर निर्वाचन अर्जी यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालयों को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन याचिका में किए गए प्रत्येक आदेश से संबंधित किसी प्रश्न (चाहे वह विधि का हो अथवा तथ्य का) पर अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116क के अधीन उच्चतम न्यायालय को की जाएगी। उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन मामलों के निपटान के लिए ऐसी कोई समय-सीमा नहीं है।

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, निर्वाचन याचिकाओं में लंबित सिविल अपीलों/विशेष इजाजत याचिकाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	मामला सं. [फाइल किए जाने का वर्ष]	विशिष्टियां
1.	एस.सी.सी.ए. सं. 8339/1995	नारायण सिंह बनाम सुंदरपाल पटवा
2.	सिविल अपील सं. 6593/2000	आर.पी. शर्मा बनाम एम.एम.के. सुब्बा और अन्य
3.	सिविल अपील सं. 3306/2001	गरु राम बनाम घुन्नी लाल और अन्य
4.	सिविल अपील सं. आर.सी. 874/2002	बसवराज डी. होन्ना बनाम प्रकाश खन्द्रे और अन्य
5.	सिविल अपील सं. 6329-30/2005	एन. राजगोपालन बनाम आर. धनुषकोडी आदित्यन और अन्य
6.	विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 18891/2006	शिवराज सिंह चौहान बनाम राज कुमार पटेल
7.	सिविल अपील सं. 15128/2006	नारायण स्वामी बनाम डा. मोहन और अन्य
8.	सिविल अपील सं. 5033/2006	पी.एम. इस्माइल बनाम पी.सी. थोमस और अन्य
9.	सिविल अपील सं. 641/2006	बनवारी लाल बनाम विलास मुत्तेमार और अन्य
10.	सिविल अपील सं. 856/2006	एम. अरुमुगम बनाम आर. धनुषकोडी आदित्यन और अन्य

[हिन्दी]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

3433. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में कई सरपंचों तथा ग्राम सेवकों को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अभी तक पुरस्कार राशि नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का सरपंचों तथा ग्राम सेवकों को पुरस्कार की राशि का वितरण कब तक करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) निर्मल ग्राम पुरस्कार सरपंच अथवा ग्राम सेवक को नहीं अपितु एक ग्राम पंचायत (जी.पी.) को दिया जाता है और इसमें एक प्रशस्तिपत्र, एक स्मृति-चिन्ह तथा ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर नकद पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार की पहल वर्ष 2003 में हुई थी और पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया था। वर्ष 2005 में महाराष्ट्र के 13 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया तथा 2006 में 381 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। हाल ही में, 2007 में महाराष्ट्र की 1974 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है और इन ग्राम पंचायतों को वितरित करने हेतु 1278.40 लाख रु. रिलीज किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा

3434. श्री संतोष गंगवार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक कार्ययोजना तैयार करने का निदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु (100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना) पांडिचेरी में की गई पहल के अनुरूप एक "अतिरिक्त सुविधारहित" खाता और सामान्य उद्देश्य वाला क्रेडिट कार्ड प्रदान करके अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कम से कम एक जिले की पहचान करना है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति संयोजक बैंकों ने 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए 104 जिलों (30-6-2007 तक) की पहचान की है इनमें से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के 24 जिलों ने 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन कर लिया है तथा बैंकों ने इन जिलों में 67,32,335 "अतिरिक्त सुविधा वाले खाते" और 48,676 सामान्य उद्देश्य वाले क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। केरल राज्य का पालाक्काड जिला 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन करने वाला पहला जिला था।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धनतम लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय सुसाधक और सम्पर्ककर्ता मॉडलों के प्रयोग के जरिए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाने में मध्यस्थ के तौर पर गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थानों, डाकखानों और अन्य नागरिक समिति संगठनों की सेवाओं के इस्तेमाल की सलाह देते हुए सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

आर्थिक अपराध

3435. श्री हरिसिंह चावड़ा:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार में राज्य-वार कितने आर्थिक अपराध किए गए हैं;

(ख) पूंजी बाजार में आर्थिक अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सेबी ने विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार अपराधिक अभियोजन शुरू किए हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या	व्यक्तियों/कंपनियों की संख्या
2004-05	84	410
2005-06	27	81
2006-07	21	149

प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए सेबी द्वारा कुल 2709 सिविल प्रवर्तन कार्रवाईयां और आपराधिक अभियोजन के 1047 मामले शुरू किए गए, जो विभिन्न अवस्थाओं पर लंबित हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शेयर के लेन-देन और पूंजी बाजार में वित्तीय अपराध से संबंधित बारह मामले दर्ज किए हैं।

(ख) प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए अभियोजनों में 10 वर्ष तक कारावास और 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए सिविल प्रवर्तन कार्रवाईयों में उल्लंघनकर्ता व्यक्तियों को प्रतिभूतियों में कारोबार करने या पूंजी बाजार में अभिगमन से प्रतिषिद्ध करना, पंजीकृत मध्यवर्तियों के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन और निरसन और 25 करोड़ रुपए या लाभ की तीन गुना राशि जो भी अधिक हो, की मौद्रिक शास्ति अधिरोपित करना शामिल है।

(ग) सेबी द्वारा 293 व्यक्तियों के विरुद्ध 60 आपराधिक मामले दायर किए गए जिनमें दोष सिद्ध हो चुका है। इसने प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध 2998 सिविल प्रवर्तन आदेश भी पारित किए हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर के लिए निधियों का आबंटन

3436. डा. टोकचोम मैन्या: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को कितना बजटीय आबंटन किया गया है और पूर्वोत्तर राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटित लेकिन व्यय नहीं की गई धनराशि को अव्यपगत पूर्वोत्तर पूल में जमा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजटीय आबंटन और अव्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधनों (एन.एल. सी.पी.आर.) को अंतरित खर्च न की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मंत्रालय का कुल आबंटन	पूर्वोत्तर के लिए आबंटन	एन.एल.सी.पी.आर. को अंतरित राशि
2004-2005	18216.40	1841.64	39.85
2005-2006	27490.00	2700.35	0.00
2006-2007	30993.62	2916.56	0.50

महिलाओं के लिए ऋण सुविधा

3437. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए बैंकों के माध्यम से कोई विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक महिलाओं को अग्रिमों का निर्धारित प्रतिशत प्रदान कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने निवल बैंक ऋण (एन.बी.सी.) का 5% महिला उद्यमियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को वर्ष 2001 में एक परिपत्र जारी किया था। महिलाओं को ऋण देने के लिए बैंक अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन लेकर अपनी योजनाएं स्वयं बनाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों के कार्यनिष्पादन की सावधिक समीक्षा करता है और जो बैंक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में पिछड़ जाते हैं उन्हें समय-समय पर उपयुक्त निर्देश दिए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों ने दिनांक 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार, शुद्ध बैंक ऋण का 5% महिलाओं को दिए जाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को वितरित ऋण की राशि, दिनांक 31-3-2007 तक 6596424.77 लाख रुपए थी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का देर से खुलना एवं पहले बंद होना

3438. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के देर से खुलने तथा पहले बंद होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेट्रो स्टेशन पर जन सुविधाएं

3439. श्री रशीद मसूद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेट्रो स्टेशनों पर शौचालयों/प्रसाधनों के न होने के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या डी.एम.आर.सी. ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) लिमिटेड ने बताया है कि निम्नलिखित 13 मैट्रो स्टेशनों को छोड़कर सभी मैट्रो स्टेशनों पर शौचालय उपलब्ध हैं:-

शास्त्री पार्क, पुल बंगश, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, कन्हैया नगर, कश्मीरी गेट (एम), राजीव चौक, पटेल चौक, प्रगति मैदान, विश्व विद्यालय, सिविल लाइन्स, चावड़ी बाजार एवं मंडी हाऊस।

ऊपर दिए गए 13 मैट्रो स्टेशनों में से 9 मेट्रो स्टेशनों यथा शास्त्री पार्क, पुल बंगश, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, कन्हैया नगर, कश्मीरी गेट (एम), राजीव चौक, पटेल चौक एवं प्रगति मैदान पर डी.एम.आर.सी. द्वारा शौचालय बनाने का काम बी.ओ.टी. आधार पर किया जा रहा है। तथापि, इस समस्या का तत्काल समाधान के रूप में डी.एम.आर.सी. द्वारा इन 13 मैट्रो स्टेशनों के स्टाफ को यह निदेश दिया है कि जनता को स्टाफ शौचालयों का उपयोग करने दिया जाए एवं उनकी सुविधा के लिए आवश्यक संकेत चिन्ह लगाए जाएं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्रेडिट कार्डों पर ब्याज में वृद्धि

3440. श्री मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ बैंकों द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ब्याज दरों में मनमाने ढंग से वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को देश में क्रेडिट कार्डधारकों की कुल संख्या तथा गत वर्ष के दौरान इन क्रेडिट कार्डों के माध्यम से हुए कुल लेनदेन के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर 2 जुलाई, 2007 को जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों से कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड देयराशि गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वैयक्तिक ऋणों की प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक अपने आधार मूल उधार दर (बी.पी.एल.आर.) का संदर्भ दिए बिना क्रेडिट कार्ड देयराशि पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों से कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा "वेलकम किट" और मासिक विवरण में क्रेडिट कार्ड पर वार्षिक प्रतिशत दर (ए.पी.आर.), ए.पी.आर. की गणना करने की विधि, विलम्ब भुगतान संबंधी गणना की विधि सहित विलम्ब के लिए भुगतान प्रभार, ब्याज की गणना के लिए बकाया अदत्त राशि को शामिल किए जाने का तरीका दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड देयराशि पर अपना ब्याज दर/सेवा प्रभार निर्धारित करने में पारदर्शिता बनाए रखें और इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों (एम.आई.टी.सी.) में शामिल करें। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है और बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में सतत आधार पर अनुदेश जारी कर रहा है।

(ग) और (घ) देश में, मार्च 2006 और 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार, भारत में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड क्रमशः 164,82,615 तथा 225,07,167 थे और मार्च 2006 एवं 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार इन क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि क्रमशः 14,316 करोड़ रुपए और 20, 994 करोड़ रुपए

थी। 1 जुलाई, 2006 से 30 जून, 2007 तक की अवधि के दौरान इन क्रेडिट कार्डों के जरिए कुल 18,91,87,342 लेन-देन किए गए थे।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सर्वेक्षण

3441. श्री हरिभाऊ जावले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने महाराष्ट्र में बैंक शाखाओं को खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शाखाओं को खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना के तहत महाराष्ट्र में नई शाखाएं खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पहचान किए गए 10 केन्द्रों में से महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में तीन नई शाखाएं पहले ही खोल दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में अवस्थित 22 विस्तार पटलों का उन्नयन करके उन्हें पूर्ण शाखा में बदलने के लिए अनुमोदन भी ले लिया गया है।

सितम्बर, 2005 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा प्राधिकार नीति के तहत शाखाओं को वार्षिक आधार पर अपनी शाखा विस्तार योजना भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने की स्वतंत्रता दी गई है। बैंकों द्वारा आम आदमी को दी गई बैंकिंग सुविधाओं की प्रकृति एवं दायरा, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण की वास्तविक उपलब्धता, वित्तीय समावेशन बढ़ाने की आवश्यकता, उपयुक्त नई सेवाएं शुरू करने तथा बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को ग्रामीण एवं कम सुविधा वाले क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

डी.डी.ए. में पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग समितियां

3442. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में आज की तिथि तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) में कितनी को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग समितियां पंजीकृत हैं;

(ख) कितनी समितियों का कार्य पूरा हो गया है और कितनी समितियों ने अपने सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन कर दिया है;

(ग) क्या इन फ्लैटों के आबंटन में डी.डी.ए. भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने में डी.डी.ए. द्वारा किए गए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि वह सहकारी समूह आवास समितियों का पंजीकरण नहीं करता है।

(ख) 772 (लगभग)

(ग) से (ङ) सहकारी समितियों के पंजीयक के साथ-साथ डी.डी.ए. के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निकाले गए ड्रा के जरिये सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों के फ्लैट आवंटित किए जाते हैं। कब्जा प्रमाणपत्र आदि जारी करने हेतु आगे की कार्रवाई संबंधित समूह आवास समितियों के प्रबंधन द्वारा की जाती है।

छठा वेतन आयोग

3443. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठे वेतन आयोग ने अपने कई कार्यों को आउटसोर्स किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आउटसोर्सिंग के कारण आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। छठे वेतन आयोग ने अपने किसी भी कार्य को आउटसोर्स से नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में सरकारी आवास

3444. श्री एम. अप्पादुरई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली के एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में सरकारी आवासों में बाड़ वाले गेट, तार-गेज शटर लगाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, आबंटियों के अनुरोध पर लागत हिस्सेदारी आधार पर सरकारी क्वार्टरों के चारों ओर लोहे के गेट सहित तारबाड़ लगाने तथा दरवाजों/खिड़कियों के लिए तार गेज शटर लगाने का कार्य किया जा रहा है।

ये परिवर्तन/परिवर्द्धन, धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध ढंग से किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों के लिए कृतिक बल

3445. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जगदीश कपूर की अध्यक्षता में गठित कृतिक बल ने सहकारी बैंकों के लिए सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और इसे सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने हेतु अप्रैल 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के भूतपूर्व उप-गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक कार्यदल नियुक्त किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2000 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सहकारी संस्थाओं को स्वायत्तता, सहकारिताओं पर सरकारी नियंत्रण कम करना, राज्य सरकारों द्वारा मॉडल सहकारी समिति अधिनियम अपनाना, सहकारी ऋण प्रणाली के निचले स्तर का कारगर पर्यवेक्षण शामिल था।

समिति की सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके की गई थी और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2003 तैयार करते समय सिफारिशों के अधार पर आवश्यक उपबंध तैयार किए गए थे। यह विधेयक लोक सभा में पेश किया गया था। तथापि, 13वीं लोक सभा के भंग होने के परिणामस्वरूप यह व्यपगत हो गया।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में एक कार्यदल गठित किया। सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया। पैकेज कार्यान्वित करने के इच्छुक राज्यों को कुछ विधिक एवं संस्थागत सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करने अपेक्षित हैं।

आज की तारीख के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने पैकेज के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड तथा केन्द्रीय सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया है। गोवा, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्यों तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र ने पैकेज के कार्यान्वयन हेतु सहमति दी है।

पुनरुज्जीवन पैकेज में 13,596 करोड़ रुपए का अनुमानित वित्तीय परिव्यय है जिसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सहकारी ऋण संरचना द्वारा पूर्ण राष्ट्र के लिए क्रमशः 68:28:4 के अनुपात में बांटा जाना है। केन्द्रीय सरकार पैकेज के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड को 1425 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुकी है।

[अनुवाद]

हडको के पास लंबित परियोजनाएं

3446. श्री हरिन पाठक: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास तथा शहरी विकास निगम (हडको) के पास वित्तीय सहायता हेतु लंबित पड़ी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के जरिए विकसित किए जाने वाले कस्बों/टाउनशिपों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) के पास लंबित आवासीय और शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

हडको द्वारा वित्तीय सहायता के प्रस्तावों की, प्रचलित दिशानिर्देशों, सुरक्षा तथा प्रभावन मानदंडों के संदर्भ में जांच की जाती है और स्वीकृति से पूर्व विधिक, तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

हडको में पाइपलाइन में योजनाएं 31-08-07 को

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एजेंसी	योजना का नाम	(ऋण राशि)
1	2	3	4	5
	असम			
1.		श्रीनाथ बिल्डर एंड प्राईवेट लिमिटेड	गुवाहाटी में बहुमंजिले वाणिज्यिक काम्प्लेक्स का निर्माण	10.41
2.		मेघामालर एस्टेट एंड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	जटिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग का निर्माण	1.00
3.		तिनसुखिया डेवलपमेंट अथॉरिटी	भूमि अर्जन एवं भूमि विकास योजना	9.68
	बिहार			
1.		मैसर्स/रामनन्दी होटल एंड रिसोर्ट लि. गया	गया में 5 सितारा डीलक्स होटल बुद्ध अरण्य का निर्माण	100.00
2.		मिलिया एजूकेशन ट्रस्ट, पूणे	रामबाग, पुरेनिया में मिलिया कोनवेंट इंगलिश स्कूल का निर्माण	4.00
3.		ईस्ट एंड वेस्ट एजूकेशनल सोसायटी	बेला पुणे में ईस्ट एंड वेस्ट हाईस्कूल के स्कूल भवन एवं होस्टन का निर्माण	0.20
4.		लखन होम्स एंड रिसोर्ट (प्राईवेट), लिमिटेड	आर.पी.एस. मोड, बैली रोड, पटना जगदेव पट, बैली रोड, पटना के निकट लखन सोना अपार्टमेंट का निर्माण	0.75
5.		एक्वाटेक इंजीनियर (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना	बी.एम. दास पटना, में नारायण प्लाजा अपार्टमेंट का निर्माण	1.40
6.		मिलि ट्रस्ट, मधुबनी	इंडियन पब्लिक स्कूल, मधुबनी के लिए होस्टल भवन का निर्माण	2.50

7.	पी. एंड एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लि.	सुगर काम्प्लेक्स एंड जनरेशन पॉवर प्लांट	50.00
छत्तीसगढ़			
1.	आर.के.एम. पावरजैन प्राईवेट लिमिटेड	बिर्रा, जाजगीर, चम्पा, जिला छत्तीसगढ़ में 350 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट	500.00
2.	एम.सी. अभनपुर	अभनपुर में आई.एच.एस.डी.पी. योजना	0.45
3.	एम.सी. कोन्डागांव	कोंडागांव में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना	0.45
4.	एम.सी. कुम्हारी	कुमहारी में आई.डी.एस.एम.टी. योजना	0.65
5.	एम.सी. जगदपुर	जगदलपुर में आई.एच.एस.डी.पी. योजना	1.69
गुजरात			
1.	मैसर्स सत्यापत्या बिल्डकॉन	असरवा, अहमदाबाद, गुजरात में औद्योगिक पार्क पुष्पक इंडस्ट्रीयल पार्क का विकास	56.00
2.	धनलक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	सूरत में वाणिज्यिक काम्प्लेक्स इस्कॉन मॉल का निर्माण	100.00
3.	मैसर्स शासवत होम्स प्राईवेट लिमिटेड	चैम्पूर, अहमदाबाद में रिहायशी टाउनशिप का विकास	100.00
4.	मैसर्स घेलानी बिल्डर्स	सूरत में रिहायशी फ्लैट, जॉली रेजीडेंसी का निर्माण	52.50
5.	मैसर्स राजवी सिसोर्ट एंड होटल एंड प्राईवेट लिमिटेड	गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात में 4 सितारा होटल का निर्माण	25.00
6.	मैसर्स स्मृत्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	अहमदाबाद में रिहायशी फ्लैट स्मृत्य रेजीडेंसी का निर्माण	5.90
7.	मेगा सिटी माल प्राईवेट लिमिटेड	अहमदाबाद में शॉपिंग मॉल सहित मनोरंजन काम्प्लेक्स का निर्माण	7.30
8.	मैसर्स स्वीट होम्स	सूरत में रिहायशी फ्लैट एवं बंगले का निर्माण	11.50
9.	मैसर्स जे.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	गोत्री गांव, बड़ौदा, गुजरात में वाणिज्यिक समुदाय, इस्कॉन मेगामॉल का निर्माण	73.75
10.	मैसर्स आदनी टाउनशिप एंड रीयल एस्टेट को. (ए.टी.आर.ई.सी.ओ.)	अहमदाबाद में शांतीग्राम टाउनशिप परियोजना का विकास	100.00

1	2	3	4	5
	हैदराबाद			
1.		ए.पी.यू.एफ.आई.डी.सी.ओ.	करीमनगर, जैत्याल, कोरतुला, रामगुन्डम एवं हिन्दुपुर के शहरों में जलआपूर्ति सुधार योजनाएं	157.05
2.		ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.	कोठागुन्डम, आन्ध्र प्रदेश में 500 मेगावाट कोयला आधारित बिजली संयंत्र	450.00
3.		खुर्शिदाबाद कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	रोड संख्या 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में कार्यालय भवन का निर्माण	1.52
4.		घरोंदा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स	पदमाराव नगर सिकन्दराबाद में घरोंदा मॉल का निर्माण	2.75
5.		मैसर्स स्पिंग लैण्ड रिसोर्ट लिमिटेड	इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार योजना	2.40
6.		अम्बिका अगरबत्ती एंड अरोमा इंडस्ट्रीयल लिमिटेड	बी.ओ.टी. आधार के अंतर्गत वाणिज्यिक काम्प्लेक्स का निर्माण	7.80
7.		मैसर्स केन्स एन्टरप्राइसिस	श्री नगर कॉलोनी, हैदराबाद में सेवायुक्त अपार्टमेंट का निर्माण	4.00
	हरियाणा			
1.		मैसर्स मैप्सको बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	सोनीपत में मैप्सको गार्डन एस्टेट के कॉमर्शियल मॉल निर्माण एवं भूमि विकास	100.00
2.		मैसर्स एपेक्स बिल्डटैक	सोनीपत में आवास परियाजना एपेक्स ग्रीन के लिए आवधिक ऋण	25.00
3.		मैसर्स ए.जे.एस. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	गन्नौर, सोनीपत में ए.जे.एस. टाउनशिप रिहायशी योजना	50.00
		एरेन्स बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा में एकीकृत आवास एवं वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास	45.00
	जम्मू और कश्मीर			
1.		जे.के.एच.बी.	पुलवाना भूमि अर्जन योजना	17.00

झारखंड			
1.	स्वावलम्बी एजूकेशन ट्रस्ट, पटना	हजारीबाग में स्वामलम्बी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल एंड रिसर्च का निर्माण	16.00
2.	म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची	रांची में स्लॉटर हाउस का निर्माण	17.53
3.	अनुमेहा कन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	विनादिनी एन्क्लेव फेज-II का निर्माण	2.50
4.	मैसर्स इंडियन एजुकेशनल फाउंडेशन	रांची में विद्या मैमोरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी का निर्माण	2.50
5.	आर.के.एस. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	जमशेदपुर में राधा ब्लॉक, हैवन रिवर व्यू एन्क्लेव का निर्माण	2.25
6.	मार्कसमैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड हजारीबाग	हजारी बाग में मार्क्समैन हॉस्पिटल का निर्माण	2.50
7.	लॉर्ड बुद्धा एजूकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट संस्था, पटना	एच.ई.सी. हॉस्पिटल रांची, के अस्पताल भवन का सुधार	25.00
कर्नाटक			
1.	अस्तित्व प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	रेजीडेंशियल अपार्टमेंट योजना के लिए भूमि अर्जन योजना, विकास एवं निर्माण	40.00
2.	मैसर्स एस.एल.एन. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	टवरेकर हाबली बंगलौर साऊथ ताल्लुक के विभिन्न गांवों के के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की ले-आऊट सूचना	100.00
3.	रॉयल ग्रांड होटल प्राईवेट लिमिटेड	51 बोमासन्द्रा गांव, अथबेली होबली, बंगलौर, साऊथ ताल्लुक पर रॉयल ग्रांड होटल का निर्माण	20.00
4.	गोयल रियेलिटी प्राईवेट लिमिटेड	54 बी एवं 55ए, संख्या 64 एवं 66 (पार्ट) इलेक्ट्रॉनिक सिटी, दोदाथोगुर, बेगुर होबली, बंगलौर, साऊथ ताल्लुक पर होटल ऑर्चिड का निर्माण	62.40
5.	ए.डब्ल्यू. डेवलेपर	वी.वी. पुरम, बंगलौर में रिहायशी अपार्टमेंट ए.वी.वी.ए. गोल्ड का निर्मासा	2.75

1	2	3	4	5
6.		मैत्री डेवलपर्स	मैत्री-एक्य रिहायशी अपार्टमेंट	5.00
7.		इनफाईनाईट बिल्डर्स एवं डेवलपर्स	बंगलौर में सिल्वर मनोर रिहायशी अपार्टमेंट का निर्माण	5.70
8.		स्पैक्ट्रर्म रियलटर्स	बंगलौर में अम्बरा रिहायशी अपार्टमेंट का निर्माण	8.50
9.		टेरा-फर्मा बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड	नगर निगम के ठोस कचरे एवं वर्मिकम्पोस्ट का निपटान	10.00
10.		कैनोपी ड्वैलिंग प्राईवेट लिमिटेड	थनेसन्द्रा, बंगलौर में रिहायशी अपार्टमेंट कैनोपी मोनार्क का निर्माण	20.00
	महाराष्ट्र			
1.		मैसर्स हवारे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	वाणिज्यिक परिसर ("सेंचुरियन प्लाजा") नेरूल, नवीन मुम्बई का निर्माण	29.00
2.		मैसर्स कोलटे पाटिल डेवलपर्स	आई.टी. पार्क "टेरा स्पेस" कराडी, पुणे का निर्माण	83.96
3.		सी.डी.एस. टेक पार्क लिमिटेड	एम.आई.डी.सी., वाग्ले इंडस्ट्रीयल स्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र में आई.टी. पार्क	100.00
4.		मैसर्स कृष्णाली रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	"विष्णु प्रिया बिल्ला" बीच रिसोर्ट, गणपति पुणे, जिला रत्नगिरी, महासष्ट्र का निर्माण	24.00
5.		कुकरेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	चैम्बूर हाईट में कुकरेजा रेजिडेंशियल	30.00
6.		मैसर्स एन्टरटेनमेंट वर्ल्ड डेवलपर्स नांदेड प्राईवेट लिमिटेड	नांदेड में शांपिंग माल का विकास	29.00
7.		श्रीगणेश कंस्ट्रक्शन	पिंपल निलख, पुणे में रिहायशी परिसर का निर्माण	12.40
8.		मैसर्स मंत्री चंडक कंस्ट्रक्शन लि.	पुणे में रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता	33.53
9.		सन्नी फिल्डस होटल प्राइवेट लि.	बेलापुर में "के स्टार 2" होटल का निर्माण	25.00
10.		सोनू रियलटर प्राइवेट लिमिटेड	चैम्बूर में "चैम्बूर हाइटस" का निर्माण	25.00
11.		श्री सांईनाथ एन्टरप्राइज	लोधा पैराडाइज फेज-2, ठाणे, महाराष्ट्र के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	100.00

मध्य प्रदेश				
1.		मैसर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जबलपुर लिमिटेड, इंदौर	जबलपुर में मल्टीप्लेक्स/माल प्रोजेक्ट का निर्माण	68.50
2.		एम.पी. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	ए.डी.वी. फंड परियोजना, जबलपुर हेतु वित्तीय सहायता	184.44
3.		फाइव स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लि. इन्दौर	इन्दौर में शॉपिंग माल/मल्टीप्लेक्स का निर्माण	98.00
4.		मैसर्स होरीजॉन काम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर (कालानी ग्रुप)	उज्जैन में मल्टीप्लेक्स/माल प्रोजेक्ट का निर्माण	28.00
5.		मैसर्स खुराना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	बी.ओ.टी. पर नागदा धार एवं धार गुजारी सेक्शन का निर्माण	9.00
6.		डी.बी. माल प्राइवेट लिमिटेड	संजय नगर भोपाल में भास्कर माल का निर्माण	25.00
7.		श्री भुवनेश्वर ई.एन.टी. प्राइवेट लि. इंदौर	इंदौर में वाणिज्यिक परिसर	2.00
8.		मैसर्स ई 2 एवं डी.के. कंस्ट्रक्शन भोपाल	बवाडिया कला, भोपाल में रिहायशी कालोनियों का निर्माण	5.50
9.		मैसर्स एलिकसिर इंफ्रास्ट्रक्चर	करोर एस्क्वयेर, पास रोड, भोपाल के नजदीक एलिकसिर ग्रीन आवासीय योजना	6.00
10.		प्रभातम ग्रुप	भोपाल में आवास एवं वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	85.00
11.		रामनाथ हाउसिंग प्राइवेट लि.	ग्वालियर में एकीकृत टाउनशिप विकास	17.40
नई दिल्ली				
1.		पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्राईवेट लि.	रेहिणी, दिल्ली में वाणिज्यिक परिसर के विकास एवं निर्माण हेतु	100.00
2.		ओंकारा डेव. लिमिटेड एवं जय सियाराम (प्राइवेट) लिमिटेड	सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली में भूमि अर्जन एवं श्री मंगलम पैराडाइज वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	50.00

1	2	3	4	5
3.		ऐसोटेक कंट्रैक्टस (इंडिया) लि.	सेक्टर-44 नोएडा में भूमि की खरीद एवं सेलेस्टे ग्रुप हाउसिंग योजना का निर्माण	65.00
4.		ए.एस. टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लि.	"आईसबर्ग-9 स्क्वेयर माल", वाणिज्यिक परिसर, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली	24.00
	उड़ीसा			
1.		मैसर्स मेकर्स इंडिया (प्राइवेट) लि.	मनगोविन्दपुर, जिला जाजपुर, में कलिंगा नगर आवास परियोजना	6.97
2:		विश्व सेवा संघ ट्रस्ट	नोपाडा जिला देवुगढ में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवधिक ऋण	0.44
	पंजाब			
1.		मैसर्स सिलिकोन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	डेराबस्सी में माल/मल्टीप्लेक्स एवं होटल का निर्माण	250.00
2.		एरेन गोल्ड सोक इंटरनेशनल	अमृतसर में "द सोक" एकीकृत वाणिज्यिक परिसर	100.00
3.		कृति बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड	फिरोजपुर रोड लुधियाना में रिहायशी प्रोजेक्ट	60.00
	राजस्थान			
1.		कामायनी एजेन्सी प्राइवेट लि.	कोटा में सिटी मॉल का निर्माण	24.00
2.		मैसर्स ए.आर.जी. डेवलपर्स प्राइवेट लि.	ए.आर.जी. रोचीज पार्क (वाणिज्यिक परिसर)	15.00
3.		पीयूष कोलोनाइजर लिमिटेड	भिवानी में एकीकृत टाउनशिप	100.00
	तमिलनाडु			
1.		मैसर्स वकील हाऊसिंग डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन प्राइवेट लि.	होसूर टाऊन में वकील होसूर हिल्स आवासीय योजना	60.00
2.		धनलक्ष्मी श्रीवासन चैरीटेबल एंड एजूकेशन ट्रस्ट	पैरमबलूर में इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के लिए ब्वॉय होस्टल बिल्डिंग का निर्माण	20.00

3.	विरगो रियलटर्स प्राइवेट लि.	कोबिलामबक्कम, एम.एम.आर.डी. रोड, चेन्नई में रिहायशी फ्लैटों का विकास	20.00
4.	मैसर्स जैन हाउसिंग	पम्मल कांजीपुरम जिले में रिहायशी प्रोजेक्ट	100.00
उत्तर प्रदेश			
1.	गैंगेटिक डेवलपर्स प्राइवेट लि.	आगरा में माल/मल्टीप्लेक्स/होटल का निर्माण	100.00
2.	यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.	हारद्वा गंज एवं परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण निधिबद्ध हेतु प्रस्ताव	139.16
3.	सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	हापुड बाइपास उत्तर प्रदेश में गार्डन सिटी अपार्टमेन्ट का निर्माण	21.00
4.	मैसर्स निराला डेव. प्राइवेट लि.	इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इडन पार्क-2 ग्रुप हाऊसिंग परियोजना का निर्माण	23.00
5.	मैसर्स के.ए.डी. हाउसिंग प्राइवेट लि.	कौशाम्बी, गाजियाबाद में होटल-सह-मल्टीप्लेक्स का निर्माण	90.00
6.	रतन हाउसिंग डेव. लि.	कानपुर में शॉपिंग माल का निर्माण	6.15
7.	क्रॉसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि.	गाजियाबाद में टाऊनशिप-क्रॉसिंग रिपब्लिक का विकास	250.00
उत्तरांचल			
1.	मैसर्स लोटस इंफ्रा. प्रोजेक्ट (प्राइवेट) लि.	दरिद्वार में माल-सह-मल्टीप्लेक्स का निर्माण एवं विकास	22.00
2.	एसोटेक सुपरटेक (जेवी)	प्लॉट नं. ए-11 ई, पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तरांचल) में द मैट्रोपॉलिस सिटी ग्रुप हाउसिंग परियोजना का क्रियान्वयन	100.00
3.	मैसर्स रामचरण दास एंड कंस्ट्रक्शन	ट्रांसपोर्ट नगर देहरादून में वाणिज्यिक एवं रिहायशी परिसर का निर्माण	1.32
4.	मैसर्स एल.एम.एस. एसोसिएट्स, देहरादून	सेवला खुर्द, देहरादून में रायल दून अपार्टमेन्टस का निर्माण	1.60

1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल			
1.		मैसर्स मर्लिन ग्रुप	राजगंडा, कोलकाता में स्टेडियम आधारित वाणिज्यिक परिसर "ऐक्रोपॉलिस" का निर्माण	81.50
2.		एस.आई.डी.सी.एल.	हलदिया, पश्चिम बंगाल में हाइएण्ड रिहायशी एवं वाणिज्यिक परिसर सहित कानवेंशन एवं खेल सेंटर की स्थापना	98.00
3.		मैसर्स शताब्दी मर्चेन्ट्स प्राइवेट लि. एवं मैसर्स बेतवा टावर्स प्राइवेट	279 ए एन.एस.सी. बॉस रोड, कोलकाता में रिहायशी परिसर एवं वाणिज्यिक प्रोजेक्ट का निर्माण	2.00
4.		श्राची डेवलपर्स	251/1, नगेन्द्र नाथ रोड, कोलकाता में "न्यू श्राची गार्डन" रिहायशी परिसर का निर्माण	10.00
5.		ओबिर्ट टावर्स प्राइवेट लिमिटेड	50 प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता में वाणिज्यिक-सह-रियाहशी परिसर (भूमि अर्जन सहित) का निर्माण	11.35
			कुल योग	5393.50

सौर/हाईड्रोजन आधारित ऊर्जा स्रोतों हेतु कर पुनर्संरचना

3447. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सौर/हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कर छूट/पुनर्संरचना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (योजना एवं समन्वय प्रभाग) से एक बजट-पूर्व ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें घरों में सोलर वाटर हीटरों को लगाने पर आयकर-छूट दिये जाने का प्रस्ताव था। इसमें यह प्रस्तावित था कि करदाताओं द्वारा 15,000 रु. तक (जोकि 2 वर्ग-मीटर कलक्टर एरिया वाले घरेलू सोलर हाट वाटर सिस्टम की अनुमानित कीमत है) के निवेश को एक लाख रुपये की वर्तमान सीमा के तहत बचत माना जाए। इस प्रस्ताव पर पिछले बजट को तैयार करने के दौरान विचार किया गया था तथा इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित लाभ पहले ही दिये जा चुके हैं:-

(i) गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों/प्रणालियों जैसे फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, ब्लैक कन्टीन्यूअसली प्लेटेड सोलर सलेक्टिव कोटिंग शीट्स और फिन्स और ट्यूब्स, कानसेन्ट्रेटिंग एवं पाइप टाईप सोलर कलेक्टर, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर तथा सिस्टम, सोलर एयर हीटिंग सिस्टम, सोलर लो प्रैशर स्टीम सिस्टम, सोलर स्टिल्स एवं डीसैलीनेशन सिस्टम, सोलर थर्मल एवं सोलर फोटोवोल्टेक कन्वरशन पर आधारित सोलर पम्प, सोलर पावर जैनेरेटिंग सिस्टम, सोलर फोटोवोल्टेक मौड्यूल तथा वाटर पम्पिंग तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए पैनल, सोलर क्रॉप ड्रायर तथा सिस्टम, सौर लालटेन तथा सोलर फोटोवोल्टेक सेल (बैटरी) पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।

(ii) वैक्यूम ट्यूब सोलर कलेक्टर्स, कॉनसनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स, सौर ऊर्जा उपस्करों के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक कलेक्टर्स अथवा स्टरलिंग इंजन्स पर प्रति संतुलनकारी शुल्क (सी.वी.डी.) में छूट दी गई है।

(iii) ट्रैकिंग सिस्टम्स, फ्रेसनल लेन्सेस अथवा सन सेनसर्स के लिए लीनियर एकट्यूएटर्स, कन्सनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स के विनिर्माण पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सी.वी.डी.) में छूट दी गई है।

[हिन्दी]

नवीकरणीय ऊर्जा हेतु संस्थान

3448. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में बायो-गैस, बायो-डीजल तथा सौर ऊर्जा हेतु संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित/स्वीकृत की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचार तथा क्षमता विकास इकाइयां

3449. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.एस.सी. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संचार तथा क्षमता विकास इकाइयां (सी.सी.डी.यू.) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पास राज्य-वार कितने प्रस्ताव पड़े हुए हैं; और

(ग) इसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि जारी की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं। अब तक केवल 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचार एवं क्षमता विकास इकाइयां स्थापित की गई हैं। संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सी.सी.डी.यू.) जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार पहलों के लिए राज्य विशिष्ट

सूचना, शिक्षा और संचार कार्यनीति विकसित करने और सभी स्तरों पर कर्मियों की क्षमता का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त राज्य स्तरीय निकाय है।

(ख) त्रिपुरा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है परंतु कोई रिलीज नहीं की गई है क्योंकि प्रस्ताव में सी.सी.डी.यू. की कोई कार्य योजना शामिल नहीं थी। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से उनके राज्य में दूसरी सी.सी.डी.यू. हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अब तक जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निधियां अनुमोदित कार्यकलापों और संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार वार्षिक रूप से रिलीज की जाती हैं।

विवरण

प्रत्येक राज्य को सी.सी.डी.यू. के लिए रिलीज की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	रिलीज की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	409.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.05
3.	असम	204.00
4.	बिहार	91.45
5.	गोवा	34.88
6.	गुजरात	185.00
7.	हिमाचल प्रदेश	92.04
8.	जम्मू-कश्मीर	96.36
9.	कर्नाटक	227.86
10.	केरल	83.24
11.	मध्य प्रदेश	189.81
12.	महाराष्ट्र	84.25
13.	मणिपुर	29.59
14.	मेघालय	57.08
15.	मिजोरम	43.47
16.	नागालैंड	49.10
17.	उड़ीसा	135.01
18.	पंजाब	0
19.	राजस्थान	197.90
20.	सिक्किम	13.89
21.	तमिलनाडु	155.19
22.	पश्चिम बंगाल	18.63
23.	उत्तराखण्ड	0
24.	छत्तीसगढ़	51.73
25.	झारखंड	101.46

[हिन्दी]

झुग्गी-झोंपड़ी का पुनर्वास

3450. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री अनन्त नायक:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्लॉटों की जगह सस्ते फ्लैट आबंटित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि दिनांक 10 अगस्त, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित किए गए फ्लैटों/ आबंटन के लिए प्रस्तावित फ्लैटों का पूरा ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि दिनांक 9-8-2007 को हुई इसकी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों को छोड़कर जिनमें न्यायालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं, भविष्य में पात्र स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए प्लाट आबंटित नहीं किए जाने चाहिए। इसके स्थान पर उन्हें "कम लागत वाले आवास" फ्लैट प्रदान किए जाने चाहिए। इस परिपेक्ष्य में डी.डी.ए. द्वारा "कम लागत वाले आवास" परियोजनाएं/फ्लैटों के निर्माण का कार्य किया जाना है।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को विश्व बैंक ऋण

3451. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

श्री ब्रजेश पाठक:

श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम को कुल कितने डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है; और

(ग) शुरू की गई/शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है तथा प्रत्येक परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1650 करोड़ रुपये) के लिए विश्व बैंक के साथ 2 मई, 2006 को एक ऋण समझौते - पावरग्रिड प्रणाली विकास (पी.एस.डी.पी.-III) पर हस्ताक्षर किए थे (ऋण सं. 4813-आई.एन.) जो दिसंबर, 2006 से प्रभावी है।

विश्व बैंक से प्राप्त इस ऋण से पी.जी.सी.आई.एल. की विभिन्न क्षेत्रीय पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है।

पूर्व में पी.जी.सी.आई.एल. ने जून, 2001 में विश्व बैंक से 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1850 करोड़ रुपये) - ऋण पावरग्रिड प्रणाली विकास परियोजना (पी.एस.डी.पी.)-II, ऋण सं. 4603-आई.एन.) के लिए प्राप्त किया था, जिसे जून, 2006 में बंद कर दिया गया।

(ग) उक्त ऋण के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के ब्यौरे एवं स्थिति विवरण के रूप में बताई गई है।

विवरण

क्र.सं.	प्रणाली का नाम	स्थिति
1.	बाढ़ परियोजना से संबद्ध पारेषण परियोजना	भारत सरकार ने 12 दिसंबर, 2005 को निवेश मंजूरी प्रदान की। एक को छोड़कर सभी पैकेज के लिए कार्य सौंपे गए। परियोजना कार्यान्वयनाधीन है और इसे सितंबर, 2009 तक पूरा किए जाने की आशा है।
(i)	बलिया-भिवाड़ी में बाइपोल कन्वर्टर स्टेशन के साथ बलिया-भिवाड़ी 2500 मेगावाट एच.वी.-डी.सी. बाइपोल	
(ii)	400 के.वी. स्तर पर प्रवाहित सिवनी-बीना 765 के.वी. एस/सी	
(II)	**सीपत-II अनुपूरक परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली**	
(i)	सिवनी-वर्धा-अकोला-औरंगाबाद पारेषण प्रणाली	भारत सरकार ने 24 जून, 2005 को निवेश मंजूरी प्रदान की।

क्र.सं.	प्रणाली का नाम	स्थिति
		परियोजना के अंतर्गत सभी पैकेज के लिए कार्य सौंपे गए हैं। परियोजना कार्यान्वयनाधीन है और इसे जून, 2008 तक चालू किए जाने की आशा है।
(III)	पी.एस.डी.पी.-II ऋण स्पिल ओवर	ऋण के अंतर्गत पी.जी.सी.आई.एल. की टेलीकॉम परियोजनाओं को छोड़कर सभी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। (आरंभिक चरण के अनुसार कार्य पूरे कर लिए गए हैं और अतिरिक्त शेष कार्यों को नवंबर, 07 तक पूरा किए जाने की आशा है।)
(IV)	उत्तर-पश्चिम पारेषण कॉरीडोर सुदृढ़ीकरण योजना (765 के.वी. आगरा-ग्वालियर दूसरी सर्किट कि.मी. तथा 400 के.वी. जेरदा-कांकरोली पारेषण प्रणाली)	पी.जी.सी.आई.एल. ने 23 जनवरी, 2006 को निवेश मंजूरी प्रदान की। परियोजना के अंतर्गत सभी पैकेज के लिए कार्य सौंपे जा चुके हैं तथा क्रियान्वयनाधीन है और परियोजना के जनवरी, 2008 तक पूरा हो जाने की आशा है।
(V)	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-II	भारत सरकार ने 24 जुलाई, 2006 को निवेश मंजूरी प्रदान की। पी.एस.डी.पी.-III ऋण के अंतर्गत शामिल सभी पैकेज हेतु कार्य सौंपे जा चुके हैं।
(VI)	पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम-I	4 अक्तूबर, 2006 को भारत सरकार ने निवेश मंजूरी प्रदान की। पी.एस.डी.पी.-III ऋण के अंतर्गत शामिल सभी पैकेज सौंपे जा चुके हैं। 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बाद के किश्त के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित शेष पैकेजों के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रगति पर है। परियोजना को अक्तूबर, 2009 तक पूरा किए जाने की आशा है।
(VII)	पूर्व-पश्चिम पारेषण कॉरीडोर सुदृढ़ीकरण योजना (400 के.वी. रांची-राउरकेला-रायगढ़-रायपुर लाइन)	भारत सरकार ने 23 जून, 2006 को निवेश मंजूरी प्रदान की। पी.एस.डी.पी.-III ऋण के अंतर्गत शामिल सभी पैकेज के लिए कार्य सौंपे जा चुके हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कायिक निधि

3452. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के उपयोग हेतु एक कार्मिक निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 4.5% वार्षिक रियायती पुनर्वित्त दर पर मौसमी कृषि परिचालनों (एस.ए.ओ.) को वित्तपोषित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त देता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 7% वार्षिक ब्याज दर पर प्रति ऋणकर्ता को 3.00 लाख रुपए तक फसल ऋण संवितरित करने में स्वयं की निधियां लगाने के लिए 2% ब्याज अनुदान प्रदान किए जाने की योजना वर्ष 2007-08 के लिए बढ़ा दी गई है। चूंकि नाबार्ड आर.आर.बी. का रियायती दर पर पुनर्वित्तपोषण कर रहा है और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता दे रही है, इस उद्देश्य हेतु एक पृथक कॉर्पस निधि स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मलिन बस्ती निवासियों का पुनर्वास

3453. श्री अनन्त नायक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास में अत्यधिक देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) स्लम तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्लाटों/भूमि की अनुपलब्धता के कारण पात्र स्लम वासियों के पुनर्बसाव में विलंब हुआ है।

(ग) और (घ) स्लम तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) इस प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध करता रहा है।

पर्याप्त प्लाटों की उपलब्धता की समस्या को देखते हुए, डी.डी.ए. ने 9-8-2007 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि न्यायालय निर्देशों वाले मामलों को छोड़कर भविष्य में पात्र स्लम वासियों को पुनर्वास के लिए प्लाट आबंटित न किए जाएं और इसके बजाए उन्हें बहुमंजिला भवनों में कम लागत वाले फ्लैट मुहैया किए जाएं।

[हिन्दी]

अफीम की खेती करने वाले किसानों को लाइसेंस

3454. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अफीम की खेती करने वाले कुछ किसानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अफीम की खेती करने वाले किसानों ने ऐसे रद्दकरण का विरोध किया है अथवा इसके विरुद्ध प्रतिवेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार अफीम की खेती करने वाले ऐसे किसानों को पुनः लाइसेंस देने का है; और

(छ) यदि हां, तो इन लाइसेंसों के उन्हें कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) फसल वर्ष 2006-07 के दौरान बाराबंकी जिले के पोस्त उत्पादकों से लाइसेंस रद्द करने के विरुद्ध 5 अपीलें प्राप्त हुई हैं। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के अंतर्गत इन सांविधिक अपीलों के अलावा बाराबंकी जिले के संबंध में किसानों से 31 सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक अभ्यावेदन की जांच जिला अफीम अधिकारी द्वारा की गई थी और लाइसेंस की सामान्य शर्तों के प्रावधानों के अनुसार इसे निपटा दिया गया था।

(च) लाइसेंस ऐसे उत्पादकों को जारी किए जाएंगे जो लाइसेंस की सामान्य शर्तों के अनुसार पात्र हैं।

(छ) पात्र उत्पादकों को लाइसेंस फसल बोने के मौसम के पूरा होने के पूर्व जारी किया जाएगा।

[अनुवाद]

सम्पत्ति कर

3455. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सम्पत्ति कर के रूप में कितनी धनराशि संगृहित की गई है; और

(ख) देश में सबसे अमीर सौ व्यक्तियों द्वारा दिए गए कर का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान एकत्र किए गए धन-कर की राशि नीचे दी गयी है:-

वित्त वर्ष	एकत्र किए गए धन-कर की राशि (करोड़ रुपए में)
2005-06	244.78
2006-07	240.79

(ख) अदा किए गए कर सम्बन्धी ब्यौरे की कर निर्धारिती-वार सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

3456. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) को विकसित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार परिवहन, बिजली तथा नागरिक सुविधाओं के संदर्भ में दिल्ली की तर्ज पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एन.सी.आर. हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपर्युक्त धनराशि एन.सी.आर. के विकास के लिए पर्याप्त है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का एन.सी.आर. हेतु बजट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 2) संसद द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की विधान सभाओं की सहमति से प्रवृत किया गया था। अधिनियम, 1985 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनाने हेतु योजना बोर्ड के गठन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग नियंत्रण तथा अवस्थापना के विकास के लिए एक समान नीतियां तैयार करने के लिए इस प्रकार की योजना के कार्यान्वयन के समन्वयन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि इस क्षेत्र में अनियमित विकास और उससे संबंधित और जुड़े हुए मामलों से बचा जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की धारा 7 में निम्नलिखित दो मुख्य कार्यकलापों की व्यवस्था है:-

- क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना और उप क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना योजनाओं की व्यवस्था करना और उनकी तैयारी का समन्वय करना।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं का केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों तथा राजस्व के अन्य स्रोतों से वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उसकी निगरानी करना।

उपर्युक्त कार्यों के अनुसरण में, बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2001 तैयार की जिसे जनवरी, 1989 में अधिसूचित किया गया था। बोर्ड ने महत्वपूर्ण पहलुओं अर्थात परिवहन के लिए कार्यात्मक योजनाएं, विद्युत पर कार्यात्मक योजना, दूरसंचार पर कार्यात्मक योजना और उद्योग पर कार्यात्मक योजना पर भी तैयार की थी। दो भागीदार राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी अपनी-अपनी उप क्षेत्रीय योजनाएं तैयार की थीं। भागीदार राज्यों ने बड़े शहरों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अवस्थापना के विकास के लिए मास्टर प्लान के साथ-साथ विभिन्न परियोजना योजनाएं तैयार की गई हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार की है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा 17-9-2005 को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2021 में केन्द्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

(सी.एन.सी.आर.) तथा शेष एन.सी.आर. के विकास के लिए नीतियां तैयार की गई हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जारी बजटीय अनुदान
2004-05	61.70 करोड़ रुपये
2005-06	70.00 करोड़ रुपये
2006-07	75.00 करोड़ रुपये

(च) से (ज) केन्द्र व राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा केन्द्र और राज्य योजना निधियों तथा साथ ही अन्य राजस्व स्रोतों व सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसी नवीन पद्धतियों के मार्फत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से सहभागी राज्य सरकारों तथा उनकी पैरा स्टेटस एजेंसियों के पास अवस्थापना विकास हेतु उपलब्ध बजटीय और अन्य संसाधनों की ही पूर्ति हो रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड मुख्यतः केन्द्र सरकार से प्राप्त वार्षिक योजना अनुदानों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त वार्षिक अंशदान में से अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक कोष, अर्थात "एन.सी.आर.पी.बी. कोष" के मार्फत ऋणों व ब्याज की वसूलियों द्वारा अपने वित्तीय संस्थानों में वृद्धि करता है। बोर्ड ने वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले भी पूंजी बाजार से धन जुटाया है। इस संबंध में, बोर्ड ने 9वीं योजना के दौरान पूंजी बाजार से 899 करोड़ रु. के बांड जुटाए थे।

सहभागी राज्य सरकारों व उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऋण सहायता की अपेक्षा वाली परियोजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं तथा बुनियादी अवस्थापना विकास, सीवरेज, जल निकासी तथा कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, परिवहन, विद्युत प्रसारण व वितरण, अस्पताल इत्यादि को व्यापक तौर पर शामिल किया गया है। दिनांक 31-3-2007 की स्थिति अनुसार बोर्ड ने 171 परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं, जिनकी अनुमानित लागत 11340 करोड़ रु. है, जिसमें से 3902 करोड़ रु. की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। बोर्ड ने 31-3-2007 तक 2628 करोड़ रु. की ऋण राशि जारी की है। बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जारी कुल ऋण राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जारी ऋण
2004-05	275.72
2005-06	364.95
2006-07	416.46

[हिन्दी]

बौद्धों के विवाह तथा उत्तराधिकार के लिए विधान

3457. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बौद्धों के विवाह तथा उत्तराधिकार हेतु एक पृथक् विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहकारी सोसाइटियों हेतु पुनरुद्धार पैकेज

3458. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने उन सहकारी सोसाइटियों को वित्तीय पुनरुद्धार पैकेज देने से इंकार किया है जिनकी वसूली 30% से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सोसाइटियों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार ने वित्तीय पुनरुज्जीवन पैकेज में सभी समितियां शामिल हैं। पुनरुज्जीवन पैकेज के अनुसार, 50% तथा इससे अधिक की वसूली स्तर वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पी.ए.सी.एस.) तत्काल पूर्ण पूंजीकरण प्राप्त करेंगी जबकि 30% से 50% वसूली स्तर वाली पी.ए.सी.एस. आगामी उत्तरवर्ती वर्ष के प्रारम्भ में तीन वार्षिक अन्तिम किश्तों में, वसूली दर में न्यूनतम दस प्रतिशत बिन्दु की वर्धमान वृद्धि प्राप्त करने के अध्यधीन, वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगी। इसके अतिरिक्त, यदि 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार 30% से कम वसूली स्तर वाली कोई पी.ए.सी.एस. 30 जून, 2007 तक अपनी वसूली में 50% तक सुधार करती है, इसे भी पैकेज के अंतर्गत पात्र पी.ए.सी.एस. के रूप में माना जाएगा। अन्य पी.ए.सी.एस. के लिए, पूंजीकरण अगले उच्चतर चरण अर्थात जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डी.सी.सी.बी.) स्तर पर किया जाएगा।

पैकेज के अनुसार, राज्य सरकारें 30% से कम वसूली स्तर वाली पी.ए.सी.एस. के भावी ढांचे का निर्धारण अर्थक्षमता के आधार पर करने के लिए बाध्य हैं। पैकेज में इस बात पर बल दिया गया है कि सहकारी ऋण समितियां धारणीय आधार पर वित्तीय रूप से अर्थक्षम संस्थाएं तब तक नहीं बन सकतीं जब तक वसूली स्तर में 50% से अधिक का सुधार न हो और आगामी 5 वर्षों में न्यूनतम 85% की वसूली दर प्राप्त न हो।

स्वास्थ्य बीमा पर छूट

3459. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट की सीमा बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80घ के अंतर्गत, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 15000 रु. से बढ़ाकर 20,000 रु. और अन्य सभी मामलों में 10,000 रु. से बढ़ा कर 15,000 रु. कर दी गई है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

3460. श्री श्रीपाद येसो नाईक:

श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोचेम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है जबकि राष्ट्रीय आय में केवल 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) महोदय, एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) के अनुसार जनवरी-मई 2006 और जनवरी-मई 2007 के बीच कुछ आवश्यक वस्तुओं के संबंध में 25 प्रतिशत से अधिक की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि 2006-07 में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

एसोचेम पत्र में उल्लिखित थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मापित 8 वस्तुओं की वर्षानुवर्ष मासिक मुद्रास्फीति, सब्जियों और खाद्य तेल को छोड़कर, सन्तुलित हो गई है, जैसाकि नीचे सारणी में दिखाया गया है:-

सारणी

एसोचेम रिपोर्ट में उल्लिखित चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की मुद्रास्फीति (%)

वस्तुएं	जनवरी-07	फरवरी-07	मार्च-07	अप्रैल-07	मई-07	जून-07	जुलाई-07	18 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार
30-आवश्यक वस्तुएं	5.1	4.2	3.4	3.3	1.7	0.1	2.1	2.9
गेहूं	14.1	11.1	7.2	9.9	8.9	7.6	10.5	7.6
दालें	24.6	21.4	15.3	7.8	3.2	1.6	2.3	1.5
सब्जियां	5.5	17.5	25.1	24.8	25.3	3.9	20.2	25.3
फल	12.8	11.6	9.5	6.5	3.4	8.7	3.7	-1.5
दूध	8.6	7.9	7.6	8.6	7.1	3.9	7.1	9.8
अंडे, मांस और मछली	2.0	6.1	9.3	9.6	10.6	7.4	8.7	7.0
मिर्च-मसाले	34.9	32.1	23.3	19.3	10.8	7.5	10.2	7.2
खाद्य तेल	14.1	14.5	13.8	15.0	14.1	14.2	15.7	12.3

वर्ष 2006-07 (संशोधित अनुमान) में उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (वर्तमान कीमतों पर) में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया जाना

3461. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में सुरक्षा गार्ड

3462. **श्री अशोक अर्गल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों की शाखाओं ने भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्डों के रूप में नियोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बैंकों की विभिन्न शाखाओं में नियोजित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, सामान्य तथा पिछड़े वर्गों के सुरक्षा गार्डों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लाभांश की दर में कटौती

3463. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी बैंकों में लाभांश की दर घटाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 06 अप्रैल, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभांश दर घटाने की प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रयोज्य लाभ की उपलब्धता के अधीन ईक्विटी का न्यूनतम 20% लाभांश या करोत्तर लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, घोषित करना आवश्यक है। बासेल II निर्धारणों की दृष्टि से, बैंकों के लिए न्यूनतम विनियामक आवश्यकता और अपने वृद्धि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूंजी कोष में बढ़ोतरी करना जरूरी है। वित्त मंत्री और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की 19-04-2007 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो बैंक सरकार के दिशानिर्देशों से कम लाभांश घोषित करना चाहते हैं वे ऐसा करने से पहले सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर लें।

धार्मिक संगठनों को आवंटित प्लॉट

3464. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कई धार्मिक संगठनों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने संगठन हैं तथा उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या उन्हें भूमि आवंटित करते समय मानदंडों का पालन किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) यद्यपि भूमि और विकास कार्यालय ने पिछले तीन वर्षों में ऐसा कोई आवंटन नहीं किया है तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चार आवंटन किए हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	क्षेत्र	स्थल	आवंटन की तारीख
1.	गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा	405 वर्ग मी.	मयूर विहार	13-9-04

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	क्षेत्र	स्थल	आवंटन की तारीख
2.	राज योग शिक्षा और अनुसंधान	400 वर्ग मी.	दिलशाद गार्डन	14-2-06
3.	दिल्ली मार्थोमा चर्च	661 वर्ग मी.	द्वारका	16-6-06
4.	मठदिष्ट चर्च	402 वर्ग मी.	रोहिणी	13-7-06

(घ) जी, हां।

टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर्स

3465. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर (टी.आर.पी.) हेतु क्या अर्हता मानदंड विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

(ख) टी.आर.पी. योजना द्वारा कितने कर निर्धारितियों को लाभ हुआ है;

(ग) क्या एक टी.आर.पी. को कोई कमीशन/फीस/प्रोत्साहन दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ माह पहले एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने एक जनहित याचिका दायर कर टी.आर.पी. योजना को यह कहकर चुनौती दी थी कि इसने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए न्यूनतम पात्रता वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी अथवा व्यवसाय प्रबंधन/प्रशासन में स्नातक डिग्री है। राष्ट्रव्यापी नामांकन परीक्षा के माध्यम से चयन के बाद ही जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं थी, को कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया। 60% अंक के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समापन परीक्षा में उत्तीर्ण होना कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में प्रमाणित होने के लिए अनिवार्य था।

(ख) कर विवरणी तैयारकर्ता स्कीम वर्ष 2007-08 में आरंभ हुई है। कर निर्धारिती द्वारा कर विवरणी तैयारकर्ता की सेवाओं का उपयोग किए जाने का पता तब चल सकता है, जब उसकी आय विवरणी प्रोसेस की जाती है।

(ग) और (घ) कर विवरणी तैयारकर्ताओं द्वारा तैयार की गई विवरणियों पर, कर विवरणी तैयारकर्ताओं को किसी नए करदाता की पहले वर्ष की आयकर विवरणी के लिए संग्रहीत कर का 3%, दूसरे वर्ष के लिए 2% और तीसरे वर्ष के लिए 1% भुगतान किया जाएगा। कर विवरणी तैयारकर्ताओं को भुगतान आय कर विभाग द्वारा विवरणियों की प्रोसेसिंग के बाद ही किया जाएगा। एकल आय विवरणी के संबंध में कुल भुगतान 1000 रु. के अधिकतम भुगतान और प्रति विवरणी 250/-रु. के न्यूनतम भुगतान के अधीन है। विद्यमान करदाताओं की विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए, कर विवरणी तैयारकर्ता प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए करदाता से प्रति आय कर विवरणी 250 रु. वसूल सकते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख कार्यवाहियां चल रही हैं तथा मामला न्यायाधीन है।

ग्राउंड/पट्टे के किराए का एकमुश्त भुगतान

3466. श्री अधीर चौधरी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. ने रिहायशी प्लाटों के ग्राउंड/पट्टे के किराए के एकमुश्त भुगतान हेतु कोई उदारीकृत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि रिहायशी भूखण्डों पर ग्राउंड/पट्टे के किराये के एकमुश्त भुगतान की कोई उदारीकृत योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिकों और इंजीमियरों के लिए रामानुजम अध्येतावृत्ति

3467. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में होनहार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों विशेषकर अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को आकृष्ट करने के लिए रामानुजम अध्येतावृत्ति शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है;

(ग) अगस्त, 2005 से इसके लिए कितने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के आवेदन दिए हैं;

(घ) क्या सरकार ने रामानुजम अध्येतावृत्ति को शुरू करने के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकृष्ट करने के लिए कुछ अन्य उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान पद ग्रहण करने के लिए विश्व भर से मेधावी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, विशेष रूप से विदेश से भारत लौटने के इच्छुक वैज्ञानिकों के लिए 'रामानुजम अध्येतावृत्तियां' प्रारंभ की है। इस अध्येतावृत्ति में विज्ञान के सभी क्षेत्र (व्यापक अर्थों में) शामिल हैं। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पांच वर्ष है। ये अध्येतावृत्तियां वैज्ञानिक-विशिष्ट और अत्यंत चयनात्मक हैं। रामानुजन अध्येता देश में वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में से किसी में भी कार्य कर सकते हैं तथा वे भारत सरकार की विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियों की बह्य निधिकरण स्कीमों के माध्यम से नियमित अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस अध्येतावृत्ति की पात्रता निम्नानुसार है: (i) यह अध्येतावृत्ति संपूर्ण विश्व के उन मेधावी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए खुली है जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है; (ii) आवेदक के पास विज्ञान/इंजीनियरी में पी.एच.डी. इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में मास्टर/मेडिसिन में एम.डी., आदि जैसी उच्चतर डिग्री अथवा समकक्ष होनी चाहिए तथा पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए; (iii) ये अध्येतावृत्तियां अत्यंत चयनात्मक हैं तथा इनमें केवल वे ही पात्र हैं जिनका सिद्ध/उत्कृष्ट पूर्ववृत्त हो जैसाकि उनके अनुसंधान प्रकाशनों और मान्यताओं से स्पष्ट होता हो; (iv) उम्मीदवार को चाहे यह अध्येतावृत्ति अथवा अपने वर्तमान पद/अध्येतावृत्ति, यदि कोई हो, चुनना होगा।

रामानुजन अध्येतावृत्तियों में प्रदत्त प्रोत्साहन इस प्रकार हैं: (i) रामानुजम अध्येता के लिए अध्येतावृत्ति की राशि जो अध्येतावृत्ति के पहले तीन वर्षों के लिए 50,000/-रु. प्रति माह है तथा अन्तिम दो वर्षों के दौरान 60,000/-रुपये प्रति माह है; (ii) विदेश में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलनों में उपस्थित होने के लिए प्रति वर्ष एक विदेश यात्रा सहित विभिन्न शैक्षिक व्ययों को पूरा करने के लिए 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुसंधान अनुदान।

(ग) अब तक 53 वैज्ञानिकों ने रामानुजन अध्येतावृत्तियों के लिए आवेदन किया है।

(घ) से (च) प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों की बढ़ती संख्या और उनके विषयों से यह स्पष्ट है कि सरकार इस अध्येतावृत्ति को शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी। सरकार ने विदेश में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत वापस लौटने के लिए प्रेरित करने अथवा देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में वृद्धि हेतु, उनकी वैज्ञानिक सुविज्ञता का उन्नयन करने के लिए कुछ अन्य स्कीमें भी प्रारम्भ की हैं। उदाहरणार्थ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ सहयोगी परियोजनाएं कार्यक्रम (सी.पी.-एस.टी.आई.ओ. कार्यक्रम) जो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अल्प अवधि के लिए भारत आने और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्यकलाप करने में सक्षम बनाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का के.एस. कृष्णन अनुसंधान एसोसिएटशिप जो भारत अथवा विदेश के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की यूनिटों में कैरियर अवसर प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए अपनी प्रतिमा खोज स्कीम के माध्यम से डी.आर.डी.ओ. में विभिन्न ग्रेडों में वैज्ञानिकों के रूप में योग्य और उपयुक्त अनिवासी भारतीयों को उनके अनुभव के आधार पर नियुक्त करता है। जैव

प्रौद्योगिकी विभाग ने भी विश्व के किसी भी भाग में बसे भारतीय मूल के उन वैज्ञानिकों के लिए रामालिंगास्वामी अध्येतावृत्ति प्रारंभ की है जो भारत वापस लौटने और यहां अपना अनुसंधान करने के इच्छुक हैं।

एन.टी.पी.सी. के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

3468. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने अपने ऐसे कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान किया है जिनका वेतन बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अधीन निर्धारित सीमा से ज्यादा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ऐसे भुगतान करने के लिए अनुमति प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) एन.टी.पी.सी. लि. ने बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों को किसी बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया है। तथापि, इन कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान विशेष प्रोत्साहन के लिए खर्चे के रूप में 1369.67 लाख रुपये की धनराशि आंकलित की गई है।

(ग) से (ङ) लोक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 2(49)/98-डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.) दिनांक 25 जून, 1999 में यह निर्धारित किया है कि केंद्रीय लोक उद्यम कार्यनिष्पादन संबंधी भुगतान उद्यम के वितरण योग्य लाभों की 5% सीमा तक कर सकते हैं। तद्नुसार एन.टी.पी.सी. लि. ने अपने बोर्ड के अनुरोध से कार्यनिष्पादन संबंधी भुगतान किया है।

बैंकों में चित्र का प्रदर्शन

3469. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को भारत रत्न डा. भीम राव अंबेडकर के चित्र को प्रदर्शित करने के अनुदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों को लागू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय के दिनांक 08-09-2006 के पत्र संख्या 5-7-2006-एस.सी.टी.(बी) के तहत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उक्त अनुदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

अन्य देशों के लिए मुद्रा का मुद्रण/ढलाई

3470. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी अन्य देश से मुद्रा के मुद्रण और सिक्कों की ढलाई का कोई आदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त विदेशी कार्य से सुरक्षा प्रेस द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार टकसाल (आई.जी.एम.) नोएडा

ने वर्ष 2006-07 के दौरान, रॉयल कनाडा टकसाल के लिए थाइलैंड सरकार के एक बाह्त (Baht) के 450 मिलियन सिक्कों की ढलाई करने का कार्य हाथ में लिया था। अमुद्रित सिक्कों की रॉयल कनाडा टकसाल द्वारा आपूर्ति की गई थी जो गुणवत्ता नियंत्रण, गणना और सिक्के के अन्तरण आदि के लिए भी जिम्मेदार थी।

(ग) उस अवधि के दौरान, जब बाह्त (Baht) सिक्के के लिए आर्डर निष्पादित किया गया था, टकसाल के पास भारतीय रिजर्व बैंक से पर्याप्त आर्डर नहीं थे और टकसाल ने बेकार पड़ी क्षमता और श्रमशक्ति का उपयोग किया। इसमें समयोपरि भत्ते, प्रोत्साहन आदि पर 60.63 लाख रुपए और उपभोज्य वस्तुओं पर 11.23 लाख रुपए के भुगतान के अलावा, धातु, मशीनरी अथवा श्रम शक्ति पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया था। टकसाल ने इस कार्य के लिए 189.20 लाख (1000 सिक्कों के लिए 1 अमरीकी डालर की दर पर) रुपए प्राप्त किए, इस प्रकार बेकार पड़ी क्षमता और श्रम शक्ति का उपयोग करके 117.34 लाख रुपए अर्जित किए।

ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उन्नयन

3471. श्री के.एस. राव:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा क्षेत्र के उन्नयन करने के मद्देनजर नई हरित प्रौद्योगिकी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर कितनी धनराशि का व्यय किए जाने का विचार है; और

(घ) नई प्रौद्योगिकी से ऊर्जा क्षेत्र के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दो दशकों से अधिक समय से एक विस्तृत आधार वाले कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो-ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भवन ऊर्जा, लघु पनबिजली और अन्य उदीयमान अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन और उनका उपयोग शामिल है। अक्षय ऊर्जा स्रोत 'हरित' हैं क्योंकि वे या तो कार्बन-तटस्थ अथवा कार्बन मुक्त हैं। कुछ अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो-ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और लघु पनबिजली के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियां लगभग परिपक्व हो चुकी हैं और वाणिज्यीकरण के आरंभिक चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त एक सीमित पैमाने पर पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए बायो-ईंधन के एक स्वरूप अर्थात् ईथानोल का प्रयोग पहले ही देश में आरंभ कर दिया गया है। तथापि, देश में अन्य उदीयमान अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायो-डीजल, हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियां इस समय अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन के विभिन्न चरणों में हैं।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अनुसंधान एवं विकास के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता के रूप में 1500 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

नवीन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अधिक प्रयोग से जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी, ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन कम होगा और अंततोगत्वा देश को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों से बकाया आयकर वसूल करना

3472. श्री मोहन रावले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने विदेशी कंपनियों को उनके द्वारा दायर की गई विवरणियों और अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर अतिरिक्त आयकर की वसूली के लिए विदेशी कंपनियों को कोई नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके माध्यम से कितनी धनराशि वसूल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों और वैयक्तिक करदाताओं को भी ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनसे कितनी धनराशि वसूल किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) दाखिल की गई विवरणियों और अन्य स्रोतों से एकत्र की गई सूचना के आधार पर निवासी तथा अनिवासी कर निर्धारितियों को नोटिस जारी किए जाते हैं। तत्पश्चात्, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों तथा लागू दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के अनुसार कर-निर्धारण पूरे किए जाते हैं। उन मामलों में जहां अतिरिक्त मांग जारी की जाती है, वहां कानून के अनुसार उसकी वसूली की जाती है।

[अनुवाद]

आयकर अपवंचन की सूचना देने वालों को इनाम

3473. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयकर अपवंचन की सूचना देने वालों को इनाम के तौर पर कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) विभाग के पास सूचना देने वालों को दी जाने वाली बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी प्रणाली के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए और क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा मुखबिरों को इनाम के रूप में बांटी गई राशि के विवरण इस प्रकार हैं:-

	वित्त वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
i.	2004-05	205.17
ii.	2005-06	164.43
iii.	2006-07	230.72

(ख) इनाम के भुगतान को "बकाया" तभी समझा जाता है जब सक्षम प्राधिकारी ने इनाम की राशि का निर्धारण कर लिया हो एवं इसे अभी भी वितरित किया जाना हो। तदनुसार, एक मामले में 1.28 लाख रुपए की राशि बकाया है।

(ग) चूंकि, दिए गए पते पर मुखबिर का पता नहीं चल पा रहा है अतः बकाया राशि को वितरित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) मुखबिरों को इनाम की अदायगी के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मौजूदा दिशानिर्देशों को पर्याप्त समझा गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

3474. डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों को गांवों के लिए समुचित बैंकिंग प्रणाली अंगीकृत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान प्रणाली और अंगीकार की जाने वाली नई प्रणाली में क्या भिन्नताएं हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार, गरीबों और कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के लिए, ग्रामीण केन्द्रों और बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है, ताकि उन्हें बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं के नेटवर्क में लाया जा सके।

वित्तीय समावेशन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थूल दृष्टिकोण का उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली के साथ "लोगों को जोड़ना" न कि केवल ऋण संवितरित करना, भुगतान प्रणाली तक लोगों की पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को अर्थक्षम व्यवसाय मॉडल और अवसर के रूप में प्रस्तुत करना आदि है। परिवर्तित उपायों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अतिरिक्त सुविधा रहित खाते और सामान्य प्रयोजन वाले क्रेडिट कार्ड;

(ii) 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना;

(iii) ऋण संबंधी परामर्श;

(iv) बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि करने के लिए एजेन्टों के रूप में एन.जी.ओ./एस.एच.जी. जैसे मध्यस्थों का प्रयोग;

(v) अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलना आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक की सितम्बर, 2005 में जारी की गई शाखा प्राधिकरण नीति के अंतर्गत, बैंकों को अपनी शाखा विस्तार योजनाएं भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमोदन के लिए वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

वर्ष 2005 की शाखा प्राधिकरण नीति ने समय-समय पर अलग-अलग शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को प्राधिकार प्रदान करने की पूर्व प्रणाली का स्थान ले लिया है। नई प्रणाली के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को समग्र अनुमोदन वार्षिक आधार पर प्रदान करता है।

विद्युत उत्पादन उपकरणों की कमी

3475. श्री कीरेन रिजीजू:

श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन उपकरणों की कमी के कारण देश में कुछ विद्युत परियोनजाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) महत्वपूर्ण उपस्करों की आपूर्ति में विलंब विगत पूर्व में विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में विलंब का एक मुख्य कारण रहा है। चालू वर्ष के लिए 16,335 मे.वा. की प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि में कुल मिलाकर लगभग 4275 मे.वा. की अनेक थर्मल परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें गत वर्ष 2006-07 में चालू किया जाना था, किन्तु जिन्हें चालू नहीं किया जा सका है। उन परियोजनाओं तथा साथ ही वे थर्मल परियोजनाएं, जिन्हें चालू वर्ष 2007-08 में चालू किया जाना निर्धारित था, किन्तु जो महत्वपूर्ण उपस्करों की आपूर्ति में विलंब के कारण अपने आरंभिक निर्धारित समय से पिछड़ गई हैं, के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। इनमें से वर्तमान सूचना के अनुसार रायगढ़ विद्युत परियोजना की एक यूनिट, जिसे आरंभ में वर्तमान वर्ष में चालू किया जाना तय था, को अब अगले वर्ष 2008-09 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) 11वीं योजना के विलंब को रोकने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों के साथ क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की प्रगति की तिमाही समीक्षा की जा रही है। 11वीं योजना तथा इसके आगे उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप विनिर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए विद्युत उत्पादक सी.पी.एस.यू. या केवल निजी कंपनी या संयुक्त उद्यम के जरिए भेल की क्षमता का विस्तार तथा विनिर्माण क्षमता का विकास संभव विकल्प है। इसके अलावा उपस्करों के आयात को भी अनुमति प्राप्त है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), जो सार्वजनिक क्षेत्र में संयंत्रों एवं उपस्करों का एक बड़ा निर्माता है, के कार्य की भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा भेल अपनी क्षमता को दिसंबर, 2007 तक 10,000 मे.वा. तथा दिसंबर, 2009 तक 15,000 मे.वा. बढ़ा रहा है।

विवरण

उत्पादन उपकरणों की कमी के कारण विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का कार्यक्रम		महीनों में प्रत्याशित विलंब
		ठेके के अनुसार	अब प्रत्याशित	
1	2	3	4	5
	केन्द्रीय क्षेत्र			
	एन.टी.पी.सी.			
1.	कहलगांव एस.टी.पी.एस.-II			
	(फेज-I एवं II)			
	यूनिट-6 500	05/2007	09/2007	4
	यूनिट-7 500	03/2007	11/2007	8
	डी.वी.सी.			
2.	मेजिया टी.पी.एस. विस्तार			
	यूनिट-6 250	01/2007	09/2007	8
3.	चंद्रपुरा टी.पी.एस. विस्तार			
	यूनिट-7 250	11/2006	12/2007	13
	यूनिट-8 250	01/2007	03/2008	14
	राज्य क्षेत्र			
4.	जी.एच.टी.पी. यूनिट-II (लेहरा मोहब्बत)			
	यूनिट-3 250	10/2006	08/2007	10
	यूनिट-4 250	01/2007	11/2007	10
5.	धौलपुर सी.सी.पी.पी. (फेज-I)			
	जी.टी.-2 110	07/2006	06/2007	11
	एस.टी. 110	12/2006	10/2007	10
6.	कोरबा पूर्व टी.पी.एस. चरण-V			
	यूनिट-2 250	03/2007	09/2007	6

1	2	3	4	5
7.	कच्छ लिगनाइट विस्तार			
	यूनिट-4 75	07/2006	11/2007	16
8.	रायलसीमा टी.पी.एस.-II			
	यूनिट-4 210	07/2006	09/2007	9
9.	बेल्लारी टी.पी.पी.			
	यूनिट-1 500	12/2006	09/2007	9
10.	संतालडिह टी.पी.एस. विस्तार			
	यूनिट-5 250	01/2007	09/2007	8
11.	सागरदिघी टी.पी.पी.			
	यूनिट-1 300	01/2007	09/2007	8
	यूनिट-2 300	04/2007	11/2007	7
12.	बारकेश्वर टी.पी.एस.-II			
	यूनिट-4 210	03/2007	10/2007	7
	यूनिट-5 210	06/2007	02/2008	8
13.	अमरकंटक टी.पी.एस. विस्तार			
	यूनिट-5 210	02/2007	10/2007	8
14.	दुर्गापुर टी.पी.एस. विस्तार			
	यूनिट-7 300	01/2007	09/2007	8
	निजी क्षेत्र			
15.	ओ.पी. जिंदल (रायगढ़) टी.पी.पी.			
	यूनिट-2 250	06/2007	02/2008	9
	यूनिट-3 250	07/2007	12/2007	5
	यूनिट-4 250	12/2007	04/2008	4

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार

3476. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे अधिक 222 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेश व्यापार सर्विसिंग के लिए

इसका कितना उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 24 अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार [जिनमें स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति (आर.टी.पी.) शामिल है] 229 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर था।

(ख) इस भंडार का प्रयोग विदेश व्यापार शोधन के लिए नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

नाप्था झाखड़ी विद्युत संयंत्र

3477. श्री सूरज सिंह:

श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉवर हाउस में गाद जमा हो जाने के कारण नाप्था झाखड़ी जल विद्युत संयंत्र को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इससे कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इस गाद को शीघ्र से शीघ्र हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2007-08 में नाप्था झाखड़ी विद्युत संयंत्र, सतलुज नदी में अत्यधिक गाद के कारण 7.87 दिन के लिए और जलाशय की आवधिक सफाई के कारण 1.44 दिनों तक के लिए बंद रहा। नदी के जल में गाद का घनत्व 4000 पार्ट्स प्रति मिलियन (पी.पी.एम.) की अनुमत्य सीमा से अधिक होने पर टरबाइन के पानी में डूबे हुए भागों को नुकसान से बचाने के लिए संयंत्र को बंद करना पड़ता है। इसीलिए नदी जल में अत्यधिक गाद और जलाशय फ्लशिंग प्रचालनों के कारण उत्पादन में हानि के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए वर्ष में 16 दिन तक संयंत्र की बंदी हेतु समझौता ज्ञापन में उत्पादन लक्ष्य में एक प्रावधान किया गया है। जलाशय को साफ करना तलछटीय प्रबंधन की एक तकनीकी आवश्यकता है। यदि इन 9.31 दिनों में भी संयंत्र प्रचालन में रहता तो 330.15 मिलियन यूनिट अतिरिक्त ऊर्जा अर्थात 77.67 करोड़ रुपये की बिजली इस अवधि में भी पैदा की जा सकती थी।

(ग) सतलज नदी में भारी गाद तत्व से निपटने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एस.जे.वी.एन.एल.) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

(i) 29.57 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय की एक व्यापक कैचमैंट क्षेत्र ट्रीटमेंट (सी.ए.टी.) योजना का कार्यान्वयन राज्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यान्वयन की अवधि 2002-03 से 10 वर्ष है।

(ii) एस.जे.वी.एन.एल. ने नदी में गाद तत्वों को कम करने के लिए 94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बैंक सुरक्षा और लैंडस्लाइड सुरक्षा कार्यों पर व्यापक प्रयोग किया है तथा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को नवम्बर, 2006 में अवलोकनार्थ तथा अनुमोदन हेतु राज्य वन विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।

(iii) सतलज कैचमेंट के असुरक्षित क्षेत्र के बेस लाइन डाटा/रिकार्डों की तैयारी के लिए, एस.जे.वी.एन.एल. ने "सतलुज बेसिन की व्यापक कैट योजना की तैयारी (भारतीय सीमा के भीतर)" पर एक कार्य सौंपा है ताकि एक विस्तृत जी.आई.एस. और रिमोट सेंसिंग मानचित्र आधारित असुरक्षित इरोजन प्रोन क्षेत्रों, लैंडस्लाइड प्रोन क्षेत्रों, नाले, भू-वैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों आदि की सुझाव के अनुसार समुचित उपचार के लिए चिन्हित किया जा सके। अक्तूबर, 2007 में कार्य पूरा किया जाने की समय सीमा निर्धारित है।

(iv) बांध-धुरी की नदी जल अपस्ट्रीम में भारी मात्रा में गाद गिराने वाले नालों को उपचार हेतु चिन्हित किया गया है तथा इनका उपचार किया जा रहा है।

(v) संयंत्र के जल के नीचे वाले टरबाइन भागों को गाद के लिए एब्रेजन प्रतिरोध को सुधारने के लिए हाईवेलोसिटी आक्सीजन फ्यूज (एच.वी.ओ.एफ.) द्वारा टंगस्टन कारबाइड कोटिंग से कोटेड किया गया है।

(vi) एस.जे.वी.एन.एल. गाद के भार को कम करने के लिए नाप्था बांध पर जलाशय की नियमित सफाई कर रही है।

(vii) बढ़े हुए जलाशय तथा गाद के निपटारे के लिए बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गई है।

[अनुवाद]

विद्युत का आबंटन

3478. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री चन्द्रभान सिंह:
श्री गणेश सिंह:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री कैलाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के विद्युत संयंत्रों के अनाबंटित कोटे में से कुछ राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को आवंटित की जाने वाली विद्युत में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) चूंकि अधिकतर राज्य/संघ शासित क्षेत्र विद्युत कमी का सामना करते रहे हैं इसलिए अनाबंटित विद्युत में से अतिरिक्त आबंटन किए जाने हेतु समय समय पर अधिकांश से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों की अनाबंटित विद्युत सीमित होने के कारण राज्यों के अनुरोध (आकस्मिक, मौसमी) की प्रकृति और उनकी संबंधित विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक संभावित सीमा तक अतिरिक्त आबंटन दूसरे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आबंटन में कमी करके की जाती है।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले

3479. **श्री रामदास आठवले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क अपवंचन के पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) बड़े उत्पाद शुल्क अपवंचन करने वाली कंपनियों के क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क के अपवंचन के पता लगे मामलों का ब्यौरा और उसमें निहित धनराशि को नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	मामलों की सं.	निहित धनराशि (करोड़ रु. में)
2004-05	5073	3428.16
2005-06	4116	2900.38
2006-07	3291	2964.07

(ख) 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि के उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है कि वे लगातार निगरानी रखें और कर अपवंचन प्रयासों के खिलाफ यथोचित उपाय करें।

विवरण

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पता लगने की तारीख	निहित धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स गाडफ्रे फिलिप्स, मुम्बई	जनवरी, 2006	67.55	जारी किया गया कारण बताओ नोटिस न्यायनिर्णयाधीन है।
2.	मेसर्स सहाजानंद टेक्नलाजीज प्रा.लि., वडोदरा	29-09-04	65.17	न्यायाधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी.) ने मूल आदेश को निरस्त कर दिया है और माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करने के प्रस्ताव पर विचार किया जार रहा है।
3.	मैसर्स ओ.एन.जी.सी., सूरत	19-09-05	117.24	मामला विवाद संबंधी समिति के न्यायनिर्णयाधीन है।
4.	मेसर्स टाटा स्टील लि., जमशेदपुर	31-03-05	235.48	सी.ई.एस.टी.ए.टी. के समक्ष अपील न्यायनिर्णयाधीन है।
5.	मेसर्स हिन्दुस्तान कापर लि. जमशेदपुर	26-07-05	53.40	मामला विवाद संबंधी समिति के न्यायनिर्णयाधीन है।
6.	मेसर्स कास्टिंग इंडिया इंक. जमशेदपुर	07-05-06	115.09	अपील उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
7.	जे.एस.डब्ल्यू. स्टील्स लि. तोर्नागल्लू, मैसूर	21-5-06	121.99	अपील सी.ई.एस.टी.ए.टी. के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
8.	मेसर्स बी.पी.सी.एल. पानेवाड़ी. मनमाड	08 [illegible]	119.11	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
9.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., अहमदाबाद	07-04-06	54.92	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
10.	मैसर्स आई.जी.पी.एल., मुम्बई	19-09-05	57.65	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
11.	मैसर्स लोकनाथ प्रसाद गुप्ता, कोलकाता	31-05-05	65.57	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
12.	मैसर्स जिलेट इंडिया लि. बद्दी	16-12-05	52.09	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
13.	मैसर्स बी.पी.सी.एल., शकूरबस्ती, दिल्ली	31-03-05	78.11	मामला विवाद संबंधी समिति के न्यायनिर्णयाधीन है।
14.	मैसर्स आई.ओ.सी. शकूरबस्ती, दिल्ली	06-12-06	62.65	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।
15.	मैसर्स एस्कोर्ट लि., फरीदाबाद	12-07-06	60.18	जारी की गई कारण बताओ नोटिस न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

दिल्ली में विद्युत प्रशुल्क

3480. श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने बी.एस.ई.एस. सहित निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों को दिल्ली में विद्युत प्रशुल्क की पहले से ही मौजूदा उच्च प्रशुल्क दरों को लगभग दोगुना करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एकरूपता लाने और दिल्ली में उच्च प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) वितरण लाइसेंसियों द्वारा चार्ज किए जाने वाले विद्युत टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) का सांविधिक कार्य है। ऐसा करने में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को विद्युत अधिनियम, 2003 में वर्णित उपबंधों द्वारा दिशानिर्देशन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये कारक भी शामिल हैं जो प्रतियोगिता, दक्षता संसाधनों के आर्थिक उपयोग, उपभोक्ता हितों की रक्षा को प्रोत्साहन करेंगे तथा साथ ही उचित तरीके से विद्युत की लागत की वसूली, क्रॉस सब्सिडियों की कमी, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा विनियामक आयोगों से विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत के पश्चात् पारदर्शी तरीके से टैरिफ निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डी.ई.आर.सी.) ने सूचित किया है कि उसने दिल्ली में विद्युत टैरिफ बढ़ाने के लिए बी.एस.ई.एस. सहित वितरण कंपनियों को अनुमति नहीं दी है क्योंकि वितरण कंपनियों से डी.ई.आर.सी. के समक्ष बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों के अंतर्गत अपनी टैरिफ याचिकाएं दायर करने की अपेक्षा की गई है।

परती भूमि का विकास

3481. श्री सुभाष महरिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परती भूमि के विकास हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यान्वित कर रहा है। प्रति वर्ष नये प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्यों से जिलों की प्राथमिकता सूचियां आमंत्रित की जाती हैं। आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत नये प्रस्ताव बंजरभूमि के क्षेत्रफल, बंजरभूमि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता, आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्यों के कार्य-निष्पादन तथा चल रही परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् बजट की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्राथमिकता सूचियों में से स्वीकृत किए जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त वे प्रस्ताव, जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जाता है, रद्द हो जाते हैं। तथापि राज्य इन परियोजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष की प्राथमिकता सूची में शामिल कर सकते हैं। अतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) में शेष रही परियोजनाएं लंबित नहीं हैं।

हरियाली मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए निधियां 15%, 30%, 30%, 15% और 10% की पांच किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त बिना किसी शर्त के नये प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाती है और बाद की किस्तें तभी जारी की जाती हैं जब उपयोग में न लायी गई शेष राशि पहले जारी की गई किस्त की राशि के 50% से अधिक नहीं होती है।

वर्ष 2007-08 के दौरान अभी तक राज्यों से प्राथमिकता सूची आमंत्रित नहीं की गई है। वर्ष 1995-96 से लेकर अभी तक आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 2007-08 तक (03-09-2007 की स्थिति के अनुसार) की अवधि के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	8वीं योजना				9वीं योजना									
		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	2	7830	2	16365	5	61162	6	75077	4	49500	7	87193	10	58785
2.	बिहार	1	1000											1	8000
3.	छत्तीसगढ़	1	11100									4	45570	6	42436
4.	गोवा														
5.	गुजरात			1	812	1	12000	6	70307	6	61500	7	80830	6	37720
6.	हरियाणा	1	5473			2	17211					1	6444	3	21740
7.	हिमाचल प्रदेश					2	24988	2	24918	5	50015	8	97826	7	47110
8.	जम्मू-कश्मीर					1	12500	2	14380					4	30567
9.	झारखण्ड									1	6273	2	12369	1	6037
10.	कर्नाटक					4	48987	5	62017	5	61000			8	55230
11.	केरल	1	10080									2	19471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	महाराष्ट्र					1	9540	3	33128	5	57975	7	84214	4	27275
13.	मध्य प्रदेश			1	532	5	35539	2	22555	11	92934	9	100546	10	60732
14.	उड़ीसा			2	2832	6	62514	6	35941	1	7104	6	46535	9	58555
15.	पंजाब			1	550									3	14181
16.	राजस्थान	1	650	1	686	2	14056	1	9850	8	64683	9	98255	7	42362
17.	तमिलनाडु			1	480	1	5090	1	9058	8	52807	9	8145[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	उत्तर प्रदेश			8	78659	7	80719	7	84452	9	101105	3	2502[illegible]	7	[illegible]
19.	उत्तरांचल					1	12119					4	46[illegible]		[illegible]
20.	पश्चिम बंगाल													1	[illegible]
	योग	7	36133	17	100916	38	396425	41	441683	63	604896	78	832150	97	612830

पूर्वोत्तर राज्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अरुणाचल प्रदेश							1	1500					1	8300
2.	असम					1	6130			3	28149	11	106756	10	58221
3.	मणिपुर					3	18068	3	35900	1	12500			1	8000
4.	मेघालय									2	11011	5	23714		
5.	मिजोरम											7	75208	5	37910

6. नागालैण्ड	1	2500	1	12000	1	12000	2	2500	2	24500	5	61650	5	41030
7. सिक्किम			1	5500	2	17669	1	11900	2	20260	1	10500	2	12177
8. त्रिपुरा													4	19423
योग	1	2500	2	17500	7	53867	7	74300	10	96420	29	277828	28	185061
कुल योग	8	38633	19	118416	45	450292	48	515983	73	701316	107	1109978	125	797891

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य	10वीं योजना										कुल परियोजनाएं	कुल क्षेत्र
		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07			
		परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र	परि. की सं.	क्षेत्र		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	12000	10	60000	10	60000	24	139500	20	121000	102	748412
2.	बिहार			9	45000	8	45000	22	110000	23	112000	65	321000
3.	छत्तीसगढ़			8	40000	9	43576	21	99575	21	102076	70	384333
4.	गोवा			2	10000			2	2920			4	12920
5.	गुजरात			11	57500	9	45000	21	105000	16	80000	84	550669
6.	हरियाणा			4	19882	4	15000	7	26000	4	16500	26	128250
7.	हिमाचल प्रदेश			8	43000	2	15000	21	93592	8	39083	63	435532
8.	जम्मू-कश्मीर			1	5000	4	19000	16	91711	9	45000	37	218158
9.	झारखण्ड			6	33000	4	20000	6	30000	5	28234	25	135913
10.	कर्नाटक	1	6448	9	45000	10	50000	22	113780	22	116714	86	559176
11.	केरल			3	15000			18	75346	5	29091	29	148988
12.	महाराष्ट्र			9	45000	10	50000	14	70000	31	156211	84	533343
13.	मध्य प्रदेश	1	7972	16	87000	14	60000	29	145060	26	151526	124	764396
14.	उड़ीसा			7	38000	9	45000	22	112639	21	108200	89	517320

15.	पंजाब					4	15400	8	31482	1	4245	17	65858
16.	राजस्थान			9	45000	9	45000	21	106986	22	109252	90	536780
17.	तमिलनाडु			11	55000	10	51025	27	134234	10	50730	82	463226
18.	उत्तर प्रदेश			13	65000	13	65000	25	125000	38	193277	130	858783
19.	उत्तरांचल	4	22063	3	16000	6	34400	17	89211	10	51569	51	304526
20.	पश्चिम बंगाल			2	10000	4	13820	11	30053	11	58712	29	118045
	योग	8	48483	141	734382	140	692221	354	1732089	303	1573420	1287	7805628
	पूर्वोत्तर राज्य												
1.	अरुणाचल प्रदेश	8	54171	10	32000	11	72500	35	70000	79	191000	145	429471
2.	असम	15	90432	14	84000	35	175000	23	138000	37	221920	149	908608
3.	मणिपुर	6	44500	5	30000	7	40000	8	49000	9	58000	43	295968
4.	मेघालय			7	28000	7	14000	45	56500	46	88000	112	221225
5.	मिजोरम	5	40685	5	40000	5	40000	17	136000	8	64000	52	433803
6.	नागालैण्ड	7	57250	5	40000	5	40000	5	40500	3	24000	42	380430
7.	सिक्किम			3	18000	4	16455	5	14342	4	21700	25	148503
8.	त्रिपुरा					7	27529	5	25400	6	27971	22	100323
	योग	41	287038	49	272000	81	425484	143	529742	192	696591	590	2918331
	कुल योग	49	335521	190	1006382	221	1117705	497	2261831	495	2270011	1877	10723959

परि. की सं. - परियोजनाओं की संख्या

ग्रामीण ऋण जमा अनुपात

3482. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात में गिरावट का ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निर्माण में गिरावट पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण ऋण-जमा अनुपात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में ऋण जमा अनुपात (सी.डी.आर.) पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार बंद रहा है:-

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	अखिल भारतीय औसत		
	जमाएं	ऋण	ऋण जमा अनुपात %
2005	202062	102089	50.52
2006	215050	122357	56.90
2007	246197	149562	60.75

(ग) और (घ) सामान्यतः ऋण जमा अनुपात में गिरावट से पूंजी निर्माण कुप्रभावित होता है। तथापि, उपर्युक्त बढ़े हुए ऋण जमा अनुपात की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठते।

एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ऋण प्रवाह में वृद्धि

3483. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संवितरित की गई ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में एस.जी.एस.वाई. के लिए बैंकों से ऋण प्रवाह बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति ने ऋण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (31-8-2007 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध जानकारी के अनुसार) के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संवितरित की गई ऋण राशि के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत बैंकों से ऋण की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी। बैंक ऋण जो वर्ष 2005-06 में 1928.70 करोड़ था, वर्ष 2006-07 में बढ़कर 2339.31 करोड़ रु. हो गया है और इस प्रकार इसमें 21.29 प्रतशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार लक्ष्यों के प्रतिशत के रूप में वितरित ऋण में भी बढ़ोत्तरी हुई है और यह 2005-06 में 76.67% से बढ़कर 2006-07 में 81.53% हो गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 7 फरवरी, 2007 को एस.जी. एस.वाई. की केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सी.एल.सी.सी.) की बैठक बुलाई गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। सभी राज्य सरकारों और वाणिज्य बैंकों को एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने की सलाह दी गई थी। इसी प्रकार आर.बी.आई. और नाबार्ड ने वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एस.जी.एस.वाई. की व्यापक निगरानी एवं सहयोग के लिए कॉरपोरेट ऑफिस तथा राज्य स्तर पर एक अधिकारी को पदनामित करने की सलाह दी थी। की गई कार्रवाई से वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान लक्ष्य की तुलना में ऋण की उपलब्धता में अधिक वृद्धि हुई है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण लक्ष्य 2005-06	वितरित ऋण 2005-06	ऋण लक्ष्य 2006-07	वितरित ऋण 2006-07	ऋण लक्ष्य 2007-08	वितरित ऋण 2007-08 (31-08-07 को)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	18178.69	15054.18	14905.21	47173.34	19756.42	5776.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	664.60	134.80	797.49	173.42	1096.56	18.74
3.	असम	17268.44	6000.59	20722.10	8852.49	28492.90	1569.13
4.	बिहार	30280.23	21936.31	35461.96	19892.06	46998.97	935.91
5.	छत्तीसगढ़	6722.14	4963.55	7872.46	7149.58	10437.24	1055.39
6.	गोवा	140.80	95.11	120.01	103.33	165.00	36.81
7.	गुजरात	5589.21	5351.65	8000.00	4863.48	7436.68	799.15
8.	हरियाणा	4330.57	3544.97	3300.82	3829.72	4375.14	788.26
9.	हिमाचल प्रदेश	2244.90	2324.57	1390.10	1625.66	1842.53	233.87
10.	जम्मू-कश्मीर	3113.25	2048.58	1720.44	2166.71	2280.40	54.75
11.	झारखण्ड	11412.77	7632.05	13365.79	6881.34	17720.82	1599.73
12.	कर्नाटक	11766.35	7882.98	11255.54	8515.86	14918.90	838.89
13.	केरल	5279.51	3479.49	5050.31	3929.92	6694.06	205.96
14.	मध्य प्रदेश	16812.83	15301.99	20000.00	18278.98	22367.53	2376.06
15.	महाराष्ट्र	18998.42	11744.66	22249.46	12929.69	722.09	1426.15

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	1157.63	105.50	1389.19	176.90	1910.14	0.00
17.	मेघालय	1296.99	135.88	1556.41	165.39	2140.06	28.52
18.	मिजोरम	300.11	77.23	360.16	67.85	495.22	6.45
19.	नागालैण्ड	889.74	171.67	1067.62	73.90	1467.98	0.00
20.	उड़ीसा	14557.32	10697.45	17048.50	14006.77	22597.28	724.99
21.	पंजाब	1598.04	1315.06	1604.16	2485.71	2126.27	234.79
22.	राजस्थान	8514.22	10302.80	8546.71	12560.49	11328.42	1779.66
23.	सिक्किम	332.28	179.35	398.75	165.15	548.28	68.59
24.	तमिलनाडु	13777.67	14625.13	13179.47	8911.07	17469.02	3967.02
25.	त्रिपुरा	2438.56	1498.12	2508.26	1555.34	3448.86	150.30
26.	उत्तर प्रदेश	40000.00	40658.38	51052.43	41975.47	67662.39	9331.59
27.	उत्तरांचल	3436.29	3197.10	2682.95	2005.84	3562.33	319.15
28.	पश्चिम बंगाल	10000.00	2252.39	18946.01	3161.11	25112.38	766.77
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	90.08	11.44	45.00	13.25	41.25	0.00
30.	दमन और दीव	90.00	0.00	45.00	0.00	41.25	0.00
31.	दादर नगर हवेली	90.00	0.00	45.00	0.00	41.25	0.00
32.	लक्षद्वीप	90.34	3.90	45.00	8.90	41.25	4.77
33.	पांडिचेरी	103.48	142.93	180.00	232.07	247.50	57.07
	कुल	251565.47	192869.79	286912.31	233930.78	345586.38	35154.92

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

3484. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति के संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों के एक समूह की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं, जैवप्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए कोई

प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति तैयार की है। यह कार्यनीति दो वर्ष लंबे राष्ट्रव्यापी परामर्श, अंतरराष्ट्रीय-स्तर पर किए गए विचार विमर्श और समीक्षा तथा चिकित्सा, कृषि, पशुविज्ञान एवं पर्यावरण विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योग, विनियामकों एवं सभी अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर आधारित है। इस कार्यनीति के विभिन्न कार्यों तथा कार्यक्रमों को 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय उपयुक्त रूप से एकीकृत किया गया है जिसमें मानव संसाधन विकास में व्यापक विस्तार, औद्योगिक संवर्धन एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास, विनियामक तंत्र को सुचारू बनाना तथा जैवप्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संस्थानों की स्थापना की संभावनाएं निहित हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी संस्थान एवं राज्यवार प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 11वीं योजना (2007-2012) के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार, जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने भी 11वीं योजना के दौरान निम्न क्षेत्रों में संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना को प्रस्तावित किया है: स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ट्रांसलेशनल अनुसंधान; कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी; स्टैम कोशिका अनुसंधान एवं रिजेनरेटिव मेडिसिन; पशु जैवप्रौद्योगिकी, समुद्री जैवप्रौद्योगिकी एवं आण्विक चिकित्सा।

[हिन्दी]

संवेदी सूचकांक में भारी गिरावट

3485. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किन-किन कंपनियों के खिलाफ शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में भारी गिरावट के संबंध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए जांच की जा रही है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक शेयर बाजार के धराशायी होने में किसी कंपनी को दोषी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान कोई भी कंपनी शेयर बाजार के गिरने के लिए दोषी नहीं पाई गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एल.आई.सी. के प्रबंधन और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा

3486. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम प्रबंधन ने हाल ही में एल.आई.सी., ए.ओ.आई. के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या ऐसे निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या एल.आई.सी. ने केन्द्र सरकार को इन निर्णयों से अवगत करा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि दिनांक 17-07-2007 को भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट्स संघ (एल.आई.सी.ए.ओ.आई.) के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चाएं हुई थीं। चर्चाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, समूह बीमा योजना, ग्रेच्युटी राशि की वृद्धि, कल्याण निधि, भविष्य निधि तथा पेंशन जैसे मुद्दे शामिल थे। एल.आई.सी. ने आगे यह भी सूचित किया है कि चूंकि यह सूचना आदान-प्रदान करने के लिए एक अनौपचारिक बैठक थी, अतः इस में कोई निर्णय नहीं लिए गए।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंकिंग लोकपाल के पास ग्राहक शिकायतें

3487. श्री हरिकेवल प्रसाद:

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले लंबित हैं और अभी तक कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) कितने मामलों में बैंकों के खिलाफ निर्णय दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 में बैंकिंग ओम्बड्समैन कार्यालयों ने 44,766 शिकायतों पर कार्रवाई की थी, जिनमें से 30 जून, 2007 की स्थिति के अनुसार 37,661 शिकायतों का निपटान कर दिया गया था और 7,105 शिकायतें लम्बित थीं।

(ग) और (घ) बैंकिंग ओम्बड्समैन पारस्परिक समझौते द्वारा या बैंक के विरुद्ध अधिनिर्णय देकर शिकायतों का निपटान कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 2006-07 में बैंकिंग ओम्बड्समैन ने केवल 84 मामलों में अधिनिर्णय दिया है। बैंकों के विरुद्ध अधिनिर्णय दिए जाने के मामलों में, बैंक या तो ओम्बड्समैन का अधिनिर्णय स्वीकार कर लेते हैं या यदि वे अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में उच्च न्यायालय पीठ

3488. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखते हुए विजयवाड़ा में एक उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के संबंध में, उस राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तैयार किए गए पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति पर विचार किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम समय के दौरान विद्युत की दरें

3489. डा. चिन्ता मोहन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम समय के दौरान आपूर्ति हेतु बिजली की दरों को भिन्न-भिन्न रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन द्वारा बचाई जाने वाली विद्युत की मात्रा का आकलन करने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार करने से पहले कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) वितरण लाइसेंसियों द्वारा फुटकर बिक्री हेतु चार्ज किए जाने वाले टैरिफ को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम की धारा 62 (3) व्यवस्था करती है कि आयोग, अधिनियम के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित करते समय, उस समय पर जबकि आपूर्ति अपेक्षित है, के अनुसार, अन्य बातों के साथ अंतर कर सकते हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य स्तर पर, 15 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.आई.आर.सी.) (असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा,

तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र के राज्यों में) ने विशेष रूप से अधिक चिंता करने वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम आफ डे (टी.ओ.डी.) टैरिफ शुरू किया है।

लंबित मामले

3490. चौ. मुनव्वर हसन:
श्री अजीत जोगी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दस से लेकर पंद्रह वर्षों से अधिक समय से राज्यवार कितने सिविल और आपराधिक मामले लंबित हैं; और

(ख) इन लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जिसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। उच्च न्यायालयों में दस वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल और दांडिक मामलों को, जिसे केंद्रीयकृत रूप में मानीटर किया जाता है, उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार, उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों सहित मामलों के निपटान को सुकर बनाने के विचार से, प्रत्येक तीन वर्ष में न्यायाधीश पदसंख्या का (उच्च न्यायालयों में) पुनर्विलोकन करती है और रिक्तियों का शीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करती है, जिससे कि न्याय प्रशासन पर न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण प्रभाव न पड़े। न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए भी उपाय किए गए हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की अवधि-वार संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले	निम्नलिखित तारीख को
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	328736	31-12-06
2.	आंध्र प्रदेश	5018	31-3-07
3.	बम्बई	23122	31-3-07
4.	कलकत्ता	90315	31-12-06
5.	दिल्ली	7778	31-3-07
6.	गुजरात	15121	31-12-05
7.	गुवाहाटी	1	31-12-06
8.	हिमाचल प्रदेश	18	31-6-07
9.	जम्मू-कश्मीर	210	31-3-07

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	166	31-3-07
11.	केरल	1696	31-12-06
12.	मद्रास	7752	31-3-07
13.	मध्य प्रदेश	7374	30-6-07
14.	उड़ीसा	22009	30-6-07
15.	पटना	17250	31-12-06
16.	पंजाब और हरियाणा	68114	30-6-07
17.	राजस्थान	21750	31-3-07
18.	सिक्किम	0	30-6-07
19.	उत्तरांचल	4477	31-12-06
20.	झारखण्ड	प्राप्त नहीं	
21.	छत्तीसगढ	5642	31-7-07

उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार।

[अनुवाद]

केरल में नोटरी

3491. श्री पी.सी. थामस: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से नोटरियों की संख्या में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) जी हां। केरल राज्य सरकार के पूर्व अनुरोधों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों के कोटे को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006 के द्वारा 375 से बढ़ाकर 563 कर दिया गया था। तथापि, कोटे में इस वृद्धि के पश्चात्, केरल राज्य सरकार ने अपने तारीख 17-06-2006 के पत्र द्वारा केरल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों के कोटे को और बढ़ाकर 1000 करने का अनुरोध किया है। केरल राज्य के विधि मंत्री ने भी 27-11-2006 और 7-6-2007 को इस संबंध में केंद्रीय सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार को आर.बी.आई. से ऋण

3492. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) का सरकार पर ऋण भार और बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार अस्थायी नकद प्रवाह असंतुलनों

को पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यू.एम.ए.) के जरिए उधार लेती है। डब्ल्यू.एम.ए. हेतु सीमाओं का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से किया जाता है। चालू वर्ष 2007-08 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर) के लिए 20,000 करोड़ रुपए और दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए की डब्ल्यू.एम.ए. सीमा तय की गई है। डब्ल्यू.एम.ए. सीमाओं से अधिक लिए गए उधारों को ओवरड्राफ्ट (ओडी) माना जाता है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान डब्ल्यू.एम.ए./ओडी के संबंध में किए गए ब्याज का भुगतान क्रमशः 0.21 करोड़ रुपए और 26.24 करोड़ रुपए था। इस संबंध में वर्ष 2007-08 का बजट अनुमान 150.00 करोड़ रुपए है।

न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग

3493. श्री संतोष गंगवार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा गवाहों के साक्ष्य की रिकार्डिंग करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से आपराधिक मामलों में उक्त साक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र दर्ज करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (घ) तारीख 23 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में पुरःस्थापित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 में धारा 164 की उपधारा (1) के विद्यमान परंतुक को एक अन्य परंतुक से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक माध्यमों से उक्त उपधारा के अधीन अपराध की किसी स्वीकारोक्ति या कथन को लेखबद्ध करने का उपबंध किया जा सके।

शून्य शेष योजना के अंतर्गत खाते खोला जाना

3494. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ बैंकों द्वारा शून्य शेष योजना के अंतर्गत खातों को न खोले जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) शून्य शेष खातों की विशेष योजना के तहत दिनांक 31-03-2007 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्य बैंकों द्वारा खोले गये "अतिरिक्त सुविधा रहित" खातों की कुल संख्या 67,22,335 है। भारतीय रिजर्व बैंक को जमा-खातों में परिचालनों से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं। तथापि, शून्य शेष योजना (अतिरिक्त सुविधा रहित खाते) शुरू करने से संबंधित शिकायतें हैं अथवा नहीं, इस संबंध में विशेष रूप से सूचना नहीं रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सभी बैंकों में शून्य शेष योजना के तहत खाते खोलने से इंकार करने से संबंधित शिकायतों सहित ग्राहकों की सभी शिकायतों को दूर करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था है। इस संबंध में बैंकों को समय-समय पर कई अनुदेश जारी किए गये हैं। किसी भी ग्राहक की ऐसी वास्तविक शिकायत, जिसे शून्य शेष योजना के तहत शामिल किया जा सकता है, पर संबंधित बैंक द्वारा कार्रवाई की जाती है।

एन.पी.ए. में बढ़ोतरी

3495. श्री मित्रसेन यादव:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नैशनल बैंक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 3.88% से घटकर, 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 2.92% रह गई। पंजाब नैशनल बैंक की सकल एन.पी.ए.

भी इस अवधि के दौरान 4.10% से घटकर 3.45% रह गई।

[अनुवाद]

दिल्ली में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3496. **श्री रशीद मसूद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने दिल्ली में पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दरारें

3497. **श्री मोहन सिंह:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा उत्तराखण्ड के कुछ क्षेत्रों में लम्बी दरारें उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों के किसी दल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से हमीरपुर जिले में, तथा उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ क्षेत्र में भी दरारें आ गई हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले की तहसील मौधा में लगभग 800 मीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरार आ गई है। उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ क्षेत्र स्थित नीलकंठ पर्वत पर दरारें आने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के बुंदलेखण्ड क्षेत्र में आई दरारों का अध्ययन करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (उत्तरी क्षेत्र) के लखनऊ स्थित कार्यालय के वैज्ञानिकों का तीन सदस्यीय दल गठित किया गया है और यह दल दिनांक 05-09-2007 को प्राभावित क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए रवाना हो चुका है।

अन्तरराज्यीय विद्युत विवाद

3498. **श्री श्रीचन्द कृपलानी:**

श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा इससे उत्पन्न विद्युत के बटवारे पर राज्यों के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विवादों को निपटाने के लिए किसी आयोग अथवा किसी अधिकार प्राप्त प्राधिकरण का गठन किया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार कुल 7181 मे.वा. अधिष्ठापित क्षमता वाली 33 जल विद्युत स्कीमें इन परियोजनाओं से लागत व लाभों में हिस्सेदारी संबंधी विवादों समेत अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान न होने के कारण ठप्प पड़ी है। इन स्कीमों का ब्यौरा और विवादों की प्रकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार अंतरराज्यीय जल विवादों को निम्न के जरिए सुलझाया जाता है:-

(i) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अंतरराज्यीय मामलों संबंधी स्थायी समिति।

(ii) जल विवाद अधिकरण द्वारा निर्णय।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एन.डब्ल्यू.आर.सी.) ने राज्यों द्वारा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गये मुद्दों पर विचार करने और मुद्दों के समाधान हेतु किये जाने वाले उपाय सुझाने के लिए एन.डब्ल्यू.आर.सी. से सदस्यों को सम्मिलित करके अप्रैल, 1990 में एक अंतराज्यीय मुद्दों संबंधी

स्थाई समिति गठित की है। यदि केन्द्रीय सरकार इस बात में संतुष्ट हो जाये कि विवाद का निपटान समझौता वार्ता से हो सकता है तो इसे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के प्रा धानों के तहत किसी अधिकरण को भेजा जाता है। अभी तक उपरोक्त अधिनियम के तहत छः अधिकरण निम्नानुसार गठित किये गये है:-

क्र. सं.	नदी (राज्य)	गठन होने की तारीख	कार्य सौंपने की तारीख
1.	कृष्णा (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक)	अप्रैल, 1969	मई, 1976
2.	गोदावरी (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा)	अप्रैल, 1969	जुलाई, 1980
3.	नर्मदा (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र	अक्तूबर 1969	दिसम्बर, 1979
4.	रावी और ब्यास (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान)	अप्रैल 1986	1987 में अंतरिम रिपोर्ट दी गई
5.	कावेरी (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी)	जून, 1990	रिपोर्ट फरवरी, 2007 में दी गई। पक्षकार राज्यों ने दिनांक 5-2-2007 के सी.डब्लू.डी.टी. के कथित निर्णय के खिलाफ एस.एल.पी. उच्चतम न्यायालय के सम्मुख दायर की है और मामला निर्माणाधीन है।
6.	कृष्णा (दूसरा ट्रिब्यूनल)	अप्रैल, 2004	–

विवरण

अंतरराज्यीय विवादों वाले जल विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता मेगावाट में	विवाद का स्वरूप
1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
1.	रेनुका बांध 2x20) हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश	दिल्ली सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच लागत विभाजन एवं विद्युत के हिस्से का आपसी रूप से अंतिम निर्धारण हो जाने तक जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति को स्थगित कर दिया गया है।

1	2	3
पंजाब		
2.	सतलुज यमुना लिंक नहर (2x18+2x7=50 मेगावाट) -पंजाब (राज्य क्षेत्र में) पंजाब बनाम हरियाणा और राजस्थान	हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने अपने विद्युत हिस्से पर आपत्ति प्रकट की है क्योंकि इसे अंतर्गत तीनों राज्यों, यथा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जल का उपयोग किया जाना परिकल्पित है।
उत्तराखंड		
3.	किशाऊ बांध एम.पी.पी. (4x150 मेगावाट) उत्तराखंड बनाम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान	परियोजना की लागत के बंटवारे पर बेसिन राज्यों के बीच कोई समझौते नहीं हुआ है। साथ ही उत्तराखंड/उत्तर प्रदेश/हिमाचल प्रदेश ने भी लाभों के बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं दी है।
4.	लखवर व्यासी (3x100+2x60 मेगावाट) उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली	परियोजना की लागत को विद्युत उत्पादन के अलावा सिंचाई एवं पेयजल घटक के रूप में शामिल किया जाना है और स्टेकहोल्डर राज्यों के बीच मामला अभी भी सुलझा नहीं है।
उत्तर प्रदेश		
5.	पंचनाद एम.पी.पी. (6x15=90 मेगावाट) - उत्तर प्रदेश (राज्य क्षेत्र में) उत्तर प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान	परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान में जलमग्नता शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जलमग्नता एवं पुनर्वास पर एक अंतर-राज्यीय समझौता नहीं हुआ है।
छत्तीसगढ़		
6.	मतनार (3x20=60 मेगावाट) - छत्तीगढ़ (राज्य क्षेत्र में) छत्तीसगढ़ बनाम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश	छत्तीगढ़ (पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश) और उड़ीसा ने 11 जुलाई, 1979 को इंद्रावती नदी के जल का विभाजन करने के लिए एक अंतः-राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सहमति नहीं आई है।
गोवा		
7.	दूधसागर (2x15=30 मेगावाट) - गोवा (राज्य क्षेत्र में) गोवा बनाम कर्नाटक	परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक में जलमग्नता शामिल है। कर्नाटक की सहमति नहीं आई है।
महाराष्ट्र		
8.	भिवपुरी (1x90 मेगावाट) - महाराष्ट्र (निजी क्षेत्र में) महाराष्ट्र बनाम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	परियोजना के अंतर्गत कृष्णा नदी के वेस्टवार्ड डाइवर्जन के संबंध में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अंतःराज्यीय पहलुओं का समाधान शामिल है।

1	2	3
मध्य प्रदेश		
9.	केन (2x15+2x10=50 मेगावाट) - मध्य प्रदेश (राज्य क्षेत्र में) मध्य प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच परियोजना स्थल का उत्पादन लाभ तथा परियोजना के अपस्ट्रीम एवं डाऊनस्ट्रीम जल के विभाजन पर सहमति हो गई है। दोनों राज्यों में केन बहुउदेशीय परियोजना तथा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी प्रस्ताव के लिए डी.पी.आर. तैयार करने पर सहमति दे दी है ताकि केन के अधिशेष जल को राजघाट बांध के बेतवा अपस्ट्रीम में अंतरण हो सके।
10.	ओरछा एम.पी.पी. (2x30+2x15) मध्य प्रदेश बनाम उत्तर प्रदेश	अंतःराज्यीय पहलुओं में मुख्यतः जलाशय के अंतर्गत जलमग्नता तथा ओरछा के बीच के जल का विभाजन शामिल है। परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच अंतःराज्यीय पहलुओं का समाधान किया जाना है।
आंध्र प्रदेश		
11.	इंचमपल्ली एम.पी.पी. (13x75=मेगावाट) आंध्र प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र	मामले के अंतर्गत विद्युत लाभों का विभाजन तथा सिंचाई का उपयोग शामिल है। मामले के समाधान के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जून, 2000 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विद्युत लाभ तथा सिंचाई उपयोग विभाजन का समाधाम करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। उच्चस्तरीय समिति अंत-राज्यीय मामलों के समाधान नहीं कर सकी।
12.	पोलावरम (12x80 मेगावाट) आंध्र प्रदेश बनाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा	मामले के अंतर्गत विद्युत लाभों का विभाजन तथा सिंचाई का उपयोग शामिल है। मामले के समाधान के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जून, 2000 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विद्युत लाभ तथा सिंचाई उपयोग विभाजन का समाधान करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। उच्चस्तरीय समिति अंत-राज्यीय मामलों का समाधान नहीं कर सकी।
कर्नाटक		
13.	काबिनी (1x20 मे.वा.) के.टी.के. कर्नाटक बनाम केरल, तमिलनाडु	जलमग्नता हेतु सहमति तथा बेसिन राज्यों के जल के अपस्ट्रीम उपयोग पर समझौता अभी नहीं हुआ है।
14.	महादायी (2x10+2x150) कर्नाटक बनाम गोवा	महादायी नदी से मलप्रभा नदी (कृष्णा बेसिन) तक जल को मोड़ने तथा विद्युत उत्पादन के लिए कर्नाटक द्वारा जल को रोकने के लिए कर्नाटक और गोवा के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
15.	काटला एण्ड पालना डिविजन (अगस्त स्कीम) कर्नाटक कर्नाटक बनाम गोवा	कालीनदी में बिजली बढ़ाने के लिए कालीनदी बेसिन प्रस्तावित कटला और पलना स्ट्रीम के जल का मुड़ाव/कर्नाटक और गोवा के बीच एक करार पर हस्ताक्षर होने हैं।
16.	बृंदावन (2x6 मे.वा.) कर्नाटक कर्नाटक बनाम तमिलनाडु	तमिलनाडु ने कर्नाटक द्वारा जल के उपयोगात्मक प्रयोग पर आपत्ति उठाई।

1	2	3
17.	शिवसमुद्रम (2x135 मे.वा.) कर्नाटक कर्नाटक बनाम तमिलनाडु, केरल	परियोजना कावेरी बेसिन में स्थापित की और जल की हिस्सेदारी के प्रश्न पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) द्वारा विचार किया जा रहा था। सी.बी.डब्ल्यू.डी.टी. ने राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पक्षकारी राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष।
18.	मेकादातू (2 x 180 मे.वा.) कर्नाटक कर्नाटक बनाम तमिलनाडु, केरल	-तदैव-
	केरल	
19.	पाम्बर (2x15 मे.वा.) केरल केरल बनाम तमिलनाडु, कर्नाटक	विद्युत घर कोल और तमिलनाडु सीमाओं पर केरल में स्थापित है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अभी करार होना है। कुछ परियोजना क्षेत्र चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाग घोषित कर दिया गए हैं।
20.	कुटियाडी संवर्धन (अतिरिक्त विस्तार) (2x50 मे.वा.) केरल केरल बनाम तमिलनाडु, कर्नाटक	योजना के लिए अतिरिक्त जल को निकट के बेसिन के करनाथोडु जलाशय से मोड़े जाने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ विवाद का निपटारा अभी किया जाना है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि परियोजना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है।
21.	मनाथावाडी (एम.पी.पी.) (4x60 मे.वा.) केरल केरल बनाम तमिलनाडु, कर्नाटक	योजना में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए जल का पश्चिम की ओर मुड़ाव शामिल है जिसके लिए कर्नाटक और तमिलनाडु को आपत्ति है।
22.	केरल भवानी (3x50 मे.वा.) - केरल केरल बनाम तमिलनाडु, कर्नाटक	योजना में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिम में बहने वाली भारतपुजा नदी बेसिन में जल को ट्रांस बेसिन मुड़ाव शामिल है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच करार अभी होना है।
23.	पांडियार पुन्नापुझा टेलरेस (2x35 मे.वा.) केरल केरल बनाम तमिलनाडु	तमिलनाडु ने विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल का पूर्व की ओर मुड़ाव प्रस्तावित किया। केरल इसके लिए सहमत नहीं हो रहा है क्योंकि टेलरेस परियोजना पर प्रभाव पड़ेगा।
	तमिलनाडु	
24.	नेल्लीथोरई (1x50 मेगावाट) - तमिलनाडु तमिलनाडु बनाम केरल	भवानी नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल के पश्चिम मुड़ाव के कारण प्रभाव पड़ा। केरल सरकार द्वारा आपत्ति उठाई गई।
25.	पांडियार पुन्नापुजा (2x50 मे.वा.) तमिलनाडु तमिलनाडु बनाम केरल	तमिलनाडु ने विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए जल का पूर्व की ओर मुड़ाव प्रस्तावित किया। केरल इसके लिए सहमत नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें टेलरेस परियोजना पर प्रभाव पड़ेगा।
26.	षणमुघंडी (1x30 मेगावाट) तमिलनाडु तमिलनाडु बनाम कर्नाटक	कावेरी बेसिन में स्थापित है। सी.डब्ल्यू.डी.टी. बेसिन राज्यों के विवादों को देख रही थी। सी.डब्ल्यू.डी.टी. ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन हेतु फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पक्षकार राज्यों ने

1	2	3
		माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सी.पी.डब्ल्यू.डी.टी. के उक्त निर्णय के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर की है और मामला इस समय विचाराधीन है।
27.	भवानी कटलाई (3x2x15 मे.वा. तमिलनाडु) तमिलनाडु बनाम कर्नाटक	परियोजना में मेत्तूर बांध से निकासियों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद अभी निपटाया जाना है। हालांकि, यह सूचित किया गया है कि परियोजना को राज्य सरकार द्वारा निर्माण हेतु लिया गया है।
28.	कावेरी पावर प्रोजेक्ट (होगेनक्कल व रासीमनाल) (5x50+6x100 मेगावाट) तमिलनाडु तमिलनाडु बनाम कर्नाटक, केरल	कर्नाटक और तमिलनाडु में जलमग्नता शामिल है। कावेरी बेसिन में स्थापित है। सी.डब्ल्यू.डी.टी. बेसिन राज्यों के जल विवादों को देख रही थी। सी.बी.डब्ल्यू.टी. ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वियन के लिए फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पक्षकार राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सी.डब्ल्यू.डी.टी. के उक्त निर्णय के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर की है ओर मामला इस समय विचाराधीन है।
29.	चोलाटी पुजा (1x60 मेगावाट) तमिलनाडु तमिलनाडु बनाम केरल	तमिलनाडु में बांध और विद्युत सुरंग/केरल में सर्जशाफ्ट और विद्युत गृह/लागत एवं लाभ समान रूप से बांटा जाएगा। तमिलनाडु और केरल के बीच करार नहीं हो रहा है।
उड़ीसा		
30.	सिंडोल (5x20+5x20+6x20) उड़ीसा उड़ीसा बनाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र	महानदी पर स्थापित है। अपस्ट्रीम राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है। परियोजना हीराकुंड जलाशय से निकासियों पर निर्भर करती है। स्टेकहोल्डर राज्यों के बीच कोई करार नहीं हुआ है।
31.	हीराकुंड "बी" (4x52 मेगावाट+4x50 मेगावाट) उड़ीसा उड़ीसा बनाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र	महानदी पर स्थापित है। अपस्ट्रीम राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता है। जल और निर्धारित विद्युत की उपलब्धता अपस्ट्रीम सिंचाई विकास के कारण कठोरता से कम हो जाएगी। स्टेकहोल्डर राज्यों के बीच कोई करार नहीं हुआ है।
झारखंड		
32.	संख चरण-II (2x90+2x3 मेगावाट) झारखंड झारखंड बनाम मध्य प्रदेश, उड़ीसा	परियोजना की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा की स्वीकृति की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार (पूर्व बिहार) के बीच औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
असम		
33.	कारबी लांग्पी (अपर बोरपानी) 2x30 - असम असम-मेघालय	बांध मेघालय में स्थापित है तथा मेघालय में जलमग्नता शामिल है। विद्युत गृह असम में स्थापित है। जल के उपयोग के लिए मेघालय की सहमति की आवश्यकता है जो कि प्राप्त नहीं हो रही है।
	कुल (33 स्कीमें)	7181 मेगावाट

[अनुवाद]

तालुक स्तर पर कृषि बैंकों की स्थापना

3499. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के लाभ के लिए प्रत्येक तालुक में एक कृषि बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता जो वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपये थी, सतत् रूप से बढ़ते हुए, वर्ष 2006-07 में 2,03,296 करोड़ रुपये (अनंतिम आंकड़े) हो गई। इसके अलावा, अब तक की स्थिति के अनुसार, 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (14519 शाखाएं), 31 राज्य सहकारी बैंक (910 शाखाएं), 366 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (12613 शाखाएं), 1,06,384 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, 20 राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (865 शाखाएं) और 696 प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक (1287 शाखाएं) हैं। ये शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं और किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए समर्पित हैं। इसलिए, प्रत्येक तालुक में एक कृषि बैंक खोलने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन करने के लिए संस्थान की स्थापना

3500. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल वार्मिंग/जलवायु परिवर्तन आदि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 1 जून, 2007 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गहन चर्चा के लिए आयोजित की गई बैठक में जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रहे विशेषज्ञों और सभी संबद्ध मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में की गई चर्चा के आधार पर जलवायु परिवर्तन, जैसे, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र; एशियन ब्राउन क्लाउड (ए.बी.सी.), से जुड़े सभी संबद्ध वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर समन्वित रूप से अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम के भाग के रूप में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का न्यून विवरण

3501. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले कुछ वर्षों से यूको बैंक अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का न्यून विवरण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को यूको बैंक के, 31 मार्च 2005 तक की और 31 मार्च 2006 तक की स्थिति के संदर्भ में किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (ए.एफ.आई.) के दौरान कुछ ऋण खातों के संबंध में आस्तियों के वर्गीकरण में विचलन की जानकारी मिली थी, जो बैंक की सकल अनुपयोज्य आस्तियों का क्रमशः करीब 4.78% और 3.61% था।

(ग) से (ङ) बैंक के कार्यकलाप में पायी गयी खामियों को दूर करने के लिए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट के ब्यौरे के संबंध में बैंक के प्रबंधन से विचार-विमर्श किया जाता है।

लघु ऋण के लिए त्रिस्तरीय ऋण प्रवाह

3502. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लघु ऋण पर अधिक ध्यान देते हुए त्रिस्तरीय ऋण प्रवाह के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड) ने किसी विशेष ऋण ढांचे का सुझाव नहीं दिया है। इसलिए व्यष्टि ऋण की उपलब्धता के लिए किसी विशिष्ट ढांचे का निर्माण नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान ऋण ढांचे में वाणिज्यिक बैंक हैं जिनमें जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण शाखाएं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं तथा सहकारी बैंक हैं जिनमें राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर क्रमशः राज्य सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं।

इसी प्रकार, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जो अधिकार संघीय संरचना में कार्य कर रहे हैं और जिनके राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर अपने-अपने कार्यालय हैं। यद्यपि कुछ राज्य सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक राज्य, जिला/उपमंडल स्तर पर अपनी शाखाओं के माध्यम से एकिक संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सी.एस.टी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मुआवजा

3503. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राज्यों को मुआवजा देने संबंधी मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्र और राज्यों के बीच इस बात पर सहमति हो गई थी कि केन्द्रीय बिक्री कर को चार चरणों में समाप्त कर दिया जाना चाहिए अर्थात केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 01-04-2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत, 01-04-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत, 01-04-2009 से 2 प्रतिशत से घटा 1 प्रतिशत करके अंततः 31-03-2010 तक कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के पैकेज पर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति हो गई है।

(ख) सहमत पैकेज के अनुसार राज्यों को मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक सम्मिलित उपायों के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी। केन्द्रीय बिक्री कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति करने के लिए किए जाने वाले ऐसे उपायों में फार्म-घ की समाप्ति, तम्बाकू पर राज्यों द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर पर वैट की उगाही तथा पहचानी गई सेवाओं पर कर की कुल आय को राज्यों को अन्तरित करना शामिल है। यदि ये उपाय राजस्व हानि को सम्पूर्णतः पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित होते हैं तो बजटीय सहायता दी जाएगी। उपर्युक्त निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 को लागू कर दिया गया है, जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 को संशोधित कर दिया गया है इसके साथ-साथ इसकी परिणति पंजीकृत डीलरों (फार्म-सी के प्रति) को अन्तरराज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर में 1-4-2007 से 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत घटाने, सरकारी विभागों को फार्म-घ के प्रति रियायती केन्द्रीय बिक्री कर दर पर अन्तरराज्यीय क्रय की सुविधा की वापसी एवं तम्बाकू पर वैट की उगाही के लिए राज्यों को समर्थ बनाने के रूप में हुई है।

इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के लिए 2007-08 के बजट में राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में दी गई सूचना को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत छोटे गांवों में अवसंरचनात्मक कार्य

3504. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नया काम शुरू करने के लिए रोजगार चाहने वाले पचास व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण छोटे गांवों में काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत अवसंरचनात्मक कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना में आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के कितने गांवों को शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. को नवम्बर, 2004 में, देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने तथा अनुपूरक मजदूरी रोजगार के सृजन के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2-2-06 से एन.आर.ई.जी.ए. में मिला दिया गया है। एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. दिशानिर्देशों में किसी नए काम को शुरू करने के लिए काम मांगने वाले 50 व्यक्तियों की उपलब्धता का प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

देर से निर्माण करने के लिए प्रभार

3505. श्री अधीर चौधरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. आवासीय भूखंडों पर निर्माण कार्य में विलंब की स्थिति में शुल्क प्रभार करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि आवासीय भूखंडों पर विलंब से निर्माण किए जाने पर निम्नलिखित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है:-

निर्माण कार्य का वर्ष	दर (रुपया प्रति वर्ग मीटर)
1	2
1.	शून्य
2.	शून्य
3.	शून्य
4.	10
5.	20
6.	100
7.	110
8.	120
9.	130
10.	140
11.	160
12.	170
13.	180
14.	190
15.	200
16.	250
17.	260
18.	270
19.	280
20.	290
21.	380

1	2
22.	390
23.	400
24.	410
25.	420

मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजना

3506. श्रीमती निवेदिता माने: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सड़कों के विशेष उन्नयन हेतु मुंबई शहरी अवसंरचना परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजना को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एस.) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार से निम्नलिखित मुम्बई की अवस्थापना परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं।

क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम से ए.पी.आल.आर.-एम.यू.आई.पी. तक पूर्वोत्तर फ्रीवे	51966.00
2.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	साहर रोड एम.यू.आई.पी. पर एलीवेटिड रोड-एम.यू.आई.पी.	23107.00
3.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	डा. बी.आर. अंबेडकर रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	30100.00
4.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	खेरवाड़ी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	3122.00
5.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	घरेलू एयरपोर्ट पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	3692.00
6.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	डिंडदोशा में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-जी.एम.एल.आर.-एम.यू.आई.पी.	1282.00
7.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	टाइम्स ऑफ इंडिया पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाई-ओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	2133.00

1	2	3	4
8.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	ठाकुर कॉम्प्लेक्स पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	2791.00
9.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	सीओन डुप्लीकेशन पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	5041.00
10.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	सुमाननगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	1955.00
11.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	नवघर जंक्शन पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर का निर्माण-एम.यू.आई.पी.	1075.00
12.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	एल.बी.एस. मार्ग (सी.ओन-मुलुंद)-एम.यू.आई.पी.	9419.00
13.	सड़क/फ्लाईओवर/सड़कों के ऊपर पुल	एस.वी. रोड (बांद्रा-दहीसर)-एम.यू.आई.पी.	9483.00

2. उपर्युक्त में से केवल प्रथम दो परियोजनाएं निम्नलिखित विवरण के अनुसार मंजूर की गई हैं:-

प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम से ए.पी.एल.आर.-एम.यू. आई.पी. तक पूर्वोत्तर फ्रीवे	रोड/फ्लाई-ओवर/सड़कों के ऊपर पुल	33638.80	11773.58	25-10-2006	2943.40	20-12-2006
साहर रोड एम.यू.आई.पी. पर एलीवेटिड रोड	रोड/फ्लाई-ओवर/सड़कों के ऊपर पुल	15513.34	5429.669	25-10-2006	1357.42	20-12-2006

3. (घ) और (ड) शेष परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वे चालू परियोजनाएं हैं।

[हिन्दी]

घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश

3507. श्री सूरज सिंह:

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2006-07 के दौरान घरेलू पूंजी निवेश विदेशी पूंजी निवेश की अपेक्षा अधिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त वर्ष के दौरान घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश अलग-अलग कितनी मात्रा में किया गया;

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें उपर्युक्त पूंजी निवेश किया गया है; और

(ङ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें पिछले वर्ष की

तुलना में उक्त वर्ष के दौरान घरेलू पूंजी के साथ विदेशी पूंजी के निवेश में भी वृद्धि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) भारत के लिए राष्ट्रीय लेखा योग के संकलन के लिए नोडल एजेंसी है। सी.एस.ओ. द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2005-06 के दौरान सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान कीमतों पर) 12,04,474 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2005-06 के दौरान इक्विटी के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 24,613 करोड़ रुपए था। वर्ष 2006-07 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह 70,630 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 में विनिर्माण के क्षेत्र में सकल घरेलू पूंजी निर्माण (4,84,615 करोड़ रुपए) सबसे अधिक है। अन्य मुख्य क्षेत्रक हैं - परिवहन, भंडारण और संचार (1,01,574 करोड़ रुपए), वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं (1,25,423 करोड़ रुपए) तथा कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी (83,952 करोड़ रुपए)। ये सभी आंकड़े वर्तमान कीमतों पर हैं।

कुछ क्षेत्रक, जिनमें वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि हुई है, निम्नानुसार हैं:-

(i) कृषि, वानिकी और मात्स्यकी;

(ii) खनन और उत्खनन;

(iii) विनिर्माण;

(iv) वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं; और

(v) सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं।

वर्ष 2006-07 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह आकृष्ट करने वाले मुख्य क्षेत्रक हैं -सेवा क्षेत्र (21,433.88 करोड़ रुपए), वैद्युत उपकरण (12,324.56 करोड़ रुपए), दूरसंचार (23,541.01 करोड़ रुपए) और परियहन (2112.20 करोड़ रुपए)।

वैद्युत उपकरण, परिवहन, होटल और पर्यटन, विद्युत और तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कुछेक ऐसे क्षेत्रक हैं जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह में वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

3508. डा. एम. जगन्नाथ:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री मोहन जेना:
श्री मोहन रावले:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार ऐसे कितने गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) दिनांक 31-08-2007 की स्थिति के अनुसार देश में 100398 अविद्युतीकृत गांव हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दसवीं योजना में सभी 62,000 गांवों को कवर किया जाना प्रस्तावित था जिन्हें ग्रिड विस्तार के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा सकता था। इस लक्ष्य के विरुद्ध, 47,816 गांव अर्थात् 77.12% का विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा किया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार ग्राम्य विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्य तथा पूरे किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	-	2,626
2003-04	24,011	2,781
2004-05	23,861	3,884
2005-06	10,000	9,819
2006-07	40,000	28,706

स्रोत-केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन।

(ग) और (घ) विद्युतीकरण एक समवर्ती विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा में प्रावधान है कि संबंधित राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से गांवों एवं पुरवों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत पहुंचाने हेतु संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की नोडल एजेंसी के रूप में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) कार्यान्वयन में शामिल सभी स्टेकहोल्डरों से समन्वय कर योजना के शीघ्रतर कार्यान्वयन में सहयोग दे रहा है। आर.ई.सी. ने परियोजना कार्यान्वयन/निष्पादन में उपयोग के लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराया है।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत दूरस्थ गांवों को छोड़कर, सभी अविद्युतीकृत गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 2009 तक विद्युतीकृत किए जाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण की संशोधित परिभाषा के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांव	31-3-2006 के अनुसार विद्युतीकृत गांव संख्या		31-3-2006 के अनुसार विद्युतीकृत गांव प्रतिशतता	आरजीजीवीवाई तथा अन्य स्कीमों के तहत् 2006-07 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	31-3-07 को विद्युतीकरण हेतु शेष गांव	वर्ष 2007-08 के दौरान 31-8-2007 तक विद्युतीकृत गांव	दिनांक 31-8-07 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण हेतु शेष गांव
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	26613	26565		99.8	0	48	0	48
2.	अरुणाचल प्रदेश	3863	2195	*	56.8	0	1668	0	1668
3.	असम	25124	19660	*	78.3	81	5383	0	5383
4.	बिहार	39015	20610	$	52.8	8415	9990	1386	8604
5.	दिल्ली	158	158		100.0		0	0	0
6.	झारखण्ड	29354	8923	*	30.4	196	20235	31	20204
7.	गोवा	347	347		100.0		0	0	0
8.	गुजरात	18066	17908	*	99.1	0	158	0	158
9.	हरियाणा	6764	6764		100.0		0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	17495	16915	*	96.7	254	326	0	326
11.	जम्मू-कश्मीर	6417	6304		98.2		113	0	113
12.	कर्नाटक	27481	27125		98.7	0	356	0	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केरल	1364	1364	100.0		0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	52117	50213	96.3		1904	15	1889
15.	छत्तीसगढ	19744	16456 *	83.3	18	3270	29	3241
16.	महाराष्ट्र	41095	35541	86.5		5554	0	5554
17.	मणिपुर	2315	1930	83.4	12	373	0	373
18.	मेघालय	5782	3428	59.3	0	2354	0	2354
19.	मिजोरम	707	570	80.6	0	137	0	137
20.	नागालैण्ड	1278	822 *	64.3	1	455	0	455
21.	उड़ीसा	47529	26235	55.2		21294	0	21294
22.	पंजाब	12278	12278	100.0		0	0	0
23.	राजस्थान	39753	25845 *	65.0	765	13143	332	12811
24.	सिक्किम	450	425	94.4		25	0	25
25.	तमिलनाडु	15400	15400 *	100.0		0	0	0
26.	त्रिपुरा	858	491	57.2		367	0	367
27.	उत्तर प्रदेश	97942	66879 *	68.3	16620	14443	1961	12482
28.	उत्तरांचल	15761	14737 *	93.5	798	226	83	143
29.	पश्चिम बंगाल	37945	32861	86.6	2108	2976	738	2238

उप जोड़ (राज्य)	**593015**	**458949** *	**77.4**	**29268**	**104798**	**4575**	**100223**
संघ राज्य क्षेत्र							
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	501	321	64.1	5	175	0	175
2. चंडीगढ	23	23	100.0	0	0	0	0
3. दादर व नगर हवेली	70	70	100.0	0	0	0	0
4. दमन व दीव	23	23	100.0	0	0	0	0
5. लक्षद्वीप	8	8	100.0	0	0	0	0
6. पांडिचेरी	92	92	100.0	0	0	0	0
उप जोड़ (यूटी)	**717**	**537**	**74.9**	**5**	**175**	**0**	**175**
कुल योग	593732	459486 *	77.4	29273	104973	4575	100398

* आंकड़े राज्य द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संशोधित कर दिए गए हैं।

$ बिहार सरकार ने संशोधित परिभाषा के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की संख्या नहीं दी है।

स्रोत- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व आर.ई.सी.।

निवल लघु बचत

3509. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लघु बचत कितनी रही है; और

(ख) लघु बचत को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान निवल लघु बचत संग्रहण 96,788 करोड़ रुपए, 2005-06 के दौरान 85,086 करोड़ रुपए और 2006-07 (अनंतिम) के दौरान 55,604 करोड़ रुपए रहा है।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न अवधियों और ब्याज दरों वाली लघु बचत योजनाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे कि इन बचत योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों को एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश विकल्प प्राप्त हो। केन्द्र और राज्य सरकारें समय-समय पर लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने हेतु प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन कर और इन योजनाओं के तहत जमाराशियों को जुटाने में लगी विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न उपाय करती है। लघु बचत संबंधी सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार और निवेशकों की शिकायतों का आन-लाइन पंजीकरण और निपटान के जरिए जनता के साथ पारस्परिक संपर्क को आसान बनाने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेबसाईट आरंभ की गई है। वेबसाईट का पता nsiindia.gov.in है।

स्व-सहायता समूह

3510. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में लघु-वित्तपोषण संबंधी बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स से कितने स्व-सहायता समूह चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और गरीबों को कितना ऋण दिया गया और उनसे किस दर पर ब्याज वसूल किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार स्व-सहायता समूहों के कार्यकरण को और सुदृढ़ करने तथा बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने और उन्हें चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी निजी बैंकों को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जून 2007 तक बैंक-संयोजन कार्यक्रम के तहत ऋण से जुड़ें स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 29,25,698 है, जिनमें 18,051.74 करोड़ रु. का बैंक ऋण अंतर्ग्रस्त है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों के संबंध में 2 लाख रु. से अधिक की अग्रिम राशि पर ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है। तथापि, 2 लाख रु. तर्क के ऋणों के लिए यह नियत किया गया है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज-दर आधार मूल उधार दर (बी.पी.एल.आर.) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः बैंक समूहों या समूहों के सदस्यों से लिए जाने वाली ब्याज-दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज-दरें 9.5% से 11.5% वार्षिक के बीच रहती हैं।

(ग) और (घ) स्व-सहायता समूहों के संबंध में सरकार की नीतियों का उद्देश्य निर्धनों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना होता है, इसलिए इनमें अधिकतम वित्तीय समावेशन होता है। व्यष्टि वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास एवं विनियमन के लिए औपचारिक सांविधिक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 20-03-2007 को लोक सभा में "व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2007" नामक विधेयक पेश किया है।

[हिन्दी]

कारीगरों हेतु वाणिज्यिक केन्द्र

3511. श्री सुभाष महरिया:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों को बढ़ावा देने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्हें विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने, उनको प्रशिक्षण देने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने, समूहगत क्रियाकलाप की आयोजना करने, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत सुविधा की व्यवस्था करने तथा समूह आधारित दृष्टिकोण के साथ लघु-उद्यम स्थापित करने हेतु विपणन सहायता देने का एक व्यापक स्व-रोजगार कार्यक्रम है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण आबादी जो कारीगर, शिल्पकार तथा बुनकर हैं, भी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी-योजना के अंतर्गत क्रेच का प्रावधान

3512. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं की पहुंच के भीतर क्रेच स्थापित करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें उक्त प्रावधान का पालन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रा ोण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु): (क) से (घ) एन.आर.ई.जी. अधिनियम, 2005 की अनुसूची II के पैरा 28 के अनुसार यदि किसी कार्य स्थल पर काम कर रही महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों की संख्या पांच अथवा उससे अधिक है और उनकी आयु छह साल से कम है तो इन बच्चों की देखरेख के लिए एक महिला कामगार को नियुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा। यह सुविधा प्रदान करने हेतु सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा राज्य तद्नुसार कार्यवाही कर रहे हैं। एन.आर.ई.जी.ए. के प्रशासनिक खर्च जिसमें से कार्य स्थल पर होने वाले खर्चों को पूरा किया जाता है, को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है ताकि राज्य इन सुविधाओं को प्रदान कर सकें।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

3513. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) को 3 दिसंबर, 2005 से छोटे तथा मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) में मिला दिया गया है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. स्कीम के अंतर्गत पहले से चल रही परियोजनाओं (2004-05 तक स्वीकृत) के लिए 2006-07 और 2007-08 (अगस्त 2007 तक) के दौरान जारी राशियां क्रमशः 47.63 करोड़ रुपये और 10.93 करोड़ रुपए हैं।

शहरी क्षेत्रों की अबाधित वृद्धि और शहरी स्थानीय निकायों हेतु कार्य योजना

3514. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शहरी क्षेत्रों की अबाधित वृद्धि को विनियमित करने को कहा है तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यापक योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में एजेंडे में शहरी स्थानीय निकायों को सलाह दी गई है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने शहरी विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यू.डी.पी.एफ.आई.) संबंधी दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं जिससे शहरों के व्यवस्थित, विनियमित एवं नियोजित विकास में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. के विद्युत संयंत्रों में खराबी

3515. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक एन.टी.पी.सी. के विद्युत संयंत्रों में आई खराबी का वर्ष-वार/इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जबरन बंदी से विद्युत संयंत्र यूनिटों की खराबी का पता चलता है। विगत 3 वर्षों से अब तक एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्रों में जबरन बन्दी के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) एन.टी.पी.सी. के विद्युत संयंत्रों की जबरन बंदी को कम करने की कार्य योजना निम्नानुसार है:

I. पुराने संयंत्र का प्रबन्धन:

- 500 मे.वा. के डब्ल्यू.यू. * मशीनों के पुराने फ्लीट को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और मूविंग और गाइड ब्लेडों के लिए संबंधित स्टेशनों से स्पेयर खरीद और क्रय आदेश के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है।

- के.डब्ल्यू.यू. डिजायन के हाई प्रेशर (एच.पी.) टरबाइन माडल (500 मे.वा.) में पहले से आ रही समस्या का पता लगा लिया गया है, ट्रिपिंग के पश्चात स्टीम निकासी में असमर्थता के कारण यह समस्या हुई। इसमें आशोधन की जरूरत है। वर्ष 2006-07 की नियोजित बंदी के दौरान 500 मे.वा. के.डब्ल्यू.यू. टरबाइनों के पुराने फलीट के लिए एच.पी. टरबाइन ब्लेड की खराबी को रोकने के लिए डिजाइन आशोधन को 6 सेटों में पूरा किया गया है और शेष 4 यूनिटों को वर्ष 2007-08 में कवर किया जाएगा।

- 200/210 मे.वा. एल.एम.जेड. * मशीनों के लिए, डायफ्रेग्मस, ब्लेडों और नोजल ब्लाक की मरम्मत/विस्थापन को 6 यूनिटों में पूरा कर लिया गया है। शेष को वित्त वर्ष 2007-08 में पूरा कर लिया जाएगा।

II. 90% प्राप्त करने का प्रबन्ध + दीर्घावधि में सतत् आधार पर उपलब्धता:

एन.टी.पी.सी. की विभिन्न यूनिटों के लिए लम्बी ऊर्जा अवधि और मरम्मत समय को देखते हुए सभी उपकरणों अर्थात् टरबाइन जरनेटर (टीजी), जरनेटर, ट्रांसफार्मर, बायलर आदि के लिए माड्युलर और अन्तः परिवर्तनीय स्पेयरों की खरीद के लिए प्रस्ताव लाया गया है। वित्त वर्ष 2007-08 में आर्डर देने का लक्ष्य है।

III. ट्यूब लीकेज में कमी

बॉयलर ट्यूब लीकेज कम करने की कार्य योजना कार्यान्वयनाधीन है।

* के.डब्ल्यू.यू. : क्राफ्ट वर्क्स यूनियन

** एल.एम.जेड : लेनिन ग्राड स्काई मेटल जैस्की जेवोड

विवरण

स्टेशन	जबरन बंदी/ब्रेकडाऊन (%)			
कोयला स्टेशन	अप्रैल, 2007 से जुलाई 2007 (%)	2006-07 (%)	2005-06 (%)	2004-05 (%)
सिंगरौली	8.50	3.79	3.54	1.98
रिहंद	0.96	3.96	10.20	1.51
ऊंचाहार	2.34	1.04	1.28	1.47
टांडा	1.09	2.40	3.10	1.43
दादरी कोल	0.23	0.29	0.51	0.62
बदरपुर	6.74	3.28	1.70	2.53
कोरबा	4.47	1.06	7.35	1.31
विंध्याचल	1.51	1.38	2.97	1.12
रामागुंडम	1.96	3.98	1.33	1.61
सिम्हाद्री	1.01	1.30	1.75	1.50
फरक्का	3.65	3.69	2.52	5.98
कहलगांव	0.84	1.31	1.82	0.99
तालचेर कनिहा	5.22	2.22	2.94	3.35
तालचेर थर्मल	3.07	3.11	2.98	3.17
गैस/तरल ईंधन स्टेशन				
अंता	0.00	0.50	0.00	0.83
औरेय्या	0.08	0.07	0.73	8.27
दादरी	0.05	0.07	1.17	0.29
फरीदाबाद	0.75	0.16	1.48	0.23
कवास	0.00	0.04	0.17	0.20
झनौर गंधार	0.00	0.07	0.04	0.40
कायमकुलम	0.00	0.08	0.00	0.24

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम में धन प्रबंधक

3516. श्री बसुदेव आचार्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर धन प्रबंधक नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार के लिए यह निर्णय लेने से पूर्व मौजूदा एजेंट रेग्युलेशन एक्ट में संशोधन करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों का बीमा बाजार में प्रवेश

3517. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए संयुक्त उद्यम में बीमा बाजार में प्रवेश करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निजी बैंकों को भी अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों को पर्याप्त प्रबंधन स्वायत्तता प्रदान करने और त्वरित एवं सक्षमता से निर्णय लेने में सुगमता प्रदान करने के लिए दिनांक 22-02-2005 को सरकार ने इन बैंकों के लिए एक स्वायत्तता पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अनुसार, समग्र व्यवसायिक कार्यनीति के भाग के रूप में नये व्यवसाय के संबंध में, सहायक/संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने आदि के संबंध में बैंक के बोर्ड निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 6(1) (ण) के अंतर्गत 'बीमा' को स्वीकार्य कार्य-कलाप अधिसूचित किया है जिससे निजी क्षेत्र के बैंकों सहित, सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तदनुसार बीमा व्यवसाय करने के लिए समर्थ है।

[हिन्दी]

निवेशक संरक्षण कोष

3518. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

श्री संजय धोत्रे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना करने हेतु कानून में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। यह प्रतिभूति कानूनों में व्यापक संशोधन करने हेतु प्रस्ताव का एक भाग है। तथापि, सेबी ने 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक संचित निधि के साथ एक निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि का गठन किया है। निधि का उपयोग निवेशक शिक्षा और संबंधित कार्यकलापों के लिए किया जाएगा।

ऋण देने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त

3519. श्री संतोष गंगवार:

डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कोई नई परिभाषा, निबन्धन एवं शर्तें शामिल की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के विभिन्न पहलुओं जैसे कृषि क्षेत्र को ऋण देने, एस.एम.ई. क्षेत्र, शिक्षा और गृह ऋणों, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने पर दिशानिर्देश जारी करता रहता है। ये परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट: http://rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के संबंध में, दिनांक 2 जुलाई, 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार परिभाषा, शर्तों और निबंधनों में आए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए "कमजोर वर्ग" शीर्षक के नीचे अल्पसंख्यक समुदाय जोड़ दिया गया है।

- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों/उपलक्ष्यों की अपूर्णता के कारण नाबार्ड/सिडबी में 30 अप्रैल, 2007 को या उसके बाद की गई नई जमाएं कृषि/लघु उद्यम क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकरण, जैसा मामला हो, की पात्र नहीं होंगी। तथापि, ऐसी जमाओं की परिपक्वता की तारीख तक या 31 मार्च, 2010, जो भी पहले हो, 30 अप्रैल, 2007 को उपयुक्त कारण से बैंकों द्वारा नाबार्ड/सिडबी में की गई जमाएं और बकाया राशि, कृषि/लघु उद्यम क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकरण, जैसा भी मामला हो, की पात्र होंगी।

- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लक्ष्य और उपलक्ष्य गत वर्ष के 31 मार्च तक समायोजित निवल बैंक ऋण (निवल बैंक ऋण और बैंकों द्वारा एच.टी.एम. श्रेणी में धारित गैर-सांविधित चल निधि अनुपात बांड में किया गया निवेश) अथवा तुलन पत्र से अलग निवेश के बराबर राशि का ऋण, जो भी अधिक हो, से संयोजित किया जाएगा।

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में मझोले, लघु और सूक्ष्म उद्यमों की परिभाषा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के साथ संयोजित की गई है।

[अनुवाद]

खराब ए.टी.एम.

3520. श्री विजय कृष्ण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों के खराब ए.टी.एम. की वजह से उपभोक्ता ए.टी.एम. से अपनी जमा राशि नहीं निकाल पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खराब ए.टी.एम., ए.टी.एम. द्वारा नकदी का संवितरण न करना, आदि के संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित बैंकों की जानकारी में लाया जाता है। ए.टी.एम. में खराबी कभी-कभी टेलीफोन/पट्टे पर लाइनों की खराबी, लम्बे समय तक विद्युत आपूर्ति न होने अथवा ए.टी.एम. के खराब कार्यकरण के कारण होती है। बैंक ऐसी समस्याओं पर तात्कालिक आधार पर कार्रवाई करते हैं।

[हिन्दी]

नवीकरणीय ऊर्जा हेतु स्वदेश उपस्कर

3521. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए स्वदेशी उपस्करों के विनिर्माण और इन उपस्करों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार विदेशी उपस्करों की खरीद पर प्रत्येक वर्ष कितनी धन राशि खर्च की जा रही है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) सरकार द्वारा उपलब्ध

कराई गई अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन सहायता के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों के उत्पादन हेतु स्वदेशी निर्माण आधार की स्थापना हुई है। सामान्यतया प्रयोग की जाने वाली अधिकांश अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों का निर्माण स्वदेशी रूप से हो रहा है। भारतीय कंपनियां कुछ अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों का निर्यात भी कर रही हैं। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और सस्ती दरों पर अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अनेक वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रोत्साहनों में शामिल हैं - (i) कुछ प्रणालियों पर पूंजीगत सब्सिडी, (ii) विनिर्माताओं तथा उपयोगकर्त्ताओं को उदार ऋण, (iii) कुछ उपकरणों, कच्ची सामग्रियों और संघटकों के आयात पर रियायती अथवा शून्य शुल्क, (iv) अनेक अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों पर उत्पाद शुल्क से छूट, और (v) पहले वर्ष में 80% त्वरित मूल्यह्रास आदि।

(ग) मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत अनेक अक्षय ऊर्जा उपकरणों के आयात की अनुमति है; अतः मंत्रालय द्वारा सभी अक्षय ऊर्जा उपकरणों के आयात संबंधी किसी आंकड़े का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

आई.ए.वाई. के अन्तर्गत आवासों का निर्माण

3522. डा. एम. जगन्नाथ: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अन्तर्गत और अधिक आवासों को मंजूरी देने और इस योजना के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां पूर्व निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दी जाती हैं जिसमें आवास की कमी और गरीबी अनुपात को पर्याप्त वैटेज दिया जाता है। तथापि, दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर किसी जिले को प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित 5% आई.ए.वाई. निधियों में से जिले के वार्षिक आबंटन के 10% तक की राशि अथवा प्रति जिला 50.00 लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, रिलीज किए जा सकते हैं।

यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद

3523. श्री अधीर चौधरी:

श्री अजय सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ बीमा एजेंट देश में यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों को बेचने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) का विचार इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि उसे कुछ बीमा कंपनियों के एजेंटों द्वारा यूनिट लिंक्ड उत्पादों को गलत तरीके से बेचने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आई.आर.डी.ए. को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों के एजेंटों के विरुद्ध यूनिट लिंक्ड उत्पादों में निवेशों पर अधिक प्रतिलाभों को दर्शाने वाले अनुमोदन रहित बिक्री साहित्य को परिचालित करने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि उसने इस प्रकार की बिक्री सामग्री को परिचालित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। अनुमोदन रहित साहित्य के परिचालन के लिए उत्तरदायी एजेंटों की बर्खास्तगी के बारे में भी कुछ बीमाकर्ताओं ने पुष्टि की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिया है कि यूनिट लिंक्ड उत्पादों के अंतर्गत प्रतिलाभों की कोई गारंटी नहीं है। आई.आर.डी.ए. ने 01 मार्च, 2007 को प्रेस विज्ञप्ति में जनता को इस प्रकार के अनुमोदन रहित बिक्री साहित्य से दूर रहने और बीमाकर्ताओं

के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत् रूप से किए गए प्रकटन के आधार पर अवधारणायुक्त निर्णय लेने की चेतावनी दी।

कार्बन क्रेडिटों के माध्यम से कोष जुटाना

3524. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर के नगर निगमों को कोष की कमी से जूझ रहे नागरिक अभिकरणों हेतु कार्बन क्रेडिटों का लाभ उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर नगर निगमों/राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पार्टीसिपेटरी नोट्स के माध्यम से निवेश

3525. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ चुनिंदा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) ने 73% पार्टीसिपेटरी नोट्स (पी नोट्स) जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी संस्थागत निवेशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पार्टीसिपेटरी नोट्स अधिकांशतः वित्त, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किन-किन कंपनियों के पास 10% से अधिक पार्टीसिपेटरी नोट्स निवेशक हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि उसके पास दायर की गयी रिपोर्टों के अनुसार जुलाई, 2007 के अंत तक की स्थिति के अनुसार ऐसे 28 विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीएन) जारी कर रहे हैं। जुलाई, 2007 की स्थिति के अनुसार पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने वाले शीर्ष पांच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) का हिस्सा कुल मिलाकर शेष पी.एन. के सांकेतिक मूल्य का लगभग 59.59 प्रतिशत बैठता है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

संख्या	विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम	मिलियन अमरीकी डालर	करोड़ रुपए
1.	मोर्गेन स्टेनले एंड कं. इंटरनेशनल	13,716	55,401
2.	मेरिल लायंच एस्पाना	11,928	47,928
3.	सिटीग्रुप ग्लोबल मार्किट्स लि.	11,148	45,018
4.	गोल्डमैन, साच्स एंड कं.	8,568	34,771
5.	सी.एल.एस.ए. मर्चेन्ट बैंकर्स लि. (सी.एल.एस.ए.एम.)	6,049	24,388

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़ों में सभी परिसम्पत्तियों की श्रेणियों अर्थात् ईक्विटी और ईक्विटी संकेतक, ऋण और व्युत्पादित ऋण आदि में किए गए निवेश शामिल हैं।

(ग) और (घ) विद्यमान विनियामक ढांचे के अनुसार ऐसे एफ.आई.आई. जो सेबी के पास पंजीकृत हैं और पी.एन. जारी कर रहे हैं, उनको निर्धारित प्रारूप में एक मासिक रिपोर्ट सेबी के पास प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यह प्रारूप उनके क्षेत्रों के आधार पर बकाया पी.एन. का पता लगाने में सुसाध्य नहीं है।

(ङ) निष्कर्ष रूप में भारतीय संदर्भ में पी.एन. एक

ऐसा व्युत्पन्न साधन है जो विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों में से किसी एक द्वारा विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जाता है। ऐसे साधनों का आधार तत्व सामान्यत: भारतीय प्रतिभूतियां या संकेतक होते हैं, आधारतत्व भारतीय प्रतिभूति साधन ईक्विटी, ऋण, व्युत्पन्न या कोई संकेतक हो सकता है।

पी.एन. में निवेशकर्ता उस आधारिक भारतीय प्रतिभूतियों का वास्तक में स्वामित्वाधिकार लिए बगैर उस प्रतिभूति में निवेश करने का केवल आर्थिक लाभ अर्जित करता है और यह आधारिक प्रतिभूति उस विदेशी संस्थागत निवेशक के नाम में ही बनी रहती है जिसने पी.एन. जारी किए हैं। जबकि पी.एन. का मूल्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आधारिक प्रतिभूति के मूल्य से सम्बद्ध होता है, फिर भी, हो सकता है कि पी.एन. और आधारित प्रतिभूति के बीच एक समान सम्बंध स्थापित न हो। इस प्रकार, पी.एन. में निवेशों का कंपनियों के शेयरधारिता पैटर्न के साथ सम्बन्ध स्थापित करना संभव नहीं है।

अपील अधिकरण की स्थापना

3526. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र हेतु अपील अधिकरण की स्थापना का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत संबंधी अपील अधिकरण की स्थापना की है। इस अधिकरण ने 21-7-2005 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

निवेशकों को ऋण-पत्र संबंधी जानकारी

3527. श्रीमती निवेदिता माने:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के लिए निवेशकों एवं आम जानता को ऋण-पत्र संबंधी सभी प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अनिवार्य बनाई गई ऐसी पारदर्शिता को बनाए रखने में विफल रहने पर शास्ति का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सितम्बर, 2003 में निजी स्थापन आधार पर ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम करने वाली किसी सूचीबद्ध कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 और एक्सचेंजों के साथ सूचीयन करार में निर्धारित स्वरूप में पूर्ण प्रारंभिक और सतत प्रकटन करना अनिवार्य कर दिया था। अगस्त, 2007 में उसने यह अधिदेश दिया है कि डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियां और संबंधित डिबेंचर न्यासी/स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों और आम जनता को डिबेंचरों से संबंधित समस्त सूचना देंगे। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के तुलनपत्र में मोचन अथवा परिवर्तन की शर्तों सहित, यदि कोई हों, डिबेंचरों के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि के ब्यौरे दिए जाना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) इनके अनुपालन में विफलता सेबी अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय है।

दो रुपये के सिक्के पर निशान

3528. श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दो रुपये का नया सिक्का जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सिक्के पर जमा अथवा क्रास का निशान अंकित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस निशान को अंकित करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है;

(ङ) क्या उक्त निशान देश के किसी ऐतिहासिक तथ्य अथवा विशेषता से संबंधित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (च) यह चिन्ह "जमा" का प्रतीक है और प्रकृति में सकारात्मक है। यह अंकगणीतीय चिन्ह "जमा" के समान है। यह "विविधता" में "एकता" का प्रतीक है क्योंकि यह "समाविष्टता" को दर्शाता है।

जीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

3529. श्री अधीर चौधरी:

श्री निखिल कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में "जीविका" नामक ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "जीविका" परियोजना हेतु इस सहायता के उपयोग के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अन्य राज्यों में ऐसी ही योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी, हां। 41.4 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) अथवा लगभग 63 मिलियन अमरीकी डालर की आई.डी.ए. ऋण राशि हेतु "बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना" के लिए विश्व बैंक के साथ 9 अगस्त, 2007 को हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का उद्देश्य बिहार में ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक और आर्थिक अधिकारिता में संवृद्धि करना है। इस ऋण राशि का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को शामिल करते हुए और कौशलों और संगठन में सुधार लाकर समूह आधारित आय सृजन कार्यकलापों, लघु अवसंरचना निवेशों सहित सामाजिक आर्थिक और अवसंरचनात्मक क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा।

(ङ) और (च) विश्व बैंक की सहायता से, पहले से ही कार्यान्वयनाधीन ग्रामीण आजीविका से संबंधित परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश (चरण-II) राज्यों के लिए इसी प्रकार की परियोजनाएं विचार के लिए विश्व बैंक को भेजी गई हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ऋण

3530. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

श्री नरहरि महतो:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण देश की गैर-परंपरागत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्यों को ऋणों की मंजूरी देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितना ऋण जारी किया गया;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान कोई राज्य ऋण की पुनः अदायगी में विफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा राज्य सरकार ने विभागों को ऋण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तथापि, अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु पात्र परियोजना प्रमोटरों/विकासकर्त्ताओं को ऋणों की मंजूरी तथा संवितरण किए जाते हैं। ऋणों की मंजूरी हेतु मानदंडों में परियोजना की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता उधारकर्त्ता की साख तथा इरेडा के वित्त पोषण संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तें शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इरेडा द्वारा प्रमोटरों/विकासकर्त्ताओं को संवितरित ऋणों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) इरेडा द्वारा कुछ उधारकर्त्ताओं को मंजूर किए गए ऋण अकार्यशील सम्पत्तियां (एन.पी.ए.) हो गई हैं। दिनांक

31-3-2007 की स्थिति के अनुसार अकार्यशील सम्पत्तियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) ऋणों की वसूली के लिए इरेडा द्वारा बकायादारों के विरुद्ध कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अनुस्मारक नोटिस भेजना, ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष मामले दायर करना और वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूति एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करना शामिल है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान इरेडा द्वारा संवितरित ऋण का राज्यवार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	वर्ष राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1.	आंध्र प्रदेश	26.00	37.49	6.04
2.	छत्तीसगढ़	0.00	35.72	13.44
3.	गुजरात	3.16	0.00	3.99
4.	हरियाणा	0.00	0.40	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	20.49	27.30	45.86
6.	कर्नाटक	118.14	115.87	65.74
7.	मध्य प्रदेश	3.11	0.65	0.87
8.	महाराष्ट्र	12.35	26.04	162.44
9.	नागालैण्ड	0.54	0.04	0.07
10.	उड़ीसा	14.95	28.37	31.75
11.	पंजाब	33.68	4.13	0.51
12.	राजस्थान	34.55	2.34	62.08
13.	तमिलनाडु	18.95	20.19	17.14
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.44	0.40
15.	उत्तराखंड	1.08	0.00	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	2.84	3.53	0.54
17.	दिल्ली	0.14	0.00	0.00
	कुल	289.98	302.51	410.87

विवरण-II

दिनांक 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार अकार्यशील संपत्तियों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्रम. सं.	राज्य	एन.पी.ए.(*)
1.	आंध्र प्रदेश	160.140
2.	असम	0.001
3.	बिहार	0.027
4.	गुजरात	0.014
5.	हिमाचल प्रदेश	0.001
6.	कर्नाटक	36.589
7.	केरल	8.900
8.	मध्य प्रदेश	3.857
9.	महाराष्ट्र	77.681
10.	तमिलनाडु	73.172
11.	उत्तर प्रदेश	0.002
12.	पश्चिम बंगाल	9.102
13.	दिल्ली	0.001
	कुल	369.487

(*) वर्तमान परिभाषा के अनुसार, ऋण तथा उस पर ब्याज को अकार्यशील संपत्ति समझा जाता है, यदि चूक की अवधि 90 दिनों से अधिक की हो।

उत्पाद शुल्क अपवंचन

3531. **श्रीमती निवेदिता माने:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डी.जी.जी.ई.आई.) ने हाल ही में बड़े स्तर पर उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पर्दाफाश किया है जैसा कि दिनांक 30 जुलाई, 2007 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अपवंचन की वजह से सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और कितनी धनराशि वसूली गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय ने हाल ही में मै. परमार्थ आयरन प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले का जुलाई, 2007 में पर्दाफाश किया है।

(ख) इस मामले में अपवंचित शुल्क की राशि 67 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

(ग) कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक को 12 जुलाई, 2007 को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी भी न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में अन्वेषण जारी है, जिसके पूरा होने के बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

3532. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री एस. अजय कुमार:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, 2007 में भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर आक्षेप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा त्वरित, भ्रष्टाचार-मुक्त न्यायिक समाधान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल की वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, 2007 सरकार की जानकारी में आई है, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह कथन है कि साधारण जनता के 77 प्रतिशत ने यह कथन किया है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली भ्रष्ट है। तथापि, सरकार उक्त अवधारणा से सहमत नहीं है।

(घ) सरकार ने पहले ही 19-12-2006 को लोक सभा में न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित कर दिया है। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक न्यायिक मंच को सशक्त करने के लिए एक उपयुक्त विधायी ढांचा तैयार करने के लिए लिए है।

जहां तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय निचली न्यायपालिका के सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए सशक्त हैं।

[हिन्दी]

जल आपूर्ति एवं मल व्ययन निपटान योजनाएं

3533. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जल आपूर्ति एवं मल व्ययन निपटान योजनाओं हेतु ऋण प्रदान करने संबंधी नियमों में ढील देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान हेतु धनराशि

3534. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु एवं मझोले संगठनों द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के वित्तपोषण हेतु एक योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां, लघु एवं मध्यम संगठनों द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को निधि प्रदान करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने लघु व्यापार खोजी अनुसंधान पहल (एस.बी.आई. आर.आई.) योजना की शुरुआत की है।

(ख) एस.बी.आई.आर.आई. का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन मौजूदा निजी औद्योगिक इकाईयों को सुदृढ करना, लघु व्यापार को प्रोत्साहित करना, ताकि उनकी अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं संवृद्ध हो सके, नए प्रौद्योगिक या ज्ञान आधारित, जिनका उत्पाद विकास इन हाऊस खोज अनुसंधान एवं विकास पर आधारित व्यापार को शुरू करने के लिए नए अवसर तैयार करना है। इससे सरकार द्वारा ली गई अनुसंधान निधि को सार्वजनिक निजी भागीदारों को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र के वाणिज्यीकरण को तथा अनुसंधान एवं विकास को मदद मिली है। एस.बी.आई.आर.आई. योजना को दो चरणों में लागू होती है। अर्थात चरण 1 और चरण 2। चरण एक में उच्च खोजी प्रारंभिक स्तर, अवधारणा सांक्ष्यांकन अनुसंधान को निधी प्रदान की जाती है। चरण दो में खोजी अनुसंधान अग्रिमों के अध्ययतन स्तर विकास एवं वाणिज्यीकरण के लिए निधी प्रदान की जाती है। योजना पर अन्य सूचना एवं दिशा निर्देश जैव प्रौद्योगिकी की वेबसाइट (www.dbtindia.org) पर उपलब्ध हैं।

आबंटितियों को सरकारी आवास बेचे जाने संबंधी प्रस्ताव

3535. श्री हरीभाऊ राठौड़: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली के सरकारी आवास को इनमें रह रहे आबंटितियों को यदि वे आवास को खरीदने के इच्छुक हों तो उनकी सेवानिवृत्ति पर वह आवास उन्हें बेचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) नई दिल्ली/दिल्ली के सरकारी आवास को इनमें रह

रहे आवंटितियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर बेच जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम हेतु जनसंख्या की सीमा में वृद्धि करना

3536. श्री गणेश सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए बीस हजार की जनसंख्या की सीमा को बढ़ाकर पचास हजार की जनसंख्या करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त तर्ज पर त्वरित जल-मल निपटान कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी नहीं। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) 3 दिसंबर, 2005 से छोटे व मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना में मिला दिया गया है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी जल आपूर्ति, सीवरेज तथा कचरा निपटान परियोजनाएं राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की जा सकती है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के लिए आबादी के संबंध में कोई नहीं रखी गई है। जनगणना, 2001 में शामिल सभी शहरी नगर/कस्बे यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. अथवा 63 नगरों में लागू जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना तथा शासन घटक के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। शहरी अवस्थापना तथा शासन घटक और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. में सीवरेज/सीवेज निपटान परियोजनाओं के लिए प्रावधान है। अतः त्वरित सीवेज निपटान कार्यक्रम लागू करने के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वित्तीय सहायता

3537. चौधरी विजेन्द्र सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में निवेश की गई धनराशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिवर्ष ग्रामीण अवरसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) में वृद्धि होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संवितरित किए जाने वाले ऋण लगातार कम हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में, नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और संस्वीकृत ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	आर.आई.डी.एफ.-X (2004-05)		आर.आई.डी.एफ.-XI (2005-06)		आर.आई.डी.एफ.-XII (2006-07)	
	संख्या	संस्वीकृति	संख्या	संस्वीकृति	संख्या	संस्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7
लघु सिंचाई	1450	115.07	·		6100	367.81

1	2	3	4	5	6	7
मध्यम सिंचाई	1	9.67	1	4.62		
बड़ी सिंचाई	0	0	4	73.24	4	173.15
ग्रामीण पुल	42	71.94	131	276.34		
जल-संभरण	0	0	49	90.53	79	148.27
बाढ़ सुरक्षा	73	134.65	32	60.33	3	24.98
ग्रामीण सड़कें	1057	171.70	763	250.70	459	132.23
ग्रामीण बाजार यार्ड/गोदाम	0	0			23	8.61
काडा	0	0				
गंदे जल की निकासी	83	13.31	20	16.12		
नदी मत्स्य पालन					44	2.44
वन प्रबंधन	0	0	3	4.95	1	4.09
पशु पालन	0	0	57	6.63		
कुल	2706	516.34	1060	783.46	6713	861.58

(ग) और (घ) आर.आई.डी.एफ. के तहत राज्य सरकारों को ऋण का संवितरण पुनर्संवितरण आधार पर किया जाता है। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान उत्तर प्रदेश को आर.आई.डी.एफ. के तहत संवितरित राशि क्रमशः 381.53 करोड़ रुपये, 447.58 करोड़ रुपये और 300.67 करोड़ रुपये थी। हालांकि 2005-06 के दौरान संवितरण में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई थी, राज्य सरकार के कार्यान्वयन विभागों द्वारा आर.आई.डी.एफ. के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण वर्ष 2006-07 के दौरान संवितरण में कमी रही।

[अनुवाद]

बैंकों में स्माल पी.डी.ए.

3538. श्री उदय सिंह:

श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्माल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसा उपकरण (पी.डी.ए.) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंक शाखाओं का स्थान लेगा;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ बैंक शाखाओं में इस उपकरण का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) देश में ऐसे उपकरण को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धनतम लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय सुसाधक और सम्पर्ककर्ता मॉडलों की नियुक्ति के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं

मुहैया करवाने में मध्यस्थ के रूप में गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थानों, डाकखानों और अन्य नागरिक संस्थाओं की सेवाएं लेने हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से पुनः यह सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रयासों को तेजी से बढ़ाने का आग्रह किया है कि समाधान अति सुरक्षित और लेखापरीक्षा के अनुकूल है तथा ये विभिन्न प्रणालियों में संभावित अन्तर-प्रचालनीयता तय करने के लिये व्यापक रूप से स्वीकृत युक्त मानक का अनुपालन करते हैं।

वर्तमान में, अनेक राज्यों में विभिन्न बैंकों द्वारा बहुत से वित्तीय अन्तर्वेशन सूचना प्रौद्योगिकी युक्त मॉडल प्रयोगाधीन हैं। इनमें से एक मॉडल में कार्य सम्पर्ककर्ता छोटे यंत्र रखते हैं। जो वास्तव में स्मार्ट कार्ड रीडर हैं। प्राप्त सूचना मुख्य सर्वर को प्रेषित कर दी जाती है जहां खाते रखे जाते हैं। ये यंत्र ग्रामीण ग्राहकों को उनके घर पर भुगतान करने और उनसे नकद प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

एक अन्य मॉडल में मोबाइल फोन का प्रयोग किया जाता है जिसे कार्ड रीडर के रूप में कार्य के लिए विकसित किया गया है। खाता धारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं जिनमें फोटोग्राफ और अंगूठे के चिन्ह होते हैं। कुछ बैंक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इस प्रौद्योगिकी को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक की ग्रामीण शाखाएं

3539. श्री बी. विनोद कुमारः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) निजी क्षेत्र के बैंकों का विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण शाखाओं की संख्या 30 जून, 2007 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित है:-

आंध्र प्रदेश (60), चंडीगढ़ (2), गोवा (7), गुजरात (9), हरियाणा (5), हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू और कश्मीर (198), झारखंड (1), कर्नाटक (123), केरल (106), महाराष्ट्र (81), उड़ीसा (1), पांडिचेरी (1), पंजाब (7), राजस्थान (98), सिक्किम (1), तमिलनाडु (256), उत्तर प्रदेश (4), उत्तराखण्ड (18) और पश्चिम बंगाल (3)।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3540. श्री कैलाश नाथ सिंह यादवः
प्रो. महादेवराव शिवनकरः
श्री शिशुपाल एन. पटलेः
श्री ब्रजेश पाठकः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारतीय सरकार ने मार्च, 2006 में राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन.यू.आई.एस.) नामक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के वैज्ञानिक आयोजना तथा कार्यान्वयन के प्रावधानों के संदर्भ में आयोजना, प्रबंधन तथा विकेन्द्रीकृत शासन हेतु शहरी स्थानीय निकायों में एक व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित करना है। योजना के विशिष्ट लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

(क) शहरी आयोजना और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शहरी आयोजना व निर्णय सहायता हेतु निम्नलिखित द्वारा आंकड़ा आधार विकसित करना

- मास्टर/जोनल प्लान तैयार करने में सहायता,
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की 12वीं अनुसूची में शामिल संबद्ध कार्यों की मानीटरिंग व प्रबंध के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर आंकड़ा आधार तैयार करना

- व्यापक त्रिस्तरीय जी.आई.सी. आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए मास्टर प्लान के लिए 1:10,000 विस्तृत कस्बा आयोजना स्कीमों के लिए 1:2000 तथा उपयोगिता आयोजना के लिए 1:1000 स्केल में उपग्रह तथा हवाई प्लेटफार्म जैसे आधुनिक आंकड़ा स्रोतों का प्रयोग।

(ख) ग्राउंड प्रोफाइलिंग/पेनेट्रेटिंग राडार (जी.पी.आर.) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक आधार पर उपयोगिता नक्शे तैयार करना।

(ग) जी.आई.एस. आंकड़ा, आधार तैयार करने के लिए परंपरागत आंकड़ा स्रोतों का आधुनिक आंकड़ा स्रोतों के साथ एकीकरण।

(घ) आंकड़ा आधार, विधि, उपकरण साफ्टवेयर, आंकड़ा आदान-प्रदान प्रपत्र आदि के संबंध में यू.एस.आई.एस. के साथ-साथ एन.यू.डी.बी.आई. के लिए मानक तैयार करना।

(ङ) शहरी नियोजकों/प्रशासकों/नीति निर्माताओं के उपयोग हेतु मास्टर/जोनल आयोजना तथा उपयोगिता प्रबंधन की सूचना उपलब्ध कराने के लिए जी.आई.एस. में आरोमेटेड इन्टिग्रेशन्/एप्लीकेशन तकनीकें विकसित करना।

(च) नेशनल अरबन डाटाबैंक एंड इंडिकेटर्स (एन.यू.डी.बी. एंड आई.) यूनिट के माध्यम से नगर स्तर पर शहरी आंकड़ा आधार का भंडार तैयार करना जिनसे राष्ट्रीय शहरी वेधशाला (एन.यू.ओ.) के लिए शहरी सूचकांकों के विकास में भी मदद मिलेगी।

(छ) आधुनिक आटोमेटेड विधि के उपयोग में नगर आयोजना पेशेवरों का क्षमता निर्माण।

(ज) आयोजना के विभिन्न स्तरों पर आंकड़ा एकत्रीकरण, संग्रहण तथा बदलाव का विकेन्द्रीकरण।

2. प्रारंभ में एन.यू.आई.एस. योजना में 137 कस्बे तथा नगर शामिल किए जाएंगे। इन कस्बों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

3. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजना पर होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

(ग) और (घ) शहरी विकास मंत्रालय ने योजना के तहत आंकड़ा सृजन के लिए भारतीय सर्वेक्षण (एस.ओ.आई.) के साथ 13 मार्च, 2006 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है। भारतीय सर्वेक्षण को केन्द्रीय अंश की पहली किश्त के रूप में 16.24 करोड़ रु. की रकम दी गई है। राज्य सरकार भारतीय सर्वेक्षण को अपना अंश सीधे ही देगी। इसके अलावा 5-9-07 की स्थिति के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को योजना के तहत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए 2.58 करोड़ रु. की राशि भी दी गई है।

विवरण

एन.यू.आई.एस. योजना के तहत प्रस्तावित कस्बों की सूची

क्र. सं.	कस्बा	राज्य	आबादी 2001	स्थिति	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	99984	कस्बा	II
2.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	129403	कस्बा	I
3.	धर्मावरम	आंध्र प्रदेश	103357	कस्बा	I
4.	मदनापल्ले	आंध्र प्रदेश	107449	कस्बा	I

1	2	3	4	5	6
5.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	111380	कस्बा	I
6.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	117320	कस्बा	I
7.	ताडेपालिगुडम	आंध्र प्रदेश	102622	कस्बा	I
8.	अलोंग	अरुणाचल प्रदेश	17033	कस्बा	IV
9.	डापोरिजो	अरुणाचल प्रदेश	15756	कस्बा	IV
10.	डिबरुगढ़	असम	137661	यू.ए.	I
11.	नागोन	असम	123265	यू.ए.	I
12.	सिल्चर	असम	184105	यू.ए.	I
13.	तेजपुर	असम	105377	कस्बा	I
14.	टिनसुकिया	असम	108123	यू.ए.	I
15.	अराह	बिहार	203380	कस्बा	I
16.	भागलपुर	बिहार	350133	यू.ए.	I
17.	दरभंगा	बिहार	267348	कस्बा	I
18.	मुजफ्फरपुर	बिहार	305525	कस्बा	I
19.	पटना	बिहार	1697976	यू.ए.	मेट्रो
20.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	808515	यू.ए.	I
21.	भिलाई नगर	छत्तीसगढ़	927864	कस्बा	I
22.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	335293	कस्बा	I
23.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	232517	कस्बा	I
24.	कोरबा	छत्तीसगढ़	315690	कस्बा	I
25.	रायपुर	छत्तीसगढ़	700113	यू.ए.	I
26.	सिलवासा	दादर एवं नगर हवेली	21893	कस्बा	III
27.	दमन	दमन एवं दीव	35770	कस्बा	III
28.	दिल्ली शहरी बस्ती	दिल्ली	12877470	यू.ए.	मेट्रो
29.	कुनकोलिम	गोवा	15860	कस्बा	IV

1	2	3	4	5	6
30.	कुरकोरेम ककोरा	गोवा	21407	कस्बा	III
31.	मपूसा	गोवा	40487	कस्बा	III
32.	मारगाओ	गोवा	94383	यू.ए.	II
33.	मोरमुगाओ	गोवा	104758	यू.ए.	I
34.	भावनगर	गुजरात	517708	यू.ए.	I
35.	जामनगर	गुजरात	556956	यू.ए.	I
36.	नादियाड	गुजरात	196793	यू.ए.	I
37.	राजकोट	गुजरात	1003015	यू.ए.	मेट्रो
38.	सूरत	गुजरात	2811614	यू.ए.	मेट्रो
39.	वडोदरा	गुजरात	1491045	यू.ए.	मेट्रो
40.	फरीदाबाद	हरियाणा	1055938	कस्बा	मेट्रो
41.	हिसार	हरियाणा	263186	यू.ए.	I
42.	करनाल	हरियाणा	221236	यू.ए.	I
43.	पानीपता	हरियाणा	354148	यू.ए.	I
44.	रोहतक	हरियाणा	294577	यू.ए.	I
45.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	19124	कस्बा	IV
46.	मण्डी	हिमाचल प्रदेश	26873	कस्बा	III
47.	नाहन	हिमाचल प्रदेश	26053	कस्बा	III
48.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	144975	यू.ए.	I
49.	सोलन	हिमाचल प्रदेश	34206	कस्बा	III
50.	अनंतनाग	जम्मू एवं कश्मीर	97896	कस्बा	II
51.	बारामूला	जम्मू एवं कश्मीर	71896	कस्बा	II
52.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	612163	यू.ए.	I
53.	सोपोर	जम्मू एवं कश्मीर	59624	कस्बा	II
54.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	988210	कस्बा	I

1	2	3	4	5	6
55.	बोकारो स्टील सिटी	झारखंड	497780	यू.ए.	I
56.	धनबाद	झारखंड	1065327	यू.ए.	मेट्रो
57.	जमशेदपुर	झारखंड	1104713	यू.ए.	मेट्रो
58.	मांगो	झारखंड	166125	कस्बा	I
59.	रांची	झारखंड	863495	यू.ए.	I
60.	बेल्लारी	कर्नाटक	316766	कस्बा	I
61.	बीदर	कर्नाटक	174257	कस्बा	I
62.	बीजापुर	कर्नाटक	253891	कस्बा	I
63.	दवनागेरे-हरिहरा	कर्नाटक	364523	यू.ए.	I
64.	कोलार	कर्नाटक	113907	एम	I
65.	रायचूर	कर्नाटक	207421	कस्बा	I
66.	अलाप्पुझा	केरल	282675	यू.ए.	I
67.	कोल्लम	केरल	380091	यू.ए.	I
68.	कोजिखोडे	केरल	880247	यू.ए.	I
69.	पालक्कड	केरल	197369	यू.ए.	I
70.	थ्रिसुर	केरल	330122	यू.ए.	I
71.	कावारत्ती	लक्षद्वीप	10119	कस्बा	IV
72.	देवस	मध्य प्रदेश	231672	कस्बा	I
73.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	865548	यू.ए.	I
74.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	1098000	यू.ए.	मेट्रो
75.	सागर	मध्य प्रदेश	308922	यू.ए.	I
76.	सतना	मध्य प्रदेश	229307	यू.ए.	I
77.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	431162	यू.ए.	I
78.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	892483	यू.ए.	I
79.	भिवांडी	महाराष्ट्र	621427	यू.ए.	I

1	2	3	4	5	6
80.	नासिक	महाराष्ट्र	1152326	यू.ए.	मेट्रो
81.	पिंपरी चिंचवाड	महाराष्ट्र	1012472	कस्बा	मेट्रो
82.	पुणे	महाराष्ट्र	3760636	यू.ए.	मेट्रो
83.	थाने	महाराष्ट्र	1262551	कस्बा	मेट्रो
84.	इम्फाल	मणिपुर	250234	यू.ए.	I
85.	काकचिंग	मणिपुर	28724	कस्बा	III
86.	जोवाई	मेघालय	25057	एम.बी.	III
87.	तूरा	मेघालय	58978	एम	II
88.	चंभाई	मिजोरम	26465	कस्बा	III
89.	लुंगलेई	मिजोरम	47137	कस्बा	III
90.	दीमापुर	नालागैंड	98096	कस्बा	II
91.	मोकोकचुंग	नागालैंड	31214	कस्बा	III
92.	बालेश्वर	उड़ीसा	156430	यू.ए.	I
93.	बरिपाडा	उड़ीसा	100651	यू.ए.	I
94.	ब्रहमपुर	उड़ीसा	307792	कस्बा	I
95.	कटक	उड़ीसा	587182	यू.ए.	I
96.	राऊरकेला	उड़ीसा	484874	यू.ए.	I
97.	सम्बलपुर	उड़ीसा	226469	यू.ए.	I
98.	करैकाल	पांडिचेरी	74438	एम	II
99.	अमृतसर	पंजाब	1003917	कस्बा	मेट्रो
100.	भटिंडा	पंजाब	217256	कस्बा	I
101.	जालंधर	पंजाब	714077	कस्बा	I
102.	लुधियाना	पंजाब	1398467	कस्बा	मेट्रो
103.	पठानकोट	पंजाब	168485	यू.ए.	I
104.	पटियाला	पंजाब	323884	यू.ए.	I

1	2	3	4	5	6
105.	बांदीकुई	राजस्थान	16295	एम	IV
106.	बिजयनगर-गुलाबपुडा	राजस्थान	24362	एम	III
107.	डुंगरपुर	राजस्थान	43108	एम	III
108.	करौली	राजस्थान	66239	एम	II
109.	मकराना	राजस्थान	91853	यू.ए.	II
110.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	101997	यू.ए.	I
111.	रांगपो	सिक्किम	3709	कस्बा	VI
112.	सिंगताम	सिक्किम	5432	कस्बा	V
113.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	1461139	यू.ए.	मेट्रो
114.	मदुरै	तमिलनाडु	1203095	यू.ए.	मेट्रो
115.	सलेम	तमिलनाडु	751438	यू.ए.	I
116.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	866354	यू.ए.	I
117.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	433352	यू.ए.	I
118.	तिरुप्पुर	तमिलनाडु	550826	यू.ए.	I
119.	धर्मनगर	त्रिपुरा	30790	कस्बा	III
120.	राधाकिशोरपुर (उदयपुर)	त्रिपुरा	21758	एन.पी.	III
121.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1042229	यू.ए.	मेट्रो
122.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	968256	यू.ए.	I
123.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	2715555	यू.ए.	मेट्रो
124.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2245509	यू.ए.	मेट्रो
125.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	1161716	यू.ए.	मेट्रो
126.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1203961	यू.ए.	मेट्रो
127.	बागेश्वर	उत्तरांचल	7803	कस्बा	V
128.	कोटद्वार	उत्तरांचल	24947	कस्बा	III
129.	मसूरी	उत्तरांचल	29329	यू.ए.	III

1	2	3	4	5	6
130.	पिथौरागढ	उत्तरांचल	44964	कस्बा	III
131.	रुड़की	उत्तरांचल	115278	यू.ए.	I
132.	भटपारा	पश्चिमी बंगाल	442385	यू.ए.	I
133.	दुर्गापुर	पश्चिमी बंगाल	493405	कस्बा	I
134.	कमरहाटी	पश्चिमी बंगाल	314507	कस्बा	I
135.	कुल्टी	पश्चिमी बंगाल	289903	कस्बा	I
136.	पानीहटी	पश्चिमी बंगाल	348438	कस्बा	I
137.	राजपुर सोनारपुर	पश्चिमी बंगाल	336707	कस्बा	I

वि.वि.प्रा. में प्लाटों/फ्लैटों का न्यून मूल्य निर्धारण

3541. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दि.वि.प्रा. में प्लाटों/फ्लैटों का न्यून मूल्य निर्धारण की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि प्लाटों/फ्लैटों का न्यून मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है। डी.डी.ए. ने यह भी सूचना दी है कि फ्लैटों की निपटान कीमत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की गई कीमत नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है। नीलामी के लिए रखे जाने वाले प्लाटों की संशोधित कीमत का निर्धारण भी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमोदित कीमत निर्धारण नीति के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आउटसोर्सिंग जोन के अंतर्गत कालोनियां

3542. श्री नकुलदास राई: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में कुछ कालोनियों को आउटसोर्सिंग जोन में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कालोनियों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्या कार्य कराए गए?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कोई आउटसोर्सिंग जोन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

बैंक जमा और छोटी बचतों संबंधी ऐसोचैम का अध्ययन

3543. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसोसिएटिड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ऐसोचैम) ने बैंक जमा और सरकार की छोटी बचत योजनाओं के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एकल बैंकिंग प्रणाली

3544. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकल बैंकिंग प्रणाली अपनाने के लिए किसी आयोग या समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने एकल बैंकिंग प्रणाली अपनाने के लिए ऐसा कोई आयोग या समिति गठित नहीं की है। तथापि, सामान्यतः भारत में बैंकिंग क्षेत्र की और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने और साथ ही इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक उपायों के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुदृढ बनाने, बासेल समिति मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता मानदंड शुरू करने, आदि के लिए उपाय निर्धारित किए हैं। वर्ष 1990 के प्रारंभ में सुधारों की शुरुआत के बाद बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में बहुत सुधार हुआ है। तुलन-पत्र एवं लाभप्रदता संकेतक अर्थात आस्तियों पर आय, शुद्ध ब्याज मार्जिन, अनुपयोज्य आस्ति (एन.पी.ए.) अनुपात, अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करने संबंधी तथा वर्गीकरण मानदंड, आदि से पता चलता है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (बेंचमार्क) के अनुसार कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल परियोजनाएं

3545. श्री सज्जन कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली में राष्ट्रमडण्ल खेल परियोजना हेतु सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सलाहकार की नियुक्ति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक उक्त परियोजना, विशेषकर रोहिणी के संबंध में आमंत्रित की गई तथा वापस ली गई निविदाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु इस मामले की जांच करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रमंडल खेल परियोजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति में कोई प्रक्रियात्मक विलम्ब नहीं हुआ।

(घ) यह सूचित किया गया है कि रोहिणी क्षेत्र में, दिल्ली विकास प्राधिकरण को सलाहकार की नियुक्ति तथा आरक्षित मूल्य पर अकेले अंतिम बोलीदाता को टेन्डर देने के संबंध में प्रतियोगिता से बोलीदाताओं द्वारा नाम वापिस लिए जाने के कारण कोई वित्तीय हानि नहीं हुई।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के लोक में प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा ऋण

3546, श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संवितरित विदेशी शिक्षा ऋण की पुनर्भुगतान-प्रतिशतता क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास परियोजना

3547. श्री हरिन पाठक:

श्री महावीर भगोरा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक और चालू वित्तीय वर्ष में भी राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात, दमन और दीव को वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया है तथा 3-12-2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन. यू.आर.एम.) शुरू किए जाने के बाद इसे समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) में मिला दिया गया है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:-

राज्य	आवंटित धनराशि (लाख रु. में)		जारी धनराशि (लाख रु. में)		सूचित लाभार्थियों की संख्या
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	
गुजरात	1908	4088	1860.89	2253.91	2125519
दमन और द्वीव	100	100	100	0.00	सूचित नहीं किया गया

[हिन्दी]

डी.एम.आर.सी. में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किया जाना

3548. श्री मित्रसेन यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेल निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें रोजगार छोड़ना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठो गए हैं/उठाए जा रहे है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण

3549. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

श्री तुकाराम गंगाधर गवाख:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चीनी सहकारी कंपनियों सहित चीनी उद्योग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के लिए चीनी उद्योग को अर्ह बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर जोर दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार को चीनी उद्योग से बहुत से सुझाव

प्राप्त होते रहे हैं। इन सुझावों में से एक सुझाव यह भी था कि चीनी उद्योग के कृषि आधारित होने के कारण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए। मौजूदा नीति के तहत, व्यक्तियों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के स्व-सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं द्वारा 10 करोड़ रुपये तक के संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश वाली खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में माना जाएगा। मामले की भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श में जांच की गयी। यह अनुभव किया गया है कि विशाल आकार होने के कारण चीनी उद्योग को बहुत अधिक मात्रा में ऋण की जरूरत है। इसलिए यदि चीनी उद्योग को ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य वर्ग विशेषकर छोटे उधारकर्ता को दिए जाने वाला बैंक ऋण प्रभावित हो सकता है।

[हिन्दी]

आवास क्षेत्र के विकास के लिए विदेशी निवेश

3550. श्री रामदास आठवले: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवास क्षेत्र के विकास के लिए शत-प्रतिशत विदेश निवेश को अपनी स्वीकृति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी बड़े और छोटे शहरों में आवास विकास के लिए विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन शहरों में यह निवेश किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या आवास कंपनियों द्वारा अन्य बुनियादी अवसंरचना का भी विकास किया जाना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार, आटोमैटिक रुट के अंतर्गत निर्माण विकास परियोजनाओं, जिसमें आवासीय व्यवसायिक परिसर, रिसोर्ट, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं, नगर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवस्थापना टाउनशिप शामिल है, के लिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है बशर्ते प्रेस नोट सं. 2(2005 सीरीज), जिसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है, में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों।

विवरण

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

एस.आई.ए. (एफ.सी. प्रभाग)

प्रेस नोट 2(2005)

विषय: नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.)

आर्थिक कार्यकलापों का सृजन करने, नए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा उपलब्ध आवास इकाइयों एवं निर्मित अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु एक साधन के तौर पर नगरों, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाओं में निवेश को प्रेरित करने की दृष्टि से, सरकार ने निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की शर्तों के अधीन, नगर, आवास, निर्मित अवसंरचना तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति देने का निर्णय लिया है (जिसमें शामिल होंगे आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधाएं; किन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा):

(क) प्रत्येक परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्रफल निम्न प्रकार होगा:

i. सर्विस्ड हाउसिंग प्लाटों के विकास के मामले में, न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र

ii. निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम 50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र

iii. मिश्रित परियोजना के मामले में, दोनों में से कोई भी शर्त पर्याप्त होगी।

(ख) इसके अलावा, निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

i. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्योगों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी का कारोबार शुरू होने के छः महीनों के भीतर निधियां लायी जानी होंगी।

ii. मूल निवेश का न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने से तीन वर्ष की अवधि से पहले प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, निवेश को एफ.आई.पी.एस. के जरिये सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर पहले भी अलग होने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना का कम से कम 50 प्रतिशत भाग अवश्य विकसित होने चाहिए। निवेशकों को अविकसित प्लाटों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों के प्रयोजनार्थ "अविकसित प्लाट" का अर्थ होगा जहां पर सड़क, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, नालियां, सीवरेज तथा विनिर्दिष्ट विनियमों के तहत लागू दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक इन आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा वह सर्विस्ड हाऊसिंग प्लाटों का निपटान किए जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व संबंधित स्थानीय निकाय/सेवा एजेन्सी से पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

(घ) परियोजना भवन नियंत्रण विनियमों, उपविधि, नियमों तथा संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग अपेक्षाओं तथा सामुदायिक सुख-सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं की शर्तों तथा मानकों का अनुपालन करेगी।

(ड) निवेशक सभी आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें भवन/योजना नक्शा, आंतरिक विकास तथा बाह्य परिधीय क्षेत्रों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने विकास, बाह्य विकास तथा अन्य प्रभारों का भुगतान सम्मिलित है, और वह संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के अंतर्गत लागू नियमों/उपविधि/विनियमों में यथा-निर्धारित अन्य सभी जरूरतों का अनुपालन करेगा।

(च) भवन/विकास योजना का अनुमोदन करने वाली संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन हेतु विकासकर्ता की मानीटरिंग की जाएगी।

2. दिनांक 21-5-2001 को सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 4(2001 शृंखला) का पैरा (iv) तथा दिनांक 4-1-2002 को जारी प्रेस नोट 3(2002 शृंखला) को अधिक्रमित किया जाता है।

हस्ता./-

(उमेश कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं. 5(6)/2000-एफसी

दिनांक 3 मार्च, 2005

बी.एस.एन.एल. को भूमि का आबंटन

3551. चौ. मुनव्वर हसन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल. एंड डी.ओ./केन्द्र सरकार द्वारा बी.एस. एन.एल. को स्टॉफ क्वार्टर स्कूल खोलने और एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में समुदाय भवन बनाने हेतु आवंटित की गई भूमि का इस प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि के उपयोग को बदल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार से इसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और भूमि का उपयोग किन परिस्थितियों के अंतर्गत बदला गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ड) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंक के वित्तपोषण को रोकने हेतु तंत्र

3552. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों और अमेरिका में अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) द्वारा विभिन्न मध्यस्थता करने वालों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा आतंक

के वित्तपोषण हेतु राशि के प्रवाह को रोकने हेतु एक तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत निगरानी एजेन्सी के रूप में वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफ.आई.यू.-इंडिया) की स्थापना की है। उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाएं और गैर-वित्तीय संस्थाएं विनिर्दिष्ट नकदी लेनदेनों और संदिग्ध नकदी लेनदेनों की सूचना एफ.आई.यू.-इंडिया को देती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और तार अंतरणों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के संबंध में भी दिनांक 13-4-2007 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं। ये मार्गनिर्देश भारतीय रीजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के कुछ सदस्य सभा की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहते हैं, अतः सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

(लोकसभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।)

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, जे.पी.सी. बनाने के लिए विपक्ष दो-तीन दिनों से सदन में चर्चा कर रहा है। सदन में जो चर्चा हो रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है, वह गलत तरीके से हुआ है।...*(व्यवधान)* जिसमें भारत की संप्रभुता को खतरा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा परमाणु समझौते के मामले पर चर्चा करेगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान संसद सदस्य श्री एन. जनार्दन रेड्डी पर हुए हमले के बारे में

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): हमारे हाउस के एक माननीय सदस्य एन. जनार्दन रेड्डी जी के ऊपर आज सुबह हमला हुआ, उनकी जान बच गई। इस हमले की पूरा सदन निन्दा करे। जनार्दन रेड्डी जी भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं और हमारे सदन के आदरणीय सदस्य भी हैं।...*(व्यवधान)* वह बाल-बाल बच गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें इस घटना पर चिंता प्रकट करनी चाहिए तथा यह खुशी व्यक्त करते हैं कि सभा के एक माननीय सदस्य को बचा लिया गया है। लेकिन ये चिंताजनक घटनाएं हैं। हम दुर्घटना की निंदा करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा के सभी वर्ग इस घटना की निंदा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे मामलों पर सरकार तथा सुरक्षा बलों को समुचित कार्रवाई करनी होती है तथा दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, आन्ध्र प्रदेश से कुछ सदस्य इस मामले पर साथ हैं।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप जो भी बात कहना चाहते हैं, हम सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद उन पर चर्चा करेंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, अपने सहयोगी श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (संशोधन) विनियम, 2007 जो 27 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल. 7/25(6)/2004-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 27 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल. 7/25(5)/2003-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सांख्यिकी, विवरणी और सूचना का दिया जाना) विनियम, 2007 जो 19 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. सी.ई.ए./पी.एल.जी./एल.एफ./9/40/07 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2007 जो 31 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 2/2(1)/2006-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टा आवासन) विनियम, 2007 जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 7/1(2)/2007/स्था./सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6938/2007]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर मेम्बर भर्ती नियम, 2006 जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 161 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6939/2007]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, 2007 जो 8 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6940/2007]

(2) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मरणासन्न रोगियों की चिकित्सा (रोगियों और चिकित्सकों की संरक्षा) - मार्च, 2006 के बारे में 196वां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6941/2007]

(दो) लोक अभियोजक की भर्ती - जुलाई, 2006 के बारे में 197वां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6942/2007]

(तीन) साक्षी पहचान संरक्षा तथा साक्षी संरक्षा कार्यक्रम पर परामर्श पत्र - अगस्त, 2004 सहित साक्षी पहचान संरक्षा तथा साक्षी संरक्षा कार्यक्रम - अगस्त, 2006 के बारे में 198वां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6943/2007]

(चार) नावाजिब (प्रक्रिया संबंधी और अधिष्ठायी) संविदा का निबंधन - अगस्त, 2006 के बारे में 199वां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6944/2007]

(पांच) मीडिया फ्री स्पीच द्वारा विचारण तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उचित विचारण - अगस्त, 2006 के बारे में 200वां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6945/2007]

(छह) दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के लिए तथा आपात चिकित्सा स्थिति के दौरान और प्रसवाधीन महिलाओं के लिए आपात चिकित्सा देखभाल (प्रारूप मॉडल विधि उपाबद्ध) - अगस्त 2006 के बारे में 201वां प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6946/2007]

(3) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 1 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 319(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 8 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6947/2007]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2007 जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(7)/102/2007(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6948/2007]

(2) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 29क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) जो 17 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा, जिसके द्वारा एक अध्यक्ष और चार सदस्यों वाले एक गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6949/2007]

(3) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448(अ) जो 28 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक अध्यक्ष और दस सदस्यों वाले एक गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6950/2007]

(4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 10ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 489(अ) जो 17 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्यों वाले एक अधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6951/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(एक) फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6952/2007]

(दो) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6953/2007]

(तीन) लांग्पी देहांगी ग्रामीण बैंक, दिफ

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6954/2007]

(चार) बैतरनी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6955/2007]

(पांच) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6956/2007]

(छह) पांडियन ग्राम बैंक, विरुद्धनगर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6957/2007]

(सात) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6958/2007]

(आठ) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6959/2007]

(नौ) विश्वेसरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6960/2007]

(दस) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6961/2007]

(ग्यारह) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इंदौर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6962/2007]

(बारह) उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6963/2007]

(तेरह) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पापुम-परे

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6964/2007]

(चौदह) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6965/2007]

(पंद्रह) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6966/2007]

(सोलह) एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6967/2007]

(सत्रह) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6968/2007]

(अठारह) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6969/2007]

(उन्नीस) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6970/2007]

(बीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6971/2007]

(इक्कीस) बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6972/2007]

(बाइस) पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, हावड़ा

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6973/2007]

(तेइस) औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6974/2007]

(चौबीस) ढेंकनाल ग्राम्य बैंक, ढेंकनाल

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6975/2007]

(पच्चीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6976/2007]

(छब्बीस) पुरी ग्राम्य बैंक, पुरी

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6977/2007]

(सत्ताईस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6978/2007]

(अट्ठाईस) मिजोरम ग्रामीण बैंक - एजवाल

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6979/2007]

(उनतीस) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6980/2007]

(तीस) उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, मेरठ

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6981/2007]

(इकत्तीस) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6982/2007]

(बत्तीस) साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6983/2007]

(तैंतीस) ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक, बेहरामपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6984/2007]

(चौंतीस) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6985/2007]

(पैंतीस) वनाचल ग्रामीण बैंक, दुमका

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6986/2007]

(छत्तीस) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6987/2007]

(सैंतीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6988/2007]

(अड़तीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6989/2007]

(उनतालीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6990/2007]

(चालीस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6991/2007]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाकघर (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 2007 जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6992/2007]

(3) भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय निर्यात आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2007 जो 28 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्जिम/पेंशन/2006 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6993/2007]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6994/2007]

(5) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2006 जो 9 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 07/यू.जी.बी./एच.ओ./पर्स/300 में प्रकाशित हुए, थे।

(दो) श्रेयस ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 5 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

पी.सी.डब्ल्यू./आर.आर.बी.डी./302/988/2006-07 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वनांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 28 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./पी.ई.आर./38/2007-08 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कलिंग ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 21 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.ए.डी./एच.ओ./68/2007-08 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) देना गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 21 अप्रैल, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 16 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6995/2007]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 693 (अ) जो 1 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 769 (अ) जो 16 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 854 (अ) जो 31 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 982 (अ) जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1102 (अ) जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1171 (अ) जो 18 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1413 (अ) जो 16 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा-शुल्क और सेवा कर) प्रक्रिया (संशोधन) विनियम, 2007 जो 16 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 486(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6996/2007]

(7) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) जो 11 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों को जिनका उनके अभिग्रहण किए जाने के यथाशीघ्र पश्चात् उनका व्ययन किया जा सकता है, वे अधिकारी जो उनका इस प्रकार व्ययन कर सकते

हैं और वह रीति जिसमें उनका व्ययन किया जा सकता है, को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6997/2007]

(8) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 562(अ) जो 22 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी ताईपेई में मूलतः उद्भूत या वहां से निर्यातित होने वाले नौनीफिनोल के भारत में आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 563(अ) जो 22 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 12 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 97/2002-सी.शु. का विखंडन करता है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6998/2007]

(9) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 433(अ) जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15-1-2007 से पहले की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय आवक रोमिंग उपभोक्ता को दी गई रोमिंग सेवा कर सेवा कर अदा करने की आवश्यकता नहीं होने संबंधी निदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6998/2007]

(10) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 565(अ) जो 23 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7000/2007]

अपरा. . 12.06 बजे

अंतर-संसदीय संघ की एक सौ सोलहवीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिवः महोदय, मैं 29 अप्रैल से 4 मई, 2007 तक नुसा दुआ, बाली (इंडोनेशिया) में हुए अंतर-संसदीय संघ की 116वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7001/2007]

अपराह्न 12.06¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं 10वें और 11वें सत्रों के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की हुई 25वीं से 30वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06½ बजे

विशेषाधिकार समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2007-08) का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.07¼ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

अठाईसवें से इकतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'भूमि प्रबंध' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन;

(2) 'रेलवे उत्पादन इकाइयां - कार्यशालाएं और रोलिंग स्टॉक का रख-रखाव' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

(3) 'रेलवे नेटवर्क का विस्तार - नई लाईनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन;

(4) 'मेट्रोपोलिटन शहरों में टर्मिनल सुविधा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.08 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): मैं, विद्युत मंत्रालय से संबंधित दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08¼ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पचासवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): मैं सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, मैं जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2007 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम: मैं, जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2007 के बारे में समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.09¼ बजे

कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधी सरकार की नीति के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.09½ बजे

लाभ के पद के संबंध में संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा लाभ के पद के संबंध में संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2007 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लाभ के पद के संबंध में संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2007 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ), के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10¼ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्ष 2005-06 के इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय का चुना जाना

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह घोषणा करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2005-06 के इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। इससे पूर्व भी वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय ने इस पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया था।

संसदीय कार्य मंत्रालय एक छोटा मंत्रालय होते हुए भी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7002/2007]

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी बनाने का जो मामला है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया इंतजार करें। चर्चा हेतु अभी एक या दो मद शेष हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः नहीं, महोदय।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गवर्नमेण्ट बिजनेस पहले नहीं लिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह अन्य मामला है। अब मैं इस पर आ रहा हूं। अब मद सं. 22 - श्री प्रियरंजन दासमुंशी

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मल्होत्रा जी, इनके बोलने के बाद आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.10½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 10 सितम्बर, 2007 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा:

1. आप के आदेश पत्र से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना और उन्हें पारित किया जाना:-

   (क) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2006; और

   (ख) संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध)

अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 पर विचार करना और उसे पारित किया जाना।

(4) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार करना तथा उसे पारित किया जाना।.

(5) राज्य सभा से पारित होने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना और उन्हें पारित किया जाना:

(क) सड़क से वहन विधेयक, 2005; और

(ख) भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 1994

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि आपको ज्ञात है अब मेरे पास निवेदन के लिए कतिपय नोटिस हैं। प्रो. मल्होत्रा, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कई दिन से इस सदन में इस बात की चर्चा हो रही है पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य यहां दिया है। प्रधानमंत्री तीन बार बोल चुके हैं और उनके बोलने के बाद यह सदन की सम्पत्ति हो गई है, वह हाउस की प्रोपर्टी हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की बाहर एक कमेटी बना दी गई और उस प्राइवेट कमेटी में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस संबंध में नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब उन्हें लगता है कि कमेटी की जरूरत है तो ज्वाइंट पार्लियामेन्टरी कमेटी क्यों नहीं बनाई जा सकती है? महोदय, हमारी मांग है कि जे.पी.सी. बनाई जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप चर्चा करने हेतु एक मद का सुझाव दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कोई प्रश्न नहीं, महोदय। *[हिन्दी]* जब प्राइवेट कमेटी बनाई जा सकती है, तो जे.पी.सी. क्यों नहीं बनाई जा सकती है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर एक सुस्थापित प्रक्रिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यदि बाहर प्राइवेट कमेटी बनाई जा सकती है, तो जे.पी.सी. क्यों नहीं बनाई जा सकती है? बाहर कमेटी बनाना ओपोजीशन का भी अपमान है और पार्लियामेन्ट का भी अपमान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे अपना वाक्य पूरा करने दें। इस संबंध में एक सुस्थापित प्रक्रिया है। मुझे दस माननीय सदस्यों से नोटिस प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि चर्चा हेतु उनके विषयों को लिया जाए। मैं उन्हें पढ़ूंगा। मैं उन सदस्यों को अनुमति दूंगा जिन्होंने नोटिस दिए हैं। उन्हें बोलने का अधिकार है।

प्रो. मल्होत्रा, चूंकि आप मुख्य विपक्षी दल के उपनेता हैं, *[हिन्दी]* इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, लेकिन मेन ओपोजिशम पार्टी को तो इन्होंने बाहर कर दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं नोटिस देख लेता हूं।

श्री हंसराज गं. अहीर

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विषय के बारे में निवेदन है।

[हिन्दी]

यह सरकारी काम नहीं है।

[अनुवाद]

डा. सत्यनारायण जटिया। श्री तुकाराम रेंगे पाटील।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. जटिया, क्या आप बोलना चाहते हैं?

[हिन्दी]

आप अपना सबमिशन बोलिए।

...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें।

1. केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल एवं सिंचाई के लिए आन्तरिक मार्ग निर्माण...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एक माननीय सदस्य चर्चा के लिए विषय शामिल करवाना चाहता है। उनके लिए व्यवधान उत्पन्न करना सही नहीं है। आपके दल के एक माननीय सदस्य चर्चा के लिए दो विषयों का उल्लेख करना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.14 बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मद सं. 24 पर चर्चा होगी। हमने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा किया जाना निर्धारित किया है। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की शुरुआत करेंगे। यह किसानों का मुद्दा है। आपको यह मुद्दा उठाना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, क्या आप बोलना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य - उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 23 पर चर्चा करेंगे। श्री ऑस्कर फर्नांडीस।

...*(व्यवधान)*

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि शिक्षु अधिनियम, 1961 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, विचार किया जाए।"

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शिक्षु अधिनियम, 1961 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सभा इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा आरम्भ करेगी।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 7-9-2007 में प्रकाशित।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में तीन दिनों से जे.पी.सी. बनाने के लिए चर्चा चल रही है।...*(व्यवधान)* (कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और आपसे संरक्षण चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। आप कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद सं. 25 पर चर्चा करेगी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह सदन का अपमान है। यह सदन की अवमानना है। एक बार प्रधान मंत्री जी का बयान आ गया, फिर उसके बाद सदन की सहमति हो गयी। पहले सदन की जे.पी.सी. बनाएं और...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): महोदय, जब हाउस आर्डर में होगा, तो ही मैं बोल पाऊंगा। बिना हाउस के आर्डर में आए मैं कैसे बोल सकता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.10 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.10 बजे पुनः समवेत हुई।

(**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद सं. 27 - श्री जय प्रकाश

अपराह्न 3.10¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 6 सितम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 6 सितम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: मद सं. 28, 29 तथा 30

श्री एल. राजगोपाल - उपस्थित नहीं।

मद सं. 31 तथा 32

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.10½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2007*

(धारा 6 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 7-9-2007 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित * करता हूं।

अपराह्न 3.11 बजे

(दो) कृषि भूमि अर्जन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007**

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश में भूमि के अर्जन के विनियमन के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि अर्जन विनियामक प्राधिकरण के गठन और तत्संबंधी अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में भूमि के अर्जन के विनियमन के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि अर्जन विनियामक प्राधिकरण के गठन और तत्संबंधी अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित * करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 7-9-2007 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.11½ बजे

(तीन) कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2007*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषकों और कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें निर्वाह भत्ते का संदाय करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित ** करता हूं।

अपराह्न 3.12 बजे

(चार) राष्ट्रीय कृषक आयोग विधेयक*, 2007

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कृषकों के कल्याण और उनके समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषकों के कल्याण और उनके समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित * करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मद सं. 37 श्री आलोक कुमार मेहता - उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.15 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक - विचाराधीन

संविधान (संशोधन) विधेयक 2004 - जारी

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 38 ले रहे हैं - श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आदरणीय मोहन सिंह जी द्वारा पेश किए गए संविधान (संशोधन) विधेयक 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन) पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मोहन सिंह जी ने इस विधेयक को पेश करते हुए बहुत अच्छे विचार सदन में व्यक्त किए थे। मैं यह बात पुरजोर तरीके से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसे संविधान का मौलिक आधार बनाकर

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 7-9-2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

प्रस्तुत किया जाए। खासकर मैं इस विधेयक पर जोर देना चाहूंगा।

महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारतवर्ष में चार करोड़ के करीब बेरोजगार हैं। इस विषय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का विशेष ध्यान अभी तक नहीं गया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन उन्हें सही अर्थों में अमलीजामा नहीं पहनाया जाता है और न ही कारगर तरीकों से उन कार्यक्रमों या योजनाओं को लागू किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। सदन के सभी पक्षों के सदस्य इस बात से काफी चिंतित भी हैं।

राज्यों में जहां भी रोजगार कार्यालय होते हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान निराशा और हताशा के वातावरण में जब वहां पंजीकरण के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कम विश्वास होता है कि रोजगार मिल पाएगा। राज्यों और केन्द्र में सरकारों द्वारा जिन विभागों में तमाम रोजगार के जो संसाधन हैं या खाली पद हैं, उन्हें भरने की कोशिश नहीं हो रही है। समय-समय पर देखा गया है, इस सदन में हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उन पदों को भरने का काम विभिन्न सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है। जब नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं होगा, तो उनकी प्रवृत्ति अपराध की ओर बढ़ेगी। बहुत से ऐसे नवयुवक हैं, जिनके माता-पिता ने उन्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया-लिखाया, इसलिए कि वे आगे चलकर कोई नौकरी करके परिवार के संसाधनों का स्रोत बनेंगे, लेकिन जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वे फिर अपराध करने पर विवश हो जाते हैं। बहुत से नौजवान तो रोजगार नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या करने को भी विवश हो जाते हैं। इसलिए हमें शिक्षा को रोजगारपरक बनाना होगा। जब छात्र इंटर कालेज, डिग्री कालेज से निकलकर विश्वविद्यालय जाए, तो उसकी जैसी मंशा हो, उसे वैसी रोजगारपरक शिक्षा दी जाए। इससे उस नौजवान को आगे चलकर अपने काम में महारत होगी और वह रोजगार पा सकेगा। अगर ऐसा हो पाएगा, तो हम बेरोजगारों को रोजगार देकर बेरोजगारी पर काबू पा सकते हैं।

हमारे देश में यह भी देखने में आता है कि कई अपराधों में जो लोग पकड़े जाते हैं, उनमें अधिकांशतः पढ़े-लिखे और सम्भ्रांत परिवारों के बच्चे होते हैं। ऐसे नवयुवक अपहरण और फिरौती के अपराधों में ज्यादा लिप्त पाए जाते हैं। देश में चाहे उग्रवाद की समस्या हो या नक्सलवाद की, इसमें भी मूल कारण बेरोजगारी ही है। उनके हाथों में रोजगार नहीं होने के कारण उनका जीवन स्तर और घर की स्थिति खराब होने के कारण वे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाते हैं।

सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं और इस बिल को बल देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत कम पैसे की इसमें व्यवस्था की गयी है। आप इसमें प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करें, ताकि जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे सकें तो अच्छा है, नहीं तो उन्हें आप बेरोजगारी भत्ता दे सकें। स्वर्गीय लोहिया जी ने सबसे पहले कहा था कि नौजवानों को रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने की। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शुरुआत तत्कालीन सरकार ने की थी उसको वर्तमान सरकार ने एक कलम से खत्म कर दया, जोकि निंदनीय है। सरकार कहती है कि हम न्याय देंगे। जब राजग की सरकार थी, माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम एक करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन वह सरकार रोजगार नहीं दे पाई। हमारी जनसंख्या भी निरंतर बढ़ रही है। चाहे यू.पी.ए. की सरकार हो या राजग की सरकार रही या यू.पी. में हमारी सरकार रही। आज की सरकारों को इस बारे में गौर करना पड़ेगा कि जो नौजवान शिक्षित हैं उनको हम रोजगार दें, ताकि उनकी प्रवृत्ति जो गलत रास्ते पर जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके और हम अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकें। इस विधेयक पर बल देते हुए मैं गुजारिश करुंगा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री एस.के. खारवेनथन - उपस्थित नहीं। चौधरी लाल सिंह

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपकी इजाजत से मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद। काफी दिनों से संसद नहीं चल रही है और हम सोच रहे हैं कि जिस ड्यूटी के लिए हम आये हैं वह ड्यूटी हम निभा नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता माननीय मोहन सिंह जी पहले भी एक बेहतरीन किस्म का विधेयक लाये थे और आज दूसरी बार राइट टू एम्प्लाएमेंट की बात उन्होंने कही है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस तरह की सोच की इस देश को जरूरत है।

आज देश का शिक्षित नौजवान चिंतित है, परेशान है, ड्रग्स में लिप्त है तो उसका मूल कारण उसकी बेरोजगारी है। जो आदमी रोजगार में लगा होता है उसका ध्यान रोजगार के अलावा कहीं नहीं जाता है, लेकिन अगर नौजवान बेरोजगार हो तो वह जल्दी भटक जाता है और वैसा ही आज बेरोजगार नौजवानों के साथ हो रहा है। आजादी के 61 वर्षों में हमने बहुत सी प्लानिंग की, स्कीमें बनाईं और बहुत सारे नाम उन स्कीमों को दिये। उन स्कीमों से लगता है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने जा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुंगेरी लाल के सपनों में सब सोच रहे हैं और बेरोजगारों की असली मुश्किल को कोई नहीं समझ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वह "नॉन ओरिएंटेड और नॉन गारंटेड है"। एक नौजवान बच्चा मेरे स्टेट का दिल्ली में काम करने आया। उसके पास पूरी डिग्रियां हैं, होशियार बच्चा है।

महोदय, उस नौजवान ने कहा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि बचपन में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरी मां ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की। उस स्कूल में हम दोनों भाइयों की आधी फीस थी। हमारी मां ने बहुत मुश्किल से हम दोनों भाइयों को पढ़ाया। आज जब मैं नौकरी के लिए अपनी डिग्रियां ले कर जाता हूं, तो मुझसे कहा जाता है कि क्या किसी की सिफारिश लाए हो? मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरी डिग्रियां हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम बाहर जा कर दूसरी उम्मीदवारों के साथ बैठ जाओ। मैंने उस नौजवान के साथ खाना खाया और एक घंटे तक उसे समझाया कि अगर तुम डिप्रेशन में हो, तो तुम्हारी मां तुमसे पहले मर जाएगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें स्ट्रग्ल करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं किसके पास जाऊं, मैं क्या करूं, न तो मेरी डिग्री की कीमत है और न ही मुझे कोई मजदूरी देता है।

आज जब हम नौजवानों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, ये ऐबी है, तब हम यह नहीं सोचते कि हमने इसे क्या दिया है। हमने उसे पढ़ाया, तो वह पढ़ा। हमने उसे नहीं पढ़ाया, तो वह अनपढ़ रहा। हमने उसे वोकेशनल एजुकेशन दी, तो उसने पढ़ी। हमने उसे टैक्निकल एजुकेशन दी, तो उसने प्राप्त की। इन सभी डिग्रियों से उसे कोई फायदा नहीं है। आज किसी बच्चे को आसरा नहीं है, तो वह किसके पास जाएगा? पहले एम्प्लाएमेंट एश्योरेंस स्कीम्स बनाई गई, नेशनल रूरल एम्प्लाएमेंट गारंटी स्कीम बनाई गई, बहुत सी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो बेरोजगारी बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। हमें रोजगार को अपने फंडामेंटल राइट्स में जोड़ना चाहिए। आप एक्स बनाकर कामयाब नहीं हो पाए। मैं पिछले दिनों एक जलसे में गया, वहां लोगों ने अपने जॉब कार्ड निकाल कर मुझे दिए। उन्होंने मुझे कहा कि छह-छह महीने से जॉब कार्ड मिले हैं और तीन महीने हमें काम किए हुए हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक देहाड़ी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। एक्ट बनने के बाद आज भी यही स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों की बेरोजगारी के बारे में कौन जानेगा? बेरोजगार अगर जुलूस निकालते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो उन्हें मारने के लिए पुलिस मौजूद है, टाडा, मीसा आदि लगा दो, कहते हैं। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है। माइनोरिटीज को, मैजोरिटी को, एस.सी. को एस.टी. को शिक्षा दो। जो एजुकेटिड हों, उन्हें नौकरी मिले। गरीबों को पढ़ाई में स्कालरशिप दे दो, यह बेरोजगारों की आंखों में धूल झोंकी गई है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि बच्चे के पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एमफिल करो, पी.एच.डी. करो।

पिछले दिनों मेरी स्टेट में फोर्थ क्लास का इंटरव्यू हो रहा था, मुझे अफसोस हुआ जब एम.एस.सी. और अंडर मैट्रिक के बच्चे चपरासी की लाइन में खड़े थे। ऐसा क्यों था, जब उसकी डिग्री कहीं और नहीं चली तब चपरासी के लिए वही डिग्री लेकर आया। यह कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? जिस एजुकेशन सिस्टम में फोर्थ क्लास के लिए अच्छा पढ़ा लिखा एप्लाई करता है। आपको इसे चेंज करना चाहिए, ये केवल लंबी-चौड़ी कहानियां हैं। इन डिपार्टमेंट्स की बड़ी-बड़ी किताबें लिखी गई हैं, नई-नई किताबें आती हैं लेकिन इन किताबों में उलट-पुलट चीजें होती हैं, कहीं भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है, कहीं राणा प्रताप सिंह जी की कहानी उलट-पुलट लिखी जा रही है,

[चौधरी लाल सिंह]

कहीं भगवान रामचन्द्र और कृष्ण की कहानी है, यह बहुत गलत चीज है। उल्टी-पुल्टी कहानी की कलाकारी करने की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि उसे नौकरी, रोजगार नहीं मिलता है *[अनुवाद]* शिक्षा का क्या लाभ? आपको शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। *[हिन्दी]* इसे कानूनी मोड़ देना चाहिए, यह सिस्टम कह रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए जिससे चाहे मैम्बर ऑफ पॉर्लियामेंट, चौधरी लाल सिंह हो, एम.एल.ए. हो, एजुकेशनिस्ट हो, आई.ए.एस. हो या आई.पी.एस. हो, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें ताकि एक इन्फ्रास्ट्रेक्चर को चैक करें। डी.सी. या चौधरी लाल सिंह का बच्चा बड़ी जगह पढ़ेगा और आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ेगा, जहां न टीचर होगा, न टाट होगा, न स्टाफ होगा, जब वहां कुछ नहीं होगा तो उसे कहा जाएगा यह नालायक है। एक तरफ स्टेट बोर्ड है और दूसरी तरफ सी.बी.एस.ई. है इसी तरह तीसरी कुछ और है और चौथी लक्जरी है, आज हमारी एजुकेशन का स्टाइल क्या बन गया है? लोग अंग्रेजी बोलने से सोचते हैं कि देश की तरक्की हो जाएगी। अंग्रेजी बोलने वालों को कहा जाता है कि ये बहुत मॉडर्न हैं, कपड़े कम पहनते हैं। हमारा कल्चर इतना गिर गया है कि कोई न कोई केस बनता जा रहा है। स्कूलों में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक एजुकेशन स्ट्रक्चर चाहिए। जो एम.बी.बी.एस. पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग पढ़कर इंजीनियर बने, जिन्होंने पॉलीटेक्नीक किया, आई.टी.आई. किया, टेक्नीकल ट्रेनिंग की, वे सब रोते हैं।

सभापति महोदय: चौधरी जी, आप इस बिल पर पहले बोल चुके हैं, आपका नाम गलती से लिया गया है इसलिए कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

चौधरी लाल सिंह: वह बेरोजगारी भत्ते के बारे में था। *[अनुवाद]* महोदय, यह रोजगार के अधिकार के बारे में है। महोदय, यह अलग विषय है।

सभापति महोदय: मैं ऐसा रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मेरा आपसे निवेदन है कि फंडामेंटल राइट्स में इसे इन्कलूड करवाएं ताकि बेरोजगारों का मामला ठीक हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सदन के सामने बहुत ही अहम विधेयक लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके साथ शैलेन्द्र जी और लाल सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह के प्रस्ताव पर बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है।

संविधान संशोधन विधेयक, 2004 में माननीय सदस्य ने कोशिश की है कि जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सरकार जो व्यवस्था कर रही है, उसमें जो कमी है, उसे वह बेरोजगारी भत्ता देकर पूरा करने का काम करे। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारे देश की जनसंख्या एक अरब से भी ज्यादा है। इस जनसंख्या में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग चार करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जो लोग नियोजनालयों में अपने नाम दर्ज कराते हैं, उनके आंकड़ों के अनुसार मैं यह बता रहा हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से शिक्षित नौजवान हैं, जो अपने नाम नियोजनालयों में दर्ज नहीं करा पाते हैं। चूंकि उन्हें कोई इंटरैस्ट नहीं है, क्योंकि रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। रोजगार मिलेंगे ही नहीं, इसलिए दफ्तरों में जाकर अपना नाम दर्ज कराने से क्या फायदा है। अब से कुछ समय पूर्व

अपराह्न 3.37 बजे

(श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए)*

नियोजनालयों के माध्यम से जब सरकारी विज्ञापन निकाला करते थे तो उनमें एसेंशियल होता था कि जिन लोगों के नाम नियोजनालयों के माध्यम से आयेंगे, उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। लेकिन वर्षों से आम तौर पर यह अहसास हो रहा है, चाहे वह राज्य सरकार का दफ्तर हो या भारत सरकार का दफ्तर हो, कहीं से भी रिक्तियां नहीं आ रही हैं। जब हम रिक्तियों की बात करते हैं तो जब से नई आर्थिक नीति आई है, तब से हमारे जैसे गरीब देश के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पहले कहा जाता था कि नई नीतियां आयेंगी तो रोजगार मिलेगा, मल्टी नेशनल कंपनियां आयेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन खास तौर से जब से कंप्यूटर का युग आया है उसके बाद से जहां पचास आदमी हाथों से काम करते थे, नये उपकरणों के माध्यम से पांच आदमियों से ही वह काम चल जाता है

और कहीं-कहीं आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस तरह से रोजगार के अवसर घटाये जा रहे हैं। ऐसी नीतियां बन रही हैं, जिनके कारण रोजगार के अवसर दिन-ब-दिन घटते जा रहे हैं। खास तौर पर जब भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो लोगों की छंटनी की जाती है, वी.आर.एस. दी जाती है। इस तरह से नौजवानों की भर्ती के जो अवसर थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। कहीं भी वेकेन्सी नहीं निकलती है तो रोजगार कहां से मिलेगा। आज नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है। इसी चिंता से व्यथित होकर माननीय सदस्य इस बिल को लाये हैं। आप इस बात का अहसास कर रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। हमारे देश के नवयुवक किस दिशा में जा रहे हैं। बेरोजगारी के कारण चारों तरफ अपराध बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है। लेकिन इस सबका मूल कारण रोटी है। जब रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो बाध्यता है, वह चोरी करेगा, डकैती डालेगा।

माननीय सभापति महोदय, आम तौर पर आपने देखा होगा और आजकल टी.वी. में यही चल रहा है, देश में जो अपराध हो रहे हैं तथा हत्याओं की घटनाएं हो रहीं हैं, उन सबको मिर्च-मसाले लगाकर टी.वी. वाले लोग समाज को दिखा रहे हैं। इसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, खैर वह अलग बात है। पी.एच.डी. किये हुए लोग अपराध में शामिल हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी, आपको एहसास करना होगा। आप तो गांवों के लोग हैं। दरी बिछाकर यहां तक आए हैं। लम्बी अवधि आपने लोगों के बीच में काटी हुई है। आप तो ज्यादा एहसास करते होंगे। मूल कारण यह है कि लोग फ्रस्टेशन में आ रहे हैं। गरीबी हमारे देश में पहले से ही है लेकिन पढ़ने-लिखने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता है। इस देश की आधी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। आर्थिक नीतियों की वजह से बड़े पैमाने पर हमारे रोजगार के अवसर घट रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम लेबर की छंटनी कर रहे हैं। यह मैं सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूं। हाथ के भी काम छीने जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी।

आजकल मॉल संस्कार हमारे देश में आ रहा है। चाय, जूता-पॉलिश, टूथपेस्ट और सब्जी भी उसी में बिक रही है। सारे आइटम्स एक ही बिल्डिंग में बिक रहे हैं। मंत्री जी, क्या कभी आपने पता किया है कि जिस इलाके में मॉल है, आप तो जिस शहर से आते हैं, वहां दुनिया भर के मॉल आ गये हैं। आप गांवों में जाकर पता करिए कि जो लोग रोजगार से विहीन हो रहे हैं, जिनके हाथ बेकार हो रहे हैं, आप उनसे उनकी स्थिति का पता करिए। आपने यह एहसास किया है, तभी आप यह बिल लेकर आए हैं। ऐसी-ऐसी नीतियां आ रही हैं, ऐसे-ऐसे संस्कार हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था अलग होनी चाहिए। हमारी मानसिकता अलग तरह की होनी चाहिए लेकिन हम अपनी मानसिकता से बिल्कुल विपरीत विदेशी मानसिकता अपना रहे हैं लेकिन मेरा कहना है कि हम इस कल्चर में सर्वाइव नहीं कर सकते।

भारत एक विशाल देश है। यहां गरीबी, फटहाली तथा बेरोजगारी पहले से ही ज्यादा है। हम वैसे ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने रोजगार गारंटी योजना चालू कर दी है। सरकार चाहती है कि वह गांवों के लोगों को रोजगार दे। लेकिन वह भी कारगर ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा पर भी ध्यान देना अच्छी बात है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तकनीकी शिक्षा देकर यह अनिवार्य करना चाहिए कि जिनको तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे आई.टी.आई. हो या छोटे-छोटे वोकेशनल पढ़ाई के माध्यम से हो, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया आपने चालू की है मगर उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनका बना हुआ सामान विदेशी कंपनियों के सामान से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। आज हमारे देश के हर घर में चाइना का सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा?

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव: सर, घंटी मत बजाइए। घंटी बजेगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा।

सभापति महोदय: आपको पन्द्रह मिनट हो गये हैं। आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री राम कृपाल यादव: सर, हमने अभी बोलना प्रारम्भ ही किया है। पन्द्रह मिनट में क्या होता है? इस पर तो पन्द्रह घंटे भी कम हैं। यह ऐसा विषय है। मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सहयोग मुझे चाहिए। बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा और जहां आपने घंटी बजाई, वहीं सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो आप घंटी बजा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है। थोड़ा संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री राम कृपाल यादवः सभापति महोदय, आपकी मजबूरी है तो सदन की सहमति है कि मैं बोलूं।...*(व्यवधान)* आपकी भी इच्छा होगी कि मैं बोलूं।...*(व्यवधान)* मैं बता रहा था कि स्थिति बहुत भयायह होती जा रही है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि विदेशों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। किस तरफ इनका ध्यान है? हमारे यहां की शिक्षा कल्चर है जिसमें हमारे मां-बाप कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा डाक्टर, इंजीनियर, आई.ए.एस., बने और यह मां-बाप के लिये स्वाभाविक भी है और आपके लिये भी है। लेकिन बच्चे का दिल नहीं लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिलने वाला है। वह जबरदस्ती एम.ए. या पी.एचडी कर लेता है। इसलिये रोजगार शिक्षायुक्त बनाने की आवश्यकता है। आज आबादी के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि आबादी 1.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है जबकि बेरोजगारी 2.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। यह देश कैसे चलेगा, इससे बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है? जहां संविधान ने मौलिक अधिकार दिया हुआ है, वहां सरकार का दायित्व होना चाहिये कि रोजगार की व्यवस्था करे। यदि रोजगार नहीं दे सकती है तो बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी, जब आप कानून बनायेंगे, क्या रोजगार के अवसर देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे जिससे सरकार पर मानसिक दबाव बनेगा और उस दबाव में सरकार आगे यह व्यवस्था करेगी और रोजगार उपलब्ध करायेगी। अगर यह नहीं होगा तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। जब सरकारी कोष पर भार पड़ेगा तो सरकार सोचेगी, एक पौलिसी बनायेगी जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। मगर यह नहीं हो पा रहा है। हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश में नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं जिसका मूल कारण बेरोजगारी है। उसमें हमें कमी करनी पड़ेगी। इसके लिये सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। क्या आप चाहेंगे कि बन्दूक की नोक पर या एके-47 से अपराध नियंत्रित कर देंगे, नक्सलवाद पर नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यहां के नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। इस कारण उनका शोषण किया जा रहा है। जैसा चौ. लाल सिंह जी जम्मू कश्मीर की बात बता रहे थे कि वहां नौजवानों का शोषण किया जा रहा है। जहां आतंकवाद की गतिविधियां नहीं रहती हैं, वहां उन्हें लालच दिया जाता है कि यह काम कर दो, हम तुम्हें हजारों रुपये देंगे। चूंकि उसके पास रोजगार नहीं है, उसकी बाध्यता है, उसे अपने मां-बाप और बच्चों का पेट पालना है, उन्हें रोटी की जरूरत है, इसलिये उसकी मजबूरी है। अगर यह मजबूरी नहीं होती तो वह आतंकवाद की ओर नहीं बढ़ता। हमारे देश के करोड़ों लोगों को अपने देश से प्यार है लेकिन दिनोंदिन आतंकवाद की गतिविधियों में नौजवान लिप्त हो रहे हैं। वे पेट पर बम लगाकर अपने आपको उड़ा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें लालच दिया जा रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब आप समाप्त कीजिये, आप काफी कह चुके हैं। और कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राम कृपाल यादवः सभापति जी, काफी कहा हुआ है, फिर भी आप कहेंगे तो जल्दी समाप्त कर दूंगा। मैं आपकी कृपा से कनकलूड करने जा रहा हूं। जो लोग अशान्ति पैदा करके अमन-चैन कम कर रहे हैं, उसका कारण बेरोजगारी है। हमारा देश बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों पर रहा है और अमन-शान्ति हर आदमी सोचता है लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। उसका मूल कारण बेरोजगारी है। इसलिये, मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि बेरोजगारी दूर करने के लिये एक ठोस निर्णय लीजिये। आप इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिये। सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये, माननीय सदस्य से विदड्रा मत कराइये। हम लोग भाषण तो रोज सुनते हैं, आपका जवाब भी आयेगा जिससे हमें लगता है, कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा या बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, तब तक उनकी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, देश का विकास नहीं हो सकता, देश को गति नहीं मिल सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि नीतियों में परिवर्तन कीजिये और जो वैकेंसीज पड़ी हुई है, उन्हें भरने का काम कीजिये। आजकल एक नया ट्रेडीशन निकल गया है। आजकल एक नई परंपरा बन रही है। पहले शिक्षक और डाक्टर्स की रिटायरमैंट एज 56 और 58 थी जिसको बढ़ाकर अब 64 और 65 कर दिया गया है। एक तरफ बुढ़ापे में आदमी काम नहीं कर पाता, उसकी हैल्थ परमिट नहीं करती और दूसरी तरफ नौजवानों के रोजगार के अवसर भी इससे खत्म हो रहे हैं। किसी की सेवा दो साल बढ़ गई तो दो साल वैकेन्सी बंद, जिससे

नई भर्तियों में आवेदकों की एलिजिबल एज समाप्त हो जाती है। इन सब नीतियों पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। तभी आप देश को तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं, शांति और अमन-चैन से रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को स्वीकार करें, अन्यथा इसी तरह की कोई और व्यवस्था करें। यह तभी हो सकता है जब संविधान में संशोधन करके रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का काम करेंगे।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक आपने स्वयं इंट्रोड्यूस किया है जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस मुल्क की बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही मौजू विधेयक है। मौजू इसलिए है कि जैसा आप भी जानते होंगे, हमारे जितने साथी यहां बैठे हैं, सब जानते होंगे कि हम लोग अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जब भी जाते हैं तो सबसे अहम मुद्दा लोगों के सामने यह होता है कि उनको नौकरी चाहिए। अक्सर लोग आकर हमसे गुजारिश करते हैं कि फलां जगह हमें नौकरी दिला दीजिए या कहीं भी नौकरी दिला दीजिए। आप स्वयं इस बात से परिचित होंगे और हम सभी परिचित होंगे कि किसी भी सांसद के हाथ में या किसी भी विधायक के हाथ में या किसी भी सरकार से जुड़े हु व्यक्ति के हाथ में ऐसा नहीं है कि वह कह देगा कि इसको वहां नौकरी दिला दो, टेलीफोन कर दिया और नौकरी मिल गई। चाहे सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी विभाग हो, दुनिया भर के लोग यही कहते हैं कि आप अगर एक फोन कर देंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। उनको यह नहीं पता कि फोन करने से नौकरियां नहीं मिलतीं। यह सही है या गलत, लेकिन एक परंपरा हमारे देश में बना दी गई है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सन् 1947 के बाद एक परंपरा हमारे देश में फौरी तौर पर बननी शुरू हो गई कि जो भी मिनिस्टर साहिबान के पास आता था या बड़े-बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के पास जाता था तो कहता था कि साहब, हमें नौकरी की जरूरत है और वह टेलीफोन पर किसी की सिफारिश या पैरवी कर देते थे तो उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन वह आजादी के प्रारंभिक काल की बातें थीं। धीरे-धीरे कानून बनने लग गए, नियम बनने लग गए, कायदे बनने लग गए, केन्द्र और राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन बन गए। उसके बाद से सरकारी विभागों में भर्तियां योग्यता के आधार पर होती हैं, परीक्षा के आधार पर होती हैं और सबको आप नौकरी नहीं दिला सकते और दिलानी भी नहीं चाहिए, पैरवी करनी भी नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं और गैर-जिम्मेदाराना ढंग से नौकरी दिलाते हैं, उनके खिलाफ आजकल देखिये क्या-क्या कार्रवाई हो रही है - पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने अध्यक्ष और मैम्बर्स जेलों में भरे पड़े हैं।

इस समय जो सबसे अहम मुद्दा है वह है बेरोजगारी का और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिए आपने जो विधेयक इंट्रोड्यूस किया है वह बहुत ही मौजू है। जब तक संविधान में बुनियादी तौर पर हम लोगों को नौकरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शायद इस मुल्क का नौजवान जो देश का भविष्य है, उसके सामने जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, इसके बारे में कोई सपना भी नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। यह बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह प्रावधान संविधान में होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, आपने यह विधेयक बना दिया और उसके बाद कानून में संशोधन हो गया तो कानून में संशोधन होने के बाद आप इसे कैसे लागू करेंगे? अब जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार ने इस बात की घोषणा एक बार नहीं, कई बार की है कि इस पर बजट में कोई ऊपरी सीमा नहीं रहेगी, चाहे 18 हजार करोड़ रुपए या 20 हजार करोड़ रुपए लगें। मैं अपने ही प्रांत की बात करता हूं कि हमारे यहां इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा। जितने पैसे दिए गए, बिहार सरकार को कहा गया कि हम आपको इतने पैसे इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए देंगे, आप इसका कार्यान्वयन कीजिए। मैं आपको फरवरी तक के आंकड़े बता रहा हूं, उसमें कुल 21 या 22 परसैंट पैसे खर्च हुए थे, ये क्यों खर्च हुए? उसमें ये मानते हैं कि सौ फीसदी खर्च नहीं हो सकते थे, लेकिन उसमें कम से कम आधा पैसा खर्च होना चाहिए था। ग्रामीण इलाकों में जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ न कुछ पैसे मिलने चाहिए थे। 68 रुपए प्रति दिन के हिसाब से उन्हें जो मजदूरी मिलती, उस हिसाब से उन्हें एक महीने में कम से कम 18 सौ रुपए मिलते, ये 18 सौ रुपए उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनमें से किसी को पांच सौ रुपए, तीन सौ रुपए या चार सौ रुपए मिलते हैं। यह और भी एक अजीब सी विडम्बना है कि उसका रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा। लोग बताते हैं कि कैसे रिकार्ड रखें। वहां पैसे मिलते हैं, जहां मिट्टी का काम करें, मिट्टी की कितनी खुदाई एवं कटाई की है, उसका एक अलग मानक है। 80 या

[श्री निखिल कुमार]

110 क्यूबिक फीट काटिए तब आपको इतने पैसे मिलेंगे। यह जो मानक बनाया गया है, यह किस आधार पर बना है? हम लोग कोई एक एबल बॉडी कह देते हैं, आप एबल बॉडी को दे दीजिए, किसी शारीरिक रूप से असहाय को मत दीजिए। अगर एबल बॉडीज हैं तब भी वह 110 क्यूबिक फीट मिट्टी आठ घंटे में कैसे काटेगा और अगर वह नहीं काटेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसका नतीजा यह होता है, यह जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा। आपने हमारे रामकृपाल जी को कहा था कि आप ज्यादा न बोलें, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसीलिए मैं केवल एक मिसाल दे रहा हूं कि जिसका बुनियादी तौर पर प्रावधान है, उस पर भी हम अमल नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम कार्यान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो, संविधान में मुनासिब संशोधन हो और हमारे नागरिकों को बुनियादी तौर पर हक मिले, उन्हें नौकरी मिले। जब ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज भाई रामकृपाल जी ने नक्सलवाद के बारे में कही। मैं ऐसे इलाके से आता हूं, जिसका बहुत लम्बा रक्तनिल इतिहास है। वहां बहुत रक्तपात और हिंसा हुई है। वहां सैंकड़ों लोग मारे गए हैं। हमारा इलाका नक्सलवाद से बुरे तरीके से ग्रसित है, उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे जितने नक्सल दर्शन के अनुयायी हैं, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं यह इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि वे चाहते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक एकता हो, यानि सोश्यो इकोनोमिक इक्वेलिटी हो, विकास हो और जमीन को लेकर झगड़े न हों। ये सब बातें बिलकुल सही हैं, लेकिन जहां मैं उनके साथ मतैक्य नहीं रखता, वह उनकी हिंसा की प्रवृत्ति है। अगर वे चाहते हैं कि अपनी बात हिंसा करके, मार-काट करके एवं रक्तपात करके मनवा लें तो मैं उसके बिलकुल खिलाफ हूं, यह नहीं होना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, हम उनसे अपील करते हैं कि वे इसे छोड़ दें। नक्सलवाद की जो फिलॉसफी है उसमें बुनियाद बात यही है कि उनके पास जो आर्थिक सांधन होने चाहिए, वे नहीं हैं। उनके पास अपना जीवनयापन करने के लिए पैसे या साधन होने चाहिए, वे नहीं हैं और वे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास अपने जीविकोपार्जन का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से भी रोजगार के लिए मौके बढ़ाना या रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी निहायत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि संविधान में कोई न कोई प्रावधान हो और उसके लिए संविधान में संशोधन हो, जैसा कि इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, भाई राम कृपाल जी ने कहा, कंप्यूटर की एज में, आजकल एक कंप्यूटर 10 आदमियों का काम कर रहा है, तो जहां एक तरफ रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी चाहिए, वहां पर आप कंप्यूटर को प्रश्रय दे रहे हैं और इस प्रकार से आप रोजगार के पेड़ को चोटी से ही काट रहे हैं, यह बात पूरे तौर से सही नहीं है। सही मायने में जो इलैक्ट्रौनिक गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस का केन्द्रीय सरकार का प्लान है, वह अगर लागू किया जाए, तो उससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, जो लोग रोजगार में हैं, वे लोग बेरोजगार नहीं होंगे। इससे होगा यह कि इस समय प्रशासन का जो सलीका है, उसमें सुधार आएगा। ई गवर्नेंस का जो प्लान यदि पंचायत तक ले जाया जाए, तो हर पंचायत में कम से कम उन दो आदमियों को नौकरी मिलेगी, जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होगा। हमारे यहां जैसे 203 पंचायतें हैं। हर पंचायत में दो ऑपरेटर्स होने चाहिए। इस हिसाब से 406 लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ-साथ कुछ ऑपरेटर्स रिजर्व भी होने चाहिए। यदि रिजर्व रखने के लिए भी भर्ती की जाए, तो वह अतिरिक्त लोगों को और रोजगार प्रदान करेगी। चूंकि यह काम हम अपने यहां, यानि मेरे क्षेत्र औरंगाबाद में करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मुझे यह मालूम है। अतः कंप्यूटर लागू करने से या प्रशासन के कामों कंप्यूटर लागू करने के यदि हम स्टैप्स उठाते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि इससे हम अनएम्पलायमेंट प्रमोट करेंगे।

महोदय, यदि हम ई गवर्नेंस को इम्पलीमेंट करते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को योग्य बनाएं ताकि वे ई गवर्नेंस में काम करने लायक बन सकें। इसके लिए कंप्यूटर की शिक्षा जरूरी है, फिर चाहे वह डिप्लोमा दिया जाए, चाहे वह बी.सी.ए. की डिग्री हो या एम.सी.ए. की डिग्री हो और इसके लिए किसी भी राज्य सरकार को कम्प्यूटर शिक्षा पर तवज्जुह देनी चाहिए। यह निहायत अहम है और इसकी अहमियत को मैं बार-बार दोहराना चाहता हूं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, मेरा अपना यह विचार है कि आपका विधेयक बहुत ही दूरदर्शिता का विधेयक

है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के युवा वर्ग को एक बुनियादी हक मिले कि वह कह सके कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दीजिए यह मेरा बुनियादी हक है। यह तभी मुमकिन होगा, जब हमारे संविधान में संशोधन हो और संशोधन कराने के लिए जो विधेयक आपने यहां प्रस्तुत किया है, इसे इस सदन से पास करना निहायत जरूरी है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात सोची है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, इस विधेयक को पुरःस्थापित करने तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे द्वारा चर्चा किये जाने के समय इस सभा की अध्यक्षता करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह प्रस्ताव भारत के संविधान में रोजगार से संबंधित राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के उपबन्धों के संशोधन के बारे में है। यह सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने के बारे में हैं, संविधान के भाग-III में रोजगार के अधिकार को बढ़ावा देने के बारे में है अर्थात इन्हें नागरिकों का मूल अधिकार बनाता है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के प्रस्ताव के रूप में आपने कहा था कि सरकार उस प्रत्येक योग्य नागरिक को सार्थक रोजगार प्रदान करायेगी, जो 18 वर्ष की आयु का हो गया है। यदि सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में विफल रहती है तो उसे तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, जब तक कि उसे सार्थक रोजगार नहीं मिलता। वित्तीय ज्ञापन में यह उल्लेख है कि प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रु. को आवर्ती व्यय तथा 1000 करोड़ रु. को गैर-आवर्ती व्यय के रूप में रखा जाना चाहिए।

तेजी से फलती-फूलती अर्थव्यवस्था के इस युग में, मैं दो उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं जोकि हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला उदाहरण है कि एक समाचार-पत्र में चपरासी के दो पदों के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसके लिए एम.बी.ए., इंजीनियरों सहित 10,000 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया। इसका वेतन 5500 रु. प्रति माह था। कृपया ध्यान दीजिए कि एम.बी.ए. और इंजीनियरिंग डिग्रियों वाले आवेदकों सहित 10,000 आवेदक थे। यह बेरोजगारी की पराकाष्ठा तथा सरकारी नौकरी की ललक को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण अयोध्या के एक 80 वर्षीय भिखारी का है, जिसने अपने दो पुत्रों को शिक्षित किया. उनमें से एक डाक्टर बन गया और दूसरा वकील बन गया।

अतः ये दो विपरीत स्थितियां हमारे सामने, हमारे देश के सामने हैं। भीख मांगना एक अपराध है; और लंबी बेरोजगारी एक ऐसा पाप है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने भूख से हुई मौतों को गंभीरता से लिया है, परन्तु बेरोजगारी से हुई मौतों पर अभी तक किसी प्रतिबद्ध संगठन अथवा व्यक्ति का ध्यान नहीं गया है।

एक अनुमान के अनुसार पूरे देश के रोजगार केन्द्रों में 41 मिलियन शिक्षित और अर्हक लोगों के नाम दर्ज हैं। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोजगार केन्द्रों में अपना ना दर्ज नहीं करा पाते क्योंकि रोजगार केन्द्रों में नाम दर्ज कराना उतना ही कठिन काम है जितना कि पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना। क्या उनको रोजगार मिलेगा या जब तक उनको रोजगार मिलेगा तब तक बेरोजगार के लिए निर्दिष्ट आयु पार कर चुके होंगे यह एक अलग मामला है लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षित लोगों के साथ-साथ अन्य लोगों को जीने का अधिकार है, जोकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जीविकोपार्जन के बिना अधूरा है।

वर्ष 1980 से 18 विकासशील देशों सहित 30 देशों ने अपने संविधानों में "काम के अधिकार" को सम्मिलित किया है। अन्य 25 देशों ने अपने नागरिकों को "काम करने का अधिकार" दिया है। लेकिन आजादी के साठ वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत के लोगों को मूलभूत "जीने का अधिकार" भी नहीं दिया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर "काम का अधिकार", शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी के मामलों में लोगों की सहायता करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। संविधान के इस नीति-निर्देशक सिद्धान्त को अमलीजामा पहनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में एक अच्छा प्रयोग किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षित ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए "भूमि सेना" नाम के एक संगठन का गठन किया और इस सेना में "भूमि सैनिकों" के रूप में हजारों युवाओं की भर्ती की गई। इन "भूमि सैनिकों" को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दिहाड़ी मजदूरी भुगतान के आधार पर देश के भीतर सिंचाई कार्यों, नहर, सड़कों, मृदा संरक्षण के कार्यों

[श्री भर्तृहरि महताब]

में लगाया गया था। उन्हें सरकारी सेवक माना गया और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में शारीरिक श्रम का योगदान देकर उन्हें श्रम की महत्ता का भी पता चला। यह योजना पांच वर्षों तक सफलतापूर्वक चलती रही इसलिए मुझे समझ में नहीं आता शायद सरकार को पता हो, कि इस प्रयोग को देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं किया गया। इसके साथ-साथ पांच वर्षों के पश्चात् इस योजना को मध्य प्रदेश में भी बंद कर दिया गया।

1920 के आस-पास बेरोजगारी में हुई आयाधिक वृद्धि के चलते अनेक पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी बीमों की शुरुआत की थी। 1980 तक आते-आते जैसाकि मैंने कहा है कि 18 विकासशील देशों सहित 30 देशों के संविधान में "काम का अधिकार" सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के माध्यम से "काम का अधिकार" शामिल किया गया लेकिन यह मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है केवल राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में इसका उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में सुझाव दिया है कि सरकार को नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को संविधान के मूल अधिकारों के समतुल्य बनाना चाहिए। "काम के अधिकार" को एक मूल अधिकार बनाकर अथवा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को सार्थक बनाकर किसी भी प्रकार से लोगों को बेरोजगारी से बचाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

भारत ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इन दोनों में काम के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अनिवार्य है।

भारत में आम तौर पर नीति की शुरुआत इस उपधारणा के साथ होती थी कि देश के लाखों बेरोजगारों को शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में रोजगार प्राप्त करना चाहिए। साथ के दशक के मध्य में आए भयंकर सूखों ने नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया, जिसके परिणामस्वरूप हरित क्रान्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप हमारे निर्धनतम क्षेत्रों की पूरी उपेक्षा हुई, जिसका परिणाम यह निकला कि कतिपय क्षेत्रों में अतिशय निर्धनता और हताशा व्याप्त है। आज आर्थिक विकास राज्यों के बीच असमानता को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है। देश के समक्ष आज यह एक बड़ी चुनौती है।

श्री सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि वर्ष 2010 तक बेरोजगारी नहीं रहेगी। लोग अपने पारिश्रमिक से संतुष्ट होंगे अथवा नहीं यह एक अलग बात है किन्तु आज बड़ी संख्या में लोगों का ऐसा विश्वास है कि आर्थिक विकास से रोजगार का सृजन होगा। रंगराजन ने कतिपय आंकड़े दिए हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। किन्तु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में कहा गया है कि यह विकास रोजगार विहीन है। आज अनेक देशों में और हमारे देश में भी रिपोर्ट यह बताती है कि भारत और चीन में जैसे विकास होगा वैसे वैसे बेरोजगारी में भारी कमी आएगी। इसके पीछे बहुत से कारण हैं - विनियम आधारित प्रतिस्थापन अर्थव्यवस्था से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा और समेकन का अपना प्रभाव है। श्रम प्रधान आर्थिक क्रियाकलापों से पूंजी प्रधान क्रियाकलापों की ओर उन्मुख होना भी एक अन्य कारण है। ये कुछ प्रमुख मानदंड है, जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं।

बाजार में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण भी रोजगार बाजार प्रभावित हो रहा है। मैं अब सुझाव पर आता हूं। मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इंफोसिस प्रमुख श्री नारायणमूर्ति ने कहा है कि बढ़ती हुई निर्धनता और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाए। आज कानून ऐसे हैं जो रोजगार का सृजन करने के लिए उद्यमियों को हतोत्साहित करते हैं। हमारे पास बड़ी संख्या में अशिक्षित और अर्द्ध-शिक्षित लोग हैं। आप उन लोगों को सार्थक रोजगार कैसे दे सकते हैं? श्री नारायणमूर्ति ने कहा है कि इन लोगों को न्यून-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। चीन ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को न्यून-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्रों में स्थानांतरित करके पिछले 11 वर्षों में 140 मिलियन नौकरियों का सृजन किया है। हमारे कामगारों को अपनी दक्षता का उन्नयन करना होगा। आज, बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है। आज अकुशल लोग ही सबसे ज्यादा बेरोजगार है।

कुशलता के स्तर पर प्रतिभा की भारी कमी है। श्रम संबंधी कठोर नीतिगत मुद्दों का समाधान न कर पाना सरकार की असफलता है। हमें यह मानना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। सरकारी अभिकरणों में रोजगार बढ़ाने सहित सरकार का और हस्तक्षेप करना ही इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी। परन्तु इस नीति को ठीक करने की आवश्यकता है।

जैसाकि सेवा क्षेत्र जो वास्तव में इस समय हमारे देश में अधिक रोजगार प्रदान कर रहा है, सेवा क्षेत्र एक समय बाद और अधिक रोजगार नहीं दे पाएगा। इस आधार पर उद्योगों को आज और अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है।

जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के 17 प्रतिशत स्नातक बेरोजगार हैं। यदि रोजगार को उत्पादक कार्य के रूप में परिभाषित किया जाए तो ये आंकड़े बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएंगे। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक है। वास्तव में 44.5 मिलियन युवक बेरोजगार हैं। इसलिए, जानकारी और कार्य के लोक पंजीकरण से संबंधित कार्यकुशलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिए जाने की भी आवश्यकता है।

अब मैं, आखिरी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। केवल व्यापक स्तर पर विनिर्माण करने वाली इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान कर सकता है। कार्यकुशलता के उन्नयन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को महत्व दिया जाए। रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। धन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जाए। धनी लोगों को बचत करनी चाहिए और निवेश करना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो धनी लोगों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकें, जिससे रोजगार का अधिक संख्या में सृजन हो सके। विकास योजना में पूर्ण परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए श्रमिकोन्मुखी उद्योग पर जोर दिया जाए। चूंकि पारम्परिक कृषि क्षेत्र में रोजगार घट रहा है, अतः, यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कृषि उद्योग और बागवानी, पुष्पकृषि आदि जैसे कुछेक चयनित ग्रामीण उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। श्रमिकों की संख्या घटाने वाली औद्योगिकियों और कार्यनीतियों द्वारा केवल जी.डी.पी. आय में वृद्धि करने के राज्य तंत्रों के दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए क्योंकि जनसंख्या के निचले स्तर के लोगों को भी जीने का अधिकार है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के दोहरे उद्देश्य पर महात्मा गांधी ने वर्षों पहले ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहाः

"आम लोगों के लिए उत्पादन करने की अपेक्षा आम लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर उत्पादन पर ध्यान दिया जाए।"

यदि तरीकों में सुधार किया जाए, तो हम बेरोजगारी को चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि हम कुछेक सीमित उद्योगों द्वारा आम लोगों के लिए उत्पादन की अपेक्षा व्यापक स्तर पर उत्पादन और व्यापक रूप से उपभोग पर ध्यान दें, तो हम बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक मौलिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। वास्तव में आप जो विधेयक लाए हैं, एक समर्थ भारत बनाने का जो सपना हमारे महापुरुषों ने संजोया था, उस आशा को हम पूरा होना देखना चाहते हैं। विधेयक में कहा गया है - राज्य प्रत्येक समर्थांग नागरिक, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को लाभप्रद रोजगार प्रदान करेगा। यह पहला हिस्सा है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, जो श्रम कर सकता है, यानी हर हाथ को काम, हर हाथ को काम का अर्थ हुआ हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार का अर्थ हुआ हर व्यक्ति का गुजारा, व्यक्ति के मायने एक व्यक्ति नहीं है, उस पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। एक नौजवान के साथ यदि उसके बूढ़े मां-बाप हैं, तो वे भी शामिल हैं। यदि उसकी शादी हुई है तो उसकी पत्नी है, बच्चे छोटे हैं तो वे भी हैं। हम कहते हैं - हम दो हमारे दो, बाकी को रहने दो। उसके मां-बाप जो बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या होगा। भारतीय परिवार की जो कल्पना हो सकती है, उस पूरे परिवार की कल्पना हमें करनी होगी। आज हम देख रहे हैं कि बेबसी बढ़ती जा रही है। जब बेबसी बढ़ती जा रही है तो आपने जो दूसरा उपाय सुझाया है, वह यह है - यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने में असफल रहता है तो, यदि उसके उपाय नहीं किए जा सकते हों, आपकी रोजगार गारंटी योजना चली, चली है, चली है, अभी पहुंची नहीं है, पहुंचेगी। हम उम्मीद रखते हैं, नाउम्मीद नहीं हैं। परन्तु वह पहुंचेगी तो पूरा रोजगार देना चाहिए। सौ दिन का रोजगार फिर उसका भत्ता, सौ दिन का रोजगार फिर उसका भत्ता। वह रोजगार क्या करता है? वास्तव में रोजगार क्या होता है। यदि वह रोजगार नहीं होता, उससे उसका गुजारा नहीं होता तो वह रोजगार नहीं है। उसका भत्ता कितना होता है? क्या उस भत्ते से उसका गुजारा होता है? यदि नहीं होता तो फिर वह भत्ता नहीं है। उसे हम भत्ता इसलिए कह रहे हैं कि

[डा. सत्यनारायण जटिया]

उससे उसे दो समय का खाना मिल जाए। इसलिए बिल में कहा गया है कि व्यक्ति को रोजगार देने में असफल रहता है तो उसे लाभप्रद रोजगार प्राप्त । तक - रोजगार का मतलब बेबसी नहीं है, रोजगार का मतलब बेगार नहीं है, रोजगार का मतलब जबरिया कुछ नहीं है, काम कितना लिया जा रहा है, उसके बदले उसे गुजारे के लिए जितना चाहिए, मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस की बात करता हूं तो आज का जमाना मिनिमम वेजेस के बारे में बात करने का नहीं रह गया, उसके बारे में सोचने के लिए कोई मौका नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण हो गया है, वैश्वीकरण का मतलब पूंजीकरण हो गया, पूंजीकरण का अर्थ हुआ कि कुछ लोग संमृद्ध हो जाएंगे, एक लाख लोग अरबपति हो जाएंगे, बाकी के लोग कहां जाएंगे। बिल में आगे कहा गया है कि लाभप्रद रोजगार प्राप्त होने तक ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो विधि द्वारा विहित किए जाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का अर्थ ही है कि किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, तो उसका सुबह का खाना, शाम का खाना, उसकी भूख, प्यास, उसके रहने के लिए आवास आदि का प्रबंध होना ही चाहिए। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जितना जरूरी है, वह होना चाहिए। आपको पता है, मुझे पता है, सब लोगों को पता है, सबने गांव देखा है, गरीब देखा है, मजदूर देखा है। यह जो सारी स्थिति बनी हुई है, इसे हम हिन्दुस्तान की साठ साल की आजादी के साथ जोड़ रहे हैं, उसे हमें जोड़कर देखना ही चाहिए।

आप कौन-कौन सी योजनाओं में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और उससे कितनी उपलब्धि हो रही है, यह समीक्षा की बात होगी। किन्तु देश में बेरोजगारी के कारण कोई आदमी भूखा मर रहा है, उसकी जिंदगी का गुजारा मुश्किल हो गया है, यदि यह पक्ष हमने नहीं देखा, तो आपकी जो भी उपलब्धि होगी, उसे हम उपलब्धि नहीं कहेंगे, समृद्धि नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी बात यह है कि हर आदमी को गुजारा करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, फिर चलाते रहें आप अपनी दुकान, फिर करते रहें सब समाधान, फिर करें कुछ विधि-विधान।...(*व्यवधान*) आपकी चल रही हैं तभी आपको बोला जा रहा है। आपकी नहीं चलती होती, तो आपको हम क्यों बोलते?

माननीय सभापति जी, आपने एक बहुत बेहतरीन बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम किया। वैसे भी संसद के अंदर ध्यान ही आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। इसलिए आप यह सुनिश्चित करिये कि देश का जो बजट बनाया जाता है, उस बजट में कोई भूखा न रहे। किसी के पास रहने के लिए छत न हो, तो उसके पास छत होनी चाहिए। उसका गुजारा चलाने के लिए भोजन का प्रबंध होना चाहिए। इसके साथ-साथ उसके तन पर कपड़ा होना चाहिए। अब ये सारी बातें नहीं हो रही हैं क्योंकि उपभोक्ताओं को देने की आपकी जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहां न अनाज है, न कपड़ा है और न ही बाकी की चीजें हैं। इस तरह सारी बातें बेकार हो जाती हैं। इसलिए आप शुरुआत वहीं से करिये। अगर एक गिनना है, तो वहीं से गिने कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे देश की आबादी 110 करोड़ से ज्यादा हो गयी, यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भूखा नहीं रह रहा है। यही कल्याणकारी राज्य की कल्पना है। यही सब लोगों के भले के लिए एक वेल्फेयर स्टेट की कल्पना है। इसलिए जब भारत का संविधान बोलता है, तो ऐसे ही बोलता है कि हम भारत के लोग - एक समर्थ एक कमजोर, एक खरबपति, अरबपति, करोड़पति और एक को कुछ नहीं। यह जो अंतर है, आय का जो अनुपात देश में होना चाहिए, वह असीमित हो गया है। एक समय आदर्श कल्पना थी कि आय का अनुपात है, वह सबसे गरीब आदमी को, यदि वह रोजगार करता है और उसको कुछ मिलता है, तो उसका 20 गुणा अधिकतम और अब एक और दस का अनुपात है, तो यह क्या हो गया? अभी कुछ लोगों की तनख्वाहों के बारे में पत्रिकाओं में छपा हुआ है कि उनकी करोड़ों रुपये की तन्खवाहें हो रही हैं। अब इतनी ज्यादा तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूंजी का वर्चस्व हो गया है, इसलिए आप सिर नवा कर उसे स्वीकार करते जाइये। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, तो क्या सही मायने में हम लोकतंत्र हैं? इसलिए प्रिएम्बल का जो एक-एक शब्द है, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए चाहे वह कोई भी सरकार हो। पिछले 60 सालों में क्या हो गया, इसका हिसाब चाहिए, चाहे कोई भी सरकार रही हो। इसलिए जब तक हम ईमानदारी से सारे पक्षों के बारे में, सर्वांगीण रूप से विचार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो कल्पना की गयी है, उस सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय नहीं होगा, तो उसको सामाजिक न्याय मिलने वाला नहीं है। पहली जरूरत आर्थिक न्याय की है। आर्थिक न्याय में उसे कितनी सम्पन्नता आती है, वह देखने वाली बात है।

शिक्षा के बारे में, जो हमारे यहां समस्या है, माननीय सभापति जी चूंकि आप बहुत अच्छे विचारक भी हैं और सारी बातों का आप चिंतन करते हैं, तो इस दिशा में सोचने का अवसर है। आज शिक्षा सबको नहीं मिल रही है। एक की शिक्षा दीक्षा है और एक ही समृद्ध है। एक बच्चा पूरे साल की फीस दो-तीन लाख रुपये देता है जबकि एक बच्चे के स्कूल में छत भी नहीं है। यह जो इतना अंतर दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, वह देश को समतायुक्त समाज बनाने के लिए नहीं हो रहा है। मेरी प्रार्थना होगी कि निश्चित रूप से ऐसे शिक्षा और रोजगार के प्रबंध करने के लिए लोगों को जो भत्ता दिया जाये, वह मजाक न हो जाये। वह भत्ता भी गुजारे लायक होना चाहिए। अब भत्ते से उसकी रोटी कैसे होगी, उसके परिवार की कैसी स्थिति होगी, यह सब आप देख लीजिए। उसके बाद जो तकनीकी बातें हैं, उस पर अच्छी बहस करें। उस बहस के जो निष्कर्ष निकलेंगे, वे सब ठीक हो जायेंगे। आजादी का मतलब यह है कि उस गरीब आदमी तक आपकी सरकार पहुंचनी चाहिए। इसलिए यदि आजादी के बाद कुछ बदलाव आया है, वह दिखाई देना चाहिए इसलिए बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे?

बड़े-बड़े नारे कि गरीबी हटाएंगे, इनका क्या फायदा,
क्या मतलब है उसका।

बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे,

हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे।

इसलिए हमें वह चाहिए जो सच्चाई है, जो अच्छा है, जिससे हर आदमी के लिए समृद्धि आए - आप सभी को रोजगार देने का प्रबंध करें। प्रशिक्षण देने की बात आपने कही है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए आपको प्रबंध करना चाहिए जिससे धीरे-धीरे करके सभी लोगों को स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके।

यह विधेयक लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: इस विधेयक पर चर्चा करने का समय समाप्त हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास तीन माननीय सदस्यों के नाम हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए अगर सदन की इच्छा हो तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, जीरो आवर भी होना चाहिए।

सभापति महोदय: ठीक है। वह इसके बाद लिया जाएगा।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे देश के बेरोजगार लोगों के बारे में चिन्ता जाहिर की है।

महोदय, आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 60 साल हो रहे हैं। देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जनसंख्या का 40 प्रतिशत युवा हैं, लेकिन साथ ही आज यह दुख की बात है कि जहां हम युवाओं का देश कहलाने जा रहे हैं, वही युवा वर्ग बेरोजगारी से जकड़ा हुआ है। आज अपराध, आतंक, ड्रग्स लेने आदि जैसी जितनी भी गलत चीजें हैं, उनको इस बेरोजगारी से बढ़ावा मिल रहा है। आपने बेरोजगारी पर चिन्ता जाहिर करते हुए बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात कही है, मैं उसे इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं मानती हूं। मैं विधेयक का समर्थन करना चाहती हूं, लेकिन मैं यह मानती हूं कि यह एक अस्थायी समाधान है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी जैसी इस भीषण और भयंकर समस्या का मुख्य कारण हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है और उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से इसे नियंत्रित किया जाए। आज चाहे आतंकवाद हो या दूसरे अपराधों का मामला हो या चाहे जिस आपराधिक गतिविधि का मामला हो, उसके पीछे 60 से 70 प्रतिशत कारण यह बेरोजगारी ही है। इसके साथ ही हमारे देश की शिक्षा नीति भी दोषपूर्ण है। दसवीं कक्षा तक बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि उसे क्या कैरियर चुनना है, किस दिशा में जाना है। जब तक वह इस दिशा में सोचना शुरू करता है, वह 18 साल का हो चुका होता है। अगर वह किसी अमीर का बच्चा हो तो उसके घर में उसका बिजनेस मिलेगा, लेकिन अगर वह गरीब का बच्चा हो तो वह धीरे-धीरे भटकना शुरू करता है। सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा नीति को बदलना जरूरी है, क्योंकि हमारे बस्ते भारी होते जा रहे हैं, बुक्स भारी होती जा रही हैं, एक के बाद एक नए विषय जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी शिक्षा हमें मंजिल की ओर नहीं ले जाती है, हमें सामाजिक शिक्षा नहीं दे पा रही है। आज जो दसवीं कक्षा का बोर्ड है, उसका क्या मतलब रह गया है? आज यह केवल एक होव्वा बन गया है और बहुत से बच्चे अच्छे अंक नहीं आने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इस परीक्षा का क्या महत्व है, यह आज तक मुझे समझ नहीं आया। दूसरी तरफ विदेशों की शिक्षा देखें, वहां

[श्रीमती रंजीत रंजन]

बहुत छोटी उम्र में यह देख लिया जाता है कि बच्चे का इंट्रेस्ट किस ओर है और उसे उ॰ि प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहां जब तक बच्च ाह सोच पाता है कि उसका इंट्रेस्ट किस ओर है, उसकी काफी उम्र निकल चुकी होती है। इसलिए हमारे देश की शिक्षा नीति को बदलना बहुत जरूरी है।

एक तरफ यह शिक्षा नीति है और दूसरी तरफ शिक्षा की असमानता है। एक गांव के बच्चे के लिए उपलब्ध शिक्षा और एक शहर के बच्चे के लिए उपलब्ध शिक्षा, एक अमीर के बच्चे और एक गरीब बच्चे के लिए उपलब्ध शिक्षा में जो असमानता है, वह भयंकर और भीषण अपराध की ओर धकेलती है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। देश में माइनॉरिटीज के नाम से विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। बिहार में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो माइनॉरिटीज के नाम से खोले जाते हैं, एस.सी. के नाम से खोले जाते हैं, लेकिन जब तक 30 लाख रुपए डोनेशन के रूप में उस कॉलेज को नहीं दिए जाते हैं, उनको वहां एडमिशन नहीं मिलता है। यह उनके साथ एक मजाक है। मैं यह कहूंगी कि अगर आपकी तरफ से इसकी जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि कितने ऐसे कॉलेज हैं। माइनॉरिटी कॉलेज किसी जगह पर इसलिए खोला जाता है क्योंकि वहां माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन वहां माइनौरिटीज के 15 बच्चे भी नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ये डोनेशन देने में असमर्थ होते हैं। धीरे-धीरे उन्हें किस तरह से लीगल वे में फंसाकर दाखिला नहीं दिया जाता, इसका अंदाजा आप लगा सकते है। इसलिए अमीरी-गरीबी का जो गैप है, यह भी बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। यदि हम बेरोजगारी और युवाओं के लिए चिंतित हैं, तो हमें सबसे पहले शिक्षा को बदलना होगा और आबादी पर कंट्रोल करना आवश्यक है। आज आतंकवादी घटनाओं में भी कई युवा बेरोजगारों का हाथ होता है, जो कि मजबूरी में इस क्षेत्र में आते हैं।

सभापति महोदय, अगर आपका यह बिल पास होता है तो एक तरफ हम बेरोजगारों को एक हजार रुपया भत्ता देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कई ऐसे अपराध हैं, जिनमें अथाह पैसा लोगों को मिल रहा है। इस कारण युवा उस ओर उन्मुख होकर रास्ते से भटक रहा है। एक हजार रुपए में इस महंगाई के जमाने में क्या वह अपना भरण-पोषण कर पाएगा, इस पर भी हमें सोचना होगा।

हमने देश में रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कानूनी रूप दिया और उसे लागू किया है। लेकिन हमारा इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि हमने योजना तो शुरू कर दी, उसे सही रूप में सार्थक नहीं कर सके। आप बिहार में ही देख लें, वहां कई ऐसे जिले हैं और गांव हैं, जहां पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी मिट्टी का काम लोगों को दिया जा रहा है। इससे न तो काम सार्थक होता है और न ही हर व्यक्ति को रोजगार मिल पाता है। यदि हम वास्तव में बेरोजगारी की समस्या को देश से मिटाना चाहते हैं, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, यह देखना होगा। हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखें तो पाएंगे कि लाभार्थी को छः महीने से साल तक पैसा नहीं मिलता है। जिसे एक हजार रुपए मिलते हैं, उसे अंगूठा लगाकर मात्र दो सौ रुपए थमा दिए जाते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपयों की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से अमल में नहीं लाया जा रहा है। आज देश में भ्रष्टाचार जड़ जमा चुका है। जब तक इसे कम या दूर नहीं किया जाएगा, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी और न ही समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय, मैं आपकी सोच का समर्थन करती हूं कि यह एक गम्भीर चिंतन का विषय है। कुछ सालों में हमारा देश युवाओं का देश हो जाएगा। उस समय हम मात्र एक हजार रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देकर कैसे इस समस्या को हल कर पाएंगे, यह समझ से परे है और तब क्या इतनी राशि से हम युवाओं को रिझा सकेंगे, इस पर भी हमें विचार करना होगा।

एक तरफ हम बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेज जैसी नीति का समर्थन कर रहे हैं। सेज को हम देश में लागू कर रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, इसे भी देखना होगा। पंजाब में ऐसे बहुत से उदाहरण हुए कि जिन किसानों की जमीन सेज के लिए ले ली गई, तो कई किसान बेरोजगार हो गए। जो किसान 24 घंटे मेहनत करके, अपना पसीना बहाकर खेती करता है, उसकी जमीन सस्ते दामों में लेकर हम पूंजीपतियों को दे दें, तो फिर किसान का भला कैसे होगा। सेज के लिए हमने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जो शेयरधारक हो, जिसकी जमीन ली गई हो, जिसका परिवार सात-आठ सदस्यों का हो और खेती करना उसका मशिन हो, तो उसे और उसके परिवार वालों को कैसे रोजगार देंगे।

अगर हम सही अर्थों में बेरोजगारी के प्रति चिंतित हैं कि यह कैसे जाए तो हमें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधेयक लाना चाहिए, जिससे हम आबादी पर कंट्रोल कर सकें। आप एक हजार रुपया भत्ता देने सम्बन्धी बिल लाए हैं, कल जब जनसंख्या विकराल रूप ले लेगी, तो हम कितने लोगों को घर में बिठाकर उनका भरण-पोषण कर पाएंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा नीति में सुधार और जनसंख्या पर नियंत्रण। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमें खेलों को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में लेना चाहिए। देश में आज जो माहौल बन रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, स्पोर्ट को अनिवार्य विषय बनाकर उसे स्कूल्स में लागू किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं का चरित्र निर्माण हो सके। यदि चरित्र निर्माण नहीं होगा, हम उन्हें कब तक बिठाकर खिलाते रहेंगे। आज कई अपराधों के करने पर करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, जिससे बेरोजगार युवा उस ओर आकर्षित होता है। इसलिए यह एक गम्भीर चिंतन का विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करती हूं और आपकी सोच का भी समर्थन करती हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या, जिसका कि देश सामना कर रहा है, के संबंध में एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। यह एक संवैधानिक संशोधन है, जिसके माध्यम से आप यह सुझाव दे रहे हैं कि प्रत्येक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को लाभदायक रोजगार मिला चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो आप यह सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए।

महोदय, अब मैं इस सभा के समक्ष कुछ बोधक तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये तथ्य योजना आयोग की पत्रिका "योजना" में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आज देश में बेरोजगारों की संख्या का विभिन्न स्तरों पर 250 मिलियन और 300 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। इतने व्यापक स्तर पर बेरोजगारी फैली हुई है। पत्रिका में यह भी कहा गया है कि बेरोजगारी की इस संख्या में वार्षिक रूप से 35 मिलियन से 40 मिलियन तक वृद्धि हो रही है। अतः, यह प्रतिवर्ष बढ़ रही है। पत्रिका में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष मात्र 30 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। इसलिए, दूसरे शब्दों में, यदि हम इसी दर से बढ़ते रहे, तो जैसे-जैसे वर्ष बीतते जाएंगे, इस देश में बेरोजगारी बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी। ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में यदि आपको बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान ढूंढना है, तो सरकार को कोई तरीका ढूंढना होगा और उसे प्रत्येक वर्ष 60 मिलियन से 70 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने चाहिएं। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना है।

अब, इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम सभी यह कल्पना कर सकते हैं कि माननीय मंत्री महोदय आपसे इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करेंगे और यह कहेंगे कि सरकार कुछ प्रस्ताव लेकर आएगी। इन सभी विधेयकों का यही हश्र है। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। सरकार ये सुझाव दे सकती है। यदि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए और दो कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाए, तो महोदय, मेरे विचार से आपने जो अपने विधेयक में मांग की है, वह बहुत हद तक पूरी हो सकती है। एक तो रोजगार गारंटी योजना है। यदि इसे देशभर में गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए, तो महोदय, इससे आंशिक रूप से अपेक्षित आवश्यकता पूरी होगी। यह किसी व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। यदि सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जाता, तो बेरोजगारी भत्ता भी सुनिश्चित हो जाता है। यह एक परिवार में एक व्यक्ति के लिए है। लेकिन आज, यह योजना भी केवल 300 जिलों में लागू है। देश के अन्य 300 जिलों में यह कार्यक्रम भी लागू नहीं है। इसलिए, यदि सरकार जवाब देते हुए गंभीर है, तो मैं आशा करता हूं कि वह इस सभा को यह आश्वासन देगी कि कम से कम देश के सभी जिलों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। सरकार द्वारा तात्कालिक कदम उठाए जा सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे आंशिक रूप से आपकी मांग पूरी हो जाएगी।

एक अन्य चीज है, जिसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया गया है, जो कि असंगठित श्रम से संबंधित विधेयक के बारे में है। श्रम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री ने इस सभा से वादा किया था और हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने काफी पहले यह वादा किया था और कहा था कि यह विधेयक लाया जाएगा। सरकार ने अभी तक उस विधेयक

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

को सूचीबद्ध नहीं किया है। मैं असंगठित कामगारों के कल्याण से संबंधित विधेयक का उल्लेख कर रहा हूं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसी का उल्लेख किया गया है। वह अभी तक नहीं लाया गया है। योजना आयोग की इस पत्रिका में असंगठित क्षेत्र के लोगों की स्थिति के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि कार्यबल का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में शामिल है। किसी को ज्ञात नहीं है कि उन्हें क्या मिलता है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई विधान नही है। यहां तक कि, दिनभर बड़ी मेहनत के बाद भी पेंशन सहित किसी कल्याण योजना की कोई गारंटी नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कहा था कि वह एक ऐसा विधेयक लाएगी, जो उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन वह विधेयक अभी भी एक स्वप्न के समान ही है। आपने वादा किया था कि इसे लाया जा रहा है लेकिन उसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मंत्री महोदय, मैं कह रहा हूं कि यदि आप जवाब देते समय और माननीय सदस्य से उनके विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करते हुए, सरकारी विधेयक लाने का वादा करें, तो यह उससे भी एक कदम आगे होगा, जो आप उठा रहे हैं। महोदय, समस्याओं वाले ऐसे कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर सरकार सकारात्मक कदम उठा सकती है।

अब स्वाभाविक रूप से, स्वास्थ्य परिचर्या की समस्या मौजूद है। इस देश में, भी अभी स्वास्थ्य परिचर्या अपेक्षानुरूप नहीं है। लेकिन हमारे यहां बड़ी संख्या में ऐसे चिकित्सक हैं, जो बेरोजगार हैं। उनसे भी बड़ी संख्या बेरोजगार नर्सों की है। यदि कोई लड़की नर्सिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त करती है, तो वह विदेश में रोजगार तलाशती है। इस देश में जहां स्वास्थ्य परिचर्या की अत्यधिक आवश्यकता है लेकिन सरकार इस आवश्यकता के पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं कर रही है। यदि यह आवश्यकता उचित रूप से पूरी हो जाए तो बड़ी संख्या में शिक्षित डाक्टरों, नर्सों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को रोजगार मिल सकता है। परन्तु सम्भवतः सरकार की इस तरह की सोच के चलते लोगों की आवश्यकताएं पूरा नहीं हो पायी हैं।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा का है। आज भी यह देश निरक्षर है। मैं सरकार द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को कम नहीं कर रहा हूं। परन्तु योजना आयोग की पत्रिका में कहा गया है कि "आज भारत एक ऐसा देश है जिसकी 50 प्रतिशत जनसंख्या 25 वर्ष की आयु से नीचे है।" यह एक परिसम्पत्ति है। अर्थ शास्त्री यह कहते हैं कि यह एक जनसांख्यिकीय लाभांश है। परन्तु यह उस समय एक अभिशाप बन जाता है जब इन्हें उपयोगी रोजगार देने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।

पिछली बार भी मैंने आई.टी.आई. के बारे में कहा था कि इस देश में आई.टी.आई. को सुदृढ किया जाना चाहिए; इनका विस्तार किया जाना चाहिए ताकि हम देश में कुशल श्रमिक तैयार कर सकें।

परन्तु महोदय, योजना आयोग की पत्रिका "योजना" में यह भी कहा गया है कि "इस देश में 4500 आई.टी.आई. ओज में से अभी भी इनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।" इसका अर्थ यह है कि ये हम लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों का अभाव है। या तो उनके पास वहां जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है या किन्हीं अन्य कारणों से वे वहां नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि वे कहते हैं कि आई.टी.आई. पर खर्च होने वाली धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि वेतन पर खर्च की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस धनराशि का 25 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है। जबकि इसे उल्टा किया जाना चाहिए। केवल तभी हम न्याय कर पाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए...

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): शिक्षा का आभारभूत अंग अध्यापक की भूमिका है। सभी अन्य चीजों में से अध्यापक शिक्षा के लिए एक मुख्य जरूरत है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): निश्चित रूप से अध्यापक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें अच्छा वेतन दें परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि आपको इस क्षेत्र में और अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए ताकि अध्यापक को वेतन मिले, छात्र को सहायता मिले और संस्थान का उचित रूप से उपयोग हो सके। परन्तु आज हो यह रहा है कि अध्यापक को अच्छा वेतन मिल रहा है जो कि अच्छी बात है परन्तु संस्थान का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। देश की आवश्यकता को देखते हुए हमारे पास जो संस्थान हैं उनकी संख्या संतोषजनक नहीं है। अंतः प्रशिक्षित कार्मिकों की इस समस्या को पूरा करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नई नीति बनाई जानी चाहिए।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अब कई क्षेत्रों में ऐसा कहने का चलन है कि आई.टी. उद्योग आ रहा है और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। मैं ऐसे उद्योगों की सूची दे सकता हूं जो वह बता रहे हैं। इस सप्ताह 'द वीक' पत्रिका में कहा गया है कि "नौकरियां बहुत है परन्तु प्रशिक्षण के अभाव में इन नौकरियों के लिए लोग नहीं हैं" परन्तु हम कहां जोर देते हैं यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं उभर रहे आधुनिक उद्योगपतियों अथवा आई.टी. क्षेत्र में हो रहे आधुनिक विकास के विरुद्ध नहीं हूं।

परन्तु यदि एस.ई.जेड. एक समाधान है, जो आप चाह रहे हैं तो मैं यही कहूंगा। वर्ष 2007 में एस.ई.जेड. द्वारा 15,000 नौकरियों का सृजन किया गया। "योजना" में यह कहा गया है। वे कहते हैं: "आगामी तीन वर्षों में, एस.ई.जेड. द्वारा और 8-9 लाख नौकरियों का सृजन होगा।" परन्तु यहि आप अगले तीन वर्षों में सृजित होने वाले 10 लाख रोजगार को लेते हैं, तो भी हमारे सामने हर वर्ष रोजगार मांगने वाले 30 मिलियन लोग हैं। रोजगार की अपेक्षा करने वाले नए लोग 30 मिलियन हैं। अतः पैसा अथवा संसाधन खर्च करते समय आप कहां पर जोर देंगे?

मैं यह कहता हूं कि जहां आपको कृषि अर्थ व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में आत्महत्याएं हो रही हैं तो इनका पुनःरुद्धार करने के लिए काफी धनराशि देनी होगी। बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं। यदि कृषि क्षेत्र संतुष्ट है और यदि ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाता है तो इससे असंगठित क्षेत्र को काफी लाभ होगा। आज भी भारत की 90 प्रतिशत नौकरियां अकुशल असंगठित क्षेत्र के कर्मियों द्वारा की जाती हैं। ये मुख्यतः ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में है। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम रोजगार का सृजन हो तथा लोगों को वहां रोजगार मिल सकें। इसके लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिएं।

और अंत में मैं यह कहूंगा कि मैंने यह पहले भी उल्लेख किया है कि एक योजना जो कि काफी आकर्षक लगती है। यह योजना खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने की है। वे कहते हैं इससे काफी नौकरियों का सृजन होगा। वे कहते हैं कि कुछ लाख नौकरियों के सृजन की संभावनाएं हैं परन्तु इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोग विस्थापित हो जाएंगे। वे सड़कों पर आ जाएंगे। भिखारी बन जाएंगे। यदि इस तरीके से चन्द मिलियन नौकरियों का सृजन होता है तो यह अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। मैं आपसे इस क्षेत्र में बड़े माल्स तथा बाकी चीजों के निर्माण करने में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। फिर एस.ई.जेड. भी हैं। एस.ई.जेड. से सीमित संख्या में स्टाइलिश नौकरियां सृजित होंगी। इसमें कोई शक नहीं है। परन्तु वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति ने स्वयं सरकार से सिफारिश की है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। संसाधनों को देखते हुए हम एस.ई.जेड., बनाकर नुकसान झेल रहे हैं, रोजगार के क्षेत्र में इसके कम योगदान, इसके लिए जितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है तथा जिस तरीके से किसान सड़क पर आ रहे हैं - इस सब को देखकर एस.ई.जेड. पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आर्थिक योजना की ओर केवल इसी प्रकार के दृष्टिकोण से ही आपके सपने पूरे होंगे। अन्यथा अच्छे वायदे किए जाएंगे। वे आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करेंगे किन्तु होगा कुछ नहीं। इसलिए, मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा दिए गए सुझावों में से दो या तीन उपायों पर गम्भीरता से विचार करेगी। आपका एक बार फिर धन्यवाद। इस विधेयक को लाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपसे यहां से बोलने की इजाजत चाहता हूं। दूसरे मैं श्री मोहन सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो अभी सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपने राइट टू इम्प्लॉयमैन्ट के लिए कांस्टीट्यूशन अमैन्डमैन्ट बिल, 2004 सदन में पेश किया है, इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा सदन, देश के नौजवान और देश के सभी निवासी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या को सदन में पेश किया है। जैसा कि यहां स्टेटमैन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट एंड रीजन्स में लिखा गया है:-

[अनुवाद]

"बेरोजगारी भारत में प्रमुख समस्या के रूप में उभर रही है। सभी लोगों का बेरोजगारी की समस्या से संबंधी राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के उपबन्धों को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक यह नागरिकों का मूल अधिकार नहीं बन जाता।"

[हिन्दी]

इससे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि संविधान में हमारे देशवासियों का यह फंडामैन्टल राइट हो कि उसे इम्पलायमैन्ट मिले।

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

[अनुवाद]

"भारत में चार करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों की पहचान की गई है।"

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि जो चार करोड़ का आंकड़ा दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 120 करोड़ लोगों की आबादी में यह इससे अधिक होगा, जिनके लिए यह सदन हमेशा से चिंतित रहा है और आपके द्वारा बिल लाये जाने के बाद यह एक चिंता का विषय होने के साथ-साथ विचारणीय विषय भी होगा।

[अनुवाद]

"किन्तु राज्य प्रशासन को इन बेरोजगार युवकों की कोई चिंता नहीं है जिससे उनमें आपराधिक भावना बढ़ रही है और दिन-प्रतिदिन वे या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो रहे हैं।"

[हिन्दी]

महोदय, यह बात सही है कि यदि हम अपने देश में देखें तो चारों ओर अनइम्पलायमैन्ट की समस्या है, जिसकी वजह से हमारे यहां नये-नये आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, जिनसे आज सारा देश जूझ रहा है। हमारे देश में बॉर्डर पर माओवाद बढ़ता जा रहा है। बहुत समय से नक्सलवाद चल रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोगों को ह्यूमैन बॉम्ब बनाकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। सिर्फ पैसे के लिए एक मानसिकता के तहत बच्चों को मरने के लिए ट्रेन्ड किया जाता है। उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया जाता है और वे ह्यूमैन बॉम्ब के रूप में तबाही करने के लिए आमादा हो जाते हैं। आज देश में चारों तरफ क्राइम बढ़ रहे हैं। चोरी, डकैतियां होती हैं, रोड्स हैल्ड अप होती हैं, रोड्स पर मोटर, कारें लूटी जाती हैं और लोगों को मारा जाता है। इसके अलावा ट्रेनों में डकैतियां होती हैं, घरों में चोरियां होती हैं। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनके पीछे सारे यूथ्स होते हैं। यदि ये लोग पकड़े जाते हैं और उनकी जांच की जाती है तो वे पढ़े-लिखे यूथ्स होते हैं। आजकल टी.वी. में तरह-तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, जिन्हें देखकर, उनसे योजनाएं तैयार करके बैंक डकैतियां, चोरियां, ट्रेनों में डकैतियां आदि क्राइम किये जा रहे हैं और ये सब अनइम्पलॉयमैन्ट की वजह से हो रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि इन क्राइम्स में केवल लड़के ही शामिल नहीं होते है, बल्कि लड़कियां भी शामिल होती हैं।

सभापति महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, उस पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए और इसे जल्दी हल किया जाना चाहिए। सदन में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है। इसके अलावा इसमें लिखा है:-

अपराह्न 5.00 बजे

यह भी उल्लेख किया गया है:

"जब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक सामाजिक समानता को वास्तविक रूप देना कठिन है। ऐसी स्थिति में, राज्य को अपने प्रशासन को मितव्ययी बनाना होगा और इससे बचे धन को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित करना होगा। जिससे कि युवा वर्ग सकारात्मक क्रियाकलापों में अपने आपको लगा सके।"

[हिन्दी]

यह बात सही है कि जो बेरोजगार युवक हैं, उनको प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे वे जब तक नयी नौकरियां न ढूंढ लें, उनको कुछ न कुछ मदद मिलती रहनी चाहिए। इसके अलावा मैं इस सदन में यह भी मांग करूंगा कि हमारे यहां जो शिक्षा है, केवल बी.ए., एम.ए., एम.एस.सी., एल.एल.बी. और एल.एल.एम. बच्चे करते हैं लेकिन वे फिर भी बेरोजगार रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम टैक्नीकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। हम एक जिले में एक आई.टी.आई. बनाते हैं। हम उसे क्यों नहीं प्रोइवेट सैक्टर में दें क्योंकि आज हमें जरूरत है कि हम बच्चों को टैक्नीकल एजुकेशन देकर उन्हें बढ़ावा दें, जैसे वैल्डर्स, मोल्डर्स, कारपेंटर्स, पेंटर्स, इलैक्ट्रिशियन्स, मेसन्स, पलम्बर्स इत्यादि हैं, इनकी भी अगर ट्रेनिंग दें तो जो हमारे मध्यम वर्ग और गांवों के बच्चे हैं, अगर तकनीकी शिक्षा उनको मिलती है तो वे शहर में जाकर काफी पैसा कमा सकते हैं। आज अगर हम इलैक्ट्रिशियन्स को घर पर बुलाते हैं तो एक काम करने का वह कम से कम सौ रुपया लेता है। अगर वह दस जगह जाएगा तो दिन में करीब एक हजार रुपया कमाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और न केवल आई.टी.आईज सरकारी

हों, उनको प्राइवेट सैक्टर में भी लाइसेंस दिये जाने चाहिए जिससे उन बच्चों को तकनीकी शिक्षा से तैयार किया जाए और विदेशों में उनको फ्रीली जाने दिया जाना चाहिए। अगर हम अपने देश में उनको रोजगार नहीं दे सकते तो क्या कारण है, उनको हम विदेशों में जाने से क्यों रोकते हैं? उनको विदेशों में जाने दिया जाना चाहिए। वहां वे रोजगार प्राप्त करेंगे। जब हमारे देश के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और हमें फॉरेन एक्सचेंज देश में वापस कमाकर वे लाएंगे जिससे देश को फायदा होगा। इस तरफ भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए।

इसके अलावा आज हम देखते हैं कि आजादी के करीब 60 वर्ष हो गये हैं। आज भी हमारे देश के लोग फुटपाथ पर रात बिताते हैं। आज भी लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्लम्स एरिया में जो कि बेहद गरीब हैं, उनको भी तकनीकी शिक्षा देकर तैयार कर सकें तो यह भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हमने बहुत सी जगह देखा है कि वे बच्चे जो भूखे हैं, जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, जहां पर कूड़ा डाला जाता है, वहां पर जानवरों की तरह उन्हें उस कूड़े में से रोटियां निकालकर, झूठन निकालकर उनको खाते हुए खुद मैंने देखा है। यह बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। आज इसके लिए सरकार को इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि हम उन्हें प्रोटैक्शन दे सकें, हम उन्हें वजीफे दे सकें, हम उन्हें पढ़ा सकें, उनको रोज़गार गारंटी के प्रोग्राम्स दे सकें जिसमें हम उन यूथ का भविष्य आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य में परिवर्तित कर सकें।

जहां तक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात है, आप जानते हैं कि यह योजना अभी भारत सरकार लाई है मगर अभी कुछ दिनों पहले टी.वी. पर मैं एक कार्यक्रम देख रहा था। हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि उसमें जो उन्होंने बताया कि जो लोग उस गांव में नहीं रहते हैं, उनके भी कार्ड बने हुए हैं। जो लोग गांवों से बाहर डर के मारे जा रहे हैं, उनसे उन लोगों ने पूछा कि आप गांवों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहां के प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी उन्हें डराते हैं कि यहां से भाग जाओ। कई फर्जी काड्र्स बने हुये हैं। जो पैसा गरीब लोगों को जाना चाहिये, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। फर्जी मास्टर रोल बनाकर पैसे का भुगतान किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो रोजगार संबंधी योजनायें हैं, उनके लिये एक मौनिटरिंग कमेटी बनाई जाये और इस संबंध में छापे डाले जायें। जो प्रोग्राम टी.वी. पर आया, उसे सारे देश के लोगों ने देखा है। जो पैसा भारत सरकार गरीबों के लिये दे रही है, वह उन्होंने मिलकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। हम नये भारत का निर्माण कैसे कर पायेंगे, हमारी जो कल्पनायें हैं, हमारी सरकार ने जनता से जो वायदे किये हैं, उन्हें कैसे पूरा कर पायेंगे? इस प्रकार की शिकायतें एक जगह से नहीं बल्कि अनेक जगहों से आ रही हैं। इसलिये, मैं इन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मुझे याद है कि जब स्व. राजीव गांधी 1984 में भारत के प्रधानमंत्री थे और मैं लोक सभा का सदस्य था, उस समय पैप्सी और कोका कोला को लाइसैंस देने की बात हुई थी। उन्होंने फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री बनाई जिसके पहले मंत्री श्री जगदीश टाइटलर थे। उस समय यह शर्त रखी गई थी कि जो भी विदेशी कम्पनियां यहां आयेंगी, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर बेस्ड फैक्टरियां लगानी होंगी ताकि रूरल लोगों को एम्पलायमेंट मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी, फल या फूलों का उत्पादन होता है, उन से संबंधित उद्योग लगायेंगे तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर टमाटर की पैदावार होती है तो टोमैटो कैचअप बनाने का काम होना चाहिये। आलू से चिप्स बनाने का काम होना चाहिये। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और लोगों को काम मिलेगा। अभी चौ. लाल सिंह जी ने जम्मू-कश्मीर में उत्पादित सेबों के बारे में जिक्र किया। सेब पहाड़ों पर होते हैं लेकिन मार्केटिंग पूरी नहीं है। इसलिये उन्होंने यह बताया कि सेबों का जूस बनाने का काम किया जाये। इससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी और साथ में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा मगर उस दिशा में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पैप्सी और कोका कोला कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये और फिर से वे पेय पदार्थ ही बनाते रहे। जो शर्त उन विदेशी कम्पनियों के लिये रखी गई थी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी फैक्ट्रियां लगायेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, वह काम नहीं हो सका।

सभापति जी, गांधी जी ने चरखे से सूत कातकर खादी का कपड़ा बनाना प्रारम्भ किया था। हमारी खादी ग्रामोद्योग की बैठक भी हुई जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आये थे। उसमें बताया गया कि एक साल में खादी ग्रामोद्योग

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

का बजट केवल 7 करोड़ रुपये का है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस उद्योग को हम लोग गांवों में लेकर आये और चरखे से सूत कातकर गरीबों के लिये कपड़ा तैयार किया गया, वह उद्योग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति जी, मेरा कहना है कि आज गांवों में खादी के नाम पर कोई उद्योग नहीं है। हम उस उद्योग को गांवों तक लेकर जायें ताकि लोगों को काम मिल सके। गांव में खादी उद्योग से संबंधित शहद उत्पादन भी है। वहां फलों के जूस हैं, और बहुत सी चीजें हैं। यदि हम वहां खादी ग्रामोद्योग शुरू करें तो हम उसके माध्यम से गांवों में लोगों को रोजगार दे सकेंगे और देश के लोगों को गांधीजी द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, जिसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, वह पूरा कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बेरोजगारी भत्ते पर भी विचार करें। यदि हम पुलिस की बात करें तो 800 से 1000 की जनसंख्या पर एक पुलिस वाला है। क्यों नहीं भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें बैठकर तय करती हैं कि हम पुलिस फोर्स को बढ़ाएंगे जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा सी.आई.एस.एफ., बी.एस.एफ., आर्मी, आर.पी.एफ. है, यदि आप इसमें तथा सैन्ट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट में देखें तो रोजगार बिल्कुल बंद है या बहुत कम रोजगार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट्स में कोआर्डिनेशन करके इन फोर्सेज में लोगों की भर्ती बढ़ाई जाए जिससे हमारे नौजवानों को इन फोर्सेज में सैन्ट्रल गवर्नमैंट में और प्रांतीय सरकारों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध हो सकें, जिससे कि हम देश की सुरक्षा और इंटरनल सिक्यूरिटी की जो बात करते हैं, उसमें ज्यादा सिक्यूरिटी मिले और लोगों को रोजगार भी मिले।

अंत में मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि जो जनसंख्या कम करने पर, पॉपुलेशन पर स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें गति आई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को उनके साथ कोआर्डिनेशन करके इस प्रोग्राम को दोबारा हाइलाइट करना चाहिए, टीवी पर प्रोग्राम देना चाहिए, उनको इंसैन्टिव्स देने चाहिए। केवल दो बच्चों के लिए प्रमोशन दिये जाएं, उनको कुछ इन्क्रीमैंट दिये जाएं, उनको ईनाम स्वरूप कुछ दिया जाए जिससे इन स्कीम्स का प्रचार प्रसार हो और हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतवर्ष हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज हम एटॉमिक एनर्जी पर जो एग्रीमैंट कर रहे हैं, उससे हम पावर जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्रगति की बैकबोन है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता।

अभी जापान का डैलीगेशन आया था। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां बेरोजगारी का क्या परसेंटेज है। उन्होंने कहा कि केवल चार प्रतिशत उनके यहां बेरोजगार हैं। अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर ने 60 हजार करोड़ का निवेश करने की बात कही है जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो यू.पी., राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होता हुआ मुम्बई तक बनेगा। इसमें न जाने कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, कितना निवेश होगा। इनके लिए अगर पावर नहीं होगी तो हम कैसे इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट करेंगे? अगर इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? इसलिए आज आवश्यक है कि हम इस तरह का कार्य करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान कर सकें। अंत में मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई): माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा रखे गए इस विधेयक का भरपूर समर्थन करती हूं। इस विधेयक के माध्यम से आपने देश की ज्वलंत समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आज का पढ़ा-लिखा नौजवान, अपनी डिग्रियां लेकर दर-दर भटक रहा है। बेरोजगारी की समस्या कोई एक-दो दिनों में समाप्त होने वाली समस्या नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो माता-पिता हैं, वे आधी रोटी खाकर, एक वक्त का खाना खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यह सोचकर कि यह बच्चा पढ़-लिखकर हमारा सहारा बनेगा।

हम देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसके लिए शिक्षा नीति को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे जो बच्चे हैं, वे आज बी.ए., एम.ए., की डिग्री लेकर दर-दर भटक रहे हैं। शिक्षा नीति को सुधारने के लिए हाई स्कूल के बाद ही बच्चों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें आज तकनीकी शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसके साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसलिए आज जनसंख्या पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र से ऐसे-ऐसे नौजवान हमारे पास आए हैं, जिनके पास बी.ए., एम.ए. की डिग्री है, लेकिन वे आज चतुर्थ श्रेणी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जब हमने उनसे पूछा कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए कितनी शिक्षा जरूरी है तो

उन्होंने कहा कि इसके लिए कक्षा आठ तक की पढ़ाई जरूरी है। वे लोग अपनी बी.ए., एम.ए. की डिग्री को हटा कर हाई स्कूल या कक्षा आठ का प्रमाण-पत्र लाकर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं।

आपने जो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है, इसका मैं भरपूर समर्थन करती हूं। हमारे देश में पढ़े-लिखे नौजवानों के सामने एक अन्य समस्या है, क्योंकि जो कम पढ़ा-लिखा बेरोजगार होता है, वह अपने जीवनयापन के लिए छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार रहता है। वह जूता पॉलिश भी कर सकता है, सब्जी भी बेच सकता है और अखबार बेच कर भी अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है, लेकिन जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हैं, वे छोटे-मोटे रोजगार नहीं कर पाते हैं और कुंठित होकर अपराध करने की ओर बढ़ते हैं।

महोदय, मैं यह कहूंगी कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आपने जो यह प्रावधान इस विधेयक में रखा है, इस बिल में प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपए देकर बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात कही है, मैं इसका भरपूर समर्थन करती हूं। आज विशेषकर बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने की, शिक्षा नीति को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): महोदय, भारत एक प्राचीन राष्ट्र किन्तु नवोदित देश है। 100 करोड़ लोगों के देश में 25 वर्ष की आयु से कम 50 करोड़ लोगों का होना दुलर्भ है। इस प्रकार, हमारे पास अत्यधिक युवा शक्ति है। जब तक इस युवा शक्ति का समुचित तरीके से उपयोग नहीं किया जाता तब तक यह हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य रहेगा। युवा असंतोष नक्सलवाद जैसे सभी प्रकार के उग्रवादों को जन्म देता है। देशभक्ति का स्थान हिंसा और अराजकता ले लेगी।

महोदय, यौवन प्रेम एवं काव्यात्मक कल्पना का समय होता है। चांद की सुंदरता से हर कोई युवा मंत्र मुग्ध होता है। जब उसका हृदय चांद के लिए लालायित हो रहा होता है तभी कठोर वास्तविकता की आग उसके पैर जला देती है। यह वास्तविकता गरीबी, गंदगी और हताशा की होती है। उड़ीसा का युवा वर्ग आजीविका की तलाश में अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर जाते हैं और प्रवासी श्रमिक बनकर रह जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में, माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित बनाने और बाद में उन्हें डाक्टर एवं इंजीनियर आदि बनाने के स्वप्न देखते हैं। वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी पैतृक भूमि को बेच देते हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके तकनीकी महाविद्यालय में प्रवेश लेने में 50 लाख रुपये तक लग जाते हैं। अच्छे अंकों के प्रतिशत के साथ उतीर्ण होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है और आकर्षक नौकरियों के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ देते हैं। वे अमेरिका और लंदन चले जाते हैं और अन्ततः वहीं बस जाते हैं। माता-पिता अकेले रह जाते हैं। आज भारत की यही सच्चाई है।

महोदय, सरकार जब तक बेरोजगार युवकों के लिए भत्ते की घोषणा नहीं करती है तब तक कल्याणकारी उपायों के बड़े-बड़े दावे औंधे मुंह पड़े रहेंगे। हमारे देश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन सभी युवाओं को या तो समुचित रोजगार प्रदान किया जाए या फिर उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। हमारे देश के आत्म-सम्मान और गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने भी इसी भावना को दर्शाया था।

महदोय, युवाओं की स्थिति की तुलना की कल्पना हम कैदियों से कर सकते हैं। जेल में रहते हुए किसी भी कैदी को भोजन, कपड़ा और रहने का स्थान मिलता है जबकि बाहर रहने वाले युवाओं को भुखमरी और गरीबी से जूझना पड़ता है। यदि युवाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो वे अवश्य ही कारावास की ऊंची-ऊंची दीवारों को तोड़कर वहां रहना पसन्द करेंगे। निरर्थक चुनावी घोषणा-पत्रों के मसौदे तैयार करके और उनके मतों के बदले असहाय युवकों को चांद देने का वायदा करके वे राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं।

महोदय, हम वस्तुतः ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं, जो कभी भी फट सकता है। इसलिए, मैं सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करके उन्हें बेहतर माहौल दिया जाये।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा भाषण देते हुए उड़ीसा की समस्या को सदन में साकार किया है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, श्री मोहन सिंह, माननीय सदस्य ने, सदन में जो विधेयक प्रस्तुत

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रामदास आठवले]

किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री मोहन सिंह जी इस माननीय सदन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देश को बचाना है, तो अनएम्पलाइड यूथ को एम्पलायमेंट देने की आवश्यकता है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में लोग नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन उन्हें 4 साल, 5 साल, 10 साल और कभी-कभी 15 साल तक भी रोजगार हेतु कॉल नहीं आती है। जहां 1000 जगह होती हैं, वहां 4 लाख लोग एप्लीकेशन देते हैं। उसकी परीक्षा होती है और रिटिन एग्जाम में 4-5 हजार लोगों को पास कर दिया जाता है। बाद में पूरे लोगों को फेल करते हैं और खाली एक हजार लोगों को ही लेते हैं। मतलब यह है कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।

महोदय, मैं श्री मोहन सिंह के बिल का पूरा समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि तीन साल तक एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराने के बाद भी यदि एम्पलॉयमेंट नहीं मिलता है, तो उन्हें 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ऑस्कर फर्नांडीज साहब आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। लेबर डिपार्टमेंट आपके पास है, लेकिन पूरा पैसा उनके पास है। जैसा कानून आप रूरल एरियाज में लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी दी गई है, वैसा ही कानून आप अर्बन एरियाज के लिए भी लाएं। इसके साथ-साथ, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज बढ़ाने और यूथ को रोजगार देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, देश में जो 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए कोई न कोई प्लान बनाने की आवश्यकता है। अब हमारी लोक सभा का कार्यकाल केवल डेढ़ साल बचा है, लेकिन उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि हम कब चले जाएं। इसलिए जब तक हम हैं, तब तक हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 10 साल का प्लान बनाकर ऐसी व्यवस्था करें कि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए।

महोदय, हमारे उड़ीसा के लीडर ने बहुत जोरदार शब्दों में अपनी बात बताई है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गुप्तकाल में हमारे देश में पूरी दुनिया के लोग आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, लेकिन अब हमारा देश पूरी दुनिया में जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अनएम्पलायमेंट बहुत बढ़ गया है। आजादी के 60 साल बाद भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है, इस पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। हम देश में धीरे-धीरे एम्पलायमेंट बढ़ा रहे हैं। पहले छः साल के लिए एम्पलायमेंट था, उन्हें अनएम्पलायड कर दिया गया। हमें तो केवल पांच साल के लिए एम्पलायमेंट मिला है। हमारे देश में जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए कोई न कोई अच्छा प्लान बनाकर रोजगार देने की आवश्यकता है। उस प्लान को बनाने पर यू.पी.ए. सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपके बिल का पूरा सपोर्ट करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है। यहां पर हर बिल पर चर्चा बहुत अच्छी होती है और हम बड़ी जोर-जोर से बात भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। जब इलैक्शन आता है, तब भी हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम यह देंगे, हम वह देंगे, लेकिन जीतने के बाद हम सब बातों को भूल जाते हैं। प्रियरंजन दासमुंशी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमें दुबारा पांच साल के लिए आना है, तो देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई अच्छा प्लान बनाना होगा और उन्हें रोजगार देना होगा, तभी हमें भी पांच साल आगे के लिए एम्पलायमेंट मिल सकता है।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट): सभापति महोदय, मैं यह कहने के अलावा और अधिक समय नहीं लूंगा कि पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं यद्यपि भारत सरकार द्वारा राज्यों के लिए एक योजना है जिसका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए था। वे समय पर धनराशि आबंटित नहीं कर सके तथा योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर सके।

अपराह्न 5.26 बजे

(**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*।)

हाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोरापुट में एक समस्या पैदा हुई; दो जिलों में कुछ बीमारियां हो गई तथा ये फैल रही है। एक ओर, वे कह रहे हैं कि यह उस दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण हो रही है तथा इसलिए लोग मर रहे हैं। लेकिन एक अन्य समस्या है जो महत्वपूर्ण है; तथा वह यह कि उन तंत्रों की विभिन्न योजनाओं की अनुपलब्धता के चलते खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा जिला समाहर्ता के माध्यम से किया जाना है।

अतएवं, एक ओर, हमारे सामने खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के चलते भुखमरी है तथा दूसरी ओर बीमारियों के चलते मृत्यु हो रही है। ये दो समस्याएं हैं जो रोजगार से संबंधित है जो लक्ष्य तंत्र, विशेषरूप से आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होना चाहिए था।

एक सच बात जो हमारे दिमाग में है वह यह है कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तीन प्रकार की शिक्षा है - पहली, दिमाग के लिए शिक्षा जो ज्ञान है; दूसरी हाथ के लिए शिक्षा जो तकनीकी शिक्षा है; तथा तीसरी हृदय के लिए शिक्षा जो दृष्टिकोण परिवर्तन से संबंधित है। इन तीनों शिक्षाओं को इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि वे जो बेरोजगार हैं उन्हें किसी प्रकार का रोजगार मिले तथा जो शिक्षित नहीं हैं वे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी कमाएं।

हाल में, प्रधान मंत्री ने देश के भविष्य के लिए कई शिक्षा योजनाओं की घोषणा की। वे सभी विश्वविद्यालय तथा आई.टी.आई. जो योजना में सूचीबद्ध हैं, वे विनिर्दिष्ट की जांच तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो वास्तव में देश में पिछड़े हैं के लिए पर्याप्त वित्तपोषण किया जाये। जब तक यह नहीं किया जाता है, जो भी घोषणाएं की जायें देश के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्र देश में कार्यान्वयन के चलते पिछड़े बने रहेंगे।

हम दो शब्द कार्यान्वयन तथा क्रियान्वयन में संशय की स्थिति में है। कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा 'नीतिगत कार्यान्वयन' का है जबकि क्रियान्वयन जिला, ब्लाक तथा पंचायत स्तर पर किया जाना है। मूल रूप से नीति का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा नीति तैयार करने, राज्यों को धनराशि आवंटित करने, इत्यादि से है। लेकिन रज्यों तक पहुंचने वाली राशि जिला तथा निचले स्तर तक प्रदान की जाती है। इस नेटवर्क को दो चीजों द्वारा मजबूत किया जाता है। एक केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सभी संसाधनों को एकीकृत करके नीचे के स्तर तक, अर्थात् जिला तथा राज्य स्तर तक समेकित करने का है तथा धनराशि संबंधित करने में समय की विलंब से लागत नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरे, प्रशासन को भी मजबूत बनाना चाहिए।

सभापति महोदय: आप अगली बार जारी रह सकते हैं।

श्री गिरिधर गमांग: इसे इस प्रकार मजबूत बनाना चाहिए कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग समेकित हों।

सभापति महोदय: आप अगली बार जारी रह सकते हैं।

अपराह्न 5.30 बजे

आधे घंटे की चर्चा का स्थगन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आधे घंटे की चर्चा के बारे में मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री अविनाश राय खन्ना ने माननीय अध्यक्ष महोदय से आधे घंटे की चर्चा स्थगित करने हेतु अनुरोध किया है और माननीय अध्यक्ष उनके अनुरोध से सहमत हो गये हैं। अतः यदि सभा सहमत होती है तो हम 'शून्यकाल' आरंभ करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अतः अब हम 'शून्यकाल' आरंभ करेंगे। उससे पहले मैं अध्यक्षपीठ से एक सुझाव देना चाहूंगा। 'गैर सरकारी सदस्यों' का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, यह कार्य हम शुक्रवार को करते हैं। यही स्थिति लगभग सभी सदनों में है; राज्य विधान सभाओं और संसद में। इसे आगे करके बुधवार करने पर हमें विचार करना होगा क्योंकि शुक्रवार को सभी सदस्य जा रहे होंगे।

मैं टी.वी. देख रहा था और मैंने सभी बेंच खाली पाया और केवल मंत्री तथा सभापति को टी.वी. पर दिखाया गया था। इसमें चैनल के लोगों की कोई गलती नहीं है। हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसे संविधान के साथ एक प्रकार का खेल कहूंगा। संविधान संशोधन के लिए एक खास गणपूर्ति की आवश्यकता होती है सामान्य गणपूर्ति की नहीं। संविधान (संशोधन) विधेयक पारित करने के लिए संविधान में एक खास गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। इनमें से किसी भी उपबंधों का अनुपालन किए बिना हम गैर सरकारी सदस्यों की सहूलियत से इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यही स्थिति है। पूरा देश इसे टी.वी. पर देख रहा है।

पहले ऐसे सीधा प्रसारण नहीं होते थे। अब सीधा प्रसारण होते हैं। माननीय मंत्री, अध्यक्ष और मात्र कुछ

[सभापति महोदय]

सदस्य उपस्थित हैं। मैं ऐसा टी.वी. पर देख रहा था और वह भी तब जब हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। यदि एक सामान्य विधेयक पर चर्चा हो रही होती तो मैं इसे समझ सकता था किन्तु जब हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम गणपूर्ति पूरी होनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि सभा केवल कुछ लोगों की उपस्थिति में संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रही है। टी.वी. देखकर सभा में केवल कुछ ही लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। मुझे इस बात का खेद है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आम प्रवृत्ति यह है कि जब किसी सदस्य को बोलना होता है तभी वह उपस्थित रहता है। आप अभी कई सदस्यों को उपस्थित देख सकते हैं क्योंकि वे सब 'शून्यकाल' में बोलने आए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले, सीधा प्रसारण नहीं था। मैं चैनल के लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं। यह उनकी गलती नहीं है। यह हमारी गलती है। हमारे पास यहां पर्याप्त संख्या में सदस्य नहीं हैं। वे तभी सदस्यों को टी.वी. पर दिखा सकते हैं जब माननीय सदस्य अपने स्थान पर हों। जब सभा कमोबेश खाली हो तो टी.वी. वाले क्या कर सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, शून्यकाल जारी रखते हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपकी इजाजत से मैंने जो एक अर्जेंट मैटर आज पेश किया है, उसकी तरफ मैं आपक ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से एक स्कीम लाई गई। उस स्कीम को तीन वर्ष हो गये। उस स्कीम के पहले जो कन्सर्निंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पी.डी.सी. और पी.डी.डी. हैं, उन्होंने अपनी-अपनी स्टेट्स में जितने अनकवर्ड मोड़े थे, अनकवर्ड विलेजेज थे, जहां बिजली नहीं थी, उन सब ने उसके लिए काम किया। एक किताब बनी। इसके बाद जब राजीव गांधी विद्युतीकरण का प्लान बनकर गया, तो उसे यहां से एन.एच.पी.सी. को भेज दिया गया। एन.एच.पी.सी. ने उसे खुद एग्जिक्यूट नहीं किया। एन.एच.पी.सी. वहां की पोजीशन नहीं जानती है। एन.एच.पी.सी. ने उस टेंडर को लेने के बाद क्या किया? लार्सन एंड टुर्बो नाम की एक कंपनी है, उसे दे दिया। इस तरह से इसमें एक और ठेकेदार आ गया। पहले एन.एच.पी.सी., फिर एल. एंड टी. और उसके बाद एल. एंड टी. ने भी आगे कांट्रैक्टर रख लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां काम होना था, जहां दस पोल लग सकते थे, जिसे कंसर्निंग स्टेट का डिपार्टमेंट चलाता, लेकिन अब वहां एक ही रहेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सप्लाइटेशन हो रही है, उससे इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, वह स्टेट पर पड़ेगा।

मेरी सबमिशन है कि इस तरह की जो पालिसीज बन रही हैं, जो कांट्रैक्टर्स को फायदा देने के लिए हैं, उनके बारे में हम सोचें। हमारा अपना इंजीनियर वहां बेकार है, वह इसे खुद कर सकता है। वह पोल भी लगा सकता है। लोकल लेबर का भी वहां बेड़ागर्क हो गया। मेरी रिक्वैस्ट है कि मेहरबानी करके इस तरह के जो प्लान किए जा रहे हैं, जिनसे अनइंप्लायमेंट बढ़ रहा है, इंप्लायमेंट नहीं बढ़ रहा है, इससे खर्च बढ़ रहा है और जो खर्च बढ़ेगा, वह देश पर बोझ है, स्टेट पर बोझ है। मेरी सबमिशन है कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट इसके लिए काम करता है, जिन्होंने प्रोजेक्ट या प्लान बनाए हैं, उनको ही काम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): केन्द्र सरकार को यूरोपीय देशों से भारोपीय मुक्त व्यापार समझौते के एक पक्ष के रूप मछलियों का आयात करने के कदम को शीघ्र रोका जाना चाहिए।

यदि हम थाइलैंड और अन्य यूरोपीय देशों से मछलियों का आयात करते हैं तो भारत के करोड़ों पारम्परिक मछुआरों को भूखों मरना पड़ेगा।

इससे केरल के 10 लाख मछुआरे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। जिस तरह से राज्य में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं उसी तरह मछुआरा समुदाय भी व्यापक स्तर पर आत्महत्याएं करने को मजबूर होगा।

मछलियां केरल की महत्वपूर्ण निर्यात-वस्तु है। केन्द्र सरकार की गलत निर्यात नीति की वजह से, केरल से

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मछलियों का निर्यात रूक जाएगा, भूखमरी और बेरोजगारी फैलेगी तथा इससे हमारे राज्य की आर्थिक रीढ़ ही टूट जाएगी।

केन्द्र सरकार को भारत और केरल के मत्स्यन क्षेत्र को बचाने हेतु यूरोपीय देशों से मछिलयों के आयात करने के कदम को शीघ्र रोका जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह राज्य का मामला है।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रख रहा हूं। सारा देश सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मना रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देश में सन् 1857 की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनकी डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट यह लोकसभा है, राष्ट्रपति भवन, नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक सहित लगभग पूरी नयी दिल्ली जहां बसी है, यह मालचा समूह के 12 गांवों का एरिया है, जिसमें नयी दिल्ली बसी है। उन गांवों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। अनेक लोग मारे गए, अनेक लोगों को अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया, वे भाग गए और कुछ अंग्रेज-भक्त किस्म के लोग चंद अंग्रेजों के साथ मिलकर यहां रह गए। इन बातों को डेढ़ सौ साल हो गए हैं।

मेरे क्षेत्र सोनीपत में मालचा एक गांव है। कुछ लोग कुरुक्षेत्र जिले में बस गए, कुछ गुड़गांव में बस गए और कुछ लोग दिल्ली में अलग-अलग गांवों में बस गए। बहुत लोगों को अंग्रेजों ने मार भी दिया। उनकी सारी जमीन छीन ली और उन्हें एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला। जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दीं, आज यहां भवन बने हुए हैं, सारी नई दिल्ली बसी हुई है, लेकिन उन गांवों के लोग मजदूरी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिला। देश की फ्रीडम फाइटर्स लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ काफी ज्यादती हो रही है। उन लोगों ने बार-बार रिप्रैजेंटेशन दिए लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। मालचा और उसके आस-पास के गांवों में एक प्राचीन मंदिर शिवालय है। ...*(व्यवधान)* वह मंदिर आज भी एग्जिसमैंट में है और बाकायदा वहां पूजा होती है। जब अंग्रेजों ने वहां दमन शुरू किया, उन बारह गांवों के सब लोगों ने मंदिर में इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रण लिया था। जिसे आज बुद्धा गार्डन कहा जाता है, उस वक्त वहां बहुत बड़ा जंगल होता था। बारह गांवों की महिलाओं ने सब गांवों के लोगों को इकट्ठा करके सांझा रोटी का आयोजन किया था। आज जो जगह धौला कुआं के नाम से जानी जाती है, वहां एक कुआं होता था, जिसमें लोगों ने नमक डालकर प्रण लिया था। सारा कुआं नमक से भर गया था, इसीलिए उसका नाम धौला कुआं पड़ा। इतने सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। वे जमीन से बेदखल हो गए, लेकिन आज तक उनका रिकार्ड सरकार के पास नहीं है।...*(व्यवधान)* उन्हें एक पैसा मुआवजा नहीं मिला और यहां बड़े-बड़े भवन बन गए।

पहले देश की राजधानी कलकत्ता होती थी। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से यहां शिफ्ट हुई, तब इसे नई दिल्ली नाम दिया गया। तब सारी जमीन अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली थी।...*(व्यवधान)*

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, आज उनका कहीं कोई रिकार्ड नहीं है। सारे गांवों का रिकार्ड चैक किया जाए, उन्हें उनकी जमीनों का मुआवजा दिया जाए, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स डिक्लेयर किया जाए, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स की फैसीलिटीज मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)* उन्हें फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान मिलना चाहिए, बाकायदा रिकार्ड में आना चाहिए। मेरी एक यह मांग है।

सोनीपत के पास लिबासपुर नाम का एक गांव है। उसके पास राई गांव है। राई में अंग्रेजों की फौज का अड्डा होता था। लिबासपुर गांव में भी 28-30 व्यक्ति कोल्हू में जिंदा पेर दिए गए थे। इसका रिकार्ड भी है। मैं आपको चार व्यक्तियों के नाम भी बता रहा हूं। उनके साथ काफी जुल्म हुआ।...*(व्यवधान)* एक व्यक्ति उदमी राम और उनकी वाइफ, गुलाब सिंह, जसराम, चार व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने पेड़ों पर कीलों से गाढ़ दिया था। तीन दिन बाद उनकी मौत हो गई। 28-30 व्यक्ति कोल्हू में लहूलुहान हो

[श्री किशन सिंह सांगवान]

गए थे। वह गोल्हू आज भी उस गांव में मौजूद है। सारा गांव बेदखल कर दिया गया था। आज उनके पास एक इंच जमीन नहीं है, श्मशान घाट नहीं है, तालाब नहीं हैं, उन्हें कोई जमीन नहीं मिली, कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी हो, वे आज फ्रीडम फाइटर्स कहलाने लायक भी नहीं हैं।

मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने वास्तव में देश के लिए कुर्बानी दी, उनके इतिहास की छानबीन होनी चाहिए। उन्हें फ्रीडम फाइटर्स डिक्लेयर करके पूरी फैसीलिटी मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, यह पता लगा है कि संप्रग सरकार के विधि मंत्रालय ने सी.बी.आई. के प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज करने वाले अर्जेन्टीना के न्यायालय आदेश के विरुद्ध अपील नहीं करने का निर्णय कर बोफोर्स आरोपी ओटावियो क्वात्रोची को खुला छोड़ दिया है।

यह भी पता लगा है कि इस निर्णय पर न केवल विधि मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए तथा स्वीकृति प्रदान की, बल्कि सी.बी.आई. को निरंतर लूप में रखा गया तथा इसे राय की प्रतियां भी 15 अगस्त को ब्यूनर्स आयर्स में क्वात्रोची को अपना पासपोर्ट मिलने के कई दिन बाद दी गई। यह इटली के व्यवसायी की रिहाई के बाद सरकार तथा सी.बी.आई. द्वारा किए गए दावों का खंडन करती है। फाइल पर कोई विमन टिप्पणी नहीं की गई थी।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सभी रिकार्डों को इस सभा के समक्ष रखे ताकि हमारे लोग खुले तथ्यों को जान सकें।

[हिन्दी]

डा. कर्ण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, शिक्षा में शारीरिक शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। इस देश में खेलों के मामले में हम शुरू से पिछड़ते जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान मिडिल स्कूल जहां शारीरिक शिक्षक की बहुत महत्ती आवश्यकता है, उस तरफ दिलाना चाहूंगा। देश भर के मिडिल स्कूलों में पिछले गत वर्षों से. शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से मानव संसाधन मंत्रालय लगभग दो लाख पद हर वर्ष राज्य सरकारों को तृतीय श्रेणी के शिक्षक नियुक्त करने के लिए देता है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में पिछले वर्ष तीस हजार शिक्षक नियुक्त किये गये और इस वर्ष पन्द्रह हजार शिक्षक नियुक्त किये गये, लेकिन उनमें से एक भी पद शारीरिक शिक्षक को नहीं दिया गया।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार जब सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से राज्यों को शिक्षकों के पद आवंटित करे, तो प्रति मिडिल स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त करे जिससे देश में बेरोजगार बैठे हुए शारीरिक शिक्षकों, विशेष तौर से मैं अपने राजस्थान की बात कहना चाहूंगा कि वहां केन्द्र सरकार द्वारा जो पद आवंटित किये जाते हैं, उनमें शारीरिक शिक्षकों के पद सुनिश्चित किये जायें। धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरू घासीदास की जीवनी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सन् 1956 में उन्होंने जिला रायपुर, ग्राम गिरोदपुरी में जन्म लिया। उन्होंने बाल्यकाल से ही नये-नये चमत्कार और विचार दिखाने शुरू कर दिये। जैसे मरे हुए सांप को जिंदा करना, अगर किसी आदमी को सांप ने काट लिया, तो उस आदमी को जिंदा कर देना और मिर्ची की बाडी में भाटा उगा देना। उन्होंने छः महीने तक कठिन तपस्या की जिससे उनको सत्यनाम का बीजमंत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने बीजमंत्र प्राप्त करने के बाद माता सफुरादेवी जो छः महीने की मुर्दा थी, उसको सत्यनाम का अमृत देकर जिंदा कर दिया। इसे देखकर पूरा संसार आश्चर्यचकित हुआ और उन्हें अपना इष्ट भगवान मानने लगा। कई लोगों ने यहां तक कहा कि यह तो सामान्य जादू है। वे महान संत हैं, तो मरी हुई बछिया को जिंदा करके दिखाये। उन्होंने मरी हुई बछिया को भी जिंदा करके दिखाया। उन्होंने इस सत्यनाम के मंत्र जाप से अनेक लोगों को ठीक किया। चाहे कोढ़ की बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट या किडनी फेल हो जाये, तो वे अमृत देते थे जिससे वह आदमी जिंदा हो जाता था। अगर किसी आदमी की आंख खराब हो गयी और वे उसके पास जाते थे, तो उसे दिखाई देने लगता था। इस तरह चमत्कारी पुरुष का पूरे देश में नाम होने लगा।

उस महान संत की यादगार में ग्राम गिरोदपुरी, जिला रायपुर में दस से पन्द्रह लाख लोग हर वर्ष मेला मनाते हैं। सत्यनामी समुदाय के संत के रूप में गुरू घासीदास की यादगार में प्रतीक चिन्ह गुरू घासीदास के जयस्तंभ का निर्माण किया गया है। 18 दिसम्बर को उनकी पूजा अराधना

पूरे देश में की जाती है। उनके अनुयायी दो करोड़ लोग हैं। इस महान संत ने सत्य, प्रेम का पाठ पूरे देश में पढ़ाया था जिसमें झगड़ा विहीन समाज, असांत को शांति की ओर ले जाना है। उन्होंने सत्य का उपदेश दिया जिसमें भ्रष्टाचार न हो, ईमानदारी, शांति, प्रेम, स्नेह, दया और क्षमा हो। उन्होंने विवेक से बात करके मानव समाज को एक नयी दिशा और संदेश दिया। उस संत की यादगार में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 दिसम्बर की छुट्टी घोषित की है। मैं मांग करना चाहता हूं कि उस दिन केन्द्रीय छुट्टी घोषित हो और गिरोदपुरी में पर्यटन स्थल हो जिससे लाखों आने वाले लोग उस पर्यटन स्थल में आयें। 18 दिसम्बर की छुट्टी पूरे राष्ट्र में मनायी जाये। मैं मांग करना चाहता हूं कि 18 दिसंबर को पूरे राष्ट्र में छुट्टी मनाई जाए और इस दिन को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय अवकाश एवं उस स्थल को एक पर्यटन स्थल घोषित करे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सस्ती दर पर उपलब्ध गेहूं न खरीदकर महंगे मूल्य पर आयात करना देश के किसानों के साथ विश्वासघात है। यह किसानों के साथ अन्याय और विश्वासघात है। अधिक कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं खरीदने का फैसला दिन दहाड़े भारतीय किसान की लूट और डकैती है। यह व्हीटगेट काण्ड है। इसे देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा। जो गेहूं वर्ष 2007 में 263 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से आयात करने का टेण्डर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह दाम बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके दस दिन बाद ही 325 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से 5.7 लाख टन गेहूं आयात करने का फैसला कर लिया और अब सरकार 390 डालर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात को हरी झण्डी दे दी है। भारतीय किसान के गेहूं का समर्थन मूल्य 825 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान 1100 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहा है। सरकार भारतीय किसान को यह दाम नहीं देगी, लेकिन विदेशी किसान को 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रही है। यह भारतीय किसान के साथ अन्याय और उसका अपमान है। इसके साथ ही विदेशी गेहूं खाने के लायक भी नहीं होता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस सम्पूर्म प्रकरण में भारी गड़बड़ी हुई है। भारत सरकार विदेशी गेहूं के आयात को तुरंत बंद करे, किसानों को पूरा समर्थन मूल्य दे और करोड़ों रुपए के इस गेहूं घोटाले की सी.बी.आई. से जांच कराए।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): सभापति महोदय, मैं इस सदन के समक्ष नैनी, इलाहाबाद में स्थित पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, यह देखा जा रहा है कि जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां है, वे सभी धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। यह टी.एस.एल. कंपनी वर्ष 1965 में नैनी, इलाहाबाद में स्थापित की गयी थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें पहले हजारों कर्मचारी काम करते थे, लेकिन धीरे-धीरे प्रबंधतंत्र की गड़बड़ी की वजह से उसके तमाम कर्मचारियों ने वी.आर.एस. ले लिया, तमाम कर्मचारी रिटायर हो गए और इसमें वर्तमान में केवल 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उस कंपनी का रिवाइवल करने के लिए दो करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव आया है, लेकिन मुझे खेद है कि यह सरकार उसे रिवाइव नहीं करना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले जब एन.डी.ए. सरकार थी, उसने अलग से एक वी.आर.एस. मंत्रालय बना रखा था, जिसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियों को बंद कर दिया गया। अब यह यू.पी.ए. सरकार भी उसी रास्ते पर है। प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च को पी.एस.यूज की मीटिंग में कहा था:

[अनुवाद]

> "मुझे उम्मीद है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्संरचना बोर्ड सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लाएगा। इससे सरकार को सभी लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलेगी।"

ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जिन्हें मैंने उद्धृत किया है।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि यह कंपनी फैब्रीकेशन की एक यूनिट है और इसने तंजानिया, जमानिया, ईराक आदि देशों में काम किया है। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में जब सभी पी.एस.यूज को बुलाया गया था, उसमें इस कंपनी को राष्ट्रीय गौरव की उपाधि दी गयी थी। बी.आर.पी.एस.ई. और डी.आई.एच. के इस प्रस्ताव कि इस कंपनी को रिवाइव किया जाए, के बाद भी इसे रिवाइव नहीं किया जा रहा है।

[श्री रेवती रमन सिंह]

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा मद्रास फर्टिलाइजर कम्पनी को 71 करोड़ रुपए रिवाइवल के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन मात्र दो करोड़ रुपए नैनी इलाहाबाद त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि. को नहीं दिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस कम्पनी को तुरंत दो करोड़ रुपए देकर इसे रिवाइव किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैं अपने को रेवती रमण जी द्वारा उठाए गए इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। देश की वीर भूमि बुंदेलखंड में महोबा के मशहूर आल्हा काव्य के नायक आल्हा ऊदल के चरित्र के साथ एक निजी टेलीविजन स्टार प्लस द्वारा प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार रात्रि 9 बजे प्रसारित पृथ्वी राज चौहान धारावाहिक में छेड़छाड़ की जा रही है। इस धारावाहिक में बहुत गलत ढंग से महोबा के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। जिससे उस क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी राज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई की थी तो एक बार नहीं, छः बार उनकी सेना को परास्त किया गया था। लेकिन आल्हा ऊदल जैसे वीर योद्धाओं द्वारा पृथ्वी राज चौहान की सेना को परास्त करने के बावजूद इस टी.वी. चैनल ने उनके चरित्र के साथ छेड़छाड़ की है और पृथ्वी राज चौहान से आल्हा ऊदल को हारते हुए दिखाया गया है। ऐसे वीर योद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है-

आल्हा ऊदल बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार।
एक को मारे, दो मर जावे तीसरा देख देख मर जाय।
जाको बैरी सुख से सोवे, ऐसे जीवन को धिक्कार।

ऐसे आल्हा काव्य के नायक, ऐसे वीर योद्धा के चरित्र से छेड़छाड़ करने वाले स्टार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस विवादित अंश को हटाकर इस धारावाहिक को रोका जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति जी, मैं राजनारायण बुधौलिया जी के इस विषय के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा में बरूनी मुहान में एक पत्तन स्थापित करने की अविलम्बनीय आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

बरूनी मुहान केन्द्रपाड़ा जिले में है और भुवनेश्वर से 150 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बरूनी मुहान मध्य काल में एक पत्तन था। भौगोलिक रूप से यह एक पत्तन बनने के लिए काफी उपयुक्त स्थान पर स्थित है। यह गहरा है और यहां कोई अन्तःप्रवाह नहीं है। बरूनी मुहान के उत्तर की ओर काफी खाली जमीन तथा वन हैं। इसी तरह दक्षिण में दस हजार एकड़ से अधिक खाली भूमि का हिस्सा है। वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार ने बरूनी मुहान को किसी प्रस्तावित पत्तन के लिए आदर्श स्थान घोषित किया था।

उक्त पत्तन के विकास से इस क्षेत्र के लोगों का काफी आर्थिक विकास हो सकेगा। चूंकि राज्य में औद्योगिक विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है बरूनी मुहान पत्तन की स्थापना से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

अतः मैं केन्द्र सरकार से उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में बरूनी मुहान पत्तन की स्थापना करने का अनुरोध करती हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य जो मामला उठाना चाहते हैं वह राज्य का मामला है। परन्तु एक विशेष मामले के रूप में मैं दो माननीय सदस्यों को इसे उठाने की अनुमति दे रहा हूं। पहले मैं श्री शैलेन्द्र कुमार को बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इलाहाबाद, प्रयाग जो गंगा-जमुनी तहजीब और संस्कृति का शहर है, जो बुद्धिजीवियों और धार्मिक तथा ऐतिहासिक आजादी का भी केन्द्र बिन्दु रहा है, वह पूरी तरह से मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। अभी हाल ही में एक तारीख को जब मैं अचानक यहां से अपने संसदीय क्षेत्र गया तो वहां मुझे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ ग्रन्थ के पन्ने को एक धार्मिक स्थल के पास फाड़ा गया है। कुरान शरीफ ग्रन्थ हमारे एक समुदाय का पवित्र ग्रन्थ है और उन लोगों की

उसमें काफी आस्था है। इस घटना के कारण वहां छः पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जो आज भी जारी है। कोतवाली शाहगंज, खुल्दाबाद, अतरसुइया और करैली में बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है और उन पर फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी के महानगर क्षेत्र के अध्यक्ष अब्दुल सलमान के विरुद्ध एन.एस.ए. के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के डी.जी.पी. महोदय जब वहां का दौरा करते हैं, तो इस बात को कहते हैं कि यह एक सुनोयजित और राजनैतिक साजिश है।

सायं 6.00 बजे

मैं सदन के माध्यम से इसकी भर्त्सना करता हूं। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने काम में नाकाम होती है तो सीधा समाजवादी पार्टी और हमारे नेता के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। माननीय अतीक अहमद जो इस सदन के मैम्बर हैं, उनके नाम को जोड़ा जाता है। मैंने दो-दो बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की घटना का उल्लेख किया है। वहां के छात्र उद्वेलित हैं, वहां धरना-प्रदर्शन हो रहा है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भक्त लोग शहर में सिविल लाइन हनुमान मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे तो वहां की पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जे.पी.सी. या उच्चस्तरीय दल इलाहाबाद भेजा जाए। इलाहाबाद आजादी का केन्द्र-बिंदु रहा है, वहां का अमन, चैन, शांति और सौहार्द का वातावरण बिगड़ रहा है। वहां पर सशस्त्रबल भेजकर घटना को कंट्रोल किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसी सदन में जीरो-आवर में माननीय राजबब्बर जी को बोलने के लिए बुलाया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक मामला है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उस समय आगरा में भी कर्फ्यू लगा था और मेरे यहां के थाना क्षेत्रों में भी रात में कर्फ्यू लगा हुआ है, जबकि इसे कहा जाता है कि यह स्टेट मैटर है। मैं इस निर्णय पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। यह एक पुल के निर्माण के बारे में है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र दो भागों जालौन और झांसी में बंटा हुआ है। जब हम कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस से चलकर उरई आते हैं और उरई से कोटा होते हुए जब हम मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं तो गुरसराय हमारा उत्तर प्रदेश में है तथा अगरौठा, मौरानीपुर, टीकमगढ़ से आने वाला जो रोड है तो बीच में जो बेतवा नदी पड़ती है, उस पर पुल न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बेतवा नदी पर एक पुल बनाया जाए क्योंकि इलाहाबाद, लखनऊ आदि स्थानों से मध्य प्रदेश की ओर जाने के लिए यह सीधा रास्ता है। अतः पुल के बन जाने से, बाहर के लोगों और क्षेत्र के लोगों के लिए सीधा रास्ता खुलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा सोमवार, 10 सितम्बर 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 10 सितम्बर, 2007/19 भाद्रपद 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री हंसराज गं. अहीर	341
2.	श्री जोवाकिम बखला श्री रनेन बर्मन	342
3.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	343
4.	डा. राजेश मिश्रा श्री सज्जन कुमार	344
5.	श्री कीरेन रिजीजू श्री हरिकेवल प्रसाद	345
6.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्रीमती निवेदिता माने	346
7.	श्री एम. अंजन कुमार यादव डा. धीरेंद्र अग्रवाल	347
8.	श्री फ्रांसिस फैन्थम	348
9.	श्री सूरज सिंह श्री मित्रसेन यादव	349
10.	डा. एम. जगन्नाथ	350
11.	श्री रामदास आठवले	351
12.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	352
13.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	353
14.	श्री नवीन जिन्दल	354
15.	श्री अधीर चौधरी श्री निखिल कुमार	355
16.	श्री के.एस. राव	356
17.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री जसुभाई धानाभाई बारड	357
18.	श्री सुभाष महरिया	358
19.	श्री श्रीपाद येसो नाईक श्रीमती करूणा शुक्ला	359
20.	श्री श्रीचन्द कृपलानी श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन, रशीद, श्री जे.एम.	3394, 3474
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3408, 3486, 3516
3.	आदियत्यनाथ, योगी	3403
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3420, 3424, 3482, 3501, 3512
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3435, 3480, 3487, 3508
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3457, 3503, 3521, 3528
7.	अजय कुमार, श्री एस.	3532
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	3444, 3499
9.	अर्गल, श्री अशोक	3389, 3462
10.	आठवले, श्री रामदास	3479, 3550
11.	बारड, श्री जसुभाई धानाभाई	3398, 3467
12.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	3430, 3438, 3494
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3393
14.	भगोरा, श्री महावीर	3547
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3405

1	2	3
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3443
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3435
18.	चिन्ता मोहन, डा.	3426, 3489
19.	चौधरी, श्री अधीर	3466, 3505, 3523, 3529
20.	देवरा, श्री मिलिन्द	3377, 3465
21.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3423, 3485, 3515
22.	धोत्रे, श्री संजय	3433, 3492, 3518
23.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	3392
24.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3419
25.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3549
26.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3449
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3398, 3469, 3527, 3543, 3552
28.	गांधी, श्रीमती मेनका	3427
29.	गंगवार, श्री संतोष	3434. 3493, 3519
30.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3433, 3492, 3518
31.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3416
32.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	3432
33.	हसन, चौ. मुनव्वर	3379, 3490, 3551
34.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	3456
35.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3407, 3507, 3544

1	2	3
36.	जगन्नाथ, डा. एम.	3478, 3508, 3522
37.	जावले, श्री हरिभाऊ	3441
38.	जेना, श्री मोहन	3508
39.	झा, श्री रघुनाथ	3385
40.	जिन्दल, श्री नवीन	3419, 3463
41.	जोगी, श्री अजीत	3490
42.	जोशी, श्री कैलाश	3478
43.	कनोडीया, श्री महेश	3410, 3442
44.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3538
45.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3445, 3498, 3528
46.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3498
47.	कृष्ण, श्री विजय	3455, 3502, 3520
48.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	3519
49.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3426, 3489, 3507
50.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3387
51.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3461
52.	महरिया, श्री सुभाष	3481, 3508, 3511
53.	महतो, श्री नरहरि	3530
54.	मंडल, श्री सनत कुमार	3532
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	3469, 3506, 3527, 3531
56.	मसूद, श्री रशीद	3439, 3469
57.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3404

1	2	3
58.	मैन्या, डा. टोकचोम	3436
59.	मिश्रा, डा. राजेश	3474
60.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3414
61.	मंडल, श्री अबु अयीश	3421
62.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3450
63.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3412
64.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3460, 3532
65.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3448, 3549
66.	नायक, श्री अनन्त	3450, 3453
67.	निखिल कुमार, श्री	3529
68.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	3532
69.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3381, 3419, 3459
70.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3386, 3402, 3475, 3495, 3533
71.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3384
72.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3417
73.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3399, 3400, 3468, 3470
74.	पाठक, श्री ब्रजेश	3451, 3540
75.	पाठक, श्री हरिन	3446, 3547
76.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3430
77.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3380, 3430, 3458
78.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3415
79.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3402
80.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	3451, 3540

1	2	3
81.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3398, 3467
82.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3388, 3475
83.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3425, 3480, 3487, 3541
84.	राई, श्री नकुल दास	3378, 3542
85.	रामदास, प्रो. एम.	3395
86.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3397
87.	राणा, श्री काशीराम	3413
88.	राव, श्री के.एस.	3471, 3510
89.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3452, 3478, 3500
90.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3535
91.	रावले, श्री मोहन	3411, 3472, 3508
92.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3454
93.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3391, 3464, 3504, 3526, 3530
94.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3418
95.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3409
96.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3382, 3425
97.	रिजीजू, श्री कीरेन	3388, 3475, 3532
98.	सज्जन कुमार, श्री	3474, 3545
99.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3383, 3471, 3484, 3514, 3532
100.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3396
101.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3431

1	2	3
102.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3480, 3509
103.	सेनथिल, डा. आर.	3428
104.	सेठी, श्री अर्जुन	3511
105.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3473
106.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3420, 3424, 3482, 3512, 3524
107.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3451, 3540
108.	शुक्ल, श्रीमती करुणा	3402, 3460
109.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3534
110.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	3430
111.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	3537
112.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3500
113.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3478
114.	सिंह, श्री गणेश	3478, 3536
115.	सिंह, श्री मोहन	3440, 3497
116.	सिंह, श्री रेवती रमन	3447
117.	सिंह, श्री सुग्रीव	3399, 3400, 3468, 3470
118.	सिंह, श्री सूरज	3477, 3507
119.	सिंह, श्री उदय	3431, 3523, 3538

1	2	3
120.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	3410, 3442
121.	सुब्बारायण, श्री के.	3437, 3546
122.	सुमन, श्री रामजीलाल	3477
123.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3406
124.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3390
125.	थामस, श्री पी.सी.	3429, 3491
126.	तुम्मर, श्री वी.के.	3417
127.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3386, 3402, 3475, 3495, 3532
128.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3422, 3483, 3513
129.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3476
130.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3420, 3424, 3482, 3512, 3524
131.	विनोद कुमार, श्री बी.	3539
132.	यादव श्री कैलाश नाथ सिंह	3451, 3540
133.	यादव, श्री मित्रसेन	3495, 3548
134.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3401, 3488, 3517, 3525

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	355
पृथ्वी विज्ञान	:	354
वित्त	:	345, 346, 351, 353, 358, 359
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	350
विधि और न्याय		
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	342
विद्युत	:	347, 349
ग्रामीण विकास		343, 352, 356, 360
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		341
शहरी विकास		344, 348, 357.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य		3381, 3391, 3423
पृथ्वी विज्ञान		3393, 3497, 3500
वित्त		3379, 3380, 3383, 3384, 3386, 3388, 3389, 3395, 3396, 3397, 3404, 3407, 3410, 3411, 3412, 3415, 3416, 3417, 3418, 3426, 3428, 3431, 3434, 3435, 3437, 3438, 3440, 3441, 3443, 3445, 3447, 3452, 3454, 3455, 3458, 3459, 3460, 3462, 3463, 3465, 3469, 3470, 3472, 3473, 3474, 3476, 3479, 3482, 3485, 3486, 3487, 3492, 3494, 3495, 3499, 3501, 3502, 3503, 3507, 3509, 3510, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3523, 3525, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3537, 3538, 3539, 3543, 3544, 3546, 3549, 3552
आवास और शहरी गरीबी उपशमन		3446, 3547, 3550
विधि और न्याय	:	3377, 3401, 3403, 3406, 3413, 3427, 3429, 3430, 3432, 3457, 3488, 3490, 3491, 3493, 3532
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	3402, 3424, 3448, 3471, 3521

विद्युत	:	3387, 3392, 3394, 3408, 3419, 3451, 3468, 3475, 3477, 3478, 3480, 3489, 3498, 3508, 3515, 3526
ग्रामीण विकास	:	3398, 3414, 3420, 3421, 3425, 3433, 3436, 3449, 3481, 3483, 3504 3511, 3512, 3522
विज्ञान और प्रौद्योगिकी		3390, 3399, 3400, 3409, 3422, 3461, 3467, 3484, 3534
शहरी विकास	:	3378, 3382, 3385, 3405, 3439, 3442, 3444, 3450, 3453, 3456, 3464, 3466, 3496, 3505, 3506, 3513, 3514, 3524, 3533, 3535, 3536, 3540, 3541, 3542, 3545, 3548, 3551.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 29/16/2007/1929 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के :
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।